खण्ड-416, अंक-5
गुरुवार, 29 आषाढ़, शक संवत् 1917
(20 जुलाई, 1995 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1995)

खण्ड 416 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नोत्तर	1–93
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	93
सीतापुर नगर में सरायन नदी पर बने फटफटा पुल को चौड़ा करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
कृषि इन्जीनियरिंग कालेज इटावा में इन्जीनियरिंग की शिक्षा की समुचित व्यवस्था न होने के कारण 20 होनहार विद्यार्थियों को अन्य कृषि इन्जीनियरिंग कालेज में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में 301 के अन्तर्गत सूचना ...	94
कानपुर महानगर में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों भूमिहीनों व कृषि मजदूरों को न्यूनतम रुपया 1000/- प्रति–माह जीवन निर्वाह भत्ता देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	94–95
वाराणसी के चदौली व धानापुर क्षेत्रान्तर्गत प्रभावित भूमि की सिंचाई हेतु पम्प कैनालों की मरम्मत व सुधार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद बांदा में स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वास योजना के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी से रु० 7000/- ऋण धनराशि की कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	95–96
बहराइच के ग्राम भामोपारा के पास बने लकड़ी के पुल के टूट जाने से सैकड़ों गांव के लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	96
विधायक निवास–6 में पानी की आपूर्ति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	96–100
महामहिम श्री राज्यपाल के नेतृत्व में महात्मागांधी की 125 वीं जयन्ती समारोह मनाने हेतु गठित समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्री के सम्मिलित न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	100–106
वृद्धावस्था पेंशन देने में शहर व देहात के भेदभाव से समानता के सिद्धान्त एवं विधान मण्डल के निर्णय की अवहेलना होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	106–109
विधान सभा का सत्र 90 दिन चलाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	109–110
सदन में बोलने के लिए सभी मा० सदस्यों के लिए एक समान कानून लागू किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	110–111
राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के दायित्वों के निर्वहन के सम्बन्ध में शासन के शासनादेश के अन्तर्गत विधायकों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में औचित्य का प्रश्न	111–117

विषय		पृष्ठ संख्या
श्री बदन सिंह (जनपद बुलन्दशहर) को स्वतन्त्रता संग्राम राज्य पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...	117-120
श्री अध्यक्ष को सभी समितियों में वर्ष 1995-96 के लिए विधान सभा सदस्यों को नाम निर्देशित करने के लिए सदन द्वारा प्राधिकृत किया जाना	...	120-121
विधान सभा के प्रथम सत्र 1995 में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	...	121
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड संशोधन विधेयक 1995 (उ०प्र० विधान परिषद द्वारा संशोधित रुप में पारित) (विधान परिषद द्वारा संशोधन सहित सदन के पटल पर रखा गया)।	...	121
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक 1994 (सदन पटल पर रखा गया)	...	121
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें।	... ...	122-135
1995-96 के आय व्ययक पर चर्चा—(जारी)।	...	135-151
उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1995 (पारित)।	...	151-161
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं।	...	161
श्री बालेश्वर त्यागी द्वारा गाजियाबाद जनपद में इन्टर कालेज की स्थापना वर्तमान विद्यालयों में दो पालियों की शिक्षण अनुमति तथा द्वितीय पाली के शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य।	...	162-164
पुलिस उपनिरीक्षक की भर्ती हेतु वर्ष 1991 में हुई परीक्षा को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश कान्त लवानियां सदस्य विधान सभा की नियम 51 की सूचना पर वक्तव्य।	... ...	164-165
जनपद चमोली के कर्णप्रयाग की तहसील के अन्तर्गत भूस्खलन व भारी कटाव से लोगों का जीवन संकटमय होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य।	... ...	165-166
पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों की बाढ़ से सैकड़ों गांवों में व्यापक तबाही की रोकथाम के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य।	... ...	166-168
नगरीय क्षेत्रों के विकास कार्यों के स्थल चयन में विधायकों की भूमिका/ अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा।	...	168-173
श्री राजेन्द्र कोटियाल द्वारा सदन में पर्चे फेके जाने के सम्बन्ध में मा० अध्यक्ष का निर्णय।	... ...	173-174
नत्थियां।	... ...	175-179

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(बारहवीं विधान सभा)

वृहस्पतिवार, दिनांक 20.7.1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:–

1–अखलाख, श्री	मेरठ	25–ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
2–अखिलेश, श्री	महराजगंज	26–ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
3–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	27–ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर
4–अनिल कुमार, श्री	सीतापुर	28–करन सिंह, श्री	मुरादाबाद
5–अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर	29–कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
6–अमर सिंह, श्री	अलीगढ़	30–काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
7–अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	31–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
8–अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	32–गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली
9–अ० रईस, श्री	सुल्तानपुर	33–गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री	अल्मोड़ा
10–अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर श्री	फर्रुखाबाद	34–गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
		35–चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
11–अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर श्री	फर्रुखाबाद	36–चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद
12–अरिमर्दन सिंह, श्री	हमीरपुर	37–चैनसुख भारती, श्री	जालौन
13–अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	38–छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
14–अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर	39–जदुरानी, श्रीमती	हरदोई
		40–जयराम कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
15–अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव	41–जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
		42–जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री	इलाहाबाद
16–अशोक बाजपेई, श्री	हरदोई	43–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
17–आर०के० चौधरी, श्री	इलाहाबाद		
18–इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा	44–जुगेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
19–इरशाद, श्री	आजमगढ़	45–जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
20–इश्तियाक अहमद, श्री	बाराबंकी	46–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
21–उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	47–तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर
22–उमाशंकर यादव, श्री	जौनपुर	48–तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
23–उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी	49–दरोगा प्रसाद सरोज, श्री	आजमगढ़
24–ऊषा यादव, श्रीमती	एटा	50–दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच

51-दीनानाथ चौधरी, श्री — बलिया
52-दीपक कुमार, श्री — उन्नाव
53-धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
54-धर्मपाल यादव उर्फ डी०पी०यादव, श्री — बुलन्दशहर
55-धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री — खीरी
56-नन्द लाल, श्री — सुल्तानपुर
57-नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री — कानपुर देहात
58-नसीरुद्दीन, श्री — फिरोजाबाद
59-निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री — खीरी
60-परमानन्द दण्डी, स्वामी — रामपुर
61-परशुराम यादव, श्री — फैजाबाद
62-पारस नाथ यादव, श्री — जौनपुर
63-पुत्तू सिंह यादव, श्री — शाहजहांपुर
64-पूर्णमासी देहाती, श्री — देवरिया
65-प्रताप सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
66-प्रभा रावत, श्रीमती — गोरखपुर
67-प्रवीण सिंह ऐरन, श्री — बरेली
68-प्रीतम सिंह, श्री — मुरादाबाद
69-बनवारी सिंह, श्री — बदायूं
70-बरकत अली खां, श्री — सुल्तानपुर
71-बरफिया लाल जुवांठा, श्री — उत्तरकाशी
72-बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
73-बाबू खां, श्री — हरदोई
74-बाबू राम यादव, श्री — मैनपुरी
75-बाबू राम वर्मा, श्री — बस्ती
76-बालेश्वर यादव, श्री — देवरिया
77-बेनी प्रसाद, श्री — बाराबंकी
78-ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
79-भगवती प्रसाद सागर, श्री — कानपुर देहात
80-मंजूर अहमद, श्री — बरेली
81-मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
82-मदन भइया, श्री — मेरठ
83-मनोरमा, श्रीमती — कानपुर देहात
84-मसूद अहमद, डा० — फैजाबाद
85-महबूब अली, श्री — मुरादाबाद
86-महराज सिंह यादव, श्री — इटावा
87-महिपाल सिंह यादव. श्री — बरेली
88-माया शंकर पाठक. श्री — वाराणसी
89-मित्रसेन यादव, श्री — फैजाबाद
90-मीर अफजल अली उर्फ अच्छे मियां, श्री — बदायूं

91-मुक्ति नाथ, श्री — देवरिया
92-मुख्तार अनीस, श्री — सीतापुर
93-मुनव्वर हसन, श्री — मुजफ्फरनगर
94-मुलायम सिंह यादव, श्री — फिरोजाबाद
95-मोहम्मद अरशद खान, श्री — जौनपुर
96-मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
97-मोहसिन, डा० — गोरखपुर
98-यश पाल चौधरी, श्री — खीरी
99-रघुवीर सिंह, श्री — एटा
100-रणजीत सिंह जूदेव, श्री — झांसी
101-रतन पाल पंवार, श्री — मुजफ्फरनगर
102-रमाकान्त यादव, श्री — आजमगढ़
103-रमेश चन्द्र चंचल, श्री — फिरोजाबाद
104-राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
105-राज बहादुर, श्री — गाजीपुर
106-राजेन्द्र प्रसाद, श्री — लखनऊ
107-राजेश यादव, श्री — बदायूं
108 राधेश्याम, श्री — बाराबंकी
109-राम अधार यादव, श्री — महराजगंज
110-राम करन आर्य, श्री — बस्ती
111-राम तेज, श्री — बहराइच
112-राम दर्शन यादव, श्री — आजमगढ़
113-राम दास पाल, श्री — कानपुर देहात
114-राम धनी, श्री — गाजीपुर
115-राम नरेश यादव श्री — रायबरेली
116-राम प्रसाद, श्री — बस्ती
117-राम मूर्ति सिंह, श्री — शाहजहांपुर
118-राम लखन यादव, श्री — प्रतापगढ़
119-राम वीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
120-रामेश्वर दयाल, श्री — मैनपुरी
121-रजवान जही खाँ उर्फ रिज्जू भइया — गोण्डा
122-लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
123-लाल बहादुर सिंह, श्री — प्रतापगढ़
124-वकार अहमद शाह, डा० — बहराइच
125-विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
126-विनय कुमार पाण्डेय उर्फ — गोण्डा
127-विन्नू, श्री
128-विश्राम सिह यादव, श्री — हरदोई
129-विश्वनाथ, श्री — देवरिया
130-वीर अभिमन्यू सिंह, श्री — फतेहपुर
131-वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री — पीलीभीत

132	वीरेश्वर सिंह उर्फ	अलीगढ़	
133	वीरेश यादव, श्री		
134	शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच	
135	शराफत यार खां, श्री	बरेली	
136	शाकिर, श्री	देवरिया	
137	शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया	
138	शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात	
139	शिव प्रताप यादव, डा०	गोण्डा	
140	शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर	
141	शिव सागर लाल, डा०	उन्नाव	
142	श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ	
143	श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर	
144	श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर	
145	संग्राम सिंह यादव, श्री	बलिया	
146	सतीश कुमार, श्री	बिजनौर	
147	सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ	
148	सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर	
149	सन्त बक्श रावत, श्री		लखनऊ
150	समर पाल सिंह, श्री		मुरादाबाद
151	समीर भाटी, श्री		गाजियाबाद
152	सरजीत सिंह डंग, डा०		मिर्जापुर
153	सर्वराज सिंह, कुंवर		बरेली
154	सावित्री देवी, श्रीमती		जौनपुर
155	सियाराम सागर, डा०		बरेली
156	सुखदेवी, श्रीमती		इटावा
157	सुन्दर पाल सिंह, श्री		सीतापुर
158	सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री		बांदा
159	सुरेश पासी, श्री		प्रतापगढ़
160	स्वामी नाथ, श्री		देवरिया
161	हरदेव सिंह, श्री		बाराबंकी
162	हरी किशन, श्री		कानपुर देहात
163	हरीश कुमार गंगवार, श्री		बरेली
164	हरेन्द्र सिंह, ज्ञानी		रामपुर
165	हाजी मोहम्मद हयात, श्री		मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 20 जुलाई, 1995

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11.00 बजे दिन में अध्यक्ष श्री बी० आर० वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में कथित स्ववित्त पोषित सीटों की व्यवस्था

**1/-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राम कुमार वर्मा-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों में स्ववित्त पोषित सीटों की व्यवस्था कर दी गयी है? यदि हां, तो प्रत्येक मेडिकल कालेज में कितनी-कितनी सीटें निधारित की गई हैं? प्रत्येक छात्र/छात्रा को कितना धन स्ववित्त पोषण हेतु देना होगा? स्ववित्त पोषित सीटों में आरक्षण की क्या व्यवस्था है? इस स्ववित्त पोषित सीटों तथा दक्षिण भारत के राज्यों में कैपिटेशन फी में क्या साम्य तथा क्या अन्तर है?

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री-

(श्री सुखदेव राजभर)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, एक बार फिर ये बात उजागर हो गयी कि पिछली सरकार में मात्र लफाजी होती थी। ये घोषणा माननीय मन्त्रियों के मुख से सुनी थी कि वित्त पोषित सीटे मेडिकल कालेज में बनाई जायेगी। मान्यवर, ये बात शासन के संज्ञान में भी है कि अस्पतालों में बहुत सी जगहों पर डाक्टर्स उपलब्ध नही होते जगह बहुत खाली रहती है। जो जबाव आया है उसके अनुसार स्ववित्त पोषित सीटों की व्यवस्था पर सरकार विचार नही कर रही है। मै यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कभी इस मुद्दें पर विचार किया है कि सभी हास्पिटल में डाक्टर मिल जायें जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डाक्टर्स एवेलेबिल हो जाए, जो प्रशिक्षण करके निकलते है वह डाक्टर मिलें तो इसमें सीटे बढ़ाने की आवश्यकता है। शासन वित्तीय भार नही लेना चाहता है लेकिन मेडिकल कालेजों में सीटें बढ़ जाएं इस सवाल पर कोई रास्ता सोचा है? यदि हां तो वह क्या है?

श्री सुख देव राजभर-

जहाँ तक माननीय गुप्त जी ने कहा कि डाक्टर की जहाँ शार्टेज हो रिक्त पद हो उनको भरा जाना चाहिए, जैसा कि अभी पिछली बार आर्युवेद, एलोपैथ, हौम्योपैथ में डाक्टरों की नियुक्ति की गयी। जैसा कि गुप्त जी ने कहा कि क्या सीटों को बढ़ाने का प्राविधान किया जायेगा ताकि ये समस्या हल हो, तो इस तरह का प्रस्ताव जो गर्वमेन्ट कालेज होते है इसमें अभी तो नही आया है कि सीटों को बढ़ाने के लिए हम भारत सरकार को इस तरह का प्रस्ताव भेजे। बल्कि एक सचिव महोदय ने चिट्ठी बाद में लिखी है, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय नही हुआ है, भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

अभी निर्णय नही हुआ लेकिन भारत सरकार को सीट बढ़ाने के लिए आपने लिखा है, ये पत्र शासन की ओर से कब गया उसमें किस विषय की ओर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि स्ववित्त पोषित योजना के अधीन सीटे बढ़ाई जाए या सामान्य प्रक्रिया जो चयन की है उसके माध्यम से बढ़ाई जाए, भारत सरकार से क्या अपेक्षा की गई है?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, राजकीय मेडिकल कालेजों में स्ववित्त पोषित कोई योजना नहीं है, जो प्राइवेट सैक्टर में है उनमें इस तरह की योजना है वे संस्तुति लिखते है और जो मेडिकल कौंसिल है वह रिपोर्ट लिखती है। एक पत्र यह सचिव महोदय का है, दिसम्बर 2, 94 का, अभी इसमें गया है, विचार हो जायेगा।

प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों के चुनाव की योजना

**2 श्री रविन्द प्रताप मल्ल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र पंचायतों के चुनाव कराने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

जी हाँ।

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र की क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन सम्पन्न हो चुका है। मैदानी जनपदों की नव निर्वाचित क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, ज्येष्ठ/कनिष्ठ उप प्रमुख का निर्वाचन यथाशीघ्र कराया जायेगा। प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने शेष हैं, जिसे यथाशीघ्र सम्पन्न कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पिछली बार जो पंचायतों के चुनाव हुये हैं, उनमें काफी अनियमिततायें हुई हैं, धाँधलियाँ हुई हैं, कब्जे किये गये, इसलिये आपके माध्यम से 4 बिन्दुओं पर उत्तर चाहता हूँ। पहला, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा चुनाव यथाशीघ्र कराये जायेगें, उसके सन्दर्भ में जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी चुनाव के लिये कोई समय सीमा निर्धारित करेगें। दूसरा, पर्वतीय क्षेत्र में चुनाव कब तक कराये जायेगें। तीसरा, जो चुनाव आगे सम्पन्न होने वाले हैं, उसके संबंध में सदन को आश्वासन देगें कि चुनाव निष्पक्षता के साथ कराये जायेगें और किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं होगी। चौथा, होने वाले चुनाव क्या जनता से सीधे कराने पर विचार करेगें, इस बात का सदन को आश्वासन देगें?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, चुनाव में जहाँ–कहीं भी धाँधलियाँ हुई हैं, उनकी बावत हमने आम जनता से, सम्मानित जन प्रतिनिधियों से शिकायतें माँगी थी और जिन शिकायतों में इस बात का उल्लेख था कि जिलाधिकारी भी आरोपित थे, उन शिकायतों को श्रीमन् संबंधित क्षेत्र के आयुक्तों को जाँच के लिये निर्दिष्ट किया है। जिन शिकायतों में जिलाधिकारी के विरुद्ध कोईआरोप नहीं लिखा गया, उन्हें वहाँ के जिलाधिकारियों को ही निर्दिष्ट किया गया है। जहाँ तक माननीय मल्ल जी ने पूछा है, यद्यपि उन्होनें पदों का नाम नहीं लिया है, संभवतः क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों से मतलब होगा, जनता से सीधे कराने के बारे में, इस बारे में बताना चाहता हूँ कि इस संबंध में माननीय मल्ल जी को भी जानकारी है कि अधिनियम के अनुरुप ही चुनाव होगें, अधिनियम को परिवर्तित करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उत्तराचंल में पंचायत चुनाव न कराने के क्या कारण हैं और उत्तराचंल में पंचायत के चुनाव कब तक करा दिये जायेगें, क्या माननीय मंत्री निश्चित तिथि बतायेगें

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन् सभी चुनाव यथाशीघ्र सम्पन्न कराये जाये के बारे में मूल उत्तर में ही स्पष्ट कर चुका हूँ। चुनाव यथाशीघ्र करा दिये जायेगें।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या चुनावों से पूर्व परिसीमन भी कराया जायेगा, यदि नहीं तो क्यों?

श्री ह्रदय नारायण दीक्षित–

श्रीमनू, परिसीमन दुबारा कराये जाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पंचायतों के चुनावों में जो अनियमिततायें हुई हैं, उसके संबंध में सीधे आम जनता से, जन प्रतिनिधियों से माननीय मंत्री जी ने शिकायतें माँगी, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूँ। मान्यवर, पंचायत के चुनाव में राजनीतिक आधार पर परिसीमन किया गया, इस प्रकार पुराने परिसीमन में काफी गड़बड़ियाँ हैं, उन गड़बड़ियों की जाँच कराकर पुनः परिसीमन करवाने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी सुनिश्चित करेगें?

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर पहले ही आ चुका है।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विगत दिनों प्रदेश में कराये गये ग्राम प्रधानों के चुनावों के संबंध में एक याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की गई थी, इस याचिका की सुनवाई के लिये 10 जुलाई की तिथि निर्धारित हुई थी और प्रान्तीय सरकार द्वारा इस पर एक शपथ–पत्र भी प्रस्तुत था। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि क्या यह शपथ–पत्र उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तो उस पर न्यायालय के क्या निर्देश हुये, अगर नहीं किया तो क्यों?

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न का सीधे पहले प्रश्न से कोई संबंध नहीं है, फिर माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो दे दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय सदस्य की चिन्ता यह है कि भविष्य में प्रमुखों के चुनाव में जिला पंचायतों का हस्तक्षेप न हो। श्रीमनू सरकार यह आश्वासन देती है और सरकार दृढ़ संकल्प भी है कि आगे होने वाले चुनाव में जोर जबरदस्ती, चाहे वह जिला परिषद अध्यक्ष हो, या अन्य कोई हो, चाहे कोई माफिया ही क्यों न हो, नहीं होने दी जायेगी और चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष होगें।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं मंत्री जी ने जानना चाहता हूं कि क्षेत्र पंचायत के चुनाव में हुई धांधलियों को सुनने के लिए, शिकायतों को सुनने के लिए आपत्तियां आमंत्रित की गयी हैं, यदि उनकी शिकायतें और आपत्तियां सही पायी जायेंगी तो क्या उन सदस्यों का चुनाव माननीय मंत्री जी फिर से करायेगें?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमनू माननीय बदन सिंह जी, बहुत पुराने सदस्य हैं, जहां तक चुनाव को निरस्त करने का प्रश्न है उसके लिए अधिनियमों में स्पष्ट प्राविधान हैं और इसके लिए सक्षम न्यायालय ही निर्णय ले सकते हैं। लेकिन धाँधलियों की जो जाँच करवायी जा रही है, और जो–जो दोषी पाये जायेगें उनके विरुद्ध सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी। चुनाव निरस्त करने का जहाँ तक प्रश्न है, उसके लिए श्रीमनू न्यायालय सक्षम होगें और वही निरस्त कर सकेगें।

श्री अवनीश कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जनपद बदायूं के विकास खण्ड दातागंज में अनुसूचित

जाति के 11 सदस्य बी०डी०सी० के मेम्बर चुने गये हैं, तो क्या सरकार उस विकास खण्ड को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर सकती है?।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, यह अलग से केवल एक विकास खण्ड के बारे में प्रश्न पूछा गया है। किसी विकास खण्ड को किसी आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित घोषित करने के लिए नियम बने हुये हैं, अधिनियम बने हुये हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य किया जायेगा।

श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव नहीं हुये हैं, वहाँ कब तक चुनाव करा दिये जायेगें।

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर आ चुका है, माननीय मंत्री जी ने पहले ही बता दिया है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, सभी चुनावों की बावत मैंने सरकार की नीति स्पष्ट कर दी है।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने चुनाव के बारे में कोई स्पष्ट समय–सीमा नहीं घोषित किया है कि अमुक माह में करायेंगे, यथाशीघ्र शब्द कहा है। दूसरे, क्षेत्र समिति के जो प्रमुख हैं वह आज भी काम कर रहे हैं और क्षेत्र समिति के कार्यो में दखलंदाजी कर रहे हैं, व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ब्लाक प्रमुखों को हटायेगें या वे कार्य करते रहेगें या उन्हें पदमुक्त करने का कोई आदेश शासन से निर्गत करने की कृपा करेगें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, अधिनियम में किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाये जाने के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अपनी तरफ से जैसा कि पूर्व सरकारों ने समय–समय पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को बर्खास्त करके अलोकतांत्रिक कदम उठाया था, इस प्रकार की कोई कार्यवाही वर्तमान सरकार नहीं कर रही है क्योंकि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सजग है, प्रतिबद्ध है, इसलिए हटाये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। चुनाव अतिशीघ्र कराये जायेगें, चुनाव में जिसे हटना होगा स्वतः हट जायेगा।

I उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।

जनपद मुजप-फर नगर के जानसठ विधान सभा क्षेत्र में गंगा के खादर क्षेत्र में अवैध बैनामे तथा फर्जी मुख्तारनामें बनाये जाने के सम्बन्ध में जांच की मांग

*। श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जानसठ विधान सभा क्षेत्र, जनपद मुजप-फरनगर में गंगा के खादर क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा अवैध बैनामे तथा फर्जी मुंख्तारनामे बनाकर कई–कई हजार बीघा जमीन पर कब्जा किया गया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि दूसरी ओर अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जाति के लोगों के पास भवन बनाने तक के लिये जमीन नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर अतिरिक्त भूमि अवैध कब्जाधारियों से छुड़ाकर भूमिहीनों को दिलाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री–
(श्री राजेन्द्र कुमार)–
जी नहीं।

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के पात्र व्यक्तियों को वर्ष 1993-94 में 86 आवास स्थल आवंटित किये गये हैं। अब इस क्षेत्र में कोई पात्र परिवार आवंटन हेतु शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया–
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि "जी नहीं"। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि फर्जी मुख्तारनामा में बनाकर हजारों बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। मान्यवर, जो उत्तर आया है, उसमें अधिकारियों ने गलत बयानी की है। उत्तर सरासर गलत दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–
माननीय सदस्य इसके लिए निर्देश में व्यवस्था है, आप नोटिस दे दीजिएगा, मैं दिखवा लूंगा।

श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया–
मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनपद मुज्जफरनगर के शुकरताल के आसपास सोनल व गंगा नदी के बीच कई हजार बीघा जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, यदि हाँ, तो अब तक इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई?

श्री अध्यक्ष–
यह एक गाँव विशेष से संबंधित प्रश्न है, जिसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दे दिया है। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह एक विधान सभा क्षेत्र से संबंधित है। अब मैं आगे का प्रश्न ले रहा हूं।

श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया–
मान्यवर, वहाँ पर फर्जी पट्टे किये गये हैं।

जनपद बरेली की सिंथेटिक्स एवं केमिकल्स फतेहगंज प० द्वारा कृषकों की अधिग्रहीत भूमि का वर्तमान बाजार पर मुआवजा दिलाये जाने की मांग

*2 श्री हरीश कुमार गंगवार–
क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि बरेली की सिंथेटिक्स एवं केमिकल्स फतेहगंज प० ने सैकड़ों लोगों को उनकी फैक्ट्री के लिये अधिगृहीत भूमि का मुआवजा 32 साल गुजरने के बाद भी अभी तक नहीं दिया जिसके लिये वे प्रदर्शन व धरने का आयोजन कई बार कर चुके हैं व अब डेढ़ मास से कर रहे हैं? यदि हां, तो बाजार रेट पर मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–
जनपद–बरेली की सिंथेटिक्स एवं केमिकल्स फतेहगंज (पश्चिमी) लि० के लिए कुल 406 कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की गयी थी जिसमें से 276 कृषकों ने प्रतिकर की धनराशि प्राप्त कर ली है, शेष 130 कृषकों ने अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा नहीं लिया है। यह लोग वर्तमान बाजार दर पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जबकि मुआवजा भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–4 की विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक: 23-2-61 के समय प्रचलित बाजार दर पर निधारित किया गया है जो आर०डी० एकाउन्ट में रुपया 30, 493'66 (रुपये तीस हजार चार सौ तिरान्नवे, पैसे छयाछठ) जमा है। जिन लोगों ने प्रतिकर नहीं लिया है वे लोग अक्सर बाजार दर पर प्रतिकर निर्धारित करने के लिए प्रार्थना–पत्र देते रहते हैं किन्तु नियमानुसार अनुमन्य न होने के कारण वर्तमान बाजार रेट पर प्रतिकर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वर्तमान बाजार दर पर मुआवजा दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

अतः तत्कालीन दर पर निर्धारित मुआवजा उक्त अवशेष 130 कृषकों को जब से मुआवजा लेना चाहें, दिया जा सकता है।

जनपद उन्नाव के तहसील पुरवा ग्राम बारा में श्री राजकिशोर पुत्र जगदीश नारायण द्वारा सार्वजनिक गलियारे पर अवैध निर्माण किये जाने का मामला

*3 श्री शिवराम सिंह कुशवाहा, श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री उमाकान्त यादव तथा जोखूलाल यादव—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम—बारा, तहसील पुरवा, जिला—उन्नाव के निवासी श्री राजकिशोर पुत्र जगदीश नारायण नाम के सवर्ण व्यक्ति ने अपने घर के समीप स्थित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के घरों की भूमि एवं सार्वजनिक गलियारे की भूमि को अपने घर में जबरिया मिला लिया है जिससे सार्वजनिक मार्ग संकरा होने के कारण अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के घरों को कोई वाहन आ जा नहीं सकता है जिससे उनमें रोष व्याप्त है? क्या इस मामले की जांच किसी उच्चाधिकारी से अविलम्ब कराने, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के भयमुक्त बयान लेने व पुराने रिकार्ड्स के आधार पर रास्ते की माप कराकर अवैध कब्जा हटाये की कार्यवाही की जायेगी व दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार—

राजकिशोर का पुराना मकान जो खण्डहर हो चुका था, का लगभग 10-12 वर्ष पूर्व उनके द्वारा पुर्ननिर्माण कराया गया है, जिसकी दक्षिणी दिवाल कुछ बढ़ाकर बनाने से गलियारा सकरा हो गया है।

सन्दर्भित गलियारे से वाहनों का आना—जाना पहले भी नहीं रहा है और न ही वर्तमान में कोई वाहन आ—जा सकता है। व्यक्तियों व जानवरों के निकलने का मार्ग पूर्व की भांति मौके पर है। इस मार्ग को लेकर जन साधारण में कोई रोष नहीं है।

इस प्रकरण की जांच तहसील स्तर से करायी गयी व सन्दर्भित मार्ग के किनारे बसे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बयान लिये गए। विवाद आबादी की भूमि के सम्बन्ध में है जिसके पुराने अभिलेख उपलब्ध नहीं है। आबादी भूमि के विवाद पक्षों द्वारा दीवानी न्यायालय में तय कराये जाते हैं, जिसके कारण विभाग द्वारा स्वतः कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं कराई जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

(गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई, 1995 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

जनपद लखनऊ के ग्राम सुखलाल खेड़ा तह० मोहनलालगंज के स्व० श्री ठाकुर पुत्र श्री बसन्त की जमीन के बरासत का मामला

*1 श्री निरवेन्द्र कुमार मुन्ना (अनु०)—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम—सुखलाल खेड़ा मौजा—नवीनगर, तह० मोहनलाल गंज, थाना—नगराम, जिला-लखनऊ के स्व० श्री ठाकुर पुत्र श्री बसन्त की कृषि आराजी संख्या-368, पेमाइश 19 विस्वा, जो कि नियमानुसार उनकी दो जीवित पुत्रियों क्रमशः श्रीमती छेदाना तथा श्रीमती टिब्बो को बरासत होनी चाहिये थी, जो उसी ग्राम के श्री परमेश्वर पुत्र श्री कल्लू द्वारा जबरियन लेखपाल/भूलेख निरीक्षक से मिलकर, साजिश के तहत अपने नाम बरासत करा लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर, उक्त कृषि भूमि पर नियमानुसार उक्त दोनों महिलाओं को विधिक कब्जा दिलायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार दोषी जनों के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार—

जी नहीं।

आधार वर्ष की खतौनी खाता सं०—851 जिसके आकार पत्र 11 के खाता सं०-368 में ठाकुर पुत्र बसन्त निवासी -सुखलाल खेड़ा, मौजा-नगराम का नाम अंकित है। इस खाते के सम्बन्ध में विरासत का वाद

संख्या-1159/362/217 तथा 1158/361/163 चकबन्दी अधिकारी, मोहनलाल गंज के न्यायालय में विचाराधीन है।

ठाकुर मृतक की विरासत के उक्त दो वाद चकबन्दी अधिकारी, मोहनलाल गंज के न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन हैं। उनके निस्तारण के उपरान्त तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उ० प्र० मिनीस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी (लिपिक वर्गीय) संघ की मांगों के समझौते को लागू कराने का मामला

*2 श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (अनु०)–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ०प्र० मिनीस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी (लिपिक वर्गीय) संघ के मांग पत्र पर दिनांक 9-3-89 को शासन एवं यू०पी० फेडरेशन आफ मिनीस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन के बीच कोई समझौता किया गया था? यदि हां तो सरकार द्वारा किये गये समझौते में किन–किन बिन्दुओं पर कार्यवाही शासन द्वारा की गयी है और कौन बिन्दु शेष हैं? किन–किन मांगों के समर्थन में धरना पर बैठे प्रान्तीय महामंत्री को दिनांक 14-11-94 को गिरप-तार कर लिया गया? क्या प्रदेश के सभी कलेक्ट्रेट से सम्बद्ध कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल जारी है जिससे सभी सरकारी कामकाज ठप्प है? यदि हां, तो क्या सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर समझौता हुआ है, उसको तत्काल लागू करके हड़ताल समाप्त कराने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ

समझौते के सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही की जा चुकी है

उ०प्र० मिनिस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के महामंत्री निम्नलिखित मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे थे:–

1- 10 प्रतिशत नायब तहसीलदार के पदों पर कलेक्ट्रेट के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की प्रोन्नति की जाए।

2- प्रत्येक 50 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों पर एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित किया जाय।

3- कलेक्ट्रेट के वेतनमानों को उच्चीकृत किया जाय।

हिल कैडर से प्रशासनिक अधिकारी/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को नायब तहसीलदारों तहसीलदारों की भाँति पृथक किया जाए।

उक्त प्रमुख मांगों के अतिरिक्त–

(1) पूछतांछ लिपिक का नाम स्वागत अधिकारी व कक्ष का नाम स्वागत कक्ष रखा जाए।

(2) वासिल बाकी नवीस आदि के नामों में परिवर्तन किया जाए।

(3) जी०पी०एफ० लिपिक, बी०आई०पी० लिपिक, दैवी आपदा लिपिक के पदों का सृजन।

(4) भू–लेख लिपिक को पुनः कलेक्ट्रेट संवर्ग में रखा जाए।

(5) दिनांक 8-5-90 से 22-5-90 तक अन्य विभागों की भाँति हड़ताल आदि के वेतन का भुगतान किया जाए।

उक्त मांगों को पूर्ण किए जाने के समर्थन में कलेक्ट्रेट कर्मचारियों द्वारा दिनांक 15-11-94 से हड़ताल की गई थी जो दिनांक 22-12-94 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासन व संघ के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में संघ के पदाधिकारियों द्वारा बिना किसी शर्त के हड़ताल वापस ले ली गई। उक्त बैठक में लिए गए निर्णय क अनुसार आदेश जारी किए जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर में तहसील गौरीगंज के ग्राम किटियावा के श्री ओंकारनाथ चौरसिया द्वारा अनुसूचित वर्ग के मरघट को मछली पालने का पट्टा करने की शिकायत पर जांच

*3 श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री ओंकारनाथ चौरसिया, ग्राम–किटियावा, तहसील-गौरीगंज का प्रार्थना–पत्र दिनांक 29–1–95 जिसमें गांव के निकास पर अनुसूचित वर्ग के मरघट को मछली पालने का पट्टा करने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या कोई जांच मौके पर की गयी? यदि हां, तो कब तथा जांच का परिणाम क्या रहा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ।

दिनांक 7–3–95 को मौके पर जॉच कराई गई। जाँचोपरान्त यह पाया गया कि शिकायतकर्ता ने जिस गाटा संख्या का जिक्र किया है उस गाटा संख्या का आवंटन मत्स्य पालन हेतु किया ही नहीं गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री तेजभान सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पट्टे देते वक्त पात्रता सूची बनाई गई कि नही? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर बैठे ही पात्रता सूची बना दी गई हो और अपात्र व्यक्तियों को पट्टे दे दिये गये हों।

श्री राजेन्द्र कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह मूल प्रश्न से हटकर है। यदि कोई विशेष शिकायत वह करेंगे तो मैं उसकी रिपोर्ट मगवा लूँगा।

श्री तेजभान सिंह–

मान्यवर, मछली पालने के लिए जो पट्टे दिये गये उसमें पात्रता बनाई गई होगी। जिन लोगों को ये पट्टे मिल गये इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वह पात्रता सूची क्या है और उसका आधार क्या रहा? प्रश्न करते वक्त यह शिकायती पत्र भी रहा होगा। पत्रावली में यह सब आया होगा। उसे देखकर मंत्री जी बता दें।

श्री अध्यक्ष–

शिकायत की जॉच की गई होगी। अगर कहीं पर किसी विशेष जगह पर अनियमितता बरती गई है तो आप लिखकर दे दें मंत्री जी उसे दिखवा लेंगे।

सुल्तानपुर के एक गाँव विशेष से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया है। यदि माननीय सदस्य, इस गाँव से संबंधित कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उन्हें इजाजत है।

4– श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

(उ सरे शुक्रवार में ता० प्र० सं० 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद लखनऊ में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासी छात्रावासों में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों की जांच

* 5– श्री रतन लाल अहिरवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में जनपद लखनऊ में कितने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय छात्रावास हैं जिसमें अध्ययनरत विद्यार्थी रह रहे हैं? क्या यह सही है कि उन छात्रावासों में कतिपय व्यक्ति ऐसे भी आवासीय सुविधा का लाभ उठा रहे हैं जो किसी संस्था के छात्र नहीं हैं बल्कि

राजकीय सेवाओं में हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी जांच करा कर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उन्हें छात्रावासों से बाहर हटाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण मंत्री–

(श्री रामपाल)–

वर्तमान समय में जनपद लखनऊ में 4 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास एवं 5 स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से कुल 9 छात्रावास संचालित हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रतन लाल अहिरवार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या छात्रों के नाम से कुछ कर्मचारी इन छात्रावासों में रह रहे हैं?

श्री श्री रामपाल–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इन छात्रावासों में जो छात्र रह रहे हैं, उनके नाम व पते सहित सूची हमारे पास है। इसके साथ ही जिस पर माननीय सदस्य की शंका जा सकती है उसके बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक बिहारी भवन छात्रावास था, जो बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण हो गया था। पिछले शिक्षा सत्र के चालू होते ही हमने इस भवन को छोड दिया था। वह भवन किसी प्राइवेट आदमी का था, उसे हमने उसके सुपुर्द कर दिया था। अब हमारा छात्रावास उसमें नहीं चल रहा है।

श्री रतनलाल अहिरवार–

मान्यवर, मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि छात्रावास के कमरे छात्रों के नाम से आवटित हैं परन्तु उनके नाम पर कर्मचारी रह रहे हैं।

श्री श्रीरामपाल–

मान्यवर, ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं है।

श्री राज कुमार शिवहरे–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि इन छात्रावासों में कुछ अराजक तत्व रह रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी किसी सक्षम अधिकारी से जाँच करवायेंगे?

श्री अध्यक्ष–

आप लिख कर दे दीजिए, माननीय मंत्री जी उसे दिखवा लेंगे

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि प्रदेश में बहुत सारे.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, लखनऊ से संबंधित यह सवाल है। आप पूरे प्रदेश से संबंधित सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं। यदि मंत्री जी के पास उसका उत्तर हो तो वह इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मैं तो माननीय मंत्री से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में ऐसे छात्रावास, जो अनुपयोगी पड़े हुए हैं उन्हें उपयोगी बनाने के लिए कोई सख्त आदेश आपकी तरफ से जारी किये जायेंगे?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री श्री रामपाल–

मान्यवर, यदि कोई स्पेसिफिक मामला माननीय सदस्य के संज्ञान में है तो वह लिखकर दे सकते हैं। मैं उसे दिखवा लूँगा।

(प्रश्न संख्या 6 पुकरे जाने पर और माननीय सदस्य के अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण शांति बनाये रखें।

लखनऊ नगर को हरा–भरा करने की योजना के अन्तर्गत लोहे के ट्री गार्ड लगाकर पेड़ लगाये की योजना

*6 श्री राम देव पटेल–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर में नगर को हरा–भरा करने की योजना के अन्तर्गत बांस की खप्पचियों के बनाये गये ट्री–गार्ड लगाकर लगभग एक लाख पौधों का वृक्षारोपण किया गया था, जिनमें से आधे से ज्यादा पौधे ट्री-गार्डों के टूट जाने अथवा चोरी हो जाने के कारण नष्ट हो गये हैं? यदि हां, तो क्या बांस की खप्पचियों के स्थान पर लोहे के ट्री-गार्ड लगाकर पेड़ लगाने की भविष्य में योजना बनाई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री रामलखन वर्मा)–

लखनऊ नगर को हरा–भरा करने हेतु वर्ष 1994-95 में लगभग 21, 900 पौधे ही बाँस के ट्री गार्ड में लगाकर रोपित किये गये थे।

लगाये गये कुल पौधों में से अब तक लगभग 5000 पौधे ट्री गार्डों का टूटना, चोरी हो जाना, जानवरों द्वारा क्षतिग्रस्त करना इत्यादि प्रमुख कारणों से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

जी नहीं।

बाँस की खपच्चियों के अपेक्षा लोहे की ट्री गार्ड लगाना अधिक खर्चीला है।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो वृक्ष लगाये गये और उसमें इतनी बड़ी संख्या में वृक्ष चोरी चले गये या नष्ट हो गये तो क्या माननीय मंत्री जी सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे कि आगे भविष्य में जो वृक्षारोपण के आयोजन होंगे उसमें क्षति को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाया जायेगा और इस लापरवाही के लिए जो भी अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी कारवाई करने के आदेश देंगे और सदन को अवगत करायेंगे?

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य जी प्रश्न का उत्तर ध्यान से नहीं पढ़े हैं। मान्यवर, माननीय सदस्य जी का प्रश्न था कि जो ट्री गार्ड की चोरी हुई है उस पर कारवाई की गयी है तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उसकी जो प्रक्रिया है उसके अनुसार थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है तफतीश करना पुलिस का काम होता है, वन विभाग का काम नहीं होता है तो रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है और तफतीश चल रही है। दूसरा माननीय सदस्य ने जो कहा कि पेड़ों की चोरी हुई है तो पेड़ों की चोरी नहीं हुई है। मान्यवर, इन पेड़ों की उम्र 2-3-4 महीने होती है, पेड़ भौगोलिक परिस्थितियों के नाते सूखते हैं। कभी सूखा हो गया, कभी जल भराव हो गया। मान्यवर, पेड़ो की चोरी नहीं हुई है, पेड़ो का नुकशान हुआ है और वह भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हुआ है। जहाँ तक कारवाई की बात है उसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है और तफतीश हो रही है।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह भी स्वीकार करते हैं कि आज पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है और इसीलिए इसी के तहत वृक्षारोपण हम वन्य क्षेत्रों में करते हैं और नगरीय क्षेत्रों में भी करते हैं। हमारी पालिसी यह रही है कि जो पौधे लगाये जाय वह दीर्घजीवी हो और यहां बांस की खपच्चियां लगाई गयी तो बांस की खपच्चियां भी बांस जब कटेगा तभी आयेगा तो एक तो वहां वन उजड़ रहा है।

दूसरे यह कमजोर होते हैं और उनकी चोरी होती है, अगर इनके स्थान पर लोहे के ट्री गार्ड लगाये जायें, पैसा तो जरुर अधिक लग जायेगा, लेकिन वह अधिक टिकाऊ होगें। उनको दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है। लकड़ी की खपच्ची की बाड़ नष्ट हो जाती है, लोहे की जो बाड़ लगायेंगे वह सुरक्षित रहेगी और लांग टर्म के लिये भी ठीक रहेगी। इसका आप अध्ययन करा लें तो बात स्पष्ट हो जायेगी।

श्री राम लखन वर्मा–

मा० डंग जी ने पेड़ों की सुरक्षा के बारे में जो चिंता जताई, उसके लिये मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। अगर सारे लोगो की इसी प्रकार की चिन्ता हो जाये तो वन विभाग को बड़ी सहायता मिलेगी। जहां तक ट्री गार्ड का सवाल है यह तीन प्रकार की होती हैं, एक तो बांस की खपच्ची की होती है, दूसरे लोहे की जाली की होती है और तीसरे ईंटों का घेरा बनाकर की जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि बांस की खपच्ची में 57 रुपये का खर्च आता है, लोहे की बाड़ में 430.50 का खर्च आता है और ईंट के घेरे में लगभग 700 रुपये लगते हैं। मान्यवर, 4 साल में पेड़ तैयार हो जाते हैं और जो बांस की होती है उसकी लाइफ डेढ़ साल है तो इस प्रकार से अगर दो बांस की बाड़ भी लगानी पड़े, तो भी लोहे की बाड़ से कम खर्च आता है। लोहे की बाड़ अगर चोरी हो जाती है तो अधिक नुकसान होता है और ईंटों की बाड़ संवेदनशील स्थानों पर लगायी जाती है। माननीय सदस्य को चूंकि इस बारे में चिन्ता थी, इसलिये मैंने उनको बताया है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लखनऊ में किन किन एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण कराया गया है, लखनऊ को हरा भरा बनाने के लिये? मेरी जानकारी है कि बहुत से आर्गनाइजेशन हैं जो वृक्षारोपण का काम करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि किन किन ऐजेन्सियों द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया है?

श्री राम लखन वर्मा–

श्रीमन् वर्मा जी हमारे गुरु हैं, लेकिन परिस्थिति है कि गुरु को भी उत्तर देना पड़ता है। जहां तक वर्मा जी के प्रश्न का सम्बन्ध है, उसका इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होने जिज्ञासा की है, इसलिये मैं बताना चाहता हूं। प्राइवेट लोगों की तमाम एजेन्सियां हैं, जिनको पेड़ लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। अगर मा० वर्मा जी चाहें तो मैं उनके नाम भी बता सकता हूं।

श्री राम विशुन आजाद–

प्रदेश में नीम बरगद, पीपल, देशी आम आदि पेड़ों का कटान बड़े पैमाने पर हो रहा है, क्या सरकार पुरानी प्रजाति के वृक्षों को लगाने की योजना बनायेगी?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सवाल से इसका कोई सरोकार नहीं है। आजाद जी आप इस संबंध में अलग से सवाल डालेंगे इस बारे में, मंत्री जी उत्तर के साथ आ जायेंगे।

श्री जबदम्बिका पाल–

क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कवाल टाउन्स जिला मुख्यालयों को, लखनऊ सहित, ग्रीनरी सिटी बनाने का निर्णय लिया है? आपकी वाइल्ड लाईफ में बहुत रुचि है इसलिये माननीया मुख्यमंत्री जी ने इन्हें वन विभाग भी दिया है, यह दोनों विभाग जुड़े हुए हैं, यह सबसे उपयुक्त थे इस विभाग के लिये, इसलिये आपके कार्यकाल में आपसे बहुत सी अपेक्षायें हैं।

श्री अध्यक्ष–

इस सवाल से इसका कोई सरोकार नहीं है। लखनऊ से सम्बन्धित प्रश्न है।

यदि उत्तर देना चाहें तो दे सकते है?

श्री किरन पाल सिंह–

वाइल्ड लाईफ के बारे में भी कहा, जू वगैरह के बारे में बता देंगे क्या योजनायें हैं?

श्री राम लखन वर्मा–

श्रीमन् पाल जी ने प्रश्न किया है, इस तरह की कोई योजना नहीं है। पाल जी के साथ हम बैठकर, प्रदेश और विभाग के हित में बात कर लेंगे, इनके सुझाव जो आयेंगे, उसका स्वागत करेंगे। उसको हम फिर बैठकर जो राय आयेगी, उसको देखेंगे।

प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत जिला परिषदों के अध्यक्षों को जिला पंचायत अध्यक्ष नामित करने की वैधानिकता

*7 डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संशोधित पंचायती राज अधिनियम प्रदेश में कब से लागू हुआ? क्या इस अधिनियम के अनुसार जिला परिषदों को जिला पंचायत का नामकरण दिया गया है? यदि हां, तो इस अधिनियम के लागू होने के बाद प्रदेश के कुछ जिलों में अध्यक्ष जिला परिषद नियुक्त किये गये हैं? यदि हां तो जिला परिषद हेतु नियुक्त अध्यक्षों को जिला पंचायत अध्यक्ष नामित करने की क्या वैधानिकता है? क्या शासन इन कतिपय जिला परिषद् अध्यक्षों का नामांकन रद्द करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

प्रदेश में संशोधित पंचायत राज अधिनियम दिनांक 22–4–94 से लागू किया गया।

जी हाँ।

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा–19 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रदेश की 18 जिला परिषदों में अध्यक्ष नामित करने का निर्णय दिनांक 20–4–94 को लिया गया था। प्रदेश के 3 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 26–5–95 को उपचुनाव सम्पन्न कराये जाने की घोषणा हो जाने के करण चुनाव आयोग भारत सरकार की आदेश आचार संहिता के अन्तर्गत उक्त 18 जिला परिषदों के अध्यक्षों को नियुक्ति करने संबंधी आदेश तत्समय निर्गत नहीं किये जा सके।

ऐसी परिस्थिति में उक्त 18 जिला परिषदों के अध्यक्षों को नियुक्त करने संबंधी आदेश, दिनांक 1–6–94 को निर्गत किये गये।

उ०प्र० पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्राविधानों के अन्तर्गत इन 18 जनपदों में से जनपद हरिद्वार व कानपुर देहात को छोड़कर शेष जनपदों में अध्यक्ष, जिला पंचायत चुन लिये गये हैं। पर्वतीय जनपदों तथा जनपद हमीरपुर, महोबा, बदायूँ, उन्नाव, गोण्डा, कानपुर नगर के साथ ही जनपद हरिद्वार व कानपुर देहात में अध्यक्ष, जिला पंचायत को चुनने की कार्यवाही कर ली जायेगी।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, जब प्रश्न पूछा गया था उस समय प्रदेश का राजनीतिक महौल कुछ और था। जिला पंचायत के चुनाव नहीं हुये थे मैंने इसकी वैधानिकता के बारे में जानकारी चाही थी, दिनाँक 22–4–94 से पंचायत राज अधिनियम संशोधित हो गया था और जिला परिषद् का नाम बदलकर जिला पंचायत कर दिया गया था उसके बावजूद दिनाँक 1–6–94 को जो आदेश नामित करने के शासन से निर्गत हुए उसमें अध्यक्ष जिला परिषद का उल्लेख था न कि जिला पंचायत का। तो एक–डेढ़ वर्ष तक जो लोग इस प्रकार रहे उनकी वैधानिकता क्या है? जिला पंचायत अधिनियम संशोधित होने पर जिलापरिषद् अस्तित्व में नहीं रह गयी।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन् यह सही है कि अधिनियम दिनाँक 22–4–94 से लागू हो गया था, मगर नामांकन की बात माननीय डंग साहब ने कही है। इसमें निर्णय दिनाँक 20–4–94 को अधिनियम लागू होने के पूर्व ले लिया गया। चूंकि उप चुनावों की घोषणा हो गयी थी, चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखकर यह किया, निर्णय पहले ले लिया गया था इसके आदेश जारी हो जाने चाहिये थे, लेकिन आदेश बाद में निर्गत हुए तो यह प्रश्न वैधानिकता का तो नहीं है, लेकिन नैतिकता का है। जब अधिनियम परिवर्तित हो गया तो उसके बाद नामांकन नहीं होना चाहिये था लेकिन फैसला पहले का है आदेश जारी होने शेष रह गये थे। अधिनियम लागू होने के बाद आदेश जारी होना यद्यपि नैतिक रुप से उचित नहीं है लेकिन वैधानिक रुप से उचित था इसलिये कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, नैतिकता की पूर्व सरकार से उम्मीद करना उचित नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब एक बार पंचायत राज अधिनियम संशोधित हो गया जिला परिषदें जिला पंचायत नाम से पुकारी जाने लगी तो उसके बाद 18 जिलों के आदेश निर्गत किये गये और जिला परिषद नाम से किये गये, जिला पंचायत नाम से नहीं।

जिला परिषदों का अस्तित्व समाप्त हो गया है संशोधित पंचायत राज अधिनियम लागू होने के बाद। जो शासन का आदेश गया वह जिला परिषद के अध्यक्षों का गया। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह एक–दो वर्ष तक जो लोग जिला परिषद् के अध्यक्ष नामित होने के बावजूद जिला पंचायत के रह गये, उस कमी को सरकार अनुभव करेगी कि वह गलती हुई है और यह अवैधानिक कार्य हुआ है?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैं इसके बारे में पहले ही कह चुका हूं, निर्णय पहले का "है", लेकिन जारी बाद में हुआ है। इसलिए इसकी वैधानिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है। इसे माननीय सदस्य भी स्वीकार करते हैं और मैं भी स्वीकार करता हूं कि ऐसा पूर्व की सरकार को स्वीकार नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहां तक उनको अब हटाने की बात है, इसके लिए अधिनियम की धारा 29 में स्पष्ट प्राविधान है, कोई शिकायत आए तो तदनुरुप उन्हें हटाया जा सकता है। यह सही है कि पूर्व सरकार ने बिना किसी नैतिकता का पालन किये हुए केवल राजनैतिक लाभ उठाने के लिए इस प्रकार की नियुक्तियां कर दी थीं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मुझे अत्यन्त खेद है, मा० मंत्री जी अत्यन्त विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए जानबूझकर मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते हैं। जब एक बार संशोधित अधिनियम दिनाँक 1–4–94 का निर्गत किया गया और उस पर अध्यक्षों का नामांकन 18 जिलों में हुआ-वह जिला परिषदों के नाम पर हुआ, तो इस बात को स्वीकार करने में सरकार को क्या एतराज है? जिला परिषद के अध्यक्ष नामित हुए और जिला पंचायत के अध्यक्ष के रुप में बनकर रह गये, तो उसे स्वीकार करने में उन्हें क्या आपत्ति है?।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अपने जनपद उन्नाव की ही बात कहूंगा, वहां जो जिला परिषद् के अध्यक्ष नामित हुए थे, उन्हें पंचायत का अध्यक्ष कहा जाता है? तो इस प्रकार पदनाम के आधार पर यह वैधानिकता का प्रश्न बनता नहीं है। पदनाम भी अधिनियम के बाद बदल गया है।

श्री चेतराम–

मै मा० मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में ग्राम प्रधानों के चुनाव हो गए हैं, लेकिन ब्लाक प्रमुखों के चुनाव अभी नहीं हुए हैं, तो क्या मंत्री जी बतायेगे कि क्या ब्लाक प्रमुख जो मौजूदा समय में कार्य कर रहे हैं, वह जिला पंचायत के सदस्य हैं? जबकि सम्बन्धित एक्ट में यह प्राविधान है कि....

श्री अध्यक्ष–

आपके प्रश्न का तो इससे कहीं दूर का सम्बन्ध भी नजर नहीं आता है।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

इस समय इस सम्मानित सदन में जो विचारणीय विषय है, चल रहा है, उसके चलते प्रदेश में अनियमितता व्याप्त होने की शंका हो रही है। जिस दिन से जिला पंचायत के नियमों का कार्यान्वयन शुरु हो गया है, उस वक्त से अधिकारियों का जिक्र परिषद् के अध्यक्ष या उसके कर्मचारियों का और जिला पंचायत के अध्यक्ष का दोनों में अन्तर पड़ा...

उन नियमों के अधीन वित्तीय व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, व्यय कैसे होगा, किसको अधिकार है, यह सब चीजें इसमें निहित हो रही हैं? इसलिए जितने दिनों तक जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद रिक्त रहा अध्यक्ष जिला परिषद् के नाते इतने दिनों में जितना वित्तीय व्यय हुआ है उसमें गम्भीर अनियमितताओं की विधिक दृष्टि से झलक आ रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट व्यवस्था चाहूंगा कि इन गम्भीर अनियमितताओं के लिये कौन दोषी पाया जायेगा?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की गम्भीर वित्तीय अनियमितताए पाई जाती हैं तो, यदि उसे माननीय सदस्य सरकार के संज्ञान में लाते हैं तो जो भी दोषी होगा, चाहे निर्वाचित हो या सरकार का कोई अधिकारी हो, उस पर कार्यवाही होगी।

(प्रश्न संख्या–10 पुकार जाने पर)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

एक प्रश्न पर पाँच मिनट का समय दिया जाता है, ज्यादा नहीं।

*8 श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

(दूसरे गुरुवार में ता० प्र० सं० 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

*9 श्री सुरेश कुमार खन्ना–

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद सीतापुर के चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगें पर शासन से कार्यवाही किये जाने की मांग

*10 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बताएंगे कि सीतापुर जिले के चकबन्दी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों ने दिनांक

10-10-94 को तथा उसके आस पास कुछ दिन चकबन्दी न्यायालय के सामने अपनी कपितय मांगों पर बल देने के लिये धरना दिया था? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं? उन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ।

मांग पत्र में कुल 7 मांगे सम्मिलित है, जिनका उल्लेख संलग्न विवरण–पत्र–1 पर तथा इन मांगों पर की गई कार्यवाही का उल्लेख विवरण–पत्र–2 पर प्रस्तुत है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ---105------पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अध्यक्ष जी, वास्तविक स्थिति यह है कि चकबन्दी विभाग के सभी कर्मचारियों ने सामूहिक रुप से उस समय के जो सहायक चकबन्दी अधिकारी थे, उनके खिलाफ धरना दिया, आन्दोलन किए। इसकी जांच हुई। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि संलग्न विवरण पत्र–1 पर इनकी मांगें हैं तथा विवरण पत्र–2 पर जाँच आख्या है। मैं जाँच आख्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जाँच आख्या में स्वीकार किया गया है कि उस समय जो अधिकारी थे उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारी पर क्वासी जूडिशियल फोर्स डालकर गलत फैसले करवाये और जिन्होंने इन्कार किया उन्हे प्रताड़ित किया। 26 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई जिसमें से 24 नियुक्तियाँ अवैध पाई गई। जाँच आख्या में बहुत सी बातें स्वीकार की गई हैं। अंत में जाँचकर्ता ने सिफारिश की है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। जाँचकर्ता ने कहा है कि अमुक को जनपद से हटाने की मांग की गई है। उन्हें बदोबस्त चकबन्दी अधिकारी के पद से हटा दिया गया है। भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप हैं और जाँच में स्वीकार भी किये गये हैं कि सब आरोप सही निकले। यह संस्तुति की गई कि इनको जिले से हटा दिया जाय। चकबन्दी विभाग ने कार्मिक विभाग को भी लिखा कि कार्यवाही की जाय। ऐडिशनल मैजिस्ट्रेट थे और चकबन्दी का काम उन्हें दिया गया था। इनको पुरस्कार यह दिया गया कि ऐडिशनल थे और फुल फलैज्ड डी०एम० बना दिये गये। पनिशमेंट के नाम पर यह पुरस्कार दिया गया पिछली सरकार में उनके ऊपर और अधिकारी थे, सबमें साँठ गाँठ थी। गन्दे गन्दे आरोप लगाये गये थे। यह ज्वाइन्ट रिस्पोंसबिलिटी है, कार्मिक विभाग के मंत्री को उत्तर देना चाहिए। जाँच आख्या में जो सिफारिश की गई है कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, निलम्बन किया जाय, जाँच की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा इस बारे में कार्यवाही की गई कि नहीं, इस बारे में मंत्री जी बतायें

श्री राजेन्द्र कुमार–

जैसा कि आदरणीय गुप्ता जी ने बात कही है कि जाँच हुई और जाँच में आरोप सिद्ध पाये गये उन्हें तत्काल उस पद से स्थानान्तरित कर दिया गया। जो बन्दोबस्त अधिकारी थे गप्ता जी ने नाम लेना उचित नहीं समझा। मैं नाम लेकर बता रहा हूँ कि श्री मिश्र के ऊपर जो 26 नियुक्तियों के आरोप थे उसमें वह 24 के लिये दोषी पाये गये और उनका तत्काल स्थान्तरण कर दिया गया है और नियुक्ति विभाग को कार्यवाही हेतु दो पत्र लिखे जा चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया है..

श्री अध्यक्ष–

गुप्ता जी को पूछ लेने दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो माननीय मंत्री ने कृपापूर्वक आश्वासन दिया है, मेरी यह जानकारी है कि दो तीन महीने पहले कार्मिक विभाग को लिखा गया था उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। मात्र लिखा जाना ही काफी नहीं है।

इसको भी सुनिश्चित कराने की कृपा करें कि चकबन्दी विभाग ने कार्मिक विभाग को जो लिखा है उस पर वह तत्काल ऐक्शन ले। इस बारे में भी जल्दी से कुछ प्रयास करेंगे?

श्री राजेन्द्र कुमार–

मान्यवर, जैसा पहले बता चुके हैं कि दिनाँक 3-2-95 को कार्मिक विभाग को लिखा गया है दुबारा फिर दिनाँक 10-7-95 को नियुक्ति विभाग को पत्र भेजा गया है।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन् माननीय गुप्ता जी के प्रश्न का उत्तर देना था इसलिए दिनाँक 10-7-95 को पत्र लिख दिया गया ताकि सदन में मंत्री जी उत्तर दे सकें। मंत्री जी ने कहा कि दोषी पाए गये जैसा कि रिपोर्ट में भी आया है कि दोषी पाए जाने के बाद, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या दोषी पाए जाने के बाद ट्रांसफर या स्थानान्तरण पनिशमेंट की श्रेणी में आता है? अगर "ट्रांसफर इज नो परिशमेंट" तो जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्मिक विभाग कितने दिनों में कार्यवाही सुनिश्चित करेगा?

श्री राजेन्द्र कुमार–

यथाशीघ्र विचार किया जाएगा।

*11 श्री राम आसरे वर्मा–

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

जनपद सोनभद्र का मुख्यालय राबर्ट्सगंज में ही रहने देने के लिए जन–प्रतिनिधियों एवं संस्थाओं द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार

*12 श्री तीरथ राज–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के 4 थे गुरुवार के ता० प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र का मुख्यालय राबर्ट्सगंज में ही रहने देने के लिये शासन को किन–किन व्यक्तियों जन–प्रतितिधियों एवं संस्थाओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे? उनमें मुख्य रुप से किन तथ्यों के आधार पर मुख्यालय राबर्ट्सगंज में रखे जाने का अनुरोध किया गया है? क्या शासन द्वारा उक्त समस्त तथ्यों पर विचार किया गया था? यदि हां, तो निर्णय का आधार क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जनपद सोनभद्र का स्थायी मुख्यालय राबर्ट्सगंज बनाये जाने के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों एवं संस्थाओं से वर्ष 1994-95 में प्राप्त पत्रों की सूची संलग्नक–1 में उपलब्ध है।

उक्त पत्रों में मुख्य रुप से उल्लिखित तथ्यों एवं बिन्दुओं का संक्षिप्त विवरण संलग्नक–2 में उपलब्ध है।

शासन द्वारा विचारोपरान्त दिनाँक 13-7-94 से सोनभद्र जनपद का मुख्यालय पिपरी कर दिया गया है।

श्री तीरथ राज–

मान्यवर, मैं अनुपूरक प्रश्न तो बाद में करुँगा मेरे मूल प्रश्न में एक उत्तर नहीं आया है। अन्त में देख लें-निर्णय का आधार क्या है? तो क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो निर्णय लिया गया उसका आधार क्या था?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी निर्णय का आधार बता दें।

---

* छापा नहीं गया।

श्री राजेन्द्र कुमार–

प्रशासन ने भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से पिपरी में स्थान चुना है।

श्री तीरथ राज–

श्रीमन् मंत्री जी ने बताया कि भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से ऐसा करेंगे मैं आपका संरक्षण चाहूंगा इस संबंध में आचार्या कमेटी का गठन किया गया था आचार्या कमेटी के द्वारा जो सरकार द्वारा निर्देशित बिन्दु था उसको छोड़कर अपनी सीमा से बढ़ाया जा सके कर दिया। उन्होंने जो आख्या सरकार को सौंपी थी उसको सरकार ने निरस्त कर दिया उसको सरकार ने नहीं स्वीकार किया और जनपद की सीमा को पुनः सीमांकित कर दिया और जनपद की सीमा को सीमांकित करने को नहीं कहा गया था इसलिए आख्या को निरस्त कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

सवाल पूछें।

श्री तीरथ राज–

जो आख्या अस्वीकार कर दी है उसके आधार पर निर्णय करने का कौन सा औचित्य था?

मान्यवर, पाल साहब ने इसी सदन में इस पर प्रश्न भी उठाया था और यहाँ पर कहा गया था कि विचार किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस आख्या को जिसे सरकार ने निरस्त कर दिया है, उसे आधार क्यों माना गया?

श्री अध्यक्ष–

आपने अभी बताया कि भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर यह किया गया।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आचार्या कमेटी का उल्लेख यहाँ पर किया गया। जब भी नए जनपद का सृजन होता है उसके पीछे मंशा यह होती है कि उस जनपद का विकास हो और वहाँ के लोगों को प्रशासनिक और न्यायिक सुविधाएं सुलभ हो सकें। पिछले दिनों एक राजनैतिक निर्णय हुआ जिसके नाते पिपरी जिला मुख्यालय बना दिया गया वहाँ के एस०पी० ओबरा सीमेंट फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में रहते हैं। आप आचार्या समिति की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में एक नयी समिति बना लें उसके बाद उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो व्यवहारिक हो उस सम्बंध में निर्णय लेने की कृपा करें। पिपरी में जिला मुख्यालय कभी बन ही नहीं सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ वहाँ की जनता की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए क्या वह राबर्ट्सगंज को जिला मुख्यालय बनाने के सम्बन्ध में पुनः विचार करेंगे?

श्री राजेन्द्र कुमार–

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री उदय–

आचार्याकमेटी का जो गठन हुआ था उसकी संस्तुति पिपरी में जिला मुख्यालय बनाने की है। पिपरी से बिहार पूर्व में 150–200 कि०मी० दूर पड़ता है। मध्य प्रदेश की सरहद भी 100–150 कि०मी० दक्षिण में है। पिपरी बीच में पड़ता है। राबर्ट्सगंज एक तरफ है। सरकार ने जो पिपरी में जिला मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया है उस पर क्या कायम रहेगी?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भौगोलिक और प्रशासनिक परिस्थितियों के कारण जो पिपरी को जिला मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है उस पर सरकार कायम रहेगी।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, पिपरी में जिला मुख्यालय बनाने का निर्णय मुख्य रुप से राजनैतिक था। यह सरकार गरीबों, पिछड़ों और दलितों की सरकार कही जाती है। पिपरी में कार और टैम्पो वाहन के अतिरिक्त ओर कोई वाहन चल नहीं सकता है। वहां ऊंची नीची सड़कें हैं। पिपरी के विरोध में सैकड़ों प्रतिवेदन और जितनी भी अधिकारियों की कमेटियां बैठी सबने विरोध में निर्णय दिया तथा राबर्ट्सगंज में जिला मुख्यालय बनाने की संस्तुति की। मैं सरकार से आश्वासन चाहूंगा कि इस राजनैतिक दृष्टि से लिए गए निर्णय पर वह पुनर्विचार करने की कृपा करेगी। अगर लगता है कि पिपरी में जिला मुख्यालय बनाने का जो निर्णय लिया गया है वह ठीक है तो कोई बात नहीं। मैं केवल पुनर्विचार करने की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

इस पर उत्तर आ चुका है कि प्रश्न नहीं उठता।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, पिपरी में मोटर, टैम्पो वाहन के अतिरिक्त ओर कोई वाहन चल ही नहीं सकता। गरीब कैसे अस्पताल, कचेहरी जाएगा और कैसे जिलाधिकारी से मिलेगा? करोड़ों रुपये भी लग जाएं तो भी नए भवन बनाना मुश्किल होगा। मैं केवल यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी पुर्नविचार का आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने इसका जवाब दे दिया है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा निवेदन केवल इतना है कि इस मामले पर पुर्नविचार करते हुये जांच करवा लें।

श्री राम लखन वर्मा–

श्रीमन् माननीय डंग जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जो यह प्रश्न उठाया है तो निवेदन यह है कि जो उत्तर हमारे माननीय मंत्री ने दिया है वह ठीक है लेकिन जो आपकी अपेक्षायें हैं उस संबंध में मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य लोग मिलकर दे दें, उसको बैठकर देख लिया जायगा।

*13 श्री कृष्ण कुमार नवमान–

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

गोविन्द वल्लभ पंत पालीटेक्निक में पुस्तकाध्यक्ष पद के वेतनमान का मामला

*14 श्री ओम प्रकाश गुप्त (अनु०)–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोविन्द वल्लभ पन्त पालीटेक्निक में पुस्तकाध्यक्ष का पद स्वीकृत है? यदि हां, तो उसका वेतनमान क्या है और कौन व्यक्ति उस पर कार्यरत है? क्या अन्य प्राविधिक विद्यालयों के पुस्तकाध्यक्षों से यह वेतनमान कम है? यदि हां, तो इसे पुनरीक्षित न कराये जाने के लिये कौन दोषी है? उसके विरुद्ध क्या कारवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या वेतन का पुनरीक्षण वर्ष 1986 से कराकर उक्त पद पर कार्यरत कर्मचारी को एरियर का भुगतान किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामपाल–

जी हाँ।

उक्त पद पुराने वेतनमान रु० 200–320 में सूचित है जिसका पुनरीक्षित वेतनमान रु० 950–1500 है।

उस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई है।

जी हाँ। पुस्तकाध्यक्ष के पद का न्यूनतम रु० 470–735 पुराना तथा पुनरीक्षित वेतनमान रु० 1350–2200 है। चूंकि इस पालीटेक्निक में जिस वेतनमान में पद स्वीकृत है उसका पुनरीक्षण हो चुका है इसलिए उसे पुनरीक्षित कराने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वनपद लखनऊ में इन्दिरानगर के डी० ब्लाक कुकरैल पिकनिक स्पाट रोड पर स्थित यूकेलिप्टस पेड़ों को कटवाने की मांग

*15 श्री अमित अग्रवाल–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि इन्दिरानगर, लखनऊ के डी० ब्लाक में स्थित कुकरैल पिकनिक स्पाट रोड पर लगे यूकेलिप्टस के कुछ पेड़ अत्यन्त विशाल हो जाने के कारण उक्त सड़क के किनारे की आबादी व भवनों के लिये खतरनाक हो गये हैं एवं आवागमन में अवरोध उत्पन्न हो रहा है जिससे आये दिन दुर्घटना हो जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार इन पेड़ों को कटवाने एवं उसके स्थान पर नये पेड़ लगवाने का निर्देश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–

(क) अभी तक इन वृक्षों से किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना प्रकाश में नहीं आई है।

(ख) आवश्यकता पड़ने पर आदेश दिये जायेंगे।

श्री अमित अग्रवाल–

मान्यवर, प्रश्न में साफ कहा गया क्या है कि पेड़ काफी बड़े हो गये हैं और खतरनाक हो गये हैं। पेड़ों की डालें टूटकर गिरने से यातायात अवरुद्ध होता है। वहां के नागरिकों ने इस संबंध में अनेक प्रार्थना पत्र दिये हैं जिन पर आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है वन विभाग के अधिकारियों से इसकी जांच करायेगें कि मौके पर स्थिति क्या है और उसके अनुसार निर्णय लेगें।

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, जैसा मैंने अभी उत्तर दिया कि अभी तक इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। अगर माननीय सदस्य चिंतित हैं तो लिखकर दे दें। मैं आश्वासन दे रहा हूं कि अगर जरुरत होगी तो उक्त पेड़ कटवा दिये जायेगें लेकिन अभी तक कोई शिकायत ऐसी नहीं पायी गयी जिससे पेड़ों से कोई क्षति हुयी हो इसलिये प्रश्न नहीं उठता है। अगर कोई ऐसी समस्या है तो लिखकर दे दें, जांच करवा लूंगा और यदि कटवाने की जरुरत होगी तभी कटवाये जायेगें।

श्री अध्यक्ष–

अभी प्रश्नों का समय शेष है, यदि माननीय सदस्य किन्हीं अन्य प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं तो दूसरे प्रश्न ले लिये जायं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, ता०प्र० सं०-6 ले लें।

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उपरान्त (जो बाद में मा० सदस्यों द्वारा रुचि दिखाने पर लिया गया) के उपरान्त प्रश्नो का समय समाप्त हुआ प्रश्न सं० 6 यथा स्थान पर अंकित है।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय, ता०प्र०सं०-8 ले लें।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न स्थानान्तरित किया जा चुका है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय, प्रश्न संख्या-6 ले लें। मैंने पहले निवेदन किया है।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

माननीय, ता०सं० 6 ले लें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय, प्र०सं० 6 लेलें।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बांदा में ग्राम दिवली तह० व परगना–नरैनी के पट्टेदारों की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

1 श्री चरन दिनकर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–दिवली, तह० व परगना–नरैनी, जनपद–बांदा में खाता संख्या–338, 339, 341, 342, 343, 354, 359, 360, 361, 380, 394, 396, 308 आदि से सम्बन्धित आवंटित भूमि को इन्तखाब खतौनी से आवंटन खारिज कर निरसन हेतु तत्कालीन परगनाधिकारी नरैनी द्वारा जिलाधिकारी बांदा को दि० 10-9-91 द्वारा संस्तुति पत्र प्रस्तुत किया गया था? यदि हां, तो क्या अवैध आवंटन खारिज कर अनियमितता करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो कब और क्या? यदि नहीं, तो निकट भविष्य में क्या उपरोक्त के संदर्भ में कार्यवाही की जायेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां

पट्टदारों की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध ज०वि०अधि० की धारा 198 (क) के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 15-5-95 को दर्ज कराई जा चुकी है। दोषी कर्मचारी श्री इकरामुल्ला, तत्कालीन लेखपाल के सेवानिवृत्त होने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

निकट भविष्य में पट्टे खारिज होने तथा अवैध रुप से काबिज व्यक्तियों की बेदखली के बाद भूमि का कब्जा ले लिया जायेगा।

जनपद बांदा के ग्राम दिवली परगना नरैनी में आवंटियों के नाम अवैध उत्पादन लेने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

2 श्री गया चरन दिनकर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दिवली, परगना नरैनी, जनपद-बांदा में अवैध आवंटन खारिज कराने से सम्बन्धित विस्तृत विवरण सहित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-1646/यस०पी०/डी०–94-95 दिनांक 25 जनवरी, 1995 आयुक्त झांसी मण्डल, झांसी को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो क्या बिन्दुवार जांच सम्पन्न करायी गयी? यदि हां, तो प्राप्त जांच आख्या के क्रम में आवंटियों के नाम अवैध उत्पादन लेने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो कब और क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–
जी हाँ।

जांच में यह पाया गया कि उक्त भूमि से अवैध उत्पादन किन्नर सिंह, बलराम सिंह, बच्चू प्रसाद, इन्द्रपाल सिंह, राम करन सिंह, नरपत, झल्ला सिंह, भोला यादव एवं दुर्गा प्रसाद द्वारा लिया जा रहा है जिनके विरुद्ध दिनांक 15-5-95 को मु०अ०सं० 150/95 धारा 198 (1) के अन्तर्गत थाना कोतवाली नरैनी में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अंकित की जा चुकी है।

3-4- श्री अंगद यादव–
(मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया)

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित लखनऊ स्थित इन्दल भवन छात्रावास में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों के विरुद्ध जांच की मांग

5 श्री रतन लाल बहिरवार–
क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ स्थित इन्दल भवन छात्रावास जो समाज कल्याण विभाग द्वारा अध्ययनरत छात्रों के लिये संचालित किया जा रहा है? क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास में इन्द्रपाल परिचर विधि-विज्ञान प्रयोगशाला महानगर, लखनऊ का राजकीय कर्मचारी है, किस आधार और किसके आदेश से आवासीय सुविधा प्राप्त कर रहा है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामपाल–
जी हाँ

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज में वन जीवन रक्षक के पद पर तैनात श्री राम मिलन पाण्डेय के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

6 श्री रतन लाल बहिरवार–
क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भोले प्रसाद, ग्राम बूटाडीह, पो० अरवोना व श्री बचऊ ओझा, ग्राम बलही खीर, पो० बसूली, जनपद महराजगंज के प्रार्थना पत्र के साथ मा० विधायक श्री अम्बिका सिंह का पत्र दिनांक 25-10-94 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या श्री राम मिलन पाण्डेय, वन जीवन रक्षक निचलौल, जनपद महराजगंज की शिकायत की जांच कराकर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–
जी हाँ।

जांचोपरान्त शिकायत निराधार पाई गई, अतएव प्रश्नगत वन्य जीव रक्षक के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में ग्राम जगतखेड़ा, पो० मगरायर, जनपद उन्नाव में अनुसूचित जाति के कृषक के आम के पेड़ों पर कतिपय दबंग लोगों का कब्जा तथा जांच अधिकारी से संम्बधित मामला

7 श्री बैजनाथ रावत–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम जगतखेड़ा, पोस्ट-मगरायर, तहसील पुरवा, जिला-उन्नाव में एक अनुसूचित जाति के कृषक के आम के पेड़ का अवैध कब्जा उसी गांव के कुछ दबंग किस्म के लोगों द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 08-2-95 प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उक्त पत्र में दिये गये तथ्यों की जांच करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम तथा जांच प्रारम्भ व समाप्त तथा जांच आख्या शासन को प्राप्त होने की तिथियां तथा कार्यवाही का विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां।

दिनांक 23 मई, 1995 को प्रकरण की जांच परगनाधिकारी, पुरवा को सौंपी गई है।

जनपद बाराबंकी के तहसील रामसनेही घाट के संग्रह अमीन श्री चन्द्रभान सिंह के वेतन भुगतान का मामला

8 श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विश्वानाथ सदस्य विधान सभा पडरौना का पत्र जो श्री चन्द्रभान सिंह, संग्रह अमीन, तहसील रामसनेही घाट, जनपद बाराबंकी को मा० उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष में था, दिनांक 15-11-94 को उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या श्री चन्द्रभान सिंह को मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार उनको नियमित वेतन का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां।

मा० उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार श्री चन्द्रभान सिंह को सामयिक संग्रह अमीन के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी थी। बाद में संग्रह अमीन की स्थायी रिक्ति उपलब्ध हो जाने पर श्री सिंह को संग्रह अमीन के नियमित पद पर नियुक्त कर दिया गया है तथा कार्यावधि के वेतन का नियमानुसार भुगतान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजमणि सिंह रेंज अधिकारी, उतरौला दक्षिण गोण्डा प्रभाग के विरुद्ध अवैध कटान कराये जाने सम्बन्धी शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

9 श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 31-10-94 को श्री राजमणि सिंह, रेंज अधिकारी, उतरौला दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग के विरुद्ध अवैध कटान कराने इत्यादि के संदर्भ में कोई आरोप पत्र उन्हें व मुख्य मंत्री जी एवं सचिव वन, मुख्य वन संरक्षक नियोजन प्रशासन को तथा मुख्य वन संरक्षक, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो क्या उन आरोपों–पत्रों की जांच कराई गई? कौन–कौन अधिकारी दोषी पाये गये? दोषी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री रामलखन वर्मा–

जी हाँ

[redacted]यती पत्र प्राप्त हुआ था।

[redacted] पत्रों की जांच कराई गई।

जांच पर शिकायत निराधार पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

वन प्रभाग उत्तर गोण्डा के विकास खण्ड परसपुर के नर्सरी त्योरासी में पौधों का गबन तथा कुम्भिंग कराने के आदेश सम्बन्धी शिकायती पत्र पर कार्यवाही

10 श्री घनश्याम शुक्ल—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 31-10-94 को एक शिकायती पत्र मुख्य मंत्री, सचिव वन तथा मुख्य वन संरक्षक, नियोजन प्रशासन को एवं मुख्य वनसंरक्षक मध्य क्षेत्र, लखनऊ को इस आशय का लिखा था कि उत्तर गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के विकास खण्ड परसपुर के नर्सरी त्योरासी में एक लाख पौधों का गबन किया गया था तथा इसी आरोप में रेंज उतरौला के वन बीट बैरिया/इटावा/तेंदुवा/पिपरा के सम्पूर्ण वनों की कुम्भिंग श्री एम०राय, वन संरक्षक को भेजकर करायी जाये? यदि हां, तो क्या कुम्भिंग कराने के आदेश निर्गत किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा—

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराई गयी। शिकायतें निराधार पाई गयी। अतः कुम्भिंग कराने के आदेश निर्गत नहीं किये गये।

कलेक्टर गाजियाबाद के समक्ष भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 28 ए से सम्बन्धित लम्बित आवेदन पत्र

11 श्री बालेश्वर त्यागी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 28-ए, के अन्तर्गत कलेक्टर गाजियाबाद के समक्ष कितने आवेदन पत्र कब से लम्बित हैं? उनमें निर्णय न किये जाने का क्या कारण है?

श्री राजेन्द्र कुमार—

प्राप्त सूचनानुसार, भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-28ए के अन्तर्गत कलेक्टर, गाजियाबाद के समक्ष दिनांक: 14-11-91 से कुल 1648 आवेदन लम्बित हैं।

जिस जिला जज के निर्णय के आधार पर धारा-28 ए के आवेदन प्रस्तुत किये गये उन निर्णयों के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में अपीलें लम्बित होने के कारण आवेदनों का निस्तारण नहीं किया जा सका है। मा० उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

जनपद जौनपुर में ग्राम सभा गौरा, विकास खण्ड बदलापुर, तहसील बदलापुर के कतिपय हरिजनों को जमीन आवंटित करने विषयक पत्र पर जांच

12 श्री ज्वाला प्रसाद यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा गौरा, विकास खण्ड बदलापुर, तहसील, जनपद जौनपुर के कतिपय हरिजन पासियों का पत्र श्री उमाकान्त यादव, सदस्य, विधान सभा बुटहन जौनपुर के कवरिंग पत्र के साथ दिनांक 6-2-95 को उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पत्र में किन—किन बिन्दुओं की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया है? क्या यह सही है कि पट्टा धारियों को उचित स्थान पर पट्टा नहीं दिया गया है? यदि नहीं, तो उनको किस अराजी नम्बर में कब्जा दिलाया गया है? कुल कितने लोग हैं, उनके नाम क्या हैं? उनको कितनी—कितनी जमीन आवंटित की गयी? क्या अभी भी ग्राम समाज की भूमि रिक्त पड़ी है? उसकी गाटा संख्या क्या है और उसे कब तक भूमिहीनों को आवंटित कर दिया जायेगा?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां।

भूखण्ड सं०-121, 124 ग्राम सभा गौरा (जदीद) के पट्टेदारों को कब्जा दिलाने तथा खाली ग्राम सभा भूमि के आवंटन सम्बन्धी बिन्दुओं की ओर ध्यान दिलाया गया है।

जी नहीं।

कार्यालय कक्ष में सूची उपलब्ध है।

कुल 25 आवंटी हैं जिनके नाम सूची में अंकित हैं।

आवंटित भूमि का वितरण कार्यालय कक्ष में उपलब्ध सूची में देखा जा सकता है।

जी नहीं। शोध का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में ग्राम पंचायत गौरा, विकास खण्ड बदलापुर, तहसील बदलापुर की वृद्धावस्था एवं कतिपय विधवाओं को पेंशन स्वीकार कराने का मामला

13 श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत गौरा, विकास खण्ड बदलापुर, तहसील, जनपद जौनपुर में कितनी विधवायें ऐसी हैं जिन्हें विधवा पेंशन वर्ष 1994 तक स्वीकार की गयी है? क्या मंत्री जी उक्त गांव पंचायत का सर्वेक्षण कराकर ऐसे पात्र विधवाओं को विधवा पेंशन स्वीकार कराने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री रामपाल–

संदर्भित ग्राम पंचायत में वर्ष 1994 तक किसी विधवा को भरण-पोषण अनुदान स्वीकार नहीं की गयी है।

उक्त ग्राम पंचायत में सर्वेक्षण के आधार पर 4 विधवायें भरण–पोषण अनुदान हेतु पात्र पायी गयीं, परन्तु वित्तीय संसाधनों के कारण भरण–पोषण अनुदान के लिए लक्ष्य निर्धारित न होने के कारण इन पर विचार किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

14 श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

क्या समाज, कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत गौरा, बदलापुर, तहसील-बदलापुर, जनपद जौनपुर में कितने लोगों को वर्ष 1994 तक वृद्धावस्था पेंशन स्वीकार की गयी है? क्या उक्त गांव पंचायत का सर्वेक्षण कराया गया था? यदि नहीं तो क्या मंत्री जी उक्त गांव पंचायत में रहने वाले ऐसे वृद्ध व्यक्तियों जिनकी अवस्था 60 वर्ष से अधिक की है, की जांच कराकर उन्हें वृद्धावस्था पेंशन स्वीकार कराने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री राम पाल–

ग्राम सभा गौरा, विकास खंड बदलापुर, जनपद जौनपुर में 1994 तक एक व्यक्ति को वृद्धावस्था/किसान पेंशन स्वीकार की गई है।

जी हां।

सर्वेक्षण/जांचोपरान्त किसान पेंशन के पात्रता परिधि में पाये गये तीन अवशेष व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति प्रक्रियान्तर्गत है।

यथा–शीघ्र।

जनपद उन्नाव के तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम सभा परीयर की वर्ष 1991 में की गई जनगणना में फर्जी आकड़े बनाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

15 श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम सभा परीयर की वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर कुल आबादी 5691 है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि पिछड़ी जाति की आबादी 3839 और अनुसूचित जाति की आबादी 2118 है? इस प्रकार अनुसूचित जाति का योग ही 5957 है? यदि हां तो ग्राम में बहुसंख्यक निवास कर रही सवर्ण जातियों की आबादी कितनी है? क्या इस फर्जी आंकड़े बनाने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही होगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जनपद उन्नाव की तहसील सदर के विकास खण्ड सि० सरोसी की ग्राम सभा परियर की कुल जनसंख्या वर्ष 1991 की जनगणना में जनगणना विभाग द्वारा 5694 बतायी गयी है जिसमें से 2020 अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। वर्ष 1994 में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अवधारण हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा किये गये त्वरित सर्वेक्षण के आधार पर 1 मार्च, 1991 को पिछड़े वर्ग की कुल जनसंख्या 3849 पायी गयी।

सवर्ण जातियों की जनगणना नहीं की गयी है।

प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता क्योंकि जनगणना विभाग द्वारा की गयी गणना को चुनौती देना संभव नहीं है।

16– श्री अजय कुमार पोद्दया–

(4 बे सोमवार में बता०प्र०सं०-56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जिला फैजाबाद में शाहजावपुर-अकबरपुर के निवासी श्री संजय कुमार टण्डन द्वारा चकबन्दी लखनऊ को दिये गये पत्र के विवरण की जानकारी

17 श्री अजय कुमार पोद्दया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय कुमार टण्डन, निवासी-शाहजावपुर–अकबरपुर, जिला-फैजाबाद द्वारा आयुक्त, चकबन्दी, उ०प्र० लखनऊ को दिनांक 24–6–94 व 30–6–94 को प्रेषित प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है? उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

श्री संजय कुमार टण्डन निवासी शाहजावपुर-अकबरपुर जिला फैजाबाद का प्रार्थना-पत्र दिनांक 24–6–94 व 30–6–94 चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। श्री टण्डन से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया परन्तु सम्पर्क नहीं हो पाया है। यदि दूसरा प्रार्थना-पत्र उनके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर शीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी। प्रार्थना-पत्र उपलब्ध न होने के कारण विवरण दिया जाना तथा कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

जनपद फैजाबाद में ग्राम सभा सुधारपुर विकास खण्ड अकबरपुर के कतिपय ग्रामवासियों द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को हटवाने की मांग

18 श्री अजय कुमार पोद्दया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सुधारपुर विकास खण्ड-अकबरपुर, जनपद फैजाबाद के कुछ ग्रामवासियों द्वारा ग्राम सभा की भूमि गाटा सं० 435/54 पर किये गये अनाधिकृत कब्जे को हटवाने के लिये प्रार्थना पत्र माह दिसम्बर, 1994 व माह जनवरी, 1995 एवं फरवरी, 1995 में परगनाधिकारी, अकबरपुर व मुख्य राजस्व अधिकारी फैजाबाद को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक किन–किन अधिकारियों ने क्या–क्या आदेश किये तथा उन आदेशों के अनुरूप सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों ने क्या–क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया वर्तमान जनपद पडरौना में श्री नन्दू कान्दू पुत्र गोपीचन्द ग्राम भठही बुजुर्ग, पो० अमवा बाजार को विकलांग पेंशन दिये जाने का मामला

19 श्री अम्बिका सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला समाज कल्याण अधिकारी, देवरिया के पत्रांक 757/स०क०/ विकलांग, दि० 23–4–93 द्वारा श्री नन्दू कान्दू पुत्र गोपीचन्द, ग्राम भठही बुजुर्ग, पो० अमवा बाजार, जनपद देवरिया, वर्तमान जनपद पडरौना को दि० 4–5–93 को विकलांग पेंशन के सम्बन्ध में बुलाया गया था? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त विकलांग के दिनांक 4–5–93 को उपस्थित होने के बाद विकलांग पेंशन स्वीकृत हुई? यदि हां, तो क्या पेंशन दी जा रही है? यदि नहीं, तो विकलांग पेंशन स्वीकृत न करने का क्या कारण है? क्या उपर्युक्त विकलांग को पेंशन स्वीकृत कर पेंशन दी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामपाल–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत विकलांग को भरण-पोषण अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

चेयरमैन टाउन एरिया सिसवां बाजार जनपद महराजगंज द्वारा भू-राजस्व अभिलेखों के सुधार के सम्बन्ध में मांगी गई जानकारी

20 श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चेयरमैन टाउन एरिया सिसवां बाजार, जनपद-महराजगंज ने अपने पत्र मेमो टाउन एरिया सिसवां, दिनांक 21 दिसम्बर, 1991 द्वारा जिलाधिकारी, महराजगंज से सिसवा की जमींदारी भू-राजस्व अभिलेखों के सुधार हेतु निवेदन किया था? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

चेयरमैन टाउन एरिया सिसवां बाजार, जनपद महराजगंज ने अपने पत्र संख्या-311/टा०ए० सिसवां/ 92-93, दिनांक 13–2–1993 द्वारा जिलाधिकारी, महराजगंज को राजस्व अभिलेखों में टाउन एरिया का नाम दर्ज करने हेतु पत्र भेजकर अनुरोध किया था।

चेयरमैन टाउन एरिया सिसवां बाजार के उक्त पत्र के संदर्भ में जिलाधिकारी, महराजगंज ने तत्कालीन परगनाधिकारी निचलौल, जनपद महराजगंज को अपने पत्रांक 10 (1)/टी०ए०सी०/92-93, दिनांक 8 अप्रैल, 1993 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया था। उक्त कार्यवाही के दरम्यान यह तथ्य प्रकाश में आया कि इस सम्बन्ध में भूमि विवाद का मामला माननीय जुडीशियल मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के न्यायालय में वाद के रूप में विचाराधीन है। अतः अभी तक स्थल का निर्धारण न होने के कारण टाउन एरिया का नाम अंकित नहीं किया जा सका है। न्यायालय के निर्णयोपरान्त इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड शिवगढ़ व विकास खण्ड गौरा में महिला कल्याण एवं बाल विकास योजना की जानकारी

21 श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड शिवगढ़ व विकास खण्ड गौरा में महिला कल्याण एवं बाल विकास की कोई योजना शासन द्वारा चलायी जा रही है? यदि नहीं, तो क्या इस योजना को चलाये जाने की सरकार की कोई नीति है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामपाल–

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड शिवगढ़ में बाल विकास एवं पुष्टाहार की योजना चल रही है किन्तु विकास खण्ड गौरा में कोई योजना संचालित नहीं है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर परियोजनाओं के संचालन हेतु विकास खण्डों का चयन किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार का कोई अभिमत प्राप्त नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा की नवसृजित अतर्रा तहसील के ग्राम चन्दौर निवर्तमान लेखपाल श्री हरनाम द्वारा राजस्व अभिलेखों में व्यापक हेराफेरी का जानना

22 श्री राज कुमार शिवहरे–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद बांदा की नवसृजित अतर्रा तहसील के ग्राम चन्दौर के निवर्तमान लेखपाल श्री हरनाम द्वारा राजस्व अभिलेखों में व्यापक पैमाने पर हेराफेरी करके करोड़ों रुपये की शत्रु सम्पत्ति अर्जित की गयी है? क्या संबंधित लेखपाल द्वारा बंजर जोत खाता 195 में कई लोगों के नाम बिना स्वीकृत पट्टे एवं बिना किसी अधिकारी के आदेश के दर्ज कर दिये गये हैं? क्या खाता संख्या 394 में बिना किसी आदेश के बराबर दर्ज कर दी गयी है? क्या ग्रामवासी महमादीन पुत्र शिवना इत्यादि के खाता संख्या 754 श्रेणी-2 (ख) में चुनबदिया पुत्र विशाल के नाम अंकित किये गये हैं? क्या खाता संख्या 318 में बिन्धाप्रसाद पुत्र रघुवीर के नाम 175 रकबा 0.126 बढ़ाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

लेखपाल द्वारा फर्जी इन्द्राज किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है।

जी हां।

जी हां।

जी हां।

जी हां।

लेखपाल द्वारा ऐसे फर्जी इन्द्राज किया जाना उसके द्वारा अन्यथा मन्शाओं की पूर्ति का द्योतक है।

जनपद बलिया के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारी सीयर द्वारा बच्चों को बलिया व अन्य सामग्री उपलब्ध न कराया जाना

23 श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारी सीयर द्वारा बच्चों को दी जाने वाली बलिया व अन्य सामग्री किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उपलब्ध नहीं करायी जाती है तथा उसे बाजार में खुलेआम बेचा जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी

वरिष्ठ अधिकारी से कराते हुए बाल विकास परियोजना, सीयर, जनपद बलिया को दण्डित करते हुए शासन व विभाग द्वारा दी जाने वाली अन्य सारी सुविधायें आंगनबाड़ी कार्यों को उपलब्ध कराने व बच्चों में दलिया आदि वितरित कराने का समुचित आदेश देगी?

श्री श्री रामपाल–

जी नहीं।

मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज इण्डिया लि० (भारत सरकार का उपक्रम) के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों को बच्चों के लिए पंजीरी की आपूर्ति की जाती है, न कि दलिया की। अतः दलिया व अन्य सामग्री बेचने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

24– श्री परशुराम यादव–

दि० 14.7.95 को अता०प्र० सं०-193 द्वारा उत्तरित)

जनपद गाजियाबाद में वर्ष 1984 से धारा 28–ए भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत–भूस्वामियों को भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रतिकर दर के सम्बन्ध में जानकारी

25 श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984 से गाजियाबाद जनपद में धारा 28–ए भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत कुल कितने भूस्वामियों को किस दर से प्रतिकर का पुनः निर्धारण कर भुगतान किया गया है तथा उक्त धारा के अन्तर्गत जो आवेदन कलेक्टर गाजियाबाद के यहां लम्बित हैं उनमें किस दर से प्रतिकर की मांग की गयी है? क्या यह भी सही है कि इसमें अधिकतर मामले धारा-4 अर्जन अधिनियम में दी गयी अधिसूचनाओं से आच्छादित हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार–

प्राप्त सूचनानुसार अभिनिर्णय धारा-28 ए भूमि अर्जन अधिनियम के विरुद्ध अर्जन निकायों द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में एस०एल०पी०/अपील दायर करने तथा न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण किसी भी भू–स्वामी को प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया। धारा–28 ए के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में भू-स्वामियों द्वारा स्थानीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय में बढ़ाई दरों के आधार पर प्रतिकर पुनर्निर्धारण की मांग की गई है।

समस्त प्रार्थना-पत्र विभिन्न ग्रामों से सम्बन्धित धारा-4 की अधिसूचनाओं से आच्छादित होते हैं

26–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

(दि० 14.7.95 को अता० प्र० सं०-192 द्वारा उत्तरित)

जनपद शाहजहांपुर में स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन से सम्बन्धित जानने की जानकारी

27 श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में वर्तमान में कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत है? इन सभी पेंशनार्थियों को कब तक की पेंशन मिल चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी इनके जीवनयापन की कठिनाईयों को समझते हुए अविलम्ब पेंशन दिये जाने हेतु कोई व्यवस्था करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्री रामपाल–

जनपद शाहजहांपुर में वृद्धावस्था/किसान पेंशन के 14705 स्वीकृति प्राप्त लाभार्थी हैं।

उक्त लाभार्थियों में से 9103 को माह मार्च, 1995 तक एवं 4829 को माह सितम्बर, 1994 तक का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

वृद्धावस्था/किसान पेंशन के लिए अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता

जनपद फैजाबाद में ग्राम-पूरा उर्फ सुमेरपुर तह०-बीकापुर की श्रीमती शिवनाथा देवी पत्नी स्व० श्री राम भरोसे के फर्जी वरासत को खारिज कराने सम्बन्धी पत्र तथा डेथी राजस्व कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

28 श्री विश्वनाथ–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती शिवनाथा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री राम भरोसे, ग्राम-पूरा उर्फ सुमेरपुर, परगना-खण्डासा, तहसील-बीकापुर, जनपद-फैजाबाद का उपरोक्त ग्राम की खतौनी में अंकित संयुक्त खाता संख्या-485 तथा 488 में फर्जी वरासत दर्ज करने के संबंध में श्री राम चन्द्र बक्श सिंह, सदस्य, विधान परिषद उत्तर प्रदेश के पत्र के साथ दिनांक 10-11 मई, 1994 को रजिस्टर्ड शिकायती पत्र जिलाधिकारी–फैजाबाद तथा दिनांक 30 जून, 1994 को राजस्व सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं श्री परशुराम यादव, सदस्य, विधान सभा के पत्र संख्या-1600/स०पा० दिनांक 26-8-94 के साथ राजस्व मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र के आधार पर फर्जी वरासत को खारिज कर पूर्व के आदेश के अनुपालन में श्रीमती शिवनाथा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री राम भरोसे का नाम बतौर वारिस दर्ज किया गया है? उक्त प्रकरण में कौन–कौन से राजस्व कर्मी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ।

जी नहीं।

अपर तहसीलदार बीकापुर के न्यायालय के आदेश दिनांक 30-12-90 के अनुसार श्री राम बहोर व राम निहोर पुत्रगण राम बरन का नाम दर्ज किया गया है।

सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपीलीय न्यायालय के आदेश से ही संशोधित पक्ष को स्वतः न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए। श्रीमती शिवनाथा देवी द्वारा न्यायालय में अनुतोष हेतु कोई वाद दायर नहीं किया गया है।

कोई राजस्व कर्मी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में ग्राम व पो० घटौली, तहसील बीकापुर की श्रीमती धर्मा देवी स्व० श्री राम समुझ पासी, को विधवा पेंशन दिये जाने की जानकारी

29 श्री विश्वनाथ–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती धर्मा बेवा स्वर्गीय श्री राम समुझ अनुसूचित जाति (पासी), निवासी ग्राम–घटौली (कबीरपुर), पो० घटौली, तहसील-बीकापुर, जिला-फैजाबाद का विधवा पेंशन हेतु दिनांक 9-10-93 का प्रार्थना-पत्र समाज कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 23-2-94 को जिला समाज कल्याण अधिकारी फैजाबाद को निर्देशित दिनांक 25 फरवरी, 1994 को जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला-फैजाबाद को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो श्रीमती धर्मा को कब से और कितने रुपये की मासिक विधवा पेंशन दी जा रही है?

श्री श्री रामपाल–

जी हाँ।

श्रीमती धर्मा को दिनांक 1–4–94 से 100/ रु० प्रतिमाह की दर से विधवा भरण-पोषण अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

जनपद सुल्तानपुर के वन विभाग शाखा में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर की गई अवैध नियुक्तियों की जांच का मामला

30 श्री तेजभान सिंह–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 8-12-94 के साथ श्री करम हुसैन व सूर्य नारायण पाण्डेय क्रमशः मंत्री व अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी सीजनल दैनिक वन कर्मचारी महासंघ वन विभाग शाखा सुल्तानपुर का प्रतिवेदन जिसमें विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान की बेहतर सुविधा के अतिरिक्त इसी जिले में कार्यरत अधिष्ठापन लिपिक श्री रोशन अली द्वारा फर्जी प्रमाण–पत्र के अधीन अपने सगे-संबंधियों को नियुक्त कराने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में किस अधिकारी ने जांच की? क्या यह सही है कि उस समय नियुक्ति पर पाबंदी लगी थी? यदि हां, तो शिकायत के आधार पर क्या कार्यवाही हुयी?

श्री राम लखन वर्मा–

मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 8.12.94 विभाग में प्राप्त होने की सूचना उपलब्ध नहीं है परन्तु श्री करम हुसैन मंत्री तथा श्री सूर्य नारायण पाण्डे, अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी सीजनल दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ शाखा जनपद सुल्तानपुर का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दि० 8.12.94 प्राप्त हुआ है।

वन संरक्षक, सरयू वृत्त को जांच के आदेश दिये गये हैं।

सामाजिक वानिकी योजना के पदों के अतिरिक्त किसी पद पर नियुक्ति पर पाबन्दी नहीं लगी थी।

वन संरक्षक, सरयू वृत्त, फैजाबाद द्वारा की गई प्राथमिक जांच के उपरान्त श्री अनवर हुसैन पुत्र श्री रोशन अली को सेवा से पृथक करने के आदेश दे दिये गये हैं।

जनपद सुल्तानपुर में ग्राम पहाड़गंज तह०–गौरागंज के उपप्रधान श्री भानुप्रताप पाण्डे व अन्य का कृषि भूमि का पट्टा दिये जाने में प्रधान व तहसील कर्मचारियों द्वारा करती गई अनियमितता सम्बन्धी शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

31 श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कमिश्नर फैजाबाद, जिलाधिकारी तथा मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री भानु प्रताप पाण्डे, उप प्रधान तथा अन्य हस्ताक्षरकर्ता ग्राम पहाड़गंज, तहसील गौरीगंज, सुल्तानपुर का क्रमशः दिनांक 10–7–94, 7–11–94 व 2–7–94 का प्रार्थना पत्र जिसमें कृषि भूमि का पट्टा देने में प्रधान व तहसील कर्मचारियों द्वारा कोई पात्रता सूची न बनाने, सदस्यों के परिवार को तथा एक परिवार के चार सदस्यों को पट्टा देने तथा शिकायत की जांच न करने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की है? जांचोपरान्त क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ।

तहसीलदार, गौरीगंज द्वारा जांच करायी गयी है।

जांचोपरान्त प्रस्ताव अनियमित होने के कारण उप जिलाधिकारी, गौरीगंज द्वारा दिनांक 20-12-94 को निरस्त कर दिया गया और दोषी कर्मचारी लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता

राजस्व विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मौके के अनुसार नक्शे का निर्माण किया जाना

32 हरदेव सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–9 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रकबे के अनुसार नक्शे का निर्माण किया जाता है? यदि हां, तो क्या विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की त्रुटि के कारण हुए छोटे नक्शे को विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सरकार दुरुस्त करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

नक्शे का निर्माण मौके के अनुसार किया जाता है।

चकबन्दी अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी होने के बाद नक्शे में दुरुस्ती का अधिकार राजस्व विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को नहीं रह जाता है। इसके लिये भू–राजस्व अधिनियम की धारा–28 के अन्तर्गत वाद संस्थित किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में ग्राम बरांवा/फिरोजपुर मखदूमी परगना व तह० रुदौली के ग्राम वासियों द्वारा बन्दोबस्त अधि० चकबन्दी को दिये गये प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही की जानकारी

33 श्री रमापति शास्त्री–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुनः पैमाइश कराकर बजरिये पुलिस कब्जा दिलाये जाने के संबंध में दिनांक 20 नवम्बर, 1994 से 30 नवम्बर, 1994 के मध्य ग्राम बरांवा/फिरोजपुर मखदूमी, परगना व तहसील रुदौली, जनपद बराबंकी के किन–किन निवासियों के कितने–कितने प्रार्थना-पत्र बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, बाराबंकी को प्राप्त हुए हैं? उन प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री राजेन्द्र कुमार–

दिनांक 20–11–94 से 30–11–94 के मध्य बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी, बाराबंकी न्यायालय पर केवल दो प्रार्थना पत्र, श्री राम गोपाल पुत्र श्री शीतलादीन, निवासी-फिरोजपुर मखदूमी व श्री राम धीरज एवं श्री सूर्यपाल पुत्रगण श्री रामदीन निवासी-बरावां के प्राप्त हुए हैं।

श्री राम गोपाल पुत्र श्री शीतलादीन ने अपने पैमाइश के प्रार्थना-पत्र के संबंध में सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष स्थल पर उपस्थित होकर बयान दिया कि अब पैमाइश के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए उक्त प्रार्थना-पत्र पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। श्री राम धीरज व श्री सूर्यपाल पुत्रगण श्री रामदीन के चकों की पुनः पैमाइश करके नियमानुसार कब्जा दिला दिया गया है।

जनपद बाराबंकी में ग्राम बरांवा, परगना व तह० रुदौली के श्री राम धीरज व सूर्यपाल पुत्रगण रामदीन का चकदारों को कब्जा दिलाये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

34 श्री रमापति शास्त्री–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि पुनः पैमाइश कराकर बजरिये पुलिस दिलाये जाने के संबंध में श्री रामधीरज व सूर्यपाल पुत्रगण रामदीन, निवासी ग्राम बरावां, परगना व तहसील रुदौली, जनपद बाराबंकी का प्रार्थना-पत्र दिनांक 21–11–94 बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, बाराबंकी को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या उक्त दिनांक को ही चकबन्दी अधिकारी को पैमाइश कराकर पुलिस की सहायता से कब्जा दिलाने हेतु बन्दोबस्त अधिकारी ने आदेश दिया था? यदि हां, तो विभागीय अधिकारियों द्वारा अब तक उक्त आदेश का पालन न करने

का क्या कारण है? उक्त आदेश की अवहेलना के लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? उक्त आदेश का पालन कब तक सुनिश्चित कर लिया जायेगा?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ।

जी हाँ।

संबंधित चकों की पैमाइश दिनांक 26-4-95 को पुनः कराकर चकदारों को कब्जा दिला दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में गंगोली हाट, पठखाखार चौरपाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण न होने के कारण की जानकारी

35 श्री अखिलेश सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट, पठखाखार-चौरपाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने के संबंध में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8 बी०/09/696/94/एफ०सी०सी०/1347, दिनांक 16-9-1994 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में वांछित सूचना अभी तक न भेजे जाने के क्या कारण है? क्या इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यह मामला कब तक निस्तारित किया जायेगा?

श्री राम लखन वर्मा–

जी हाँ

पत्र में वांछित सूचना अधि० अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बेरीबाग, पिथौरागढ़ से प्रतीक्षित है। विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही के लिये निर्देश दे दिये गये हैं।

यथाशीघ्र।

जनपद बांदा निवासी श्री शिवभूषण वर्मा का प्रभागीय वन अधिकारी को प्रेषित शिकायती पत्र

36 श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांकित 20-11-1994 का पत्र संख्या क। नं० 491149 श्री शिवभूषण वर्मा (जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति एवं जनजाति मोर्चा भा०ज०पा०) निवासी जनपद बांदा का संलग्न प्रार्थना-पत्र प्रभागीय वन अधिकारी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच कराकर कार्यवाही कर दी गयी है? यदि नही, तो क्यों?

श्री राम लखन वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के तहसील सदर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के निवासियों को पट्टे आवंटित कर कब्जा दिलाने की मांग

37 श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के सदर तहसील में आने वाले ग्रामों में किन-किन

ग्रामों के पट्टे आवंटित कर कब्जा दिलाया गया? क्या यह सही है कि ग्राम विशुनपुर में वर्ष 1992 में लाभार्थियों को पट्टा दिये गये थे परन्तु परगनाधिकारी उन्नाव द्वारा पट्टों का वितरण अभी तक नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या दोषी अधिकारी व कर्मचारी पर कार्यवाही होगी?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जनपद उन्नाव के सदर तहसील के अन्तर्गत कुल 301 ग्राम हैं जिनमें से 264 ग्रामों में योजना प्रारम्भ होने से अब तक 13557 लाभार्थियों को कृषि भूमि का आवंटन किया गया। उक्त सभी आवंटियों को स्थलीय कब्जा एवं पट्टे भी उपलब्ध करा दिये गये हैं।

ग्राम विशनपुर नाम का कोई राजस्व ग्राम तहसील उन्नाव में नहीं है। गोड़वा विशनपुर नाम के राजस्व ग्राम में वर्ष 1992 में कोई भी कृषि भूमि आवंटन प्रस्ताव भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा नहीं किया गया और न ही तहसील द्वारा किया गया अतः दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

सहायक विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्रों से प्राप्त परीक्षा शुल्क की वापसी के सम्बन्ध में जानकारी

38 श्री अफजाल अंसारी–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि सहायक विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु माह मई, 1989 में (परीक्षा शुल्क-रु० 40/–सहित) आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे? यदि हां, तो क्या उक्त पदों पर नियुक्तियां कर ली गई हैं? यदि नहीं, तो क्या शासनादेश सं०-3885/ स्पे० कम्पो० /26-3-89 दि० 23-10-89 द्वारा परीक्षा शुल्क वापसी के आदेश के बावजूद भी अभी तक अभ्यर्थियों को शुल्क वापस नहीं किया गया है? यदि हां, तो आवेदन पत्र तथा शुल्क ब्याज सहित अभ्यर्थियों को कब तक वापस किया जायेगा? क्या वापसी के लिये जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्री रामपाल–

जी हाँ। सहायक विकास अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति पर शासन द्वारा रोक लगाये जाने के फलस्वरुप नियुक्ति नहीं की गयी है और इस भर्ती के संबंध में लिये गये परीक्षा शुल्क आदि की जांच मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें द्वारा करायी जा रही है जिसकी जांच रिपोंट प्रतीक्षित है। जांच रिपोंट प्राप्त होने पर दण्डात्मक आदि कार्यवाही किये जाने पर निर्णय लिया जायेगा।

जनपद सीतापुर में राजस्व निरीक्षकों के पदों के सम्बन्ध में जानकारी

39 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सीतापुर में राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों के सभी राजस्व निरीक्षक अपने–अपने मुख्यालयों पर ही रहते हैं अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों की संख्या तथा तहसीलदार क्षेत्रों के मुख्यालयों के नाम एवं जिले में जितने राजस्व क्षेत्र हैं, क्या उन सभी पदों पर निरीक्षक उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो कितने कम हैं? उनकी पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जनपद के राजस्व निरीक्षक अपने-अपने मुख्यालयों पर ही रहते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद में राजस्व निरीक्षकों के 47 क्षेत्र अनुमोदित हैं। सीतापुर, मिश्रिख, सिधौली, बिसवाँ, लहरपुर, महमूदाबाद तहसील क्षेत्रों की सूची संलग्न है। राजस्व निरीक्षकों के 29 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 5 नियमित राजस्व निरीक्षक तथा स्थानीय व्यवस्था में 7 स्थानापन्न राजस्व निरीक्षक कार्यरत हैं एवं 17 रिक्त हैं। रिक्त पदों की तत्काल पूर्ति हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ--127---पर)

जनपद वाराणसी स्थित ग्राम असिला पिंडरा, पो० पिंडरा थाना फूलपुर के श्री शुद्धू यादव पुत्र श्री अमरनाथ यादव को विकलांग पेंशन दिये जाने की मांग

40 श्री ऊदल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शुद्धू यादव पुत्र अमर नाथ यादव, गांव असिला पिंडरा, पो पिंडरा, थाना फूलपुर जिला–वाराणसी जन्म से दोनों आंख से अन्धा है और विकलांग पेंशन हेतु जिला समाज कल्याण विभाग वाराणसी को दिनांक 11-2-93 को प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हां, तो अब तक विकलांग पेंशन मंजूर की गयी कि नहीं? क्या सरकार इसकी जांच कराकर इस दोनों आंख के अंधे शुद्धू यादव को पेंशन देने की कृपा करेगी?

श्री श्री रामपाल–

जी हाँ।

विकलांग भरण–पोषण अनुदान स्वीकृत कर दिया गया है।

श्री शुद्धू यादव को दिनांक 1-4-94 से विकलांग भरण पोषण अनुदान स्वीकृत कर चेक संख्या 121471 दिनांक 8-6-95 द्वारा भुगतान किया जा चुका है।

जनपद रायबरेली के अन्तर्गत महराजगंज तहसील के सभी विकास खण्डों में समन्वित बाल विकास परियोजना को लागू किये जाने की जानकारी

41 श्री राजाराम त्यागी–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि रायबरेली जनपद के अन्तर्गत महराजगंज तहसील में आने वाले सभी विकास खण्डों में समन्वित बाल विकास परियोजना की योजना लागू है? यदि हाँ, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सभी विकास खण्डों में यह योजना लागू की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्री रामपाल–

जनपद रायबरेली की महराजगंज तहसील के अन्तर्गत आने वाले तीन विकास खण्डों में से दो विकास खण्ड बछरावां एवं महराजगंज में समेकित बाल विकास योजना वर्ष 1982-83 से संचालित है।

विकास खण्ड शिवगढ़ में परियोजना संचालित नहीं हो सकी है। क्योंकि भारत सरकार द्वारा इसे चयनित नहीं किया गया है।

भारत सरकार से स्वीकृति पर निर्भर करेगा क्योंकि किसी विकास खण्ड में परियोजना के संचालन हेतु विकास खण्डों का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार का कोई अभिमत प्राप्त नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व विभाग के अन्तर्गत खतौनी में जाली इन्द्राज करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

42 श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के तीसरे गुरुवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न संख्या-32 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि खतौनी में जाली इन्द्राज किसके द्वारा किये गये हैं? क्या जाली इन्द्राज करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

खतौनी में जाली इन्द्राज तत्कालीन लेखपाल श्री वित्तरदीन मिश्र द्वारा किये गये थे।

सिविल सर्विस रेगुलेशन की धारा-351 ए के अन्तर्गत सेवा निवृत्त कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सेवा निवृत्ति के 4 वर्ष के भीतर ही चलाई जा सकती है। चूंकि श्री वित्तरदीन मिश्र दिनांक 31 जुलाई 1990 को

सेवा निवृत्ति हो गये थे इसलिये उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सम्भव नहीं थी। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध थाना जामों में दिनांक 30 जून, 1995 को धारा 419/420 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रथम सूचना दर्ज करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व विभाग के अन्तर्गत तहसील में अभिलेखों के अनुरक्षण का दायित्व तथा अभिलेखों में इन्द्राज करने के अधिकार की जानकारी–

43 श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के पांचवें गुरुवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न संख्या-31 के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या तहसील में नियमानुसार अभिलेखों के अनुरक्षण के दायित्व का निर्धारण एवं कार्य का आवंटन किया जाता है? क्या तहसील कर्मियों के अतिरिक्त लाभार्थी द्वारा स्वयं इन्द्राज किये जाने की छूट प्रदान की गयी है? क्या संदर्भित तहसील में अभिलेखों के अनुरक्षण का दायित्व तथा अभिलेखों में इन्द्राज करने का अधिकार, किसी व्यक्ति को सौंपा गया था? यदि हां, तो किसे? अभिलेखों में हेराफेरी होने पर नियमानुसार उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही किस अधिकारी के द्वारा सुनिश्चित की गयी है? क्या संदर्भित प्रकरण में इस तथ्य की छानबीन की गयी? प्राथमिकी में अब तक की जांच से क्या निष्कर्ष निकलता है?

श्री राजेन्द्र कुमार–

तहसील में अभिलेखों के अनुरक्षण का दायित्व सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो/रजिस्ट्रार कानूनगो का होता है जिनके द्वारा अभिलेखों में स्थानान्तरण आदेश की प्रविष्टियाँ की जाती हैं। लाभार्थी द्वारा अभिलेखों में स्वयं इन्द्राज किए जाने की छूट प्रदान नहीं की गई है। इस प्रकरण में अभिलेखों में जालसाजी कराने के लिये लाभार्थी के विरुद्ध दिनांक 16 फरवरी, 1994 को सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिर्पोट अंकित करा दी गयी थी तथा तत्कालीन लेखपाल को परगनाअधिकारी के आदेश दिनांक 1 मार्च, 1994 द्वारा निलम्बित कर दिया गया था।

लेखपाल श्री अमरनाथ तिवारी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई एवं दो वेतन वृद्धियाँ रोक दी गई हैं तथा जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 10 नवम्बर, 1994 द्वारा लेखपाल को बहाल किया गया है।

प्राथमिकी की विवेचना में अपराध सिद्ध न होने के कारण विवेचन द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 1994 को अन्तिम रिर्पोट लगाकर विवेचना समाप्त की गई।

जनपद सुल्तानपुर की ग्राम सभा मनौली तहसील मु० खाना में अपात्र व्यक्तियों को पट्टा दिये जाने सम्बन्धी श्री नसीम उप प्रधान व अन्य का शिकायती पत्र पर कार्यवाही किये जाने की मांग

44 श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री नसीम उप प्रधान सहित अन्य सदस्यों के बयान हल्फी सहित दिनांक 15 दिसम्बर, 1994 का प्रार्थना पत्र जिसमें ग्राम सभा मनौली तहसील मु० खाना सुल्तानपुर में अपात्रों को पट्टा देने तथा बगैर किसी बैठक के नायब तहसीलदार व तहसीलदार के विपरीत रिपोर्ट के बावजूद पट्टा कर देने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की तथा जांच के बाद कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

दिनांक 15 दिसम्बर, 1994 का पत्र नहीं बल्कि 15 सितम्बर, 1994 का पत्र प्राप्त हुआ था।

उक्त की जांच राजस्व निरीक्षक द्वारा कराई गई। जांच में 10 व्यक्तियों के पट्टे अवैध पाये गये जिसके निरस्तीकरण की कार्यवाही 115 सी के अन्तर्गत कर दी गई।

श्री सीताराम पासी, श्री शिवकुमार मौर्य ग्राम सरमें परगना जामों तह० गौरीगंज जिला–सुल्तानपुर का ग्राम प्रधान व अधिकारियों द्वारा कार्य एवं आवासीय पट्टों के किये जाने में बरती गई धांधली सम्बन्धी शिकायती पत्र

45 श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी, गौरीगंज, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री सीताराम पासी, श्री शिवकुमार मौर्य, ग्राम सरमे, परगना जामों, तहसील गौरीगंज का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ दिनांक 27-8-94 को प्राप्त कराया गया जिसमें ग्राम प्रधान व अधिकारियों द्वारा कृषि एवं आवासीय पट्टों में कोई पात्रता सूची न बनाने, अपात्रों व गांव सभा के प्रधान व सदस्यों के संबंधियों व मृतकों को पट्टा देने तथा शिकायत की खुली जांच न करने व तह० अधिकारियों द्वारा भारी धन उगाही की शिकायती है, प्राप्त हुआ है? क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है? क्या आरोपियों को भी साक्ष्य का अवसर दिया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इसमें अब तक कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर में ग्राम मिश्रौली गौरीगंज निवासी श्री आलमगीर पुत्र दलमत का ग्राम समाज की जलमग्न भूमि को फर्जी आदेश के तहत खाता बनवा लेने सम्बन्धी शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

46 श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कमिश्नर, फैजाबाद व परगनाधिकारी, गौरीगंज, सुल्तानपुर को सम्बोधित क्रमशः दिनांक 8-8-94 व 5-8-94 का पत्र जिसमें श्री आलमगीर पुत्र दलमत ग्राम मिश्रौली गौरीगंज, सुल्तानपुर जिसमें ग्राम मिश्रौली 254 ग 10 नम्बर ग्राम समाज की जलमग्न भूमि को फर्जी आदेश के तहत खाता बनवा लेने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो इसके सबूत क्या आरोपी से मांग कर जांच की गई है? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

श्री आलमगीर एवम् अन्य ग्रामवासी मिश्रौली, परगना अमेठी, तहसील गौरीगंज के द्वारा गाटा संख्या-254 रकबा 10-0-0 पर फर्जी आदेश के तहत खाता बनवा लेने सम्बन्धी शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांकित 4-8-94 आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, व 9-8-94 जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को दिया गया है।

मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा आरोपी को नियमानुसार साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये जांच की गयी। आरोपी से दिनांक 22-8-94 को साक्ष्य मांगा गया, उसने दिनांक 25-8-94 को साक्ष्य दिया।

जनपद सुल्तानपुर के क्षेत्र घाटमपुर, अमेठी के संग्रह अमीन श्री गिरजा शंकर शुक्ला द्वारा किसानों से विभिन्न मदों द्वारा वसूले धन को तत्कालीन अमीन द्वारा हड़प लिये जाने सम्बन्धी शिकायती पत्र पर जांच

47 श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार, अमेठी, जनपद सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री गिरजा शंकर शुक्ला, संग्रह अमीन क्षेत्र घाटमपुर, अमेठी द्वारा दिनांक 23-6-94 को प्राप्त कराया गया प्रार्थना पत्र जिसमें रसीद संख्या–32715/16-9-89 व 5/10-7-87 व 6/22-7-87, 09146--09146 722790/2-6-88, 10/20-11-87, 16/05688/4-8-88, 565619/2-5-85 व 75/30850, 28-7-87, 1/50703, 9-8-90 आदि रसीद द्वारा किसानों से विभिन्न मदों द्वारा वसूले धन को बैंकों में न जमा कर तत्कालीन अमीन द्वारा हड़प करने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की है उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

प्रश्नगत प्रकरण में रसीद संख्या 10/09146, 31/327–115 व 16/02685 के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार अमेठी द्वारा जांच की गई जिसमें श्री वासुदेव यादव संग्रह अमीन को संग्रहीत धनराशि जमा न करने तथा प्रश्नगत रसीद संख्या 16/05688 4–8–88, 565619/2–5–85 की जांच में श्री हौसिला प्रसाद यादव संग्रह अमीन को संग्रहीत धनराशि जमा न करने का दोषी पाया है। उक्त दोनों संग्रह अमीनों के विरुद्ध थाना कोतवाली अमेठी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा कर उन्हें निलंबित कर दिया गया। दोनों संग्रह अमीन गिरफ्तार कर जेल भेजे गये थे जो जमानत पर रिहा हुए हैं। उक्त रसीदों के अतिरिक्त अन्य रसीदों की जांच भी करायी गयी तथा इन सबके संबंध में विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत उक्त दोनों संग्रह अमीनों को आरोप पत्र निर्गत किया जा चुका है जिसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद सुल्तानपुर के तहसील मुसाफिरखाना परगना इसौली स्थित ग्राम सभा सिंहनी की जमीन गाटा सं० 374 पर अवैध कब्जा

48 श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर, तहसील मुसाफिरखाना, परगना इसौली स्थित ग्राम सभा सिंहनी में ग्राम सभा की जमीन गाटा संख्या 374 पर अवैध कब्जा करने के विरुद्ध ग्राम सभा की ओर से मुकदमा सं०-747 तहसील मुसाफिरखाना के न्यायालय में दायर किया गया था और उसका फैसला भी हो चुका है? यदि हां, तो क्या उस फैसले का अनुपालन सुनिश्चित किया जा चुका है? यदि नहीं, तो अब तक अनुपालन न कराये जाने का क्या कारण है और इसके लिये कौन जिम्मेदार है? अनुपालन कब तक सुनिश्चित हो जायेगा?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ।

नहीं।

तहसीलदार मुसाफिरखाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–7–94 के विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा जिला अधिकारी, सुल्तानपुर के न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी वाद संख्या-246 धारा-122 बी (4 ए) में जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सुल्तानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–10–94 के अन्तर्गत तहसीलदार मुसाफिरखाना के उक्त आदेश दिनांक 16–7–94 निरस्त कर दिया गया है तथा वाद पुर्नविचार हेतु तहसीलदार, मुसाफिरखाना के न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर दिया है।

तहसीलदार मुसाफिरखाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–7–94 निरस्त कर दिये जाने के कारण प्रश्नगत आदेश का अनुपालन कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में वृद्धावस्था पेंशन धारकों की संख्या की जानकारी

49 श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में वर्तमान समय में वद्धावस्था पेंशन कितनों को मिल रही है? क्या वर्ष 1990 से जिलाधिकारी के कार्यालय में 20101 नम्बर का वृद्धावस्था प्रार्थना–पत्र जो कि भोला प्रसाद गुप्ता डा० ज्वालादीन नि० मो० खपड़ा मोहाल (कैन्ट), कानपुर का लम्बित है? यदि हां तो उस पर अब तक पेंशन स्वीकृत न होने के कारण क्या हैं?

श्री श्री रामपाल–

कानपुर नगर में 22 जून, 95 तक की स्थिति के अनुसार 11221 वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर की आख्यानुसार प्रश्नगत व्यक्ति का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में खोजबीन के उपरान्त मिल नहीं पाया है। ज्ञातव्य है कि 94–95 से पूर्व वृद्धावस्था पेंशन का कार्य श्रम विभाग द्वारा देखा जाता था।

प्रश्नगत आवेदक से नया आवेदन पत्र भराने का प्रयास किया गया परन्तु वह प्रश्न में दिखाये गये पते पर उपलब्ध नहीं हो पाये।

जनपद सीतापुर में भू-दान यज्ञ द्वारा प्राप्त हुई भूमि के वितरण की जानकारी की मांग

50 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में भू-दान यज्ञ में कुल कितनी भूमि प्राप्त हुई तथा वह किन व्यक्तियों को वितरित की गई? उनके नाम व पते क्या हैं? प्रत्येक को कुल कितनी–कितनी भूमि दी गई है?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जिलाधिकारी सीतापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद सीतापुर में भूदान यज्ञ में कुल 322.61 एकड़ भूमि प्राप्त हुई। जिससे से 249.64 एकड़ भूमि का आवंटन 268 व्यक्तियों में किया गया जिनके नाम व पते तथा प्रत्येक को कुल कितनी–कितनी भूमि दी गयी है उसकी सूची गाटा संख्या/क्षेत्रफल वार संलग्न है।†

जनपद फैजाबाद में ग्राम सभा रोहनपारा, ब्लाक भीटी के ग्राम सभा सदस्य का ग्राम सभा मुकेरीपुर की बंजर भूमि खाता सं० 78 (ख) से संबंधित शिकायती पत्र

51 श्री वासुदेव सिंह तथा श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रोहनपारा, ब्लाक-भीटी, जिला-फैजाबाद के ग्राम सभा सदस्य द्वारा लिखित कोई प्रार्थना पत्र दिनांक 21-12-93 को ग्राम मुकेरीपुर के बंजर भूमि खाता सं० 78 (ख) पूर्वाभाग की सुरक्षा व उसे किसी के नाम न होने विषयक प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मंत्री जी के आदेश सं० 68/जी०एस०एम०जी०, 93-94. दिनांक 21-12-93 तथा राजस्व राज्य मंत्री जी के आदेश सं० 163/जी०एस०एम०/93-94, दि० 21-12-93 द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद को कोई आदेश दिया गया है? यदि हां, तो उक्त अधिकारी द्वारा लिखित रुप में तत्संबंधित पत्र पर कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो फिर कैसे बंजर भूमि की दिशा व स्थान में परिवर्तन कर परगनाधिकारी, अकबरपुर, फैजाबाद ने संवर्भित भूमि को खाता सं० 78 (क) पश्चिमी भाग के खातेदार के नाम कर दिया है? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराते हुए बंजर भूमि खाता सं० 78 (ख) पूर्वी भाग को पूर्ववत् यथा स्थान व दिशा में बने रहने के लिए जनहित में आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद व तह० वाराणसी परगना कोलअसला के कतिपय ग्रामों में मुसहर एवं पासी जातियों की आर्थिक शैक्षिक एवं सामाजिक उत्थान की जानकारी

52 श्री ऊदल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव देवराई, घरसौना, पिंडरा, थाना, करिखियांव, गोढ़िया, बेलारी, झंझौर, अमौल, रघुनाथपुर मंगारी, रामनगर, राजपुर, कोरौता, मसई, शाहपुर धौंधली नहियां, परगना कोलअसला, त० व जिला-वाराणसी में मुसहर एवं पासी जातियों की आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक स्थिति आदि की जांच कराकर उनके उत्थान के लिये कोई योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी?

श्री रामपाल–

मुसहर जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित है। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जो सुविधायें, शासन द्वारा अनुमन्य हैं, वह मुसहर जाति के व्यक्तियों को भी निर्धारित नियमों के अन्तर्गत अन्य अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के समान अनुमन्य हैं।

---

†छापा नहीं गया।

श्री मुन्ने लाल शुक्ला संग्रह अमीन का पेंशन भुगतान सम्बन्धी प्रकरण

53 श्री सुरेश कुमार शर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुन्ने लाल शुक्ला, संग्रह अमीन जिन्होंने दिनांक 1-8-90 को तहसील पुवायां जिला-शाहजहांपुर से अवकाश ग्रहण किया है, को अभी तक पेंशन न दिये जाने का क्या कारण है? क्या इस संबंध में कोई स्थगन आदेश भी जारी है? यदि हां, तो क्यों? पेंशन भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री राजेन्द्र कुमार–

श्री मुन्ने लाल, संग्रह अमीन तहसील पुवायां, जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 29-2-84 के अन्तर्गत सेवाच्युत किये गये थे। उक्त आदेश के विरुद्ध श्री मुन्ने लाल ने मा० लोक सेवा अधिकरण में निर्देश याचिका प्रस्तुत किया, जिस पर लोक सेवा अधिकरण के आदेश दिनांक 25-1-90 द्वारा जिलाधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया गया। प्रश्नगत मामले में मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 25-1-90 के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गयी है।

इस मामले में शासन द्वारा मा० उच्च न्यायालय से दिनांक 28-10-91 को स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। मामला मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है अतः उक्त कर्मचारी को पेंशन आदि, निर्णय से पूर्व दिये जाने का औचित्य नहीं है।

ग्राम सभा गौरा विकास खण्ड व तह० बदलापुर जनपद जौनपुर के गांव गौरा में गाटा सं०-380/0-02 पर श्री शिवशंकर सिंह पुत्र जगरदेव द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटवाने की मांग

54 श्री दिलीप कुमार वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा गौरा, विकास खण्ड–बदलापुर, तहसील-बदलापुर, जनपद जौनपुर के गांव गौरा में गाटा संख्या–380/0-02 पर शिवशंकर सिंह पुत्र जगरदेव का वर्ष 1989 से अवैध कब्जा है? क्या वर्ष 1989 में तहसील शाहगंज/बदलापुर द्वारा अवैध कब्जे के संबंध में जुर्माना किया गया था? यदि हां, तो क्या उन्होंने जुर्माना जमा कर जमीन खाली कर दी है? यदि नहीं, तो इतने वर्ष बीत जाने पर सरकार ने उक्त कब्जाधारी पर धारा-16 बी के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही क्यों नहीं की?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ।

जी हाँ। तहसील बदलापुर द्वारा जुर्माना किया गया था।

जी हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम सभा गौरा विकास खंड व तह० बदलापुर जनपद जौनपुर के गांव गौरा में विभिन्न गाटा संख्याओं पर कतिपय लोगों का अवैध कब्जा तथा जांच की मांग

55 श्री दिलीप कुमार वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा-गौरा, विकास खण्ड-बदलापुर, तहसील-बदलापुर, जनपद-जौनपुर के गांव गौरा में गाटा संख्या-381/0-02 पर बटेश्वर, तेजप्रताप, गाटा संख्या-367/09 पर मिट्ठू सिंह पुत्र रामपाल, गाटा संख्या-226/20 पर एवं सेक्टर 390, 384, 210, 396, 395, 54, 55, 57 जो गांव समाज/चकरोड की भूमि है पर कतिपय लोगों का अवैध कब्जा कई वर्षों से है? यदि हां, तो उक्त अवैध कब्जाधारियों से भूमि बेदखल कराने हेतु कोई वैधानिक कार्यवाही की गयी थी? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी पाये गये व्यक्तियों पर कार्यवाही करेंगे?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी नहीं। केवल भूखण्ड संख्या-226/0.20 पर ही अवैध कब्जा पाया गया।

अवैध रुप से काबिज व्यक्ति की बेदखली का वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद फैजाबाद में गोसाईगंज निवासी श्री विश्वनाथ प्रसाद पुत्र श्री बल्देव प्रसाद को विकलांग पेंशन एवं ट्राईसाईकिल देने का मामला

56 श्री परशुराम यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विश्वनाथ प्रसाद पुत्र बल्देव प्रसाद निवासी गोसाईगंज, जनपद फैजाबाद के विकलांग पेंशन एवं ट्राईसाईकिल दिलाये जाने विषयक प्रार्थना पत्र पर मंत्री जी द्वारा दिनांक 7–11–94 को कोई आदेश समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद को दिया गया है? यदि हां, तो आदेश का पालन अब तक न होने का कारण क्या हैं?

श्री रामपाल–

जी हाँ, किन्तु इसमें ट्राईसाईकिल का उल्लेख नहीं है। संबंधित विकलांग को 100/–रु० पतिमाह की दर से भरण-पोषण अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है।

जनपद महराजगंज के निचलौल क्षेत्र में वन दरोगा स्व० श्री कन्हैया लाल की विधवा पत्नी श्रीमती कलावती को राजकीय सेवा में लिये जाने का मामला

57 श्री परशुराम यादव–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला महराजगंज के निचलौल क्षेत्र में कार्यरत वन दरोगा श्री कन्हैया लाल की राजकीय सेवाकाल में दिनांक 10 मार्च, 1994 को हुयी मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी कलावती द्वारा मृतक आश्रित के रुप में सेवा करने का अवसर दिए जाने के बारे में संबंधित अधिकारियों को कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त विधवा श्रीमती कलावती को विभाग में सेवा का अवसर दे दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

58 श्री ऊदल–

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद सुल्तानपुर में तहसील मुसाफिरखाना परगना इसौली स्थित ग्राम सभा सिंहनी की जमीन गाटा सं० 374 पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में जानकारी

59 श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर, तहसील मुसाफिरखाना, परगना इसौली स्थित ग्राम सभा सिंहनी में ग्राम सभा की जमीन गाटा संख्या-374 पर अवैध कब्जा किये जाने के विरुद्ध ग्राम सभा की ओर से मुकदमा सं० 747 तहसील मुसाफिरखाना के न्यायालय में दायर किया गया था और उसका फैसला भी हो चुका है? यदि हां, तो क्या उस फैसले का अनुपालन सुनिश्चित किया जा चुका है? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ।

जी नहीं।

तहसीलदार मुसाफिरखाना द्वारा पारित आदेश दि० 16-7-94 के विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी संख्या-246 अन्तर्गत धारा 122 बी० (4 ए) में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सुल्तानपुर द्वारा पारित आदेश दि० 21-10-94 के अन्तर्गत तहसीलदार मुसाफिरखाना का आदेश दि० 16-7-1994 निरस्त कर दिया गया तथा वाद पुर्नविचार हेतु तहसीलदार मुसाफिरखाना के न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर दिया गया है, जो अभी विचाराधीन है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-7-94 निरस्त हो जाने के कारण उक्त आदेश का अनुपालन कराए जाने का प्रश्न ही नहीं है।

जनपद फैजाबाद में समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक श्री वी० के० दीक्षित के विरुद्ध वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

60 श्री मित्रसेन यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र श्री जय प्रकाश राय के शिकायती पत्र के साथ जो श्री वी० के० दीक्षित, उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, फैजाबाद की वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के संबंध में था पर मुख्य मंत्री जी के पत्रांक सी एम/विप्र/572/115/पे०/94, दिनांक 15-7-94 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? उक्त संदर्भ में जांच कार्यवाही की रिपोर्ट क्या है?

श्री श्री रामपाल–

श्री वी०के० दीक्षित, तत्कालीन उप निदेशक, फैजाबाद के विरुद्ध प्राप्त उक्त शिकायती पत्र पर अपर निदेशक, समाज कल्याण से प्रारम्भिक जांच करायी गयी। प्रारम्भिक जांच के आधार पर श्री दीक्षित के विरुद्ध आरोप पत्र देकर विधिवत् विभागीय जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

जनपद फैजाबाद में उपनिदेशक समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में अनियमित नियुक्तियों की जांच किये जाने सम्बन्धी शिकायती पत्र

61 श्री मित्रसेन यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र श्री जय प्रकाश राय के संलग्नक शिकायती पत्र जो कार्यालय उप निदेशक, समाज कल्याण, फैजाबाद में अनियमित नियुक्तियों के संबंध में था, पर मुख्य मंत्री जी ने पत्र सं०–सी०एम०/विप्र०/710-133/के०/94, द्वारा दिनांक 3-7-94 को जांच आदेश दिये थे? जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी है तथा जांच कार्यवाही की रिपोर्ट क्या है?

श्री श्री रामपाल–

प्रश्नकर्ता सदस्य का पत्र दिनांक 7-7-94 श्री जय प्रकाश राय के पत्र दिनांक 28-6-94 के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ था, जिस पर सचिव, मुख्यमंत्री द्वारा जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। अपर निदेशक, समाज कल्याण द्वारा प्रारम्भिक जांच की गई प्रारम्भिक जांच के आधार पर तत्कालीन उप निदेशक , समाज कल्याण, फैजाबाद के विरुद्ध आरोप –पत्र देकर विधिवत विभागीय जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

वनों एवं वन सम्पदा की सुरक्षा हेतु वन संरक्षक स्तर के कर्मियों को 315 बोर राइफलों के सम्बन्ध में जानकारी

62 श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेगें कि शासनादेश दिनांक 18-10-93 द्वारा वनों एवं वन सम्पदा की सुरक्षा हेतु 17 वन प्रभागों के वन संरक्षक स्तर को 315 बोर राइफलें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था? क्या ये राइफलें वन रक्षकों को उपलब्ध करा दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–

जी हाँ।

शासनादेश दिनांक 18-10-93 द्वारा वनों एवं वन सम्पदा की सुरक्षा हेतु 17 वन प्रभागों के वन संरक्षक स्तर के कार्मिकों को 315 बोर की राइफल उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया था।

धन की उपलब्धता के आधार पर वर्ष 1993-94 में 138 राइफलें उपलब्ध करा दी गई हैं एवं वर्ष 1994-95 में 205 राइफलें वन रक्षकों को वितरण हेतु क्रय कर ली गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान तथा प्रभावित किसानों को दैवी आपदा राहत कोष से सहायता दिये जाने की मांग

63 श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर में विगत वर्ष ओलावृष्टि से जो खरीफ/ फसल का नुकसान हुआ था, क्या प्रभावित क्षेत्र के किसानों को दैवी आपदा राहत कोष से सहायता दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार-

विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में विगत वर्ष खरीफ फसल पर ओलावृष्टि नहीं हुई थी अतः दैवी आपदा राहत कोष से सहायता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम गहलुईया, तहसील पुवायां में कमजोर वर्गों के लोगों को भूमि आवंटित किये जाने सम्बन्धी जानकारी

64 श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मो० सलीम जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, शाहजहांपुर के पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-2-95 का शाहजहांपुर जनपद में ग्राम गहलुईया में कमजोर वर्ग के लोगों को भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हाँ।

जांचोपरान्त तहसील-पुवायां के ग्राम गहलुईया में यह पाया गया कि ग्राम गहलुईया चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है और धारा-52 का प्रकाशन नहीं हुआ है। चकबन्दी न्यायालयों में अनेकों वाद लम्बित हैं जिसके कारण अन्तिम अभिलेख नहीं बने हैं। फलस्वरूप ग्राम सभा की भूमि की उपलब्धता की पुष्टि न होने की स्थिति में आवंटन नहीं किया जा सका।

बरेली मण्डल में कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा आयुक्त को भेजे गये पत्र के सम्बन्ध में जानकारी

65 श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 14-3-95 का पत्र जो कि आयुक्त, बरेली मण्डल को कब्जा प्रकरण शीघ्र निस्तारण करने के लिए भेजा गया था, प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के श्रीनगर में तहसील स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

66 श्री हरक सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीनगर "गढ़वाल" में तहसील स्थापना के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक तहसील की स्थापना की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ।

प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में कुम्हारी कला से जुड़े कुम्हारों को खदानों से मिट्टी के लिए पट्टा दिये जाने की मांग

67 श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुम्हारी कला से जुड़े कुम्हार सिटी बोर्ड गाजियाबाद की सीमा में रहते हैं? क्या यह सही है कि कर्चला करहेड़ा, सिहारी नूरनगर व सबूदीक नगर में खदानों में मिट्टी उपलब्ध है? यदि हां, तो सरकार नगरीय क्षेत्र में रह रहे कुम्हारों को पट्टा देने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ। प्रश्नगत ग्रामों में कुम्हारी कला हेतु मिट्टी के खदान उपलब्ध नहीं हैं तथा पूर्व में जो खदानें थीं वहाँ औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हो गई हैं। अतः प्रश्नगत क्षेत्र में कुम्हारी पट्टा दिया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर में वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किये जाने का मामला

68 श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में वर्तमान में कितने लोगो को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत है? इन सभी पेंशनार्थियों को कब तक की पेंशन मिल चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी इनके जीवनयापन की कठिनाई को समझते हुये अविलम्ब पेंशन दिये जाने हेतु कोई व्यवस्था करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री रामपाल–

जनपद शाहजहाँपुर में वृद्धावस्था/किसान पेंशन के 14705 स्वीकृति प्राप्त लाभार्थी हैं।

उक्त लाभार्थियों में से 9103 को माह मार्च, 95 तक एवं 4829 को माह सितम्बर, 94 तक का भुगतान किया जा सका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

वृद्धावस्था/किसान पेंशन के लिये अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर विकास खण्ड अमानीगंज के ग्राम सभा पाकड़पुर में तालाब मरघट तथा आबादी की भूमि ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी इन्द्राज कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

69 श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर के विकास खण्ड अमानीगंज के ग्राम सभा पाकड़पुर में तालाब मरघट तथा आबादी की भूमि संख्या 92, 241, 251, 344, 429 की

ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी इन्द्राज अपने व भाई के नाम करा लिया है? यदि हां, तो क्यों? उक्त प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ।

निजी स्वार्थवश तत्कालीन लेखपाल द्वारा ग्राम प्रधान तथा प्रधान के भाई की दूरसंधि से फर्जी आदेश अंकित किया गया था। उक्त फर्जी आदेश परगनाधिकारी, मिल्कीपुर द्वारा दिनांक 3-2-95 को निरस्त कर दिया गया है।

श्री रामचन्द्र सिंह, तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा उनके भाई श्री कृष्ण चन्द्र सिंह व लेखपाल सेवानिवृत्त चन्द्रपाल के विरुद्ध जाल साजी व धोखाधड़ी करने के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना खण्डासा, जनपद फैजाबाद में दिनांक 3-2-95 को दर्ज करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

कमजोर तबके के बैन्ड बाजा बजाने वालों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के सम्बन्ध में जानकारी

70 श्री महेश बाल्मीकि–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बैन्ड बाजा बजाने वाले कमजोर तबके के व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये सरकार कोई कार्य योजना तैयार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामपाल–

डी०आर०डी०ए० एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत संचालित जनपद स्तरीय बैंकेबुल योजनाओं के अन्तर्गत कमजोर तबके के व्यक्तियों (जिसमें बैंडबाजा बजाने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित हैं) के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए, पहले से ही व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर में अस्वच्छ पेशे से जुड़े व्यक्तियों की मुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

71 श्री महेश बाल्मीकि–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्वच्छ पेशे से जुड़े व्यक्तियों की मुक्ति हेतु सरकार द्वारा बनाई गई योजना से जनपद कानपुर में रहने वाले कितने व्यक्ति लाभान्वित हुये हैं?

श्री रामपाल–

स्वच्छकार विमुक्ति योजना के अन्तर्गत कानपुर शहर में 332 व कानपुर देहात में 212 (कुल 544) स्वच्छकार एवं उनके आश्रितों को योजना के प्रारम्भ से अब तक लाभान्वित किया गया है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद वाराणसी के प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की निःशुल्क शिक्षा से हुई क्षति के सम्बन्ध में जांच की मांग

72 श्री ऊदल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की निःशुल्क शिक्षा से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अशासकीय असहायिक जूनियर हाई स्कूलों के आवेदन पत्रों की जांच करके छात्र संख्या सत्यापित नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्षतिपूर्ति संबंधित आवेदन पत्रों की जांच किस विभाग द्वारा की जायेगी क्या मंत्री जी इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देंगे?

श्री श्री रामपाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पड़रौना में ग्राम सबया तह० पडरौना के श्री राम सरीखा पुत्र श्री डोमा की जमीन को गांव के कतिपय लोगों द्वारा कब्जा तथा जांच की मांग

73 श्री रतन लाल अहिरवार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम सरीखा पुत्र श्री डोमा निवासी ग्राम सबया, तहसील व जिला पडरौना ने अपनी जमीन अपने ग्राम के निवासी जगरुपदहारी व शारदा आदि द्वारा कब्जा किये जाने के संबंध में परगनाधिकारी को दिनांक 20-8-94 व जिला अधिकारी, पडरौना को दिनांक 12-8-94 को पत्र दिया था? क्या जिला अधिकारी, पडरौना ने दिनांक 12-8-94 को थानाध्यक्ष को जांच कराकर कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया था? यदि हां, तो थानाध्यक्ष द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्री रामपाल-

जी हाँ।

जी हाँ।

पुलिस व राजस्व अधिकारी द्वारा प्रकरण की जांच कर श्री जगरुप दहारी व शारदा आदि का कब्जा भूमि से हटा कर श्री राम सरीखा को दिला दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में वृक्षारोपण अभियान के दौरान वृक्षारोपण सम्बन्धी समस्त जानकारी की मांग

74 श्री परशुराम यादव–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डलीय वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला फैजाबाद में वृक्षारोपण अभियान के दौरान माह जवनरी, 1994 से नवम्बर, 1994 के बीच शहरी क्षेत्र फैजाबाद सहित जिले के किन–किन स्थानों पर वृक्षारोपण कराया गया? कितने वृक्ष लगाए गए तथा इस कार्य पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है? क्या यह कार्य सरकारी एजेन्सियों द्वारा कराया गया है या स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा? कार्य कराने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को कितनी-कितनी धनराशि इस कार्य के लिए दी गयी तथा उनके द्वारा कहां–कहां वृक्ष लगवाए गए हैं?

श्री रामलखन वर्मा–

मण्डलीय वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला फैजाबाद में वृक्षारोपण अभियान के दौरान माह जनवरी, 1994 से माह नवम्बर, 1994 के बीच केवल शहरी क्षेत्र में ही वृक्षारोपण कराया गया। यह वृक्षारोपण नियांवा चौराहे से गुदड़ी बाजार चौराहा तक, पी०आर०डी० परिसर, स्टेडियम, आकाशवाणी परिसर, कचेहरी वाउण्ड्री तथा एस०पी० चौराहा, मण्डलायुक्त कार्यालय परिसर, सैनिक स्कूल, रमना फारेस्ट कालोनी कैण्ट क्षेत्र, साकेत महाविद्यालय, नवोदय विद्यालय डाभासेमर, राजकीय इण्टर कालेज फैजाबाद, फैजाबाद विकास प्राधिकरण के अधीन पार्क तथा विकास भवन एवं कचेहरी के आस पास किया गया।

कुल 6732 पौध लगाये गये तथा तथा इस कार्य पर कुल 28606.50 पैसे व्यय किये गये।

यह कार्य सरकारी एजेन्सियों तथा विद्यालयों के छात्रों/अध्यापकों के माध्यम से कराया गया।

स्वयंसेवी संस्थाओं को विभाग द्वारा वृक्षारोपण हेतु कोई धनराशि नहीं दी गयी। उनके द्वारा लगाये गये वृक्षों का लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं है।

जनपद वाराणसी के ग्राम बरही नेवादा, परगना पन्द्रह में हुई वृक्षों की अवैध कटाई की जानकारी तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

75 श्री ऊदल–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के छठे गुरु के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–51 के उत्तर के संदर्भ में क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरही नेवादा, परगना पन्द्रह, जि० व तहसील वाराणसी में आ०सं० 1013, 1030, 1036 क, 1023, 1022 पांच गाटा 15 एकड़ भूमि में वन विभाग द्वारा लगाये 16000 वृक्षों के 13 प्रतिशत यानी 2080 वृक्षों में से किन–किन प्रजातियों के कितने पेड़ अवैध कटाई से बच गए हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वृक्षारोपण पर खर्च किये गये रुपये 44835.18 की वसूली हेतु ग्राम पंचायत बरही नेवादा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? क्या अवैध कटाई के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–

(क) प्रश्नगत क्षेत्र में 16000 पौध वर्ष 1986 में लगाये गये थे। गांव सभा को हस्तानान्तरण के समय 9007 वृक्ष जीवित थे। इनमें से अब 2138 पेड़ ही उपलब्ध है। जिनमें प्रोसोपिस के 2092, सिरस एवं कंजी का एक–एक शीशम के 14 तथा बबूल के 30 वृक्ष सम्मिलित हैं।

(ख) वृक्षारोपण पर खर्च की गयी धनराशि रु० 44835.18 पैसे की वसूली हेतु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा जिला प्रशासन को लिखा जा चुका है।

(ग) मामला जिला प्रशासन स्तर पर लम्बित है।

जनपद भदोही में जिला कार्यालयों तथा अन्य भवनों के निर्माण में हुये आंवटित धन के सम्बन्ध में जानकारी

76 श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भदोही जनपद में जिला कार्यालयों के निर्माण हेतु कितना धन दिया गया? क्या कलेक्ट्रेट परिसर में बार तथा विभागीय कार्यालय हेतु भवन निर्माण के लिये धन दिया गया है? यदि हां, तो कितना? क्या भवन मानक के अनुरुप बने हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी?

श्री राजेन्द्र कुमार–

भदोही जिले में जिला कार्यालयों के निर्माण हेतु अभी तक राजस्व विभाग द्वारा कोई धन आंवटित नहीं किया गया है।

जिला बार के सदस्यों के कक्षों के निर्माण हेतु रु० 5,00,000 /– रुपया पांच लाख की धनराशि, मा० मुख्यमंत्री जी के सहायता कोष से स्वीकृत की गयी है।

विभागीय कायालिय हेतु भवन निर्माण हेतु राजस्व विभाग द्वारा अभी कोई धन स्वीकृत नहीं किया गया है।

जिला बार भवन हेतु शासन द्वारा मानक निर्धारित नहीं है। अन्य कोई भवन निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा नहीं दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी द्वारा चयनित लेखपाल अभ्यर्थियों के विनयमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

77 श्री राम आसरे वर्मा–

कया राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थ नगर के जिलाधिकारी द्वारा चयनित लेखपाल अभ्यर्थियों को जो 3 साल से लगातार फेल हुये हैं क्या उनके विनियमितीकरण की कार्यवाही सरकार कर रही है?

यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुये विनियमितीकरण कब तक कर दिया जायेगा?

श्री राजेन्द्र कुमार–

प्रश्नगत विनियमितीकरण का कोई प्राविधान संगत नियमों में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ०प्र० लेखपाल सेवानियमावली, 1958 के प्रस्तर–5 में प्राविधान है कि लेखपाल की सेवा में केवल ऐसे अभ्यर्थी नियुक्त हो सकते हैं, जिन्होंने पटवारी अथवा लेखपाल विद्यालय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो और जिनके नाम उक्त नियमावली के नियम–6 में वर्णित सूची में अंकित कर दिये गये हों। उक्त नियमावली के नियम–6 में केवल ऐसे अभ्यर्थियों की सूची रखे जाने का प्राविधान है जिन्होंने पटवारी अथवा लेखपाल विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अतः तदनुसार अनुत्तीर्ण लेखपालों के विनियमितीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सामयिक संग्रह अमीनों को संग्रह अमीनों के पद पर नियमित किये जाने की मांग

78 श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामयिक संग्रह अमीनों के पद पर 30 मार्च, 1991 तक 4 फसलों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियमित किये जाने हेतु शासन की क्या नीति है? क्या मंत्री जी उक्त पद पर सीधी भर्ती पर रोक लगाते हुये ऐसे व्यक्तियों को संग्रह अमीन पद पर नियमित रूप से नियुक्त करने की कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार–

30 मार्च 1991 के पूर्व चार फसलों में सामयिक संग्रह अमीन के रुप में कार्य करने वाले कर्मचारी को सीधी भर्ती से संग्रह अमीन पद के लिए निर्धारित कोटे के विरुद्ध नियमित करने के लिए उसे प्रतियोगिता परीक्षा में सीधे प्रार्थना पत्र देकर बैठने की एवं सीजनल पद पर भरती के समय निर्धारित शैक्षिक योग्यता की सुविधा उपलब्ध थी। उत्तर प्रदेश कलेक्शन अमीनों की सेवा नियमावली 1974 में वर्ष 1992 के पाँचवें संशोधन द्वारा यह प्राविधान कर दिया गया है कि पैंतीस प्रतिशत रिक्तियाँ ऐसे सीजनल कलेक्शन अमीनों से चयन द्वारा भरी जायेंगी जिन्होंने कम से कम 4 फसलों तक संतोषजनक कार्य किया हो तथा जिनकी आयु उस वर्ष की पहली जुलाई को जिस वर्ष चयन किया जाय, 45 वर्ष से अधिक न हो। नियमों से भिन्न प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ की तहसील घोसी में तहसीलदार द्वारा फर्मों या व्यक्तियों के विरुद्ध वसूली उत्पीड़न कार्यवाही किये जाने के कारण

79 श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंग कि जनपद मऊ में तहसीलदार, घोसी द्वारा अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक किन–किन फर्मों या व्यक्तियों के विरुद्ध वसूली उत्पीड़न कार्यवाही की गयी? इसका कारण क्या था?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जनपद–मऊ की तहसील घोसी में अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक वसूली के सम्बन्ध में उत्पीड़न कार्यवाही के अन्तर्गत 30 व्यक्तियों के विरुद्ध सम्मन, 101 व्यक्तियों के विरुद्ध वारंट तथा 39 व्यक्तियों के विरुद्ध चल व अचल सम्पत्ति की कुर्की तथा 108 व्यक्तियों को हवालात में बन्द रखा गया, क्यों कि इनके विरुद्ध बकाया था

जनपद हरदोई में सीजनल संग्रह अमीन श्री दिवाकर शुक्ल की नियुक्ति संग्रह अमीन के पद पर न किये जाने के कारणों की जानकारी

80 श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-5733/1-7-87-राजस्व-7 दिनांक 28-9-87 के अनुपालन में श्री दिवाकर शुक्ल, सीजनल संग्रह अमीन, तहसील शाहाबाद, जनपद हरदोई की नियुक्ति संग्रह अमीन, के पद पर आज तक न किये जाने के कारण क्या हैं ? क्या यह सही है कि इनसे कनिष्ठ सीजनल संग्रह अमीन की नियुक्ति संग्रह अमीन के पद पर कर दी गई है ? यदि नहीं, तो संग्रह अमीन के पद पर की गई नियुक्ति से संबंधित व्यक्तियों की पूर्व सेवा का विवरण क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

शासना के प्रश्नगत पत्र दिनांक 28.9.87 द्वारा जिलाधिकारी हरदोई को नियमानुसार कार्यवाही करने व कतिपय बिन्दुओं पर सूचना के साथ आख्या भेजने हेतु कहा गया था जिसका उत्तर जिलाधिकारी हरदोई ने दिनांक 14.10.88 को शासन में भेजा। यह उल्लेखनीय है कि सीजनल संग्रह अमीनों की कोई वरिष्ठता सूची नहीं बनायी जाती है, बल्कि अच्छे कार्य के आधार पर उन्हें ए०, बी०, सी०, तीन श्रेणियों में विभाजित करके इन्हें अगले सीजन में कार्य करनें का अवसर दिया जाता है।

अतः किसी कनिष्ठ सीजनल अमीन को श्री दिवाकर शुक्ल के ऊपर रखे जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेन्द्र सिंह गंगवार सेवानिवृत तहसीलदार झांसी के वेतन निर्धारण तथा पेंशन आदि का मामला

81 श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-7-83 को तहसीलदार, झांसी के पद पर से सेनानिवृत्त , श्री नरेन्द्र सिंह गंगवार को दिनांक 1-4-66 से वेतन निर्धारण, पेंशन दिनांक 15-7-80 से 16-9-82 की अवधि का वेतन आदि धनराशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ?यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मा० उच्चतम न्यायालय के स्थगनादेश दिनांक 20-1-81 व अन्तिम आदेश दिनांक 10-4-81 तथा मा० अधिकरण, लखनऊ के आदेश दिनांक 4-7-91 को पेंशन स्वीकृति आदेश का अनुपालन किन परिस्थितियों में नहीं हुआ है ? इसके लिये कौन–कौन उत्तरदायी है व उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

सूचना एकत्र की जा रही है।

82 श्री बालेश्वर त्यागी–

(4 थे शुक्रवार में अता० प्र०सं०-167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद सीतापुर में ग्राम मेमरी, परगना खैराबाद तह० सीतापुर के श्री सैयद मेराजुल हसन के नाम लगान दिये जाने की नोटिस का कारण

83 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मेमरी, परगना खैराबाद, तहसील एवं जिला-सीतापुर में सैयद मेराजुल हसन आदि की जमीन गाटा संख्या 1166/1, 689/4, 1126 तथा 1128 खाता सं०-3 तथा 4 का बैनामा अब प्यारे लाल आदि के नाम हो गया है तथा इसका इन्द्राज खतौनी में भी दर्ज हो गया है ? यदि हां, तो उसका लगान श्री प्यारे लाल आदि से न पड़कर उपरोक्त मेराजुल हसन आदि के नाम लगाने की नोटिस जाने का क्या कारण है ? श्री प्यारे लाल आदि के नाम लगान की नोटिस जाना कब से प्रारम्भ हो जायेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

प्रश्नगत ग्राम के केवल गाटा संख्या 1126 व 1128 का ही बिक्रय श्री मेराजुल हसन आदि द्वारा क्रेता श्री प्यारे लाल आदि के पक्ष में किया गया है जिसका नामान्तरण अभिलेखों में दिनांक 13-4-87 को दर्ज हो चुका है।

श्री मेराजुल हसन को बिक्रीत भूमि के भूराजस्व की नोटिस नहीं भेजी गयी। कुल भूमि के निर्धारित भूराजस्व रु० 96-50/- प्रति वर्ष में से रु० 69=00 कम करके फसली 1394-1401 फसली तक का रु० 27=50 प्रति वर्ष की दर से रु० 220/- एवं नामान्तरण के पूर्व का अवशेष रु० 86/, कुल 306/- मात्र की वसूली की गई है।

श्री प्यारे लाल आदि के पास नियत सीमा से कम भूमि होने के कारण भूराजस्व देय नहीं है। अतः नोटिस भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी बांध से प्रभावित लोगों के नई टिहरी में पट्टे को भूमिधर का अधिकार न दिये जाने का मामला

84 श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध से प्रभावित लोगों को नई टिहरी में पट्टे दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या कारण है कि पट्टा धारक को भूमिधर का अधिकार नहीं दिया जा रहा है?

श्री राजेन्द्र कुमार–

स्थिति यह है कि नई टिहरी में टिहरी जल विकास निगम द्वारा प्लाटों का आवंटन केवल टिहरी शहर के विस्थापित भूमिधर परिवारों को ही किया गया है। नई टिहरी में टिहरी बांध से प्रभावित समस्त लोगों को प्लाट देने का प्राविधान नहीं है। नई टिहरी में आवंटित विस्थापित परिवारों को भूमिधर अधिकार दिये जाने पर निगम द्वारा विचार किया जा रहा है।

जनपद लखनऊ स्थित समाज कल्याण निर्माण निगम लेखराज मार्केट इन्दिरा नगर के विभागीय अनुरक्षण मुख्यालय पर विभिन्न मदों में खर्च हुये व्यय की जानकारी

85 श्री ओम प्रकाश पासवान तथा श्री आनन्द यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण निर्माण निगम लेखराज मार्केट, इन्दिरा नगर, लखनऊ के विभागीय अनुरक्षण मुख्यालय पर विगत चार साल से कितना रुपया किस–किस मद पर व्यय किया गया? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि निगम में मुख्यालय पर महाप्रबन्धक (प्रशासन), सहायक महाप्रबन्धक तथा प्रबन्ध निदेशक के कक्ष को नये सिरे से सजावट कराने में कितना रुपया व्यय किया है? क्या प्रबन्ध निदेशक के कमरे की सजावट में परिवर्तन स्वरुप लाखों रुपयों का सरकारी धन अनावश्यक रुप से व्यय करके सरकार की नीतियों के विरुद्ध कार्य करने वाले तथा निगम को घाटे की ओर से जाने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों को सरकार दण्डित करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामपाल–

उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०, लेखराज मार्केट, इन्दिानगर स्थित मुख्यालय के अनुरक्षण पर विगत चोर वर्ष वर्ष (90 91 से 93-94) में विभिन्न मदों में निम्नानुसार व्यय हुआ है:–

मद	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
विविध व्यय	1,77,046.00	1,71,156.00	2,85,680.00	1,51,998.00
कार्यालय रखरखाव	1,74,403.00	2,04,140.00	2,86,739.00	3,48,784.00
उपकरणों की मरम्मत	53,897.00	67,189.00	88,976.00	37,359.00
योग–	4,05,346.00	4,42.485.00	6,61,395.00	5,38,141.00

निगम मुख्यालय स्थित महाप्रबन्धक (प्रशासन) के कक्ष में वर्ष 1991-92 से 94-95 के मध्य नये सिरे से सजावट का कोई कार्य नहीं कराया गया है। फलस्वरुप उस पर व्यय होने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। निगम में सहायक महाप्रबन्धक का कोई पद स्वीकृति नहीं है। निगम में प्रबन्ध निदेशक के कक्ष के नवीनीकरण का कार्य वर्ष 1991-92 में कराया गया था जिसमें साज-सज्जा एवं कक्ष के नवीनीकरण में कुल रु० 69,614.48 का व्यय हुआ है।

निगम का कार्यालय लेखराज मार्केट में स्थित भवन में वर्ष 1985-86 में स्थापित किया गया था तथा प्रबन्ध निदेशक के कक्ष के नवीनीकरण व साज-सज्जा का कार्य वर्ष 91-92 में किया गया है, जो इतने अन्तराल में आवश्यक हो गया था। अतएव उक्त कार्य कराया गया।

चूंकि कार्य आवश्यकतानुसार ही किया गया था अतएव अधिकारियों को दण्डित किये जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि निगम 1981 से निरन्तर लाभ की स्थिति में है। अतः घाटे का प्रश्न ही नहीं होता है।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल के कैवट मोहल्ला के लोगों को मछली पकड़ने के लिए स्थायी पट्टे दिये जाने की मांग

86 श्री हरक सिंह रावत-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि कैबट मोहल्ला श्रीनगर "गढ़वाल" की जनता की रोजी रोटी अलकनन्दा नदी से मछली पकड़ने से चलती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन गरीबों को मछली मारने के स्थाई पट्टे निर्गत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

प्राप्त सूचनानुसार अलखनंदा नदी में मछली पकड़ने हेतु अभी तक श्रीनगर स्थित केवट मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति विशेष को मछली मारने का न तो परमिट जारी किया गया और न ही स्थायी पट्टे निर्गत करने का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है।

जनपद आजमगढ़ के थाना तहबरपुर में ग्राम जमालपुर काजी स्थित हरिजन आबादी से अवैध कब्जे हटाये जाने सम्बन्धी आदेश

87 श्री विश्राम सिंह यादव-

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ थाना तहबरपुर, ग्राम जमालपुर काजी गाटा संख्या 276 रकबा 100 कड़ी हरिजन आबादी से अवैध कब्जे को हटाने के लिये ए०डी०एम० (प्रशासक) का आदेश दिनांक 9-12-94 थानाध्यक्ष, तहबरपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कब्जा हटवाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम सभा मलहिया जनपद पडरौना में दिये गये फर्जी पट्टो को निरस्त किया जाना

88 श्री तेजभान सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मलहिया जनपद पडरौना में विगत 10 वर्षो में कितने पट्टे किये गये हैं ? इनमें से कितने ऐसे व्यक्तियों को पट्टे किये गये जो उक्त सभा के मूल निवासी नहीं है ? क्या ऐसे फर्जी पट्टों को निरस्त किया जायेगा जो दूसरे ग्राम सभा के लोगों के नाम किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

प्रश्नगत ग्राम में दिनांक 6 12-90 को 12 पट्टे कृषि के प्रयोजन हेतु किये गये। ऐसे किसी व्यक्ति का पट्टा नहीं किया गया जो ग्राम सभा का निवासी न हो।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पो० बेहदरकला थाना कासिमपुर जनपद हरदोई के श्री राजेन्द्र चौरसिया का श्री बाबू लाल द्वारा जन मार्ग अवरुद्ध किये जाने सम्बन्धित शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

89 श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 7–10–94 के साथ संलग्न ग्राम/पोस्ट-बेंहदरकलां, थाना-कासिमपुर जनपद-हरदोई के श्री राजेन्द्र चौरसिया आदि का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो परगना मजिस्ट्रेट, संडीला के आदेश दिनांक 2–8–85 एवं आदेश दिनांक 30–10–87 के अनुपालन में पुनः जनमार्ग को अवरुद्ध करने वाले व्यक्ति श्री बाबू लाल के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मुख्य मंत्री जी मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर बार–बार जनमार्ग को अवरुद्ध करने वाले व्यक्ति श्री बाबू लाल के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करने के आदेश देंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी नहीं।

श्री राम आसरे वर्मा, विधायक के पत्र दिनांक 7–10–94 के साथ यर्वश्री चौरसिया आदि का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है।

श्री बाबूलाल द्वारा किये गये कथित अवैध कब्जे को हटवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विधवाओं को विधवा पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

90 श्री सत्य प्रकाश विकल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस समय कुल कितनी विधवा पेंशन धारक हैं ? क्या सभी जनपदों में प्राप्त नये आवेदन पत्रों को भी स्वीकृत करके उन्हें पेंशन का भुगतान किया जा रहा है यदि हां तो क्या आगरा महानगर व जनपद में सभी विधवा लाभर्थियों को पेंशन का नियमित भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्री रामपाल–

विधवा भरण पोषण अनुदान से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या मृत्यु, अपात्रता, एवं नवीन स्वीकृतियों के कारण बदलती रहती है। अतः बिना एक निश्चित तिथि निर्धारित किये इन लाभार्थियों की वास्तविक संख्या बताना संभव नहीं है।

निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्ध बजट के अधीन नये आवेदन पत्रों पर भरण–पोषण अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया जा रहा है।

चार सौ तीन निराश्रित विधवाओं का संसाधन की कमी से छमाही भुगतान अवशेष है। शेष का भुगतान नियमित रुप से हो रहा है।

संसाधन की कमी के कारण।

प्रदेश के कतिपय जनपदों में वृद्धावस्था पेंशनधारकों को नियमित पेंशन भुगतान न किये जाने के कारणों की जानकारी

91 श्री सत्य प्रकाश विकल–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है ? क्या यह सही है कि अनेक जनपदों में वृद्धावस्था पेंशन धारकों को पेंशन का नियमित भुगतान नहीं हो रहा है व नये प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्री रामपाल–

वृद्धावस्था पेंशन से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या मृत्यु, अपात्रता एवं नवीन स्वीकृतियों के कारण बदलती रहती है। अतः बिना एक निश्चित तिथि निर्धारित किये इन लाभार्थियों की वास्तविक संख्या बताना सम्भव नहीं है।

वित्तीय संशाधन की कमी के कारण देयता के अनुरुप धनराशि की व्यवस्था समय से न हो पाने के कारण पेंशन धारकों को नियमित भुगतान नहीं हो सका है।

निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक नये आवेदन पत्रों की स्वीकृति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

92 श्री रंगनाथ मिश्र–

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

जनपद गोण्डा में वन सम्पदा जांच के दौरान दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

93 श्री घनश्याम शुक्ला–

प्रथम सत्र, 1994 के सातवें गुरुवार के अता० प्रश्न सं०-52 के उत्तर के संदर्भ में क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन सम्पदा की गोण्डा जनपद के जांच के आदेश निर्गत किये गये थे ? क्या सरकार ने उच्च अधिकारियों को भेजकर प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराई ? जांच में कौन–कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये ? क्या सरकार दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामलखन वर्मा–

जी हाँ।

जी हाँ।

जांच में प्रभागीय वनाधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन रेंजर, वन विद व वन रक्षक तक के कर्मचारी/अधिकारी प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के कौड़िया रेंज की जाफराबाद बीट के कुछ कंपार्ट में शीशम के पेड़ों के अवैध कटान से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

94 डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि बिजनौर वन प्रभाग के कौड़िया रेंज की जाफराबाद बीट के कंपार्ट नं०-3, 6, 8, और 9 से लगभग तीन सौ पेड़ शीशम के अवैध रुप से काटे गये हैं ? क्या इसी प्रकार से कोटद्वार से नजीबाबाद मोटर मार्ग के कि० मी० 8 से 9 के बीच दोनों ओर शीशम के पेड़ों को काटा गया है ? यदि हाँ, तो इनके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं ? क्या इन पर शासन कार्यवाही करेगा ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामलखन वर्मा–

बिजनौर वन प्रभाग की कौड़िया रेंज की जाफराबाद बीट में कम्पार्टमेन्ट संख्या-3, 6, 8, व 9 में तीन सौ पेड़ शीशम का अवैध कटान नहीं हुआ है, मात्र छिटपुट रुप से शीशम का अवैध पातन प्रकाश में आया है।

जी नहीं।

दोषी प्रतीत होने वाले सेक्सन प्रभारी, बीट प्रभारी तथा वन दरोगा के विरुद्ध जांच प्रगति में है।

जनपद हरदोई के ग्राम गुलामऊ परगना बावन तह० हरदोई की डा० अम्बेदकर व भगवान बुद्ध का चबूतरा बने ऊसर भूमि में वन विभाग द्वारा गड्ढे खोदकर पेड़ लगवाने सम्बन्धी, ग्राम वासियों द्वारा शिकायती पत्र पर कार्यवाही किये जाने की मांग

95 श्री तेजभान सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गुलामऊ, परगना बावन, तहसील व जिला-हरदोई के निवासियों ने दिनांक 11-3-95 को इस आशय को कोई प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी, हरदोई को दिया है कि उनके ग्राम की ऊसर भूमि संख्या 501 जिसमें डा० अम्बेदकर व भगवान बुद्ध का चबूतरा बना है वन विभाग द्वारा गड्ढे खोद कर पेड़ लगवाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

ग्राम गुलामऊ निवासियों का प्रार्थना पत्र दिनांक 11-3-95 जिलाधिकारी हरदोई के माध्यम से प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग, हरदोई को प्राप्त नहीं हुआ बल्कि गुलामऊ ग्रामवासी श्री बनवारी लाल का मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 10-1-95 जिला अधिकारी, हरदोई के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

डा० अम्बेदकर व बगवान बुद्ध के चबूतरे के चारों ओर ग्रामवासियों की सहमति से पर्याप्त क्षेत्र छोड़ दिया गया है तथा उस स्थान के सौन्दर्यीकरण करने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्व परिषद में किसानों के बही/जोतबही की छपाई से सम्बन्धित प्रकरण

96 श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि लगभग 12 करोड़ रुपया किसान के बही/जोतबही की छपाई में बचाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 21-4-94 का पत्र उन्हें मिला था, जिसमें किसान बही को 80 पैसा कम में अलीगढ़ की फर्म से कराने का प्रस्ताव था ? सरकार ने इस प्रस्ताव को क्यों स्वीकार नहीं किया ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ।

प्रश्नगत पत्र सचिव, राजस्व परिषद को आवश्यक कार्यवाही हेतु मूलरुप में भेज दिया गया था किन्तु राजस्व परिषद में पत्र उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके कारण माननीय सदस्य से संदर्भित पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

97 श्री राजकुमार शिवहरे–

[उसरे गुरुवार के लिए स्थगित]

जनपद बांदा में कलेक्ट्रेट के स्व० श्री कन्धई प्रसाद खरे के आश्रित पुत्र लोकेश कुमार खरे को सेवा में न लिये जाने के कारणों की जानकारी

98 श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बांदा में कलेक्ट्रेट में बस्ती वरदान के पद पर स्व० श्री कन्धई प्रसाद खरे निवासी कैलाशपुरी, बांदा के मृतक आश्रित पुत्र श्री लोकेश कुमार खरे की शैक्षिक योग्यता के आधार पर सेवा में लिये जाने हेतु कोई पत्र दिनांकित 27-10-1994 जिलाधिकारी, बांदा को पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो संदर्भित मृतक आश्रित को सेवा में अब तक न लिये जाने के क्या कारण है?

श्री राजेन्द्र कुमार–

श्री लोकेश कुमार खरे पुत्र स्व० श्री कंधई प्रसाद खरे निवासी कैलाशपुरी, बांदा का प्रार्थना पत्र दिनांक 28-10-94 प्राप्त हुआ था।

स्व० श्री कंधई प्रसाद खरे दफ्तरी, कलेक्ट्रेट बांदा का निधन उनकी सेवाकाल में दिनांक 29-6-73 को हुआ था और उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 दिनांक 21-12-1973 से लागू मानी गई है। अतः श्री लोकेश कुमार खरे को मृतक आश्रित का लाभ अनुमन्य नहीं है।

जनपद बांदा की तहसील बबेरु में कार्यरत प्रमाण पत्र लिपिक को अनियमितताओं के निमित्त दण्डित न किये जाने के कारणों की जानकारी की मांग

99 श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील बबेरु में कार्यरत प्रमाण–पत्र लिपिक के द्वारा आय एवं प्रमाण पत्र देने में भ्रष्टाचार के विरुद्ध तहसील बबेरु के निवासियों के शिकायती–पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्रांक-ग नं०-491146, दिनांकित 20-11-94 जिलाधिकारी, बांदा को प्राप्त होने के बावजूद संदर्भित लिपिक को उक्त अनियमितताओं के निमित्त दण्डित न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार–

मा० विधायक का पत्रांक नवम्बर 491146 के बजाए 491147 दिनांक 20-11-94 प्राप्त हुआ जिसके आधार पर प्रमाण पत्र लिपिक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के संबंध में नायब तहसीलदार से जांच कराई गई। जांच में आरोप निराधार पाए गए। अतः प्रमाण पत्र लिपिक को दण्डित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बांदा की तहसील व परगना बबेरु के ग्राम कैरी में नियुक्त लेखपालों द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने की मांग

100 श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के तहसील व परगना बबेरु के ग्राम कैरी में नियुक्त वर्तमान लेखपाल अश्वनी कुमार व धीरेन्द्र कुमार के द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-11-94 जिलाधिकारी, बांदा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो संदर्भित प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां।

प्रश्नगत मामले की जांच के उपरान्त ग्राम कैरी में नियुक्त लेखपाल श्री अश्वनी कुमार एवं श्री धीरेन्द्र कुमार का स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा उन्हें कठोर चेतावनी भी दे दी गई है।

जनपद बांदा तहसील अतर्रा मौजा धरैन की चकबन्दी का अधिनियम धारा-52 में प्रकाशन सम्बन्धी जानकारी

101 श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बांदा तहसील अतर्रा, मौजा धरैन की चकबन्दी को अधिनियम धारा–52 के प्रकाशन हेतु चकबन्दी अधिकारी, बांदा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 1981 पत्रांक 1098 चकबन्दी निदेशालय को भेजा गया था ? क्या उक्त ग्राम का धारा–52 में प्रकाशन हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार विलम्ब के लिये उत्तरदायी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ, उक्त ग्राम की विज्ञप्ति चकबन्दी निदेशालय के पत्र संख्या-579 जी०-151/74 के सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है तथा निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को शीघ्र प्रकाशन हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

उक्त ग्राम के धारा–52 के प्रकाशन की कायविाही में विलम्ब होने के कारणों का परीक्षण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के चकबन्दी विभाग में अनुसूचित जाति के रिक्त कोटे में कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सम्बन्धी जानकारी

102 श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि चकबन्दी आयुक्त उ०प्र० के पत्र संख्या-18923 ई०–329/91 दिनांक 25 दिसम्बर, 1992 के अनुसार बांदा जनपद के चकबन्दी विभाग में अनुसूचित जाति के रिक्त कोटे में कनिष्ठ लिपकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु जिलाधिकारी, बांदा द्वारा दिनांक 27-07-92 को अनुमोदित अभ्यर्थियों की सूची बनायी गयी है जिसमें से अनुमोदित सूची के क्रमाक 1 व 2 की नियुक्ति की जा चुकी है ? किन्तु अन्य चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अब तक नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी चयनित सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों के अन्य विभागों में सेवारत होने के कारण उपलब्ध न होने की दशा में प्रतीक्षा सूची के उपलब्ध अभ्यर्थियों की नियुक्ति करके सेवा का अवसर प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी नहीं।

चकबन्दी आयुक्त, के पत्र दिनांक 10–10–91 के अनुसार जनपद बांदा में कनिष्ठ लिपिकों के पदों हेतु 5 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया था जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी, बांदा द्वारा दिनांक 27–7–92 को किया गया। चयनित 5 अभ्यर्थियों में से क्रमांक 1 व 2 की नियुक्ति की जा चुकी है।

क्रमांक 3 अंकित श्री लल्लू राम पुत्र श्री जगमोहन को भी नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। क्रमांक 4 व 5 की नियुक्तियां शेष रह गई थी, क्योकि इस बीच नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई थी।

शेष 2 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु नियमानुसार सवर्ग में रिक्त होने पर कार्यवाही की जायेगी। सम्बंधित अधिकारी को नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही करने के लिये निदेर्शित भी कर दिया गया है। चयनित सूची के साथ कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनायी गई है, अतः प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में चकबन्दी लागू किये जाने सम्बन्धी जानकारी

103 श्री हरक सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी गढ़वाल में चकबन्दी शुरु करने का सरकार का कोई विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां। प्रयोग के तौर पर जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील पौड़ी के 7 ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें लागू करने हेतु उन्हें उ०प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–4 (2) के अन्तर्गत विज्ञप्ति किया जा चुका है और विभागीय विज्ञप्ति संख्या-9401/ जी-102/91, 4-9-91 सरकारी गजट में दिनांक 23-11-91 को प्रकाशित हो चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में रिहन्द बाध निर्माण से विस्थापित व्यक्तियो को पट्टे पर दी गई भूमि से मालिकाना हक से वंचित किये जाने सम्बन्धी जानकारी

104 श्री राज–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोनभद्र जनपद में रिहन्द बांध के निर्माण से विस्थापित हुये व्यक्तियों को बसाने व खेती करने के उद्देश्य से दुद्धी तहसील में चैनपुर बड़होर, बभनी (दरनखाड़) आदि ग्रामों की भूमि पट्टे पर दी गई है ? क्या यह सही है कि कि पट्टा प्राप्ति की तिथि से आज तक उस भूमि पर मकान, कुआं, तालाब आदि बना लेने, बाग लगा लेने लगातार खेती करने के बाद बी उन्हें कैमूर सर्वे एजेन्सी द्वारा की जा रही रिकार्ड आपरेशन की कार्यवाही के दौरान मालिकाना हक से वंचित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सम्बन्धित पट्टेदारों को पर्ची दी गयी ? यदि नहीं, तो पट्टे प्राप्त भूमि पर पट्टेदारों को स्वामित्व किस आधार पर प्राप्त होगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जनपद सोनभद्र, तहसील-दुद्धी के ग्राम चैनपुर छोड़कर बड़होर, बभनी (दरनखाड़) रिहन्द बांध के निर्माण से विस्थापित हुए व्यक्तियों को भूमि का पट्टा देकर बसाया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से गठित कैमूर सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त एजेन्सी द्वारा सर्वे के उपरान्त नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 की ही भूमि पर काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार उनके कब्जे के आधार पर प्रदान किये जा रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं भारतीय वन अधिनियम की धारा-20 की विज्ञप्ति के अन्तर्गत सुरक्षित वन भूमि पर नियमानुसार स्वत्वाधिकार नहीं प्रदान किया जा सकता और न उसमें उकत एजेन्सी द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया का कार्य ही किया जा रहा है।

भारतीय वन अधिनियम की धारा–20 के अन्तर्गत विज्ञापित भूमि वन भूमि है, जिस पर नियमानुसार किसी प्रकार का स्वत्वाधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता और न ही पर्ची दी जा सकती है केवल भारतीय वन अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञापित वन भूमि पर ही पट्टेदारों को स्वत्वाधिकार प्रदान किया जा सकता है और पर्ची दी जा सकती है। तद्नुसार स्वत्वाधिकार प्रदान किया जा रहा है और पर्ची भी प्रदान की जा रही है।

जनपद आगरा व आगरा महानगर में वन विभाग की भूमि से अनधिकृत कब्जा हटवाने की मांग

105 श्री रमेश कान्त लवानियां–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर व आगरा जिले में वन विभाग की कितनी भूमि पर

अनाधिकृत कब्जा है? अनाधिकृत कब्जा को हटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्री रामलखन वर्मा–

आगरा महानगर व आगरा जिले में वन विभाग की 39.65 हे० भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है।

अनाधिकृत कब्जे को हटाने के लिए 36 केस विभिन्न न्यायालयों के अन्तर्गत दाखिल किये गये है। 7 केसों में निहित कब्जा खाली कराने के लिए उ०प्र० सार्वजनिक भू–गृहादि निष्कासन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये है।

जनपद आगरा में लोगों को दिये जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन तथा भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

106 श्री रमेशकानत लवानियां–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर व जिले में कितने लोगों को विधवा व वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है? क्या इनकी पेंशन का भुगतान किया जा रहा है?

श्री श्री रामपाल–

आगरा महानगर में 2088 विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान तथा 1933 वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है तथा जिले में 4611 विधवाओं को भरण–पोषण अनुदान एवं 7061 वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है।

निधारित लक्ष्य तथा उपलब्ध बजट के अधीन भरण–पोषण अनुदान/पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

जनपद सुलतानपुर में समाज कल्याण विभाग में कार्यरत श्री वशीर अहमद द्वारा चार्ज न दिये जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

107 श्री तेजभान सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–सुल्तानपुर में समाज कल्याण आफिस में कार्यरत कर्मचारी श्री वशीर अहमद का स्थानान्तरण 1990 के पूर्व हो गया था? यदि हां तो क्या इनके चार्ज में पूरे रुपये न होने सम्बन्धी सूचना समाज कल्याण अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा पत्रांक-926-26, दिनांक 22-6-90, 1013-16, दिनांक 6-7-90 तथा 1094-97, दिनांक 16-7-90, 1023, दिनांक 3-7-92 4950, दिनांक 5-3-93 तथा पत्रांक 1206, दिनांक 17 जुलाई, 1992 क्रमशः समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ निदेशक, उप निदेशक, फैजाबाद मण्डल तथा लखनऊ मण्डल तथा समाज कल्याण लखनऊ व उप निदेशक, फैजाबाद व लखनऊ मण्डल तथा सम्बन्धित वरिष्ठ लिपिक श्री वशीर अहमद तथा उप निदेशक, फैजाबाद तथा जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा निदेशक को प्रेषित पत्र, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या अभी तक उक्त वरिष्ठ लिपिक द्वारा चार्ज नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा उक्त से चार्ज प्राप्त करने की कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्री रामपाल–

जी नहीं।

जी नहीं। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुल्तानपुर का पत्र संख्या 926–27, दिनांक 22–6–90 व पत्रांक 1013––16 दिनांक 6–7–90 प्राप्त हुआ था जिसमें रुपये पूरा न होने की सूचना नहीं थी।

जी नहीं। उक्त वरिष्ठ लिपिक द्वारा चार्ज दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल में दैनिक वेतन भोगी कलेक्सन अमीनो को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

108 श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कलेक्शन (राजस्व) अमीन कब से दैनिक वेतन भोगी के रुप में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ? क्या इन राजस्व कलेकशन अमीनों को स्थायी नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार कया इन कर्मचारियों को स्थायी करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जिलाधिकारी टेहरी गढ़वाल की रिपोर्ट के अनुसार जनपद टेहरी गढ़वाल में दैनिक वेतन पर राजस्व विभाग का कोई संग्रह अमीन कार्यरत नहीं है।

अतः दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता है।

ग्राम सभा मूंगर तहसील सदर जनपद सुल्तानपुर के वर्तमान ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

109 श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा मूंगर, तहसील सदर, जनपद-सुल्तानपुर में गाटा संख्या 912, 485, 487, 933 के सम्बन्ध में वर्तमान ग्राम प्रधान के विरुद्ध नियम 122 बी की कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो अब तक क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ।

भूखण्ड संख्या 912, 485 486 व 487 पर क्षेत्रीय लेखपाल व भू निरीक्षक के रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमणीय श्री असफाक हुसैन व अली अब्बास पुत्रगण फाजिल हुसैन निवासी ग्राम मूंगर, परगना बसैसा तह० व जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध 122 बी ज०वि० एवं भू–व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही न्यायालय अपर तहसीलदार के यहाँ चल रही थी जिसमें न्यायालय के आदेश दिनांक 6-1-95 द्वारा अवैध कब्जा सिद्ध न होने के फलस्वरुप 122 बी की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है। भूखंड संख्या–933 पर कोई अवैध कब्जा न पाये जाने के कारण 122 बी० के तहत किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद महराजगंज के ग्राम सभा खेससरी विकास खण्ड सिसवा में चकबन्दी अधिकारियों द्वारा भूमि का आवंटन कर व्यक्तियों को न दिया जाना

110 श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा खेससरी विकास खण्ड सिसवा, जनपद-महराजगंज में चकबन्दी अधिकारियों द्वारा काश्तकारों से 6 प्रतिशत सामूहिक कटौती करके 240 एकड़ भूमि निकाली गई थी जिसको पात्र व्यक्तियों में न बांटकर ग्राम प्रधान एवं सवर्ण परिवारों द्वारा अवैध कब्जा करके निजी लाभ लिया जा रहा है, जिससे ग्राम सभा को हर साल लाखों की क्षति हो रही है ? यदि हां तो क्या सरकार अवैध कब्जा हटवाकर पात्र व्यक्तियों को भूमि के आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

सूचना एकत्र की जा रही है।

111 श्री सुरेश संगल–

(दूसरे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद लखनऊ में ग्राम देवरई कला बक्शी का तालाब के श्री बंशगोपाल व अन्य द्वारा लिये गये सरकारी ऋण की बकाया जमा धनराशि का समायोजन न किये जाने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर कार्यवाही किये जाने की मांग

112 श्री अम्बिका सिंह तथा श्री बची सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम देवरई कला बक्शी का तालाब, जनपद लखनऊ निवासी श्री बंशगोपाल पुत्र श्री गुरुदीन तथा श्री रामचन्द्र अवस्थी पुत्र बंशगोपाल द्वारा लिये गये ऋण की बकाया धनराशि रु० 2017-04 तथा संग्रह व्यय 201-71 दिनांक 31-1-82 को तहसील मलिहाबाद में रसीद संख्या 30-31 द्वारा जमा की गई है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि तहसील मलिहाबाद के कर्मचारियों/अधिकारियों की उदासीनता के कारण उक्त धनराशि का समायोजन उक्त के खाते में अभी तक न हो पाने के कारण वसूली की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां तो क्यों ? क्या उक्त के संबंध में श्री रामचन्द्र अवस्थी का पत्र दिनांक 5-3-94 मुख्य मंत्री (लोक शिकायत अनुभाग) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ, कथित धनराशि संग्रह अमीन श्री हरिदत्त द्वारा वसूल की गई थी।

वसूल की गई धनराशि चालान संया–28 दिनांक 4-2-82 द्वारा उप–कोषागार में जमा है, जिसे वापस कराने हेतु दिनांक 14-7-95 को देयक प्रस्तुत कर दिया गया है। संबंधित ग्राम वर्तमान समय में तहसील बक्शी का तालाब के अंतर्गत है। परगनाधिकारी बक्शी का तालाब ने दिनांक 15-7-95 को अवगत कराया है कि वर्तमान समय में बाकीदार से कोई वसूली की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

जी हाँ।

श्री रामचन्द्र अवस्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 5-3-94 के आधार पर जांचोपरान्त उक्त जमा धनराशि को वापस कराये जाने की कार्यवाही अमल में लायी गयी है।

113 श्री नजमउद्दीन–

(मंत्री परिषद में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया)

जनपद गाजियाबाद के जिलाधिकारी द्वारा वादों की सुनवाई के सम्बन्ध में मांगी गई जानकारी

114 श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मजिस्ट्रेटों के प्रशासनिक दायित्वों को देखते हुए उनके न्यायालयों में लम्बित वादों के निस्तारण हेतु सरकार किसी वैकल्पिक योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो योजना का विवरण क्या है ? जिला मजिस्ट्रेट ने गाजियाबाद में 1 अक्टूबर, 1993 से 15 मार्च, 94 तक कितने दिन तथा कब तक न्यायालय में बैठकर वादों की सुनवाई की ? उक्त अवधि में कितने वादों का निस्तारण किया गया ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

सम्प्रति कोई योजना विचाराधीन नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद द्वारा उक्त अवधि में विभिन्न कारणो से न्यायिक वादो की सुनवाई एवं निस्तारण किया जाना सम्भव नही हो सका।

115 श्री मित्रसेन यादव–

(3 सरे सोमवार में अता० प्र० सं०-135 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

मण्डल फैजाबाद में समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक श्री वी०के० दीक्षित के विरुद्ध वित्तीय अनियमिताओं सम्बन्धी मामला न्यायालय में विचाराधीन

116 श्री मित्रसेन यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वी० के० दीक्षित, उप निदेशक, समाज कल्याण,

फैजाबाद मण्डल के विरुद्ध मुकदमा अ० संख्या-969/92, भा० दं० वि० की धारा-120 बी/409/420/487/468/471/555 एवं मु० अ० सं०-964/92 भा० द० वि० की धारा-120 बी०/409/420/424/467/471 के अन्तर्गत कोतवाली इलाहाबाद में कोई वाद दर्ज है ? यदि हां, तो इतने संगीन वित्तीय अनियमितताओं के दोषी व्यक्ति को उप निदेशक, समाज कल्याण के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त रहने का औचित्य क्या है ?

श्री श्री रामपाल–

सूचना एकत्र की जा रही है।

फैजाबाद मण्डल में समाज कल्याण विभाग के श्री वी० के दीक्षित उपनिदेशक के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच की मांग

117 श्री मित्रसेन यादव–

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वी० के० दीक्षित, उप निदेशक, समाज कल्याण, फैजाबाद मण्डल के विरुद्ध श्री जय प्रकाश का शिकायती पत्र दिनांक 21-10-94 निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र के आधार पर कोई जांच की गयी है ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ?

श्री श्री रामपाल–

प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र दिनांक 21-10-94 के साथ श्री जय प्रकाश का शिकायती पत्र दिनांक 21-10-94 के साथ श्री जय प्रकाश का शिकायत पत्र दिनांक 28-6-94 प्राप्त हुआ था।

श्री दीक्षित के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की प्रारम्भिक जांच अपर निदेशक, समाज कल्याण द्वारा की गयी थी। अपर निदेशक, समाज कल्याण की प्रारम्भिक जांच के आधार पर श्री दीक्षित को आरोप–पत्र देकर विधिवत् विभागीय जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

जनपद सीतापुर में ग्राम समैसा, परगना व तह० जोतदारों को कब्जा अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण

118 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि कि ग्राम–समौसा, परगना लहरपुर, तहसील लहरपुर, जिला-सीतापुर में चकबन्दी पूर्ण हुए 6 वर्ष हो रहे हैं परन्तु अभी तक जोतदारों को कब्जा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं जिससे कि उनको गन्ना के सट्टे, कर्ज, खाद, बीज लेने तथा जमानत आदि के काम में बाधा उत्पन्न हो रही है ? यदि हां, तो अभिलेख जोतदारों को कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जनपद सीतापुर तहसील व परगना लहरपुर के ग्राम समैसा में नये चको पर कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही दिनांक 18-7-89 को करा दी गई है तथा चकदार अपने नये चको पर काबिज है एवं दस ग्राम का जिल्द बन्दबिस्त तयार करके नयी खतौनी जोत चकबन्दी आकार पत्र–45 का उद्धरण सम्बन्धित खातेदारों को दिनांक 23-3-93 को उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गांव सभा गांगूपुर, तह० बिल्हौर जनपद कानपुर देहात में चकरोड व सार्वजनिक नाली को गिराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही की जानकारी

119 श्री महेश बाल्मीकि–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा गांगूपुर तहसील बिल्हौर, जिला-कानपुर देहात में चकरोड व सार्वजनिक नाली को अवैधानिक ढंग से गिराये जाने से रोकने के सम्बन्ध में श्रीमती शारदा देवी एवं अन्य द्वारा हस्ताक्षरित एवं अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, कानपुर द्वारा पृष्ठांकित पत्र दिनांक 29-4-93 व 12-5-93 परगनाधिकारी, बिल्हौर, कानपुर देहात को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ।

परगनाधिकारी, बिल्हौर द्वारा ख्यालीदास चेनानी व सुनील के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–133 (1) के अन्तर्गत शर्ती आदेश जारी कर वाद चलाया गया कि उनके द्वारा 100 गट्ठा चौड़ा चकरोड व नाली नष्ट करके अपदूषण उत्पन्न किया गया है। दिनांक 7-12-94 को आदेश पारित करके प्रभारी निरीक्षक, थाना बिल्हौर को निष्पादन हेतु भेजा गया। दिनांक 14-12-94 को उक्त शर्ती आदेश तामील कराये जाने के उपरान्त अब वाद परगना मजिस्ट्रेट, बिल्हौर के न्यायालय में विचाराधीन है।

जी०टी० रोड से दाईपुर परिषदीय मार्ग की पैमाइश के सम्बन्ध में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा तहसीलदार कन्नौज जिला फर्रुखाबाद को लिखे पत्र के बारे में जानकारी

120 श्री महेश बाल्मीकि –

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी०टी० रोड से दाईपुर परिषदीय मार्ग की पैपाइश कराये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद् फर्रुखाबाद का पत्र संख्या-480/सम्पत्ति/सड़क पै०/ 93-94, दिनांक 17-7-93 तहसीलदार, कन्नौज, जिला-फर्रुखाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या श्री कैलाशचन्द्र कटियार की आराजी संख्या-114, 117 व 128 स्थित ग्राम गांगपुर में खड़े यूकेलिप्टस के पेड़ों में लगी सरकारी पट्टी को हटा लिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक हटायेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद कानपुर देहात में ग्राम सभा गांगूपुर परगना बिल्हौर के श्री राम खेलावन आदि से हर्जाना वसूल किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

121 श्री महेश बाल्मीकि–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा गांगूपुर, परगना बिल्हौर, जिला-कानपुर देहात के गाटा सं०-113 रकबा 10 बिस्वांसी तथा गाटा सं०-115 रकबा 5 बिस्वांसी से श्री राम खेलावन आदि को बेदखल करने एवं उनसे नियमानुसार हर्जाना वसूल करने के सम्बन्ध में कलेक्टेर, कानपुर देहात ने दिनांक 24-12-91 को आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उक्त आदेशों का क्रियान्वयन किस तिथि को किया गया ? यदि नहीं, तो कब तक करेंगें ? जिलाधिकारी, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 24-12-91 का क्रियावन्यवन न करने के लिये कौन–कौन कर्मचारी उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ।

उक्त आदेश का क्रियावन्यन दिनांक 16-1-92 को आकार पत्र 49-ग के माध्यम से कराने का प्रयास किया गया किन्तु मा० उच्च न्यायालय से प्रतिवादीगणों ने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुल विधवा तथा विकलांग पेंशन धारकों की जानकारी तथा जनपद वाराणसी के समाज कल्याण कार्यालय में पेंशन धारको में चेक शुल्क लिये जाने का मामला

122 श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधवा तथा विकलांग पेंशन धारक राज्य में कितने हैं ? क्या उन्हें नियमित पेंशन का वितरण हो रहा है ? क्या सरकार को जानकारी है कि जिला समाज कल्याण कार्यालय वाराणसी में उक्त

पेंशन धारकों से पेंशन का बैंक चेक देने हेतु सुविधा शुल्क के रुप में कोई धनराशि ली जाती है ? क्या उक्त उत्पीड़न रोकने हेतु सरकार प्रभावी कार्यवाही करेगी ?

श्री श्री रामपाल–

निराश्रित विधवा/विकलांग भरण पोषण अनुदान से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या, मृत्यु, अपात्रता एवं नवीन स्वीकृतियों के कारण बदलती रहती है । अतः बिना एक निश्चित तिथि निर्धारित किये इन लाभार्थियों की वास्तविक संख्या बताना सम्भव नहीं है ।

संसाधन की कमी के कारण नियमित भुगतान नहीं हो पाया है ।

जी नहीं ।

इस प्रकार का मामला संज्ञान में आने पर शासन तत्काल प्रभावी आने पर शासन तत्काल प्रभावी कार्यवाही हेतु कृतसंकल्प है ।

गाजियाबाद विधान सभा के कुम्हार कला से जुड़े लोगो को पट्टा दिये जाने की जानकारी

123 श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विधान सभा क्षेत्र के किन–किन गांवों में 20 दिसम्बर, 1993 से अब तक कुम्हारकला से जुड़े लोगों को पट्टे दिये गये हैं ? क्या मंत्री जी उनकी सूची सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर में ग्राम महुली, परगना इसौली तहसील मुसाफीरखाना के वास्तविक पात्र भूमिहीनों को भूमि आवंटन से वंचित होने का मामला

124 श्री मित्रसेन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रा० महुली, परगना इसौली- तह० मुसाफिरखाना, जनपद-सुल्तानपुर में भमिहीनों में कृषि योग्य बूमि का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या यह भी सही है कि उकत गांव में भूमिहीन आवंटन के पात्र व्यक्ति आवंटन के लाभ से वंचित रह गये हैं और अब भी कृषि योग्य भूमि पर सरकस और कुपात्र व्यक्तियों का अवैध कब्जा है ? यदि हां तो क्या आवंटन के लाभ से वंचित भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को कृषि योग्य उपलब्ध भूमि एवं अवैध कब्जे की भूमि का आवंटन किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

ग्राम सभा महुली में भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा दिनांक 8-6-93 को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया जिसे जांचोपरान्त

अनियमित पाये जाने के कारण दिनांक 8-2-94 द्वारा निरस्त कर दिया गया । उक्त प्रस्ताव निरस्त हो जाने की दशा में ग्राम महुली में कोई आवंटन नहीं हुआ अतः किसी पात्र व्यक्ति को आवंटन से वंचित रहने का प्रश्न नहीं उठता । अवैध अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध उ०प्र० जमीनदारी विनाश अधिनियम की धारा-122 बी के अन्तर्गत कार्यवाही शुरु कर दी गई है । पात्र व्यक्तियों को यथा समय नियमानुसार आवंटन करने हेतु जिलाधिकारी को निर्देश भेज दिये गए हैं ।

प्रदेश में नई तहसीलों के सृजन का मामला तथा जनपद वाराणसी की पिंडरा तहसील के बारे में जानकारी

125 श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने आज से वर्षो पूर्व प्रदेश में 20 नई तहसीलों के सृजन को

स्वीकार किया था ? यदि हां, तो क्या सही है कि उसमें से 19 तहसीलें स्थापित कर दी गयी और पिंडरा तहसील वाराणसी जिला वाराणसी के नाम की स्वीकृत तहसील को अब तक क्यों स्थापित नहीं किया गया ? इसके क्या कारण हैं ? क्या सही है कि सकल डीहा त० चन्दौली, जिला-वाराणसी में तहसील की स्थापना कर दी गयी है और शिलान्यास भी कर दिया गया ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ। वर्ष 1988-89 में प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के 16 जनपदों में कुल 20 नई तहसीलों की स्थापना का निर्णय लिया गया था।

इसमें से 18 तहसीलों के सृजन की अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है।

प्रस्तावित तहसील पिण्डरा के मुख्यालय निर्धारण का प्रस्ताव विचाराधीन है।

जी हाँ।

126 श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में पिंडरा के नाम से एक नई तहसील सरकार ने स्वीकृत की है ? क्या यह सही है कि उक्त तहसील इसलिये नहीं खुल पायी कि ब्लाक चिरई गांव, चोलापुर पिंडरा, हरहुआ, बड़ागांव, जिला-वाराणसी के कांग्रेस कमेटियों तथा कांग्रेसजनों एवं कुछ ब्लाक प्रमुखों ने लिखित उसका विरोध किया था ? कया इसकी स्वीकृति सन् 85 के बाद ही की गयी थी ? क्या सरकार उक्त तहसील को स्थान पिंडरा में खोलने पर विचार करेगी ? क्या यह सही है कि गांव नेवादा, ब्लाक पिंडरा, जिला-वाराणसी में तहसील केलिये जमीन का प्रस्ताव पास करके दे दिया गया है ?

जिला वाराणसी में पिण्डरा नामक नई तहसील के गठन का निर्णय लिया गया है।

जी हाँ।

जी हाँ।

23 फरवरी, 1989 को तहसील सृजन का निर्णय लिया गया था।

विचाराधीन है।

जी हाँ।

प्रदेश में फसलों को नष्ट पहुचाने वाले वनरोजों के उन्मूलन की योजना के सम्बन्ध में जानकारी

127 श्री ऊदल–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि पूरे प्रदेश में नील गायें (वनरोज) किसानों की सभी फसलों को नष्ट कर रहे हैं ? यदि हां, तो इसके उन्मूलन हेतु सरकार कोई योजना बनायेगी ? क्या यह सही है कि ये वन्य जीव भी नहीं है और इनका कोई उपयोग भी नहीं है ?

श्री रामलखन वर्मा–

जी हाँ।

प्रदेश में वन रोज नीलगायों से हो रही फसलों के नुकसान किये जाने की छिट-पुट सूचना प्राप्त हुई है।

कृषिको हानि पहुँचाने वाले वनरोजों (नीलगायों) को आवश्यकतानुसार नष्ट करने के लिये जिलाधिकारियों को अपने-अपने अधिकारिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अनुज्ञा-पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया गया है।

जी नहीं।

वनरोज (नीलगाय) वन्य जीव है। यह प्रजाति प्राकृतिक तथा खाद्य चक्र का अभिन्न अंग होने के कारण इसका अपना महत्व है।

प्रदेश के कतिपय कुष्ठ कालोनियों के कुष्ठ रोगियों को कुष्ठ रोगी पेंशन से वंचित किये जाने के कारण

128 श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कुष्ठ रोगियों को पेंशन देती है ? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि कुष्ठ कालोनी तपोवन, ढालवाला, ब्रह्मपुरी, टि०ग० के कुष्ठ रोगी पेंशन से वंचित हैं? इसका क्या कारण है? क्या सरकार इन कुष्ठ रोगियों को पेंशन देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्री रामपाल–

कुष्ठ रोगियों को नहीं अपितु कुष्ठ के कारण विकलांगता की निर्धारित श्रेणी में आ जाने वाले व्यक्तियों को विकलांग भरण पोषण अनुदान पेंशन दिया जाता है।

उपलब्ध संसाधन तथा निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक ही पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जा सकती है।

पात्रता की सीमा में आने वाले व्यक्तियों के आवेदन पत्रों पर उपलब्ध संसाधान/लक्ष्य की सीमा तक स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के मुख्यालय की स्थापना हेतु वन विभाग के सुरक्षित भूमि के अधिग्रहण का मामला तथा वृक्षों की कटाई से उत्पन्न प्रदूषण की समस्या

129 श्री तीरथ राज–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद–सोनभद्र का मुख्यालय राबर्ट्सगंज के स्थान पर पिपरी किया गया है ? यदि हां, तो क्या मुख्यालय की स्थापना हेतु वन विभाग की सुरक्षित भूमि (रिजर्व फारेस्ट हौण्ड) के अधिग्रहण का मामला शासन के विचाराधीन है ? क्या वन विभाग की भूमि में स्थित वृक्षों की कटाई से उक्त क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या और भयंकर हो जायेगी ? यदि हां, तो इसे दूर करने के लिए क्या उपाय किये गये ?

श्री रामलखन वर्मा–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में स्थायी मुख्यालय की स्थापना का मामला

130 श्री तीरथ राज–

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के स्थायी मुख्यालय की स्थापना के बारे में परनापना के बारे में परगनाधिकारी, दुद्धी की रिपोर्ट दिनांक 26 फरवरी, 1990 जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद की रिपोर्ट दिनांक 3 अक्टूबर, 1992 और उनके आधार पर मण्डलायुक्त, वाराणसी की रिपोर्ट दिनांक 3 नवम्बर, 1992 शासन को प्राप्त हुई थी ? कया यह सही है कि मण्डलायुक्त ने जनपद सोनभद का मुख्यालय राबर्ट्सगंज/चुर्क में रखे जाने की सिफारिश की थी ? यदि हां, तो जिले के अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर मण्डलायुक्त की सिफारिश न माने जाने का क्या औचित्य है ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

परगनाधिकारी दुद्धी की रिपोर्ट 26 फरवरी, 1990 शासन स्तर पर उपलब्ध नही है। जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र की रिपोर्ट दिनांक 3-10-92 आयुक्त, वाराणसी मण्डल को सम्बोधित है तथा मण्डलायुक्त वाराणसी का पत्र दिनांकित नवम्बर/दिसम्बर 3, 1992 आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को सम्बोधित है जो राजस्व परिषद में दिनांक 4-12-92 को प्राप्त हुआ है और जिसकी प्रति राजस्व परिषद ने शासन को अपने पत्र 3-7-93 के द्वारा उपलब्ध कराई है।

जी हाँ।

उक्त रिपोर्ट पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया।

जनपद सोनभद्र का स्थायी मुख्यालय राबर्ट्सगंज से पिपरी कर दिये जाने का कारण

131 श्री तीरथ राज–

क्या राजस्व मंत्री बताने कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र का मुख्यालय राबर्ट्सगंज से पिपरी कर दिया गया है? यदि हां, तो उसकी अधिसूचना किस तिथि को गजट में प्रकाशित हुई है? क्या यह सही है कि मुख्यालय के नये स्थान पर राजस्व विभाग की निर्वाचित इतनी भूमि भी उपलब्ध नहीं है कि मुख्यालय के लिये भवनों आदि का निर्माण कराया जा सके? मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त क्षेत्र में सर्वे कार्य के चलते रहने के कारण क्या सरकार किसी भी प्रकार की भूमि का अधिग्रहण करने में सक्षम है। यदि नहीं, तो मुख्यालय परिवर्तन का क्या औचित्य है?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ।

दिनांक 30 जनवरी, 1995 के गजट में अधिसूचना प्रकाशित हुई है।

जी नहीं।

भूमि अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

स्थायी मुख्यालय पिपरी में स्थापित किया गया है।

बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत पुष्टाहार आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

132 श्री मित्रसेन यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास परियोजना में पुष्टाहार की खरीद किन सरकारी अथवा गैर सरकारी फर्मों से की जाती है? इसके वितरण की व्यवस्था क्या है? वर्ष 93-94 में कुल कितनी धनराशि का पुष्टाहार खरीद गया है? खरीदे गये पुष्टाहार में कौन-कौन से आईटम खरीदे जाते हैं।

श्री श्री रामपाल–

बाल विकास परियोजना में योजना के अन्तर्गत पुष्टाहार की आपूर्ति भारत सरकार के एक उपक्रम मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज इण्डिया लि० द्वारा की जाती है। अक्टूबर, 1993 से गैर सरकारी फर्मों से कोई खरीद नहीं की जाती है। मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज इण्डिया लि० द्वारा पुष्टाहार (पंजीरी) की आपूर्ति परियोजना स्तर पर की जाती है एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा इसकी ढुलाई आंगनवाड़ी केन्द्रों तक कराई जाती है। इसके अतिरिक्त मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज इण्डिया लि० द्वारा 11 शहर परियोजनाओं में पुष्टाहार (ब्रेड) की आपूर्ति सीधे आंगनवाड़ी केन्द्रों तक की जाती है।

वर्ष 93-94 में पुष्टाहार पर कुल रु० 2213-35 आय व्यय हुआ है, जिसमें से व्यवस्था बदलने के बाद रु० 724-90 लाख मार्डन फूड इन्डस्ट्रीज इण्डिया लि० का था।

पुष्टाहार में प्रोटीनयुक्त पंजारी एवं विटामिन युक्त ब्रेड ली जाती है।

जिला समाज कल्याण कार्यालय जनपद फैजाबाद में कार्यरत कतिपय कर्मचारियों के कारण व्याप्त भ्रष्टाचार का मामला

133 श्री मित्रसेन यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला समाज कल्याण कार्यालय फैजाबाद में कितने लोग किन-किन पदों पर कार्यरत हैं? इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनका गृह जनपद फैजाबाद है? क्या यह सही है कि इसी के कारण कार्यालय में गम्भीर भ्रष्टाचार और अनियमिततायें व्याप्त है?

जिला समाज कल्याण कार्यालय फैजाबाद में कुल 16 लोग कार्यरत हैं जो निम्नलिखित हैं:–

1–जिला समाज कल्याण अधिकारी-1

2–वरिष्ठ सहायक-1

3–वरिष्ठ लिपिक-3

4–कनिष्ठ लिपिक-4

5–सुपरवाइजर-6

6–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-1

कुल 16

इनमें से कुल चार लोग ऐसे हैं जिनका गृह जनपद फैजाबाद है जिनमें दो कनिष्ठ लिपिक तथा दो सुपरवाइजर हैं।

जी नहीं। ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

फैजाबाद मण्डल के विभिन्न जिलों में समाज कल्याण विभाग में चतुर्थ श्रेणी सुपरवाइजर तथा लिपिको की नियुक्तियों आदि के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

134 श्री मित्रसेन यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मण्डल में किन–किन जिलों में स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी सुपरवाइजर एवं लिपिक पदों के विरुद्ध कितने अतिरिक्त कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या इन सभी की नियुक्तियां नियमानुसार की गयी है? यदि नहीं, तो इनके वेतन भुगतान का आधार क्या है?

श्री रामपाल–

फैजाबाद मण्डल में निम्नलिखित अतिरिक्त कर्मचारी कार्यरत हैं–

	जनपद का नाम		पदनाम एवं स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या
1–	फैजाबाद	(क)	चतुर्थश्रेणी कर्मचारी	23–
		(ख)	सुपरवाइजर	6–
		(ग)	लिपिक	24–
2–	सुल्तानपुर	(क)	चतुर्थश्रेणी	16–2
		(ख)	सुपरवाइजर	5–
		(ग)	लिपिक	12–
3–	बहराइच	(क)	चतुर्थ श्रेणी	7–
		(ख)	सुपरवाइजर	4–1
		(ग)	लिपिक	7–1
4–	गोण्डा	(क)	चतुर्थश्रेणी	19–
		(ख)	सुपरवाइजर	7–1
		(ग)	लिपिक	9–
5–	बाराबंकी	(क)	चतुर्थश्रेणी	5–
		(ख)	सुपरवाइजर	4–4
		(ग)	लिपिक	7–4

न्यायालय में लम्बित मुकदमों के अलावा कोई अनियमित नियुक्ति का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

अतिरिक्त कर्मचारियों का वेतन न्यायालय के आदेश के आधार पर तथा अन्य जनपदों के पदों के विपरीत वेतन आहरित किया जाता है।

जनपद फैजाबाद में राजस्व विभाग के अनतर्गत तहसील बीकापुर में बड़े बकायेदारों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

135 श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद में पचास हजार रुपये से अधिक के बकायेदार कुल कितने हैं और कब से हैं? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? क्या यह सही है कि राजस्व विभाग तहसील बीकापुर के बड़े बकायेदारों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही न कर उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा रहा है और लगातार लम्बे अरसे बकायेदार कानूनी दांवपेच चले जा रहे हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार–

वर्तमान समय में सहसील बीकापुर जिला फैजाबाद में पचास हजार रुपये से ऊपर के कुल 19 बकायेदार हैं। सबसे पुराना बकाया दिनांक 15-1-89 से है। सभी बकायेदारों के विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

जी नहीं। सभी बकायदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

जनपद फैजाबाद ग्राम अहरन सुबंश तहसील बीकापुर के श्री राममूरत सिंह व सुरेन्द्र प्रताप सिंह के विरुद्ध धोखा धड़ी का मामला तथा कार्यवाही की मांग

136 श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राममूरत सिंह व सुरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्रगण शिवहांकर सिंह निवासी, ग्राम-अहरनसुवंश, परगना पश्चिमराठ, तहसील-बीकापुर जनपद फैजाबाद ने अपनी भूमि सं०-1468, 1469, 1471, 1058 स्थित मौजा अहरन सुवंश में ऋण हेतु बैंक बीकापुर आफ बड़ौदा शाखा में कुमारगंज फैजाबाद तथा भूमि विकास बैंक बीकापुर में बंधक रखकर क्रमशः 61 हजार, 7 हजार 5 सौ ऋण प्राप्त कर लिया था। और बंधक शुदा उपरोक्त भूमि को भी कर्जदारों ने अन्य लोगों को बैनामा कर दिया है। यदि हां तो क्या यह सही कि कर्जदारों ने बंधक शुदा जमीन को बेचकर जानबूझकर जालसाजी और धोखाधड़ी की है? यदि हां, तो क्या इनके विरुद्ध जिलाधिकारी फैजाबाद श्री एस०आर० लाखा और जिलाधिकारी फैजाबाद श्री कुमार अरविन्द सिंह देव ने प्राप्त शिकायतों के आधार पर धोखाधड़ी मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये है? यदि हां, तो अभी तक धोखाधड़ी करने वाले कर्जदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह व श्री राममूरत सिंह, निवासी ग्राम–अहरनसुवंश के विरुद्ध धोखाधड़ी के आरोप में दिनांक 18 दिसम्बर, 1994 को थाना कुमारगंज, जनपद-फैजाबाद में भारतीय दंड विधान की धारा-420 के अन्तर्गत प्रथम सूचना दर्ज करा दी गई है, जिसकी विवेचना थाना कोतवाली बीकापुर द्वारा की जा रही है। विवेचना की प्रगति में अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही भी हो गयी है।

पारिवारिक समझौता में नामान्तरण के संबंध में पूर्व आदेश का अनुपालन

137 श्री तीरथ राज–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पारिवारिक समझौता (जिसका पंजीयन न हुआ हो, बगैर स्टैम्प

के मौखिक होने की दशा में भी) धारा 34 यू०पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत नामान्तरण आदेश पारित करने के लिये वैध है ? यदि हां, तो क्या शासन ने जनपदों के तहसीलों एवं स्थानीय निकायों को इसे किसी रुप में न मानने का आदेश भी भेजा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ।

यदि आपसी बंटवारा मौखिक हो तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है परन्तु जब आपसी बंटवारे की शर्तें लिखित हों तो उनकी रजिस्ट्री आवश्यक है।

आपसी बंटवारे की शर्तें लिखित होने पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची-1 (ख) के अनुच्छेद-58 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क देय होता है। उक्त अधिनियम की धारा-35 के अन्तर्गत पर्याप्त मात्रा में स्टाम्प रहित लेखपत्र को साक्ष्य के रुप में ग्रहण नहीं किया जा सकता है।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम में स्पष्ट प्राविधान होने के कारण अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद फैजाबाद में ग्राम अहरन सुवंश परगना, पश्चिम राह तह० बीकापुर के श्री राममूरत सिंह व लाल सुरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा बंधक शुदा भूमि को विक्रय किये जाने का मामला

138 श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राममूरत सिंह व लाल सुरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र शिव शंकर सिंह निवासी-ग्राम अहरन सुवंश परगना, पश्चिमराठ, तहसील-बीकापुर जनपद फैजाबाद ने भूमि सं०-828, 1058, 1468, 1469, 1470, 1471 स्थित मौजा अहरन सुवंश बंधकशुदा होने के बावजूद भी विक्रय कर दिया है और बैंक तथा भूमि क्रेता से रुपया लेकर सरकारे बकाये में कोई धनराशि जमा नहीं की है ?यदि हां, तो बंधकशुदा भूमि के विक्रय करने की जानकारी सम्बन्धित बैंक की शाखा रजिस्ट्री कार्यालय तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जानकारी कब हुई ? बंधकशुदा भूमि को बैनामा किये जाने की कार्यवाही पर समय से उपरोक्त लोगों द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ।

बन्धकभूमि के विक्रय की जानकारी माननीय सदस्य (श्री मित्रसेन यादव) के जिलाधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित पत्र दिनांक 2 अप्रैल, 1994 के प्राप्त होने, पर राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को हुई। सम्बन्धित बैंक, आफ बड़ौदा शाखा कुमारगंज को दिनांक 29 मई, 1994 तथा उ०प्र० सहकारी ग्राम्य विकास बैंक शाखा बीकापुर को दिनांक 27-5-94 को जानकारी उप जिलाधिकारी, बीकापुर द्वारा सूचित करने पर हुई। रजिस्ट्री कार्यालय को जानकारी विधान सभा प्रश्न उठाये जाने बाद हुई।

सम्बन्धित बैंकों द्वारा 3 जून, 1991 को रुपये 1, 38, 835 का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। जिसके पूर्व ही बन्धक भूमि का विक्रय 26-6-83 व 14-7-83 को कर दिया गया। बैंक की जिम्मेदारी है कि वह बन्धक भूमि बेचने वालों के विरुद्ध वसूली प्रमाणपत्र जारी करने के साथ ही धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराते, परन्तु उनके स्तर से ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

बन्धक भूमि के विक्रय की सूचना राजस्व विभाग में प्राप्त होने पर जांच करायी गयी। विक्रय की पुष्टि होने पर सम्बन्धित बैंक को मुकदमा दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया। तद्नुसार दिनांक 18 दिसम्बर, 1994 को थाना-कुमारगंज में भारतीय दण्ड विधान की धारा-420 के अन्तर्गत प्रथम सूचना दर्ज करा दी गयी। प्रकरण थाना-बीकापुर में विवेचनाधीन है और अभियुक्तगण के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही भी हो चुकी है।

जनपद फैजाबाद में सीजनल सहायक वासिल बाकी नवीस के स्वीकृत पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सम्बन्धी जानकारी

139 श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में वर्ष 1992 में सीजनल सहायक वासिल बाकी नवीस के स्वीकृत पदों के साक्षेप पद पूर्ति हेतु कोई सूची बनी थी ? उक्त सूची में से कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी और कितने चयनित अभ्यर्थी अब तक नहीं नियुक्त हुये हैं ? क्या चयनित सूची के बाहर के लोगों की भी नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां। जनपद फैजाबाद में दिनांक 17-2-92 को 22 व्यक्तियों की एक सूची दिनांक 31-3-92 तक के लिए स्वीकृत सीजनल वासिल बाकी नवीस पद पर नियुक्ति हेतु बनाई गई थी।

उक्त सूची में से 10 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी 112 अभियर्थियों की नियुक्ति पद उपलब्ध न होने के कारण नहीं हुई।

मण्डलायुक्त द्वारा सीजनल पदों की स्वीकृत प्रदान कर दिए जाने पर कार्य के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सूची के बाहर के दो अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिनांक 14-2-94 को तथा एक अभ्यर्थी की नियुक्ति दिनांक 20-12-94 को की गई। दिनांक 17-2-92 को बनाई गई सूची एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर दिनांक 16-2-93 को स्वतः समाप्त हो गई। इसलिए उक्त सूची के आधार पर सीजनल पदों पर नियुक्ति किए जाने की बाध्यता नहीं थी।

140 श्री चैन सुख भारती–

(मंत्री परिषद में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया)

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड नागल ग्राम दुगचाड़ा निवासिनी ज्ञानदेई को रुकी हुई विधवा पेंशन दिलाये जाने की मांग

141 डा० माम चन्द्र लाम्बा–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड नागल के ग्राम दुगचाड़ा में ज्ञानदेई पत्नी स्वर्गीय हरचन्द्र को विधवा पेंशन के छः सौ रुपये समाज कल्याण विभाग, सहारनपुर से सन् 1992 में मिली थी, उसके बाद आज तक पेंशन नहीं मिली ? क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर उसकी रुकी हुई पेंशन दिलवायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामपाल–

प्रश्नगत विधवा को निराश्रित विधवा भरण-पोषण अनुदान नहीं, बल्कि वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत धनराशि प्रदान की गयी थी।

जी नहीं, प्रश्नगत विधवा को जून, 95 तक के पेंशन की धनराशि धनादेश द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी वाराणसी द्वारा की गई नहरों की खुदाई की शिकायत

142 श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी वाराणसी ने निदेशक सूचना

एवं जनसम्पर्क उ० प्र० लखनऊ को अपने पत्राक 644/ आठ-वि०भू अ०अ०/वा० दिनांक 19-7-94 के द्वारा धारा-4 का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र में करने हेतु लिखा है ? क्या यह सही है कि जिन जमीनों के बारे में लिखा है वह नहरों में पहले ही लेकर नहर की खुदाई कर दी गयी है और मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है ? क्या सरकार उपरोक्त पत्र के संबंध में कार्यवाही करेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड जौनपुर द्वारा दिनांक 4-2-82 से 30-12-87 के मध्य कब्जा लेकर नहर बनाई गयी है। भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 व 6 को औपचारिकता पूर्ण होने के पश्चात प्रतिकर का भुगतान किया जा सकेगा। सूचना निदेशक, उ० प्र० लखनऊ को धारा-4 की विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु लिख दिया गया है।

जनपद टिहरी गढ़वाल में उप तहसील जखोली को पूर्ण तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

143 श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कया सरकार छोटी–छोटी तहसीलों का निर्माण करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या जनपद टि० ग० में उप तहसील को पूर्ण तहसील करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक तहसील बन जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उप तहसील जखोली का सृजन अधिसूचना संख्या-5-2-(21)/74-(29) दिनांक 23-2-87 के द्वारा किया गया है। इसको तहसील का दर्जा देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद बस्ती में वाराखाल तप्पा मेहदावल तह० खलीलाबाद के श्री महादेव, अशर्फी तथा हीरालाल की फर्जी बरासत को खारिज किये जाने की मांग

144 श्री परशुराम यादव–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम वाराखाल, तप्पा मेंहदावल, तहसील खलीलाबाद जनपद-बस्ती के खाता सं० 231 पर भू० नि० ने 22-9-91 को (पं० क-11 क) का आधार लेकर फर्जी बरासत साजिश तहत महादेव, अशर्फी, हीरालाल के नाम किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त खाते का रजिस्टर्ड वसीयत 28-12-83 को उप निबंधक खलीलाबाद के यहां अन्य के नाम किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या उस फर्जी बरासत महादेव आदि के नाम खारिज करते हुए दोषी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

ग्राम वाराखाल तप्पा मेंहदावल तहसील खलीलाबाद जनपद बस्ती की खतौनी संख्या 1398 से 1403 फसली तक के खाता संख्या- 231 सूरज पुत्र भगवानदीन के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। खातेदार की मृत्यु हो जाने पर भूलेख निरीक्षक ने 22/9/91 को प०क० 11 क के आधार पर मृतक सरजू के स्थान पर उसके तीन लड़कों महादेव, अशर्फी व हीरा लाल का नाम जो उस समय विवादित नहीं था, वारिस के फर्जी नहीं है।

जी हाँ। जो विवादित है।

वरासत के आदेश दिनांक 22-9-91 के बाद में दिनांक 23-2-93 को श्री राम मूरत पुत्र अशर्फी व श्री राम शब्द पुत्र हीरालाल ने मृतक सूरज के स्थान पर पंजीकृत वसीयतनामा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हुये उसके

आधार पर नामान्तरण वाद क्षेत्रीय नायब नहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मुकदमें में महादेव पुत्र सरजू ने दिनांक 7-5-93 को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। प्रकरण अभी न्यायालय में विचाराधीन है। जब भूलेख निरीक्षक ने वरासत का आदेश प०क० 11 क पर किया था उस समय कोई विवाद नहीं था। भूलेख निरीक्षक द्वारा वरासत का आदेश अपने कर्तव्यों का पालन करते हुये किया गया है। अतः उन्हें दोषी नहीं पाया गया है।

उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 बी (4 एफ) के तहत पिछड़ी जातियों को लाभ दिये जाने की मांग

145 श्री परशुराम यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जोत चकबन्दी आकार पत्र-2क में किसी भूमि पर यदि पिछड़ी जाति, गरीबों के नाम का इन्द्राज हो एवं 50 वर्षों के पर्व से उस भूमि में बाग एवं खहिहान तथा कब्जा हो. क्या ऐसी स्थिति में सरकार उ०प्र० जमी० वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-229 वी के तहत उन गरीबो के नाम भूराजस्व अभिलेख में असंक्रमणीय भूमिधर वर्ग–2 घोषित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पिछड़ी जातियों हेतु सरकार उ०प्र० जमी० वि० एवं भूमि अधिनियम की धारा-122 वी (4 एफ) के तहत लाभ देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा (129 बी) में आसामी/भूमिधर के रुप में अधिकारों की घोषणा की व्यवस्था है। अतः उक्त व्यवस्था के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर/कलेक्टर के न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। इस धारा के अन्तर्गत किसी जाति विशेष हेतु कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

अधिनियम की धारा–122 बी (4-एफ) के अन्तर्गत यह व्यवस्था केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिहीन कृषि मजदूरों के सामाजिक स्तर को उठाये जाने के लिए बनायी गयी थी। वर्तमान अधिनियम/नियमों के अनुसार पिछड़ी जातियों को यह लाभ दिया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद सहारनपुर में विकास खण्ड नागल ग्राम दुगचाड़ा की श्रीमती ज्ञानदेई का विधवा पेंशन सम्बन्धी प्रकरण

146 मा० मामचन्द्र लाम्बा–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि ज्ञानदेई पत्नी स्वर्गीय हरचन्द्र जनपद सहारनपुर विकास खण्ड नागल के ग्राम दुगचाड़ा निवासी को 29 माह से विधवा पेंशन मिली ? क्या पेंशन रजिस्टर से प्रार्थिनी का नाम बी काट दिया गया ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्री रामपाल–

प्रश्नगत महिला को विधवा भरण पोषण अनुदान नही अपितु वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत है। धनादेश द्वारा जून 1995 तक के पेंशन का भुगतान प्रेषित किया जा चुका है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम खेरेहार तह० गौरीगंज में ग्राम समाज की जमीन पर बने अवैध मकानों को गिरा दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

147 श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के आदेशानुसार उप जिलाधिकारी गौरीगंज ने पुलिस सहायता से ग्राम कौरहाट तहसील–गौरीगंज में दिनांक 18 मार्च, 1995 को ग्राम समाज की जमीन में बन मकान को ढहा दिया है ? यदि हां, तो उक्त गाटा का नम्बर क्या है उस गाटे नम्बर पर क्या और भी अवैध मकान बने हैं ? यदि हां तो क्या जिलाधिकारी द्वारा उन मकानों को न गिराकर मात्र इसी मकान को ही गिराने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? अन्य अवैध निर्माण न गिराये जाने का क्या क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ।

प्रश्नगत गाटे का नवम्बर 1263 है। तथा उक्त गोटे पर दो मकान अवैध रुप से बने हैं।

जी हाँ।

प्रश्नगत मकान के सम्बन्ध में शिकायत के आधार पर इसी मकान को गिराने का आदेश दिया था।

धारा–122 बी के अन्तर्गत तहसीलदार ने बेदखली का आदेश दिनांक 28–3–95 को पारित करते हुये क्षतिपूर्ति आरोपित किया था, क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु दिनांक 4–7–95 को गिरफ्तार भी किया गया किन्तु मुख्य राजस्व अधिकरी के आदेश दिनांक 11–7–95 द्वारा 28–3–95 के आदेश का क्रियान्वयन अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया।

जनपद सुल्तानपुर में ग्राम सम्भावा, परगना अमेटी तह० गौरीगंज के श्री राम किशोर का वृक्षारोपण के पट्टे की पैमाइश शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

148 श्री तेजभान सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधिकारी सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री राम किशोर पुत्र सोमई ग्राम सम्भावा परगना अमेठी तह० गौरीगंज जनपद सुल्तानपुर का दिनांक 21–3–95 का प्रार्थना पत्र जिसमें वृक्षारोपण के पट्टे की पैमाइश न करने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी पैमाइश की गयी यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हाँ।

जी हाँ।

राजस्व निरीक्षक गौरीगंज ने दिनांक 26–5–95 को पैमाइश करा कर कब्जा दिलाया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के विधान खण्ड चोपन के ग्राम पड़रछ में कैमूर सर्वे एजेन्सी द्वारा सेटलमेन्ट से सम्बन्धित कार्यवाही की जानकारी

149–श्री तीरथ राज–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोनभद्र जनपद में विकास खण्ड चोपन के ग्राम पड़रछ जहां सर्वे एजेन्सी द्वारा सेटलमेन्ट कार्यवाही की जा रही है, के राजस्व अभिलेखों में कुछ ऐसे खातेदारों के नाम भी अंकित है जिनका न तो ग्राम के कुटुम्ब रजिस्टर में नाम अंकित है और न ही वहां की मतदाता सूची में ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त खातेदार जिनका वहां आवासीय भवन नहीं है जो दूसरे राज्यों के भी हैं और जिन्होने वहां कभी कृषि भी नहीं की है, ग्राम पड़रछ के कागजात माल में उनके नाम सनिदार रुप में कैसे दर्ज है ? क्या मंत्री जी

अवैध तरीके से कागजात माल में की गयी गलत इन्द्राजों का खारिज करके दोषी व्यक्तियों व कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हाँ।

वर्तमान में आधार वर्ष 1369 फ० को खतौनी के अनुसार बन्दोबस्त की कार्यवाही हो रही है। ग्राम पड़रछ में कुल 12 खाते ऐसे पाये गये जिनका नाम उस ग्राम के कुटुम्ब रजिस्टर तथा मतदाता सूची में अंकित नहीं हैं। वर्ष 1369 फ० के पूर्व हुए बन्दोवस्त में इनके नाम अभिलेखों में अंकित हुये।

वर्तमान में बन्दोवस्त में अवैध इन्द्राजों को ठीक किया गया है तथा विधिक प्राविधानों के अंतर्गत जिस भूमि पर अन्य व्यक्ति काबिज रहे हैं, उनको स्वत्वाधिकार देकर अभिलेखों में उनके नाम अंकित किये जा चुके हैं. जिस पर अन्य व्यक्ति काबिज नहीं पाये गये उसे खारिज नहीं किया गया, क्योंकि माल ग्राम के कुटुम्ब रजिस्टर अथवा मतदाता सूची में नाम अंकित न होने के कारण या ग्राम में आवासीय भवन न होने के कारण किसी खातेदार का खाता खारिज नहीं हो सकता। अतः किसी व्यक्ति अथवा कर्मचारी के विरुद्ध को दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

150–151–श्री नजमुउद्दीन-

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

152–श्री हीरामणि पटेल-

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद व तहसील वाराणसी में ग्राम-खरावन पं० पन्द्रह के श्री रसूल बक्श को आवंटित भूमि तथा मृत्यु के सम्बन्ध में जानकारी एवं लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

153–श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि गांव लखंसीपुर परगना पन्द्रह त० व जिला वाराणसी में आराजी नं० 82, 82/235 व 83/रकबा क्रमशः 2–40 एकड़ व–1 डि० व–2 डि० आवंटन रसूल बक्श पुत्र अब्दुल गफूर, गांव खरावन पं० पन्द्रह त० व जिला-वाराणसी के नाम कर दिया गया है जबकि उस गांव में भूमिहीन व कम जमीन वाले अन्य लोग हैं ? क्या यह सही है कि रसूल बक्श व उसके परिवार का नाम मकान नं० 35 (ब) करके वोटर लिस्ट व कुटुम्ब रजिस्टर में चढ़ाया गया है जबकि मकान नं० 35 गजराज निवासी लखंसीपुर है, क्या सरकार दोनों गलत कार्यों के लिये उक्त गांवों के लेखपाल के खिलाफ कार्यवाही करेगा और यह भी जांच करायेगी कि रसूल बक्श की मृत्यु हो गयी ? क्या इस संबंध में प्रार्थनकर्ता ने राजस्व मंत्री को ता० 2–2–95 को एक पत्र लिखा है, यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हां।

भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव के अनुसार लखंसीपुर गांव में अनुसूचित जाति तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर न होने पर श्री रसूल के भूतपूर्व होने के कारण प्रश्नगत भूमि उन्हें आवंटित की गई।

जी हाँ।

प्रश्नगत पट्टा निरस्तीकरण हेतु मुख्य राजस्व अधिकारी वाराणसी के न्यायालय में वाद विचाराधीन है। निर्णयोपरान्त दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। ग्राम प्रधान लखंसीपुर द्वारा श्री रसूल बक्श की मृत्यु को प्रमाणित किया गया।

जी हाँ, प्रश्नगत पत्र पर जांच की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम पंचायत मिर्जापुर व कलान जनपद शाजहांपुर की जनसंख्या के सम्बन्ध में जानकारी

154-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत मिर्जापुर व ग्राम पंचायत कलान जनपद शाहजहांपुर की जनसंख्या कितनी है ? क्या यह वर्तमान पंचायत राज अधिनियम के प्रतिकूल नही है ? यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार ग्राम पंचायत मिर्जापुर की जनसंख्या 7705 तथा ग्राम पंचायत रफियाबाद कलान की जनसंख्या 5108 है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री आर०एन० भाटिया तत्कालीन निदेशक अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संस्थान की धनराशि आहरित किये जाने सम्बन्धी जानकारी

155-श्री उदय प्रकाश-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं०-3891/5-7-91-1072/91, दिनांक 2 जुलाई, 1991 चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 1954 के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा रु० 8,444,05 की धनराशि तत्कालीन निदेशक, श्री आर०एन० भाटिया द्वारा आहरित की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह धनराशि उन्हें अनुमन्य था ?

श्री रामपाल-

जी नहीं।

श्री आर०एन० भाटिया तत्कालीन निदेशक, अनुसूचित जाति, जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चिकित्सा व्यय हेतु शासनादेश संख्या-269-5-7-88-1071/दिनांक 6-2-88 के अन्तर्गत रू० 8558,55 पैसा आहरित किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

इसकी पुष्टि कराई जा रही है।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात कर्मियों को भूमि। भवन क्रय हेतु अग्रिम धनराशि स्वीकृति किये जाने सम्बन्धी जानकारी

156-श्री उदय प्रकाश-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष के कार्यालयों में तैनात कार्मिकों को भूमि/भवन क्रय हेतु अग्रिम धनराशि दस वर्षों में स्वीकृत की गयी है यदि हाँ, तो गत दस वर्षों में कितने कार्मिकों को क्या भूमि/भवन क्रयकर उनके द्वारा बन्धक रखा गया है? यदि हाँ तो कितने के द्वारा? यदि नहीं तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रामपाल-

जी हाँ।

266 कार्मिको को भूमि/भवन निर्माण क्रय अग्रिम स्वीकृत किया गया।

266 स्वीकृत मामलों में 122 कार्मिको को पूर्ण भुगतान किया गया जिसमें 65 कार्मिको द्वारा भूमि/भवन बन्धक रखा गया।

अपूर्ण भुगतान के 144 कार्मिको की अवशेष धनराशि का भुगतान बन्धक न होने के कारण रोक दिया गया है।

जनपद सुल्तानपुर की वन विभाग शाखा में कार्यरत लिपिक द्वारा फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर अपने दामाद व लड़के को नियुक्त किये जाने सम्बन्धी शिकायत पत्र पर जांच की मांग

157-श्री तेजभान सिंह-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के दिनांक 8-12-94 के पत्र के साथ श्री करमहुसैन व सूर्य नारायण पाण्डेय क्रमशः मंत्री व अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी सीजनल दैनिक वन कर्मचारी महासंघ वन विभाग शाखा सुल्तानपुर का प्रतिवेदन जिसमें विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान को बेहतर सुविधा के अतिरिक्त इसी जिले में कार्यरत अधिष्ठान लिपिक श्री रोशन अली द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर अपने लड़के दामाद को नियुक्त कराने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में किस अधिकारी से जांच करायी गयी ? जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामलखन वर्मा-

मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 8-12-94 विभाग में प्राप्त होने की सूचना उपलब्ध नहीं है परन्तु श्री करम हुसैन मंत्री तथा श्री सूर्य नारायण पाण्डेय, अध्यक्ष चतुर्थ श्रणी सीजनल दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ शाखा जनपद सुल्तानपुर का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 8-12-94 प्राप्त हुआ है।

वन संरक्षक, सरयू वृत्त की जांच के आदेश दिये गये हैं।

वन संरक्षक सरयू, वृत्त, फैजाबाद द्वारा दी गई प्राथमिक जांच के उपरान्त श्री अनवर हुसैन पुत्र श्री रोशन अली की सेवा से पृथक करने के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर में वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी श्री अनवर हुसैन के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

158-श्री तेजभान सिंह-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रोशन अली, अधिष्ठान लिपिक वन विभाग सुल्तानपुर के पुत्र श्री अनवर हुसैन आई०टी०आई० रामनगर, अमेठी, सुल्तानपुर रो०नं०-ए एम टी-21/89, जुलाई, सत्र, 1987-89 द्वारा ट्रेनिंग के साथ अमेठी वन रेंज में इसी समय सीजनल कर्मचारी के रुप में कार्य रहे थे ? यदि हां, तो क्या इस अनियमितता की जांच किसा वरिष्ठ अधिकारी से कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामलखन वर्मा-

श्री अनवर हुसैन पुत्र श्री रोशन अली, जुलाई, 88 से जुलाई, 90 तक दैनिक वेतन पर अमेठी रेंज में कार्यरत थे, न कि सीजनल कर्मचारी के रुप में।

वन संरक्षक सरयू वृत्त फैजाबाद द्वारा की गई प्राथमिक जांच के उपरान्त श्री अनवर हुसैन पुत्र श्री रोशन अली की सेवा से पृथक करने के आदेश दे दिये गये हैं तथा दोषी के विरुद्ध जांच कर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना में श्री मोहनलाल श्रीवास्तव लेखपाल की सेवानिवृत्त तथा उनके पेंशन आदि भुगतान न किये जाने का मामला

159-श्री तेजभान सिंह-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री मोहन लाल श्रीवास्तव, लेखपाल, तह० मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर को दिनांक 16-1-82 को अनिवार्य सेवा निवृत्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें पेशन, ग्रेच्युटी, जी०पी०एफ० आदि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जिलाधिकारी

परगनाधिकारी मुसाफिरखाना सुल्तानपुर को क्रमशः दिनांक 25-3-94 व 25-9-93 को इस संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी नहीं।

श्री मोहन लाल श्रीवास्तव, लेखपाल तहसील मुसाफिरखाना अनिवार्य रूप सेवानिवृत्त नहीं किये गये बल्कि सेवा से पृथक कर दिये गये थे।

अतः इन्हें पेंशन व ग्रेच्युटी देय नहीं है। इनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि का ही भुगतान इन्हें किया जा सकता है।

प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं है। परन्तु श्री मोहन लाल का दिनांक 21-4-94 का एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिस पर इनके भविष्य निधि लेखा खाता में उस समय जमा 1350/रूपये की धनराशि आहरित कर जमाकोष है जिसे श्री मोहन लाल सूचना देने पर भी नहीं प्राप्त किये हैं।

जनपद सीतापुर में वर्ष 1994-95 में स्वच्छकार विमुक्ति पुनर्वास योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जानकारी

160-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वच्छकार विमुक्ति पुनर्वास योजना के अन्तर्गत वर्ष 94-95 में जनपद सीतापुर में क्या-क्या कार्य किये गये तथा इस हेतु कितना धन राज्य सरकार से सीतापुर को प्राप्त हुआ है ?

श्री रामपाल-

स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत जनपद सीतापुर में वर्ष 94-95 में 151 स्वच्छकारों को विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषित कर सम्मानजनक पेशे में पुनर्वासित किया गया तथा 31 स्वच्छकार महिलाओं को सिलाई कार्य में प्रशिक्षण प्रदत्त किया गया।

इस हेतु सीतापुर को राज्य सरकार द्वारा अनुदान मद में रू० 15.78 लाख तथा मार्जिन मनी ऋण मद में रू० 5.24 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गयी।

ग्राम गच्छा जनपद बांदा की सही-सही नाप जोख कराने के सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

161-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या राजस्व मंत्री यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांकित 14-9-1994 के पत्र के साथ संलग्न श्री घनश्याम पुत्र श्री राम औतार निवासी ग्राम गच्छा जनपद बांदा का प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी जनपद बांदा को सन्दर्भित पत्र जो ग्राम की सही-सही नाप-जोख कराने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत प्रकरण पर जिलाधिकारी बांदा द्वारा तहसीलदार को सही जांच कराने हेतु आदेशित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हाँ।

जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 14-9-94 को परगनाधिकारी, बांदा को संदर्भित पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं।

जनपद बाराबंकी में तहसील राम सनेही घाट के सेवा निवृत्त चपरासी श्री राज बहादुर सिंह के अवकाश नकदीकरण का भुगतान न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण

162-श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील राम सनेही घाट जिला बाराबंकी के सेवा निवृत्त चपरासी श्री राज बहादुर सिंह के अवकाश नकदीकरण के अवशेष भुगतान के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-7 के पत्र संख्या-1090/1-7-93 रा-7, दिनांक 17/18-5-93 जिलाधिकारी, बाराबंकी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सन्दर्भित मामले पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस विलम्ब का कारण क्या है और अवशेष भुगतान कब तक करा दिये जायेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हाँ।

श्री राज बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त संग्रह चपरासी, तहसील रामसनेहीघाट, बाराबंकी के पुनरीक्षित वेतनमान में अवकाश नकदीकरण का अवशेष भुगतान उन्हें दिनांक 22-8-94 को कर दिया गया है। भुगतानन सम्बन्धी बिल कालातीत होने व उसका प्रो-आडिट होने के कारण उक्त भुगतान विलम्ब से हो पाया। अब भुगतान हेतु कोई धनराशि अवशेष नहीं है।

जनपद सुल्तानपुर में पचायतों के परिसीमन सम्बन्धी मानक के अनुसार विकास खण्ड बल्दीयराय में ग्राम पंचायत सफलेपुर और बल्लोपुर को दरियापुर से जोड़कर पंचायत के गठन का औचित्य

163-श्री मित्रसेन यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने ग्राम पंचायतों के परसीमन संबंधी कोई मानक निर्धारित किया था ? यदि हां, तो जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बल्दीयराय में स्थित ग्राम पंचायत सफलेपुर, बल्लोपुर को सादुल्लापुर से सम्बद्ध करके खण्ड विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत का गठन किया था, जो बाद में जिला स्तर से संशोधित करके सफलेपुर और बल्लोपुर को दरियापुर से जोड़कर ग्राम पंचायत का गठन कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका औचित्य और आधार क्या है ? क्या यह सही है कि बल्लोपुर सफलेपुर को दरियापुर से जोड़कर ग्राम पंचायत का किया गया गठन सरकारी निर्देशों, मानदण्डों और नियमों के विपरीत है ? इस संशोधन के विपरीत दिये गये प्रत्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जी हाँ।

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा संशोधित) की धारा-12 में ग्राम पंचायतों के परिसीमन संबंधी मानक निर्धारित है।

जी हाँ।

शासन के निर्देशों के परिपालन में स्थानीय विधायक द्वारा दिये सुझाव पर सक्षम स्तर से जांचोपरान्त नियमानुसार सफलेपुर और बल्लोपुर को दरियापुर से जोड़कर पंचायत क्षेत्र पुनर्गठित किया गया है।

उपर्युक्त पुनर्गठन के विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों को जांचोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारित कर दिया गया।

जनपद व तहसील वाराणसी के ग्राम खराबन प० पन्द्रहा में कब्रिस्तान के रैवन्यू रिकार्ड में दर्ज होने सम्बन्धी–जानकारी

164–श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव खराबन प० पन्द्रहा त० जिला वाराणसी में आराजी नं०–689 रकबा 81 डि० पर बन्दोबस्त से कब्रिस्तान रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है ? क्या चकबन्दी होते वक्त भी आ० नं० 662,687,685,607,1414, 1415 व 1616 से काटकर 47 डि० का एक और कब्रिस्तान दर्ज किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हाँ।

चकबंदी क्रियाओं के अन्तर्गत जोत चकबंदी आकार-पत्र-21 (सिद्धान्तों के विवरण) की तैयारी के समय प्रश्नगत गाटों में 0–46 एकड़ भूमि कब्रिस्तान हेतु सुरक्षित की गई है।

उक्त कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत की गई है।

अग्रेतर कार्यवाही भी न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत संभव है।

165–श्री ऊदल-

[2सरे शुक्रवार में अता०प्र०सं०–180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

166–श्री ऊदल-

[2सरे शुक्रवार में अता०प्र०सं०–175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लाखापुर पो० खराबन प० पन्द्रहा जनपद वाराणसी में कब्रिस्तान की जमीन रद्द किये जाने का मामला

167–श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर जफ्त आयुक्त वाराणसी ने मु० अली लाखापुर खराबन पो० खराबन प० पन्द्रहा जिला वाराणसी के प्रार्थना-पत्र पर अपने पत्र व० सं० 292/अ०व० आ०दिनांक 18–12–91 के द्वारा न्यायालय चकबन्दी अधिकारी, वाराणसी को दिया ? यदि हां, तो चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र, बड़गांव वाराणसी ने सरकारी बजट व अपर आयुक्त के पत्र के आधार पर अ०नं० 674/1 रकबा-87 डि० पर तमाम वाशिन्दों की आपत्ति के बाद भी कब्रिस्तान दर्ज कर दिया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त फर्जी आदेश व पत्र के आधार पर अंकित किया गया कब्रिस्तान रद्द करेगी और उक्त जमीन पर आबद लोगों की आबादी दर्ज करेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हाँ।

राजकीय गजट एवं अपर जफ्त आयुक्त के पत्र के आधार पर चकबंदी अधिकारी ने बाद संख्या 5970 में दिनांक 28–9–94 को न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत कब्रिस्तान दर्ज करने का आदेश दिया है।

मामले में जांचोपरांत यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद वाराणसी के कतिपय ग्रामों में नीलगायों द्वारा किसानों की फसलों की क्षति पहुंचाने तथा रोगों के उन्मूलन की योजना के सम्बन्ध में जानकारी

168–श्री ऊदल-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक पिण्डरा के गांव, कहरका, पिंडरा, गाजीपुर, नदीय, परसरा तथा ब्लाक बड़ागांव में कुडी, सरावां, वनुआ महिमापुर, असवारी, जनकपट्टी, त० व जिला वाराणसी में नील

गायें (वनरोज) झुंड के झुंड में किसानों की बैध फसल को चर जा रही है ? क्या यह भी सही है कि गांव जगदीशपुर के (परसइनी) चन्द्रिका पुत्र शुभकरन को मार कर इसी वर्ष 94 में घायल कर दिया था ? क्या इसी तरह से गांव असवारी ब्लाक बड़ागांव के एक 12 वर्षीय बालक को भी घायल कर दिया था ? क्या सरकार नील गाय (वनरोज) के उन्मूलन हेतु कोई योजना बनवायेगी ? क्या यह सही है कि जानवर नील गाय (वनराज) वन्य जीव भी नही है और किसी भी कार्य में नही आता है ?

श्री रामलखन वर्मा-

जी हाँ। इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

जी हाँ।

जी हाँ।

कृषि व जान-माल की हानि पहुँचाने वाले उत्पाती वनरोजों (नीलगायों) को आवश्यकतानुसार नष्ट करने के लिये जिलाधिकारियों को अपने–अपने अधिकारिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अनुज्ञा-पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया गया है।

जी नहीं।

वनरोज (नीलगाय) वन्य जीव है। यह प्रजाति प्राकृतिक तंत्र तथा खाद्य चक्र का अभिन्न अंग होने के कारण इसका अपना महत्व है।

169-श्री ऊदल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट के ग्राम बहेरलाडीह में स्थित चक मार्ग का क्षेत्रफल बन्दोबस्ती क्षेत्रफल के अनुसार किये जाने की मांग

170-श्री तीरथ राज-

प्रथम सत्र, 1992 के दूसरे गुरुवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न संख्या-29 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चक मार्ग सं०201 (पुराना नं०) का मानचित्र एवं बन्दोबस्त के अनुसार क्या क्षेत्रफल था ? चक मार्ग से दक्षिण लगे हुए चकों राम देव सिंह, बीर बहादुर, शिव बहादुर सिंह, राम लखन सिंह व राम कुमारी पत्नी राम देव सिंह का मानचित्र एवं बन्दोबस्त के अनुसार क्षेत्रफल क्या था ? क्या यह सत्य है कि हाल की चकबन्दी में चकमार्ग संख्या-201 (पुराना नं०) के मानचित्र का क्षेत्रफल कम कर दिया गया है एवं सन्दर्भित चकों के मानचित्र का क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है ? यदि हां, तो सन्दर्भित प्रकरण में कौन-कौन से व्यक्ति दोषी है ? मानचित्र का क्षेत्रफल बन्दोबस्त के क्षेत्रफल के अनुसार करवाने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

पुराना गाटा सं०-201 का क्षेत्रफल मानचित्र एवं बन्दोबस्त के अनुसार 12- बिस्वा15 बिस्वांसी था।

प्रश्नगत गाटा सं०-201 (पुराना नम्बर) से लगे हुये दक्षिण गाटा संख्या-208, रामदेव सिंह, 1 बीघा 5 बिस्वा 13- बिस्वांसी, गाटा सं०204 बीरबहादुर सिंह, 16 बिस्वा, 6 बिस्वांसी, गाटा सं०205 शिवबहादुर सिंह, 16 बिस्वा, गाटा सं०-202, रामलखन सिंह, 16 बिस्वा तथा गाटा सं०-203, राजकुमारी, 15 बिस्वा 19 बिस्वांसी मानचित्र व बन्दोबस्त के अनुसार क्षेत्रफल था।

वर्तमान चकबंदी के अन्तर्गत तैयार किये गये भू–चित्र में प्रश्नगत गा ा सं०-202 (पुराना नम्बर) के मानचित्र का क्षेत्रफल कम नहीं किया गया है, अनुसार बन्दोबस्त है। किन्तु अन्तिम भू–चित्र तैयारी के समय अनुरेखक द्वारा अन्तिम भू–चित्र में प्रश्नगत गाटा सं०-201 (पुराना न०) के मानचित्र का क्षेत्रफल कम कर दिया गया है। श्री अशोक कुमार, अनुरेखक अंतिम भू–चित्र की तैयारी में असावधानी बरतने हेतु दोषी हैं। अतः

उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी, बाराबंकी को निर्देशित कर दिया गया है।

चकबंदी अधिकारी सदर न उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम-1953 की धारा-42 (ए) के अन्तर्गत वाद संख्या-83, तारीख फैसला 6-2-95 द्वारा संदर्भित गाटा संख्या-201 (पुराना नम्बर) अन्तिम एवं भू-चित्र का क्षेत्रफल पूर्व मानचित्रों एवं बन्दोबस्त के अनुसार 12 बिस्वा 15 बिस्वांसी दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया है।

जनपद महाराजगंज में किसानों को राजस्व विभाग द्वारा किसान बही उपलब्ध न कराये जाने के कारण

171-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज में भूराजस्व अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत किसानों को किसान बही राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो किन कारणों से किसान बही का वितरण किसानों में नही किया जा रहा है ? क्या सरकार तत्काल कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए किसान बही बितरण करने का आदेश जारी करगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हाँ।

किसानों को किसान बही का वितरण किया जा रहा है। अब तक 74610 किसानों को किसान बही वितरित की जा चुकी हैं। शेष किसानों को किसान बाहयों में प्रविष्टि आदि पूर्ण कराते हुये तैयार किसान बहियाँ वितरि। करने की कार्यवाही की जा रही है।

कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुये शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत ही किसान बहियों का वितरण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, एरियर के भुगतान एवं ई०पी०एफ० कटौती सम्बन्धी जानकारी

172-श्री निरवेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित विभिन्न परियोजनाओं व जनपदों में निगम के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को नियमित रुप से वेतन, भत्तों, एरियर का भुगतान एवं उनके ई० पी० एफ० की कटौती, नियमानुसार करके उनके खाते में नियमित रुप से जमा हो रही है ? यदि हां, तो क्या उसके खाते कर्मचारियों को उपलब्ध करा दिये गये ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री रामपाल-

अधिष्ठा। मद में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि० के कर्मचारियों को नियमित रुप से वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। प्रबन्ध निदेशक द्वारा मांग किये जाने पर अधिष्ठान मद में अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करा। जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। धनराशि उपलब्ध होने पर उनके वेतन व अन्य भत्तों का भुगतान किये जाने तथा ई.पी.एफ. का कटौती नियमानुसार करने की कार्यवाही की जायेगी।

जी नहीं। कर्मचारियों के ई.पी.एफ. खाते पूर्ण कराकर कार्मिकों को उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में ग्राम-मामूरा के श्री मेंदा, पुत्र श्री जाहरिया को मकान का मुआवजा देने की मांग

173-डा० सुरेश प्रताप सिंह चौहान-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंग कि नोयडा गाजियाबाद में पुराने बसे किसानों को क्यों उजाड़ा जा रहा है ? क्या यह सही है कि ग्राम-मामूरा में श्री मेंदा पुत्र श्री जाहरिया की भूमि खसरा नं०-219 खाता संख्या-50/2-10-16 क्षेत्रफल पर आबादी बनाकर चाहरदीवारी व चार कमरों सहित बसे थे ? यदि हां, तो क्या उन्हें उजाड़ा गया व विरोध करने पर इनके खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इन भूमि को फ्लैक्स ग्रुप इडस्ट्रीज को बगैर भूमि अर्जन किये एलाट कर दी गयी है ? क्या इस भूमि को आवास हेतु छोड़ा जायेगा व इनके मकानों का मुआवजा दिया जायेगा ? यदि हां, ता कब तक ? क्या इनके बसने के लिए भूमि 2-10-16 क्षेत्रफल की गांव के नजदीक दी जायेगी जैसे कि अन्य लोगों को प्रदान की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

पुराने बसे किसानों को उजाड़ा नही जा रहा है।

ग्राम मामूरा के खसरा नं०-219 के 2-10-16 बीघा क्षेत्रफल पर श्री मेंदा आबादी बनाकर नहीं रह रहे थे, अपितु उनके द्वारा नोयडा को अर्जित व कब्जा प्राप्त भूमि पर अतिक्रमण करने पर उनका अतिक्रमण हटाया गया था तथा इस प्रक्रिया में प्राधिकरण के अधिकारी पर प्राणघातक हमला करने पर एक व्यक्ति श्री रघुवीर सिंह के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कराई गई थी।

प्राधिकरण द्वारा भूमि का अर्जन कर औद्योगिक रुप मं दो वर्ष पूर्व उसका सुनियोजित विकास किया जा चुका है जहां पर औद्योगिक इकाईयों के लिए भू-खण्ड आवंटित किये जा रहे है। जिनमें से फ्लैक्स ग्रुप एक है। अतिक्रमण होने के कारण निर्माण के प्रतिकर के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मेंदा द्वारा मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने के कारण प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद व तहसील वाराणसी में गांव धानापुर परगना कसवार राजा के काश्तकारों को मुआवजा न दिये जाने के कारण

174-श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव धानापुर परगना कसवार राजा त०व०जि० वाराणसी की आराजी नं०-नया 104 व 105 इसका पुराना नं०-112 को सरकार ने आबादी हेतु 14 जनवरी, 76 में एक्वायर करके आबादी को आवंटित कर दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसका मुआवजा अब तक उन काश्तकारों को नहीं दिया गया जिसकी यह जमीनें थी ? यदि हां, तो मुआवजा न देने का कारण क्या है ? क्या सरकार तुरन्त मय ब्याज के मुआवजा का वितरण करा देगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हां।

जिलाधिकारी को नियमानुसार भू-अर्जन कराकर प्रतिकर के भुगतान हेतु आदेश दे दिये गये है।

जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील में बाढ़ तथा अतिवृष्टि से प्रभावित मकानों और अनुदान प्राप्त व्यक्तियों से सम्बन्धित जानकारी की मांग

175-श्री सतीश भाटिया-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1993-94 में जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील में बाढ़ तथा अतिवृष्टि से कुल कितने मकान क्षतिग्रस्त तथा धराशायी हुए ? क्या यह भी बतायेंगे कि इनमें से कितने व्यक्ति

गृह अनुदान के पात्र थे तथा उनका पूरा नाम, पता क्या है तथा अनुदान के रुप में कितनी धनराशि उन्हें प्रदान की गयी ? क्या कुछ अपात्र व्यक्तियों को भी अनुदान दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

वर्ष, 1993-94 में जनपद सिद्धार्थनगर की बांसी तहसील में बाढ़ तथा अतिवृष्टि से कुल 10,923 मकान क्षतिग्रस्त हुये। इनमें से 6039 व्यक्ति गृह अनुदान के पात्र थे जिनमें 29,97,450/—रूपये गृह अनुदान के रुप में वितरित किये गये। गृह अनुदान प्राप्तकर्ता का नाम पता तथा धनराशि का विवरण अवलोकनार्थ मेरे कक्ष में उपलब्ध है। मा० सदस्य अपनी सुविधानुसार उक्त विवरण देख सकते हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में ग्राम सभा मानपुर तह०हण्डिया के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

176-श्री जवाहर लाल दिवाकर-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा मौनपुर तहसील हण्डिया, जनपद इलाहाबाद के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर आराजी सं०-300 एवं अराजी सं०-97 पर अतिक्रमण एव अनधिकार कब्जा कर रखा गया है ? उक्त प्रधान के विरुद्ध कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

भूखण्ड संख्या-97/2 क्षेत्रफल 0-017 हैक्टेयर पर श्री जंगबहादुर पुत्र बाबूलाल, ग्राम प्रधान तथा भूखण्ड संख्या-300/0-2-0 पर फतेहबहादुर पुत्र कालीदीन जंगबहादुर, विजयबहादुर पुत्रगण बाबूलाल का अनधिकृत कब्जा पाया गया है, जिसकी बेदखली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

जनपद बस्ती की सदर तहसील की निराश्रित विधवाओं को भरण पोषण हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि का वितरण

177-श्री रमापति उर्फ रमाकान्त-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-15 के उत्तर के क्रम में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद की सदर तहसील के ग्राम सभा डिडौहा की उन विधवाओं की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिन्हें वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92, तथा 1992-93 में विधवा पेंशन दी गयी ? प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी धनराशि उन्हें दी गयी ? यदि न ी, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल-

प्रश्नगत ग्राम की वर्ष 1985-86 से 1992-93 तक की निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान प्राप्त लाभार्थियों की सूची संलग्न है।

वर्षवार प्रदत्त अनुदान संबंधी धनराशि संलग्न विवरण में अंकित है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ----178---------पर)

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन भुगतान की स्थिति

178-श्री राम सरन वर्मा-

क्या सरकार के संज्ञान में है कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान विगत लम्बे अरसे से नही हुआ है ? यदि हां, तो भुगतान कब तक हो जायेगा ? क्या पेंशन पाने वालों की ऐसी सूची उपलब्ध करायेंगे जिसमें कि पेंशन स्वाकृति होने की तिथि एवं भुगतान हो जाने की तिथि का भी उल्लेख हो ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल-

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र के वृद्धावस्था पेंशन तथा निराश्रित विधवा भरण–पोषण अनुदान योजना के पात्र लाभार्थियों को सितम्बर 1994 तक का भुगतान किया जा चुका है।

अग्रेतर अवधि के लिए धनराशि की व्यवस्था की जा चुकी है, जिसे भुगतान किया जा रहा है।

जी हां। सूची तैयार का जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में ग्राम सभा बरावां व तहसील, रुदौली में फर्जी भूमि आंवटन को निरस्त कराये जाने की मांग

179-श्री लाल मणि प्रसाद-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सभा बरावां, परगना व तहसील रुदौली, जनपद बाराबंकी में वर्ष 1988 में किये गय भूमि के फर्जी आवंटन की जांच वर्ष 1992 में की गयी थी ? क्या उक्त जांच में अनियमिततायें सिद्ध हो जाने के कारण फर्जी आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी जो जिले स्तर पर अभी तक लम्बित है ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन सी अनियमिततायें पायी गयी ? क्या सरकार उक्त फर्जी आवंटन के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हाँ।

जी हाँ।

आवंटन अनियमित पाये गये जिसके निरस्तीकरण की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में ग्राम रहलपुर कौड़हा तह० अकबरपुर, के श्री नान्हू द्वारा फर्जी रूप से जाति चमार बनकर, शासन द्वारा प्राप्त सुख–सुविधाओं के उपभोग किये जाने के सम्बन्ध में जांच की मांग

180-श्री धामू राम भास्कर,
श्री अजय कुमार पोइया
तथा
श्री तिलक राज बेहड़-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुखराजी पत्नी मिश्रीलाल चमार, निवासी-ग्राम रहलपुर कौड़हा, तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद ने जिलाधिकारी, फैजाबाद को दिनांक 16-2-95 को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया था कि उसके गांव के निवासी श्री नान्हू ने फर्जी तरीके से अपनी जाति धर्म चमार

लिखवाकर हरिजनों को शासन द्वारा प्राप्त सुख–सुविधाओं को उपभोग किया है और उसी आधार पर उसका खानदानी बनकर जमीन जायदाद हड़प लेना चाहता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा उसकी जांच अपने स्तर से करायी और उक्त संबंध में सी० डी० ओ० फैजाबाद को कोई आदेश भी दिया ? यदि हां, तो जिलाधिकारी ने जांच के दौरान शिकायत के आधार पर उक्त संबंध में प्रार्थिनी के माध्यम से व अन्य माध्यमों से कौन–कौन से साक्ष्य प्राप्त किये और कब क्या आदेश किया ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हाँ।

जी हां। जिलाधिकारी के स्तर से जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री नान्हू करामत हुसैन के पुत्र हैं जो हरिजन बनकर अनेकों शासकीय सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 25-4-93 को परगनाधिकारी, अकबरपुर को विस्तृत छानबीन करके यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये कि श्री नान्हू द्वारा अवैधानिक रुप से किसी सुविधा का लाभ न लिया जा सके। यदि ऐसा कोई लाभ अर्जित किया जा रहा हो तो उससे तत्काल वंचित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। मुख्य विकास अधिकारी, फै ाबाद को पत्र की प्रति पृष्ठांकित करते हुये यह अपेक्षा की गई थी कि यदि कोई सुविधा श्री नान्हू द्वारा प्राप्त की गई हो तो उसकी तत्काल वसूली सुनिश्चित की जाय। तदनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाय।

जिलाधिकारी के आदेशानुसार मुख्य टास्क फोर्स अधिकारी/अर्थ एवं संख्याधिकारी से आख्या प्राप्त की गई। आख्या दिनांक 15-4-94 के अनुसार श्री नान्हू ने आई०आर०डी० योजना में स्पेलर लगाने हेतु 2500 रूपये अनुदान व 2500/– रूपये ऋण के रुप में प्राप्त किये। वसूली हेतु दिनांक 28-4-94 को परगनाधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी, अकबरपुर, फैजाबाद को निर्देशित किया गया। दिनांक 28-4-94 को ही थाना मालीपुर फैजाबाद में भा०द०वि० की धारा-467/468 के अन्तर्गत श्री नान्हू के विरूद्ध अपराध पंजीकृत किया गया। वसूली हेतु कार्यवाही में नोटिस जारी होने पर वसूली न हो पाने पर गिरफ्तारी हेतु वारण्ट जारी किया गया, पूर्ण प्रयास के पश्चात भी गिरफ्तार न हो सकने पर कुर्की की कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर मण्डल में निराश्रित विधवाओं, वृद्धावस्था व विकलांग पेंशन प्राप्त करने वालों के भुगतान सम्बन्धी प्रकरण

181–श्री विश्वनाथ-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल में निराश्रित विधवाओं, वृद्धावस्था व विकलांग पेंशन प्राप्त करने वालों की पेंशन की रकम कितनी भुगतान करने की शेष है और यह कब तक भुगतान कर दी जायेगी ?

श्री श्रीराम पाल-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बाराबंकी के ग्राम रामपुर जोगा में दिनाँक 28 अक्टूबर 1989 को कतिपय व्यक्तियों को आवंटित भूमि एवं जांचोपरान्त अनियमित पट्टों का न्यायालय में सम्बन

182-श्री राम आसरे वर्मा-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1990 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता० प्रश्न संख्या-159 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर जोगा, पो० बरौली जाटा, जनपद बाराबंकी द्वारा ग्राम प्रधान एवं परगनाधिकारी (श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव) द्वारा नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार को प्रस्तुत किये बगैर सीधे पत्रावली अनुमोदित कर दी थी ? इस प्रकरण में दोषी परगनाधिकारी नवाबगंज एवं ग्राम

प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक कार्यवाही की जायेगी और अनियमित पाये गये पट्टे को लम्बित न्यायालय द्वारा कब तक निस्तारण करा दिया जायेगा ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हाँ।

श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन परगनाधिकारी नवाबगंज द्वारा ग्राम प्रधान के भतीजे एवं उप प्रधान को पट्टा स्वीकृत करने के पूर्व तत्कालीन जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त न करने के सम्बन्ध में भूमि के पट्टे जैसे महत्वपूर्ण कार्य में पर्याप्त सावधानी न बरते तथा नियमानुसार कार्यवाही न किये जाने के लिये उन्हें निन्दित किया गया है।

अनियमित पट्टों को निरस्त करने की कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम रामपुर जौगा, पो० बरौली जाटा जनपद बाराबंकी की ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव द्वारा पंचायत भवन के निर्माण में किये गये घपले की शिकायत

183-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम रामपुर जौगा, पो० बरौली जाटा, जनपद बाराबंकी में ग्राम प्रधान एवं पंचायती सेक्रेटरी द्वारा वर्ष 1989-90 में पंचायत भवन निर्माण कार्य में घपला किया गया था ? यदि हां, तो किस के द्वारा जांच करायी गयी ? जांच कराने के बाद दोषी ग्राम प्रधान एवं पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध कब और क्या कार्यवाही की गयी ? यह प्रकरण कब से किस स्तर पर लम्बित रहा ? इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है ? क्या इस विचाराधीन कार्यवाही के पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? संबंधित ग्राम प्रधान के संबंध में मौजूदा स्थिति क्या है ? यदि वह दोषी है, तो उन्हें कब तक निलम्बित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जी हाँ।

प्रकरण की जांच मुख्यतः जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी, सहायक अभियन्ता, डी०आर०डी०ए० बाराबंकी तथा तहसीलदार नवाबगंज से करायी गयी।

ग्राम पंचायत अधिकारी को आदेश दि० 27.3.90 द्वारा निलम्बित किया गया तथा ग्राम प्रधान के विरुद्ध स्पष्टीकरण प्राप्त कर कारण बताओं नोटिस दी गयी थी।

प्रकरण में संबेधित प्रधान ने मा० उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर रखी है। अतः मामला न्यायाधीन (सब-जुडिस) होने के कारण अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका।

नई पंचायत राज व्यवस्था में प्रधान को निलम्बित करने संबंधी कोई व्यवस्था नहीं है। संबंधित प्रधान वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत कराये गये चुनाव में चुनाव हार चुका है।

184-श्री फौजदार प्रसाद-

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद रायबरेली में निराश्रित विधवा, विकलांग एवं वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान एवं पेंशन हेतु नये लाभार्थियों के चयन के सम्बन्ध में जानकारी

185-श्री राजाराम त्यागी तथा श्री शिवेन्द्र सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि रायबरेली जिले में निराश्रित विधवा, विकलांग एवं वृद्धावस्था

पेंशन के पूर्व से उक्त लाभ पाने वाले लाभर्थियों को दो वर्षों से उनकी पेंशन का पूर्ण भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि उन्हें भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? क्या नये लाभर्थियों का चयन भी किया जा रहा है ? यदि हां, तो बिना पूर्व बकाया भुगतान किये उक्त शिविर क्यों लगाये जा रहे है ? अब तक जिले में कहां-कहां शिविर लगे है ? पेंशन हेतु प्रार्थियों ने कितने प्रार्थना–पत्र दिये है ? उनमें से कितने लोगों को पेंशन स्वीकृत की गयी ? स्वीकृति का मापदण्ड क्या अपनाया गया है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल-

जनपद रायबरेली में निराश्रित विधवा एवं विकलांग भरण–पोषण अनुदान में वर्ष 1994-95 की प्रथम छमाही तक का तथा वृद्धावस्था पेंशन में फरवरी, 95 तक का भुगतान संबंधित लाभार्थियों को किया जा चुका है।

अवशेष अवधि की अनुदान संबंधी धनराशि का भुगतान संसाधन की कमी के कारण समय से नहीं किया जा सका है।

भुगतान के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था राज्य स्तर पर की जा चुकी है, जनपदों को धनराशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।

जी हाँ।

प्रश्नगत योजनाओं में बचनबद्ध लाभार्थियों के अतिरिक्त वर्ष 94-95 हेतु नवीन लक्ष्य जनपदों को निर्धारित किये गये थे जिनके सापेक्ष पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु शिविर लगाये गये हैं।

जनपद के समस्त 19 विकास खण्डों में शिविर आयोजित किये गये हैं।

निराश्रित विधवाओं के 13000, विकलांगों के 4096 एवं वृद्धावस्था/किसान पेंशन के 13943 प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए हैं।

निराश्रित विधवाओं में 400, निराश्रित विकलांगों में 600 तथा वृद्धावस्था/किसान पेंशन में 1600 लोगों को पेंशन स्वीकृत की गयी है।

निर्धारित नियमों के अधीन पात्रता को स्वीकृति का मापदण्ड बनाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के तहसील गौरीगंज अन्तर्गत ग्राम करौलिया में परगनाधिकारी द्वारा मछली पालन हेतु दिये गये पट्टे को निरस्त करने की मांग

186-श्री तेजभान सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के तहसील गौरीगंज अन्तर्गत ग्राम करौलिया में परगना अधिकारी गौरीगंज द्वारा मछली पालने के लिये अबदहा तालाब को पट्टे पर देने के विरोध में माह जून में कोई प्रार्थना–पत्र सामूहिक रुप से ग्रामवासियों ने दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम सभा के सदस्यों ने विरोध स्वरुप इस्तीफा भी दिया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुयी ? क्या सामूहिक पत्र में दर्शाये गये बिन्दुओं के औचित्य की जांच की गयी है ? क्या उक्त पट्टा सरकार निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी नहीं।

जी नहीं।

ग्राम सभा के चार सदस्यों द्वारा आवास स्थल का आवंटन प्राप्त करने हेतु क्षेत्र समिति जामो को त्याग पत्र दिया था, जो उसी तिथि को ही स्वीकृत कर लिया गया।

सदस्यों द्वारा आवास आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अपने पद से त्याग पत्र दिया गया था इसलिये शासन स्तर पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

कथित प्रार्थना–पत्र प्राप्त न होने से इस सम्बन्ध में कोई उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है।

आवंटन में कोई अनियमितता प्रकाश में न आने के कारण निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के तहसील बाजपुर अन्तर्गत ग्राम गोबरा के निर्धन भूमिहीन सिखों को भूमि का पट्टा दिये जाने से सम्बन्धित शासन के निर्णय की जानकारी

187–श्री चेतराम–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद नैनीताल के तहसील बाजपुर अन्तर्गत ग्राम गोबरा के निर्धन, भूमिहीन सिखों को लम्बे अर्से से काबिज, भू-राजस्व अभिलेखों में दर्ज, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व मा० मुंसिफ न्यायालय, काशीपुर द्वारा दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि का पट्टा दिये जाने विषयक पूर्व विधायक, डा० गंगा बख्श सिंह का पत्र दिनांक 1–10–93 राजस्व अनुभाग-2 उ०प्र० शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या प्रकरण में अपेक्षित शासकीय निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो कब तथा क्या? यदि नही तो क्यों?

श्री रामलखन वर्मा–

जी हाँ। पूर्व विधायक डा०गंगा बख्श सिंह का पत्र मेमो/93, दिनांक: 1/5–10–93 राजस्व विभाग के माध्यम से वन विभाग में प्राप्त हुआ है।

जी नहीं।

मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद बाराबंकी में वर्ष 1991–92 व 1992–93 में प्राइमरी जूनियर विद्यालयों के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्र–वृत्ति वितरित किये जाने में बरती गई धांधली की जांच

188–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में वर्ष 1991–92 व 1992–93 में कितने प्राइमरी/जूनियर विद्यालय ऐसे है, जिनके अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी है? उक्त छात्रवृत्ति देने से पूर्व उनका सत्यापन किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया था? क्या यह सही है कि फर्जी छात्र संख्या दिखाकर, कर्मचारियों से सांठ-गांठ करके, अनुसूचित जाति के छात्रों के नाम पर, फर्जी धनराशि उक्त वर्षों में ली गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी? क्या सरकार दोषी अधिकारी–कर्मचारी को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीराम पाल–

जनपद बाराबंकी में वर्ष 1991–92 में 1536 प्राइमरी विद्यालयों तथा 368 जूनियर विद्यालयों एवं वर्ष 1992–93 में 1480 प्राइमरी विद्यालयों तथा 292 जूनियर विद्यालयों को उनके यहां अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

शासनादेश संख्या–3492/26–3–91–4(215) 90, दिनांक 4 अक्टूबर, 1991 द्वारा विद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरित करने की प्रणाली के क्रियान्वयन के पूर्व वर्ष 1991–92 में छात्रवृत्ति देने से पूर्व शिक्षा विभाग के प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी/समाज कल्याण पर्यवेक्षकों द्वारा सत्यापन किया गया था। इसके बाद प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापन किया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

189—श्री बेचन राम—

जनपद गोरखपुर के खजनी तहसील में ग्राम सई खुर्द के बंजर भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने का मामला

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के खजनी तहसील में ग्राम सई खुर्द के बंजर भूमि पर अवैधानिक रुप से कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है ? क्या कब्जा करने वाले उक्त व्यक्ति भूमिहीन है ? यदि नही, तो क्या मंत्री जी उस भूमि को खाली करा कर गांव के भूमिहीनों को भूमि दिलाने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि अवैधानिक रुप से कब्जा करने वालों के विरुद्ध ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी गोरखपुर को सूचित किया है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

प्रश्नगत ग्राम के भूखण्ड संख्या-15/0.093 जो गांव सभा के जंगल की भूमि है तथा भूखण्ड संख्या-108/0.016 जो नवीन परती है, पर अवैध कब्जा किया गया है।

जी नहीं।

भूमि को खाली कराने के लिये सभी अतिक्रमणकारी व्यक्तियों के विरुद्ध जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 122 बी के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

अतिक्रमण से भूमि मुक्त कराने के बाद।

जी हां।

ग्राम प्रधान द्वारा दिये गये प्रार्थना—पत्र की विधिवत जाँच कराई गयी, जिसके बाद अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

ग्राम बलिवन तप्पा बलिवन तहसील सलेमपुर जनपद देवरिया के श्री कपिलदेव सिंह की मृत्यु तथा उनके जायदाद सम्बन्धी मामला

190-श्री मुक्तिनाथ यादव-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बलिवन तप्पा बलिवन, तहसील सलेमपुर जिला देवरिया के कपिलदेव सिंह की मृत्यु दिनांक 21-8-91को हो गयी है ? क्या उनकी जायदाद दिनांक 19-9-91 को बिहार में रजिस्ट्री करा ली गयी है ? क्या इस संबंध में श्री कपिल देव सिंह की पत्नी श्रीमती जमुनी बाई का शिकायती—पत्र दिनांक 16-1-94 को जिलाधिकारी देवरिया को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु०अ० संख्या-202/93 धारा-147/452/323/506/427/467/468/471 भा०द०वि० थाना खामपार में पंजीकृत हुआ। जमीन का विवाद न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण धारा-467/468/471 भा०द०वि० को निकालकर शेष धाराओं की विवेचना हुई।

अभियुक्त राम अशीष व रामजी गिरफ्तार हुये तथा शेष अभियुक्त हाजिर अदालत हुये। इस अभियोग में आरोप पत्र दिनांक 30-9-93 को न्यायालय में प्रेषित किया गया है। न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में परगना अमोढ़ा तहसील हरैया ग्राम नागपुर टिकइत में ग्राम समाज की सम्पत्ति पर अवैध निर्माण व चकरोडों को नष्ट करने के सम्बन्ध में जांच की मांग

191–श्री नरेश अग्रवाल-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम नागपुर टिकइत परगना अमोढ़ा, तहसील हरैया जिला बस्ती के ग्राम समाज की सम्पत्ति पर अवैध निर्माण व चकरोडों को नष्ट करने आदि के संबंध में श्री लालजी पाण्डेय एडवोकेट के दिनांक 14–1–94 को कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी बस्ती व कमिश्नर गोरखपुर को दिया है जिसकी प्रतिलिपि राजस्व मंत्री व मुख्य मंत्री को प्रेषित है ? यदि हां, तो क्या इस परिप्रेक्ष्य में जांच कराकर विस्तृत जांच आख्या सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हाँ।

इस सम्बन्ध में जांच करा ली गई है। जांच आख्या मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

जनपद गोण्डा परगनाधिकारी मनकापुर द्वारा ग्राम धरमदास परगना बभनीपाथर तहसील मनकापुर में अनुसूचित जाति के कतिपय लोगों को भूमि आवंटन में बरती गयी अनियमितता एवं जांच

192–श्री नरेश अग्रवाल-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 24–12–88 को परगनाधिकारी, मनकापुर जिला गोण्डा ने ग्राम धरमदास परगना बभनीपाय, तहसील मनकापुर जिला गोण्डा की ग्राम समाज की लगभग 14 (चौदह) बीघा जमीन महज 3 (तीन) अनुसूचित जाति के लोगों के नाम अवैधानिक रुप से आवंटित करके अन्य गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों का हनन किया गया है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि इस संबंध में ग्राम के श्री नन्द लाल आदि तमाम अनुसूचित जाति के लोगों ने दिनांक 14–1–94 को शिकायती-पत्र जिलाधिकारी गोण्डा व आयुक्त फैजाबाद को सम्बोधित करके दिया है, जिसकी प्रतिलिपि राजस्व मंत्री को प्रेषित है ? यदि हां, तो क्या इस परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जांच कराकर प्रार्थना-पत्र के अनुसार पैराबाइज जांच आख्या सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी नहीं। उक्त भूमि तीन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम धारा–122बी (4 एफ) जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत परगनाधिकारी मनकापुर द्वारा दिनांक 24–12–1988 की असंक्रमणीय भूमिधरी दर्ज की गई है। इससे किसी अन्य जाति के अधिकारों का हनन नहीं किया गया है।

जी हां।

जांच करायी गई है, जिससे सम्बन्धित आख्या मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के ग्राम देवरिया राउत, परगना अमोढ़ा तहसील हरैया में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने सम्बन्धी शिकायती पत्र पर जांच की मांग

193–श्री नरेश अग्रवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी हरैया, जिला बस्ती ने अपने नियंत्रण के हल्का नं० 68 ग्राम देवरिया राउत, परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला बस्ती के सरकारी खतौनी व खसरा में लगभग 70–80 फर्जी अमलदरामद, ग्राम समाज की जमीन पर अंकित कराकर ग्राम समाज की सम्पत्ति पर कब्जा किया है ? क्या यह भी सत्य है कि इस संबंध में ग्राम प्रधान ने दिनांक 8–1–94 को जिलाधिकारी बस्ती से लिखित शिकायत की है जिसकी प्रतिलिपि कमिश्नर व राजस्व मंत्री को प्रेषित है ? यदि हां, तो क्या इस पूरे प्रकरण पर जांच करवाकर विस्तृत आख्या सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी नहीं। श्री राम संवारे लाल लेखपाल द्वारा प्रश्नगत ग्राम की खतौनी के खाता सं० 192,193,197 तथा 202 पर फर्जी अमलदरामद किये गये हैं जिसे जांचोपरान्त निलम्बित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम प्रधान का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच कराई गई है जिससे सम्बंधित आख्या मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

जनपद देवरिया, तहसील सदर में ग्राम सोनूघाट में सार्वजनिक भूमि पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा होने की जानकारी

194-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया, तहसील सदर ग्राम सोनूघाट में देवरिया नगर से सटे देवरिया बरहज रोड के किनारे की सार्वजनिक भूमि गाटा सं०-435,367,369,370,369,365,364,377 एवं 078 जिसकी बाजारी कीमत लगभग 10 लाख रुपये होगी। भूतपूर्व प्रधान एवं उनके पट्टेदार द्वारा अवैध रुप से कब्जा कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में पंचायत घर की भूमि गाटा संख्या 377 एवं गोदाम की भूमि गाटा संख्या 78 जिसकी बाजारी कीमत 5 लाख रुपये है, पर अवैध कब्जा हो गया है ? यदि हां, तो उक्त अवैध कब्जों को हटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही अब तक की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी नहीं। गाटा संख्या ,364,365 गांव सभा की भूमि नहीं है। गाटा संख्या425 खलिहान की भूमि है जिसे गांव के लोग खलिहान के रुप में प्रयोग करते हैं। गाटा संख्या 367,369,370 और 078 नवीन परती है और खाद के गढ्ढा के रुप में अंकित है, जिस पर कतिपय व्यक्तियों का अवैध रुप से कब्जा है जिनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम 122 बी की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। 377 पर कोई कब्जा नहीं है। इसे पंचायत घर के खाते से खारिज कर आबादी के खाते में दर्ज करने का आदेश हो चुका है। गाटा संख्या 078 गोदाम की भूमि नहीं है बल्कि नवीन परती के रुप में दर्ज है। इस पर रामअवध पुत्र देवराज, राजेश, ब्रजेश पुत्रगण रामज्ञा के यूकलिप्टस एवं शीशम के पेड़ हैं।

वा०/03, 13'12'95 पेज नं०-१२२/१२६-फ्लापी-A-1-साईड बी-E

वा०/03, 13'12'95 पेज नं०-१२६/१३१-फ्लापी-A-1-साईड बी-F

जनपद वाराणसी के तहसील ज्ञानपुर और भदोही में बकायेदारों से सरकारी वसूली के लम्बित मामलों की जानकारी

195-श्री रंगनाथ मिश्र-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला वाराणसी तहसील ज्ञानपुर और भदोही में एक लाख से ऊपर की सरकारी वसूली के कितने मामले लम्बित है ? इन बकायेदारों में प्रत्येक तहसील में पांच-पांच व्यक्ति कौन है ? सरकार द्वारा धन वसूली के क्या उपाय किये गये ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

तहसील भदोही एवं ज्ञानपुर जिला भदोही में सरकारी बकाये के एक लाख से ऊपर के कुल 45 मामले लम्बित हैं।

तहसील भदोही/ज्ञानपुर में 5-5 सबसे बड़े बकायेदारों का विवरण निम्नवत् है:-

तहसील भदोही

(1) मेसर्स भदोही उलेन्स जमुनीपुर मु० 29,92,883-00
(2) रामधार पुत्र नान्हू मिल्कीपुर मु० 8,73,825-00
(3) मेसर्स हुसेन ब्रदर्स चौरी रोड भदोही मु० 4,15,856-00
(4) मेसर्स कारपेट एक्सपोर्ट कारपोरेशन औराई रोड भदोही मु० 4,48,838-00
(5) मेसर्स युनुस एण्ड सन्स भदोही मु० 4,09,341-00

तहसील ज्ञानपुर

(1) मेसर्स रायल कार्पेट इण्डस्ट्रीज खमरिया मु० 61,74,947-36
(2) मेसर्स सिंह कार्पेट पूरेदल्लू मु० 21,84,333-86
(3) मेसर्स आर०आर०कार्पेट इन्डस्ट्रीज खमरिया मु० 15,61,994-00
(4) मेसर्स कृष्णा कार्पेट जी०टी०रोड नरऊर मु० 5,66,383-12
(5) मेसर्स अग्रवाल हैण्डलूम कार्पेट गोपीगंज प्रो० रामकिशोर बिन्द, संतोष कुमार, श्याम सुन्दर अग्रवाल मु० 5,36,138-92

बाकीदारों के विरुद्ध उत्पीड़क कार्यवाही के अन्तर्गत उपस्थित पत्र, गिरफ्तारी अधिपत्र, चल/अचल सम्पत्ति की कुर्की एवं नीलामी की कार्यवाही की गयी है।

जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद की ग्राम सभा लटठूडीह में भूमिहीन परिवारों की संख्या तथा भूमि आवंटन के सम्बन्ध में जानकारी

196-श्री अफजाल अंसारी-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जनपद के तहसील मुहम्मदाबाद की ग्राम सभा लटठूडीह में भूमिहीन परिवारों की संख्या कितनी है ? क्या इस ग्राम की आबादी अथवा नवीन परती या गांव समाज की जमीनों का आवंटन किया गया है और क्या आवंटी को कब्जा दखल भी दिया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ग्राम समाज की भूमि पर अपात्र लोगों का कब्जा है ? यदि हां, तो कब तक उन्हें बेदखल करके भूमिहीनों में जमीन बांटने और कब्जा देने की कार्यवाही कर दी जायेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

ग्राम सभा लट्ठूडीह में भूमिहीन परिवारों की संख्या 126 है। आवास स्थल तथा कृषि योग्य भूमि आवंटित करके आवंटियों को भूमि पर कब्जा दखल दे दिया गया है। अपात्र व्यक्तियों के अनाधिकार कब्जे में कोई भूमि नहीं है जिसे बेदखल करके आवंटित किया जा सके।

जनपद गाजीपुर में परगना मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा महेशपुर में ग्राम सभा की परती बंजर और कृषि योग्य भूमि को एक प्राइवेट विद्यालय के नाम दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में जांच

197-श्री अफजाल अंसारी-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजीपुर के परगना मुहम्मदाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा महेशपुर में नई परती, बंजर और कृषि योग्य ग्राम समाज की भूमि आराजी नं०-47,48ख, 56,99ख 45,48क, 50क, 51ख, 114ख इत्यादि की इण्टर कालेज गौडउर जो एक प्राइवेट विद्यालय है, के नाम दर्ज कर दी गयी है ? क्या इस गांव में भूमिहीनों की संख्या बहुत अधिक होने के बावजूद भी गांव समाज की सारी भूमि किसी प्राइवेट विद्यालय के नाम सुरक्षित करना नीति व नियम दोनों के विरुद्ध है ? क्या उक्त इण्टर कालेज हेतु सुरक्षित गांव समाज की भूमि को पुनः गांव समाज के खाते में लेकर इस ग्राम सभा के मौजा तनखुटिया जो अम्बेडकर गांव है, को महेशपुर के भूमिहीनों में आवंटित कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

भूखंड संख्या-45/0-11-4, सं०-47/0-17-16, 56/0-13-16 चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित किये गये थे।

भूखण्ड संख्या 114क1-7-5 और 114ख/2-3-15 चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल के लिये आरक्षित थे जिन्हें परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 9-7-93 द्वारा इंटरकालेज गोडउर के नाम दर्ज किया गया है क्योंकि इस ग्राम में कोई दूसरा जूनियर हाईस्कूल नहीं है। वर्तमान समय में किसी निजी विद्यालय को ग्राम सभा की भूमि आवंटित करने का प्राविधान नहीं है जिसके कारण इस प्रकरण में परगनाधिकारी के आदेश के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं।

भूखण्ड संख्या-48क/0-12-16, 48ख/0-2-8, 50क/0-0-6, 51ख/0-0-91 स्थल पर आबादी है तथा भूखण्ड संख्या-99ख/0-11-8 खलिहान के रुप में प्रयोग में आ रहा है। वर्तमान समय में इस ग्राम में आवंटन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है जिसके कारण भूमिहीनों को आवंटित करना सम्भव नहीं है।

जनपद गाजीपुर के परगना मुहम्मदाबाद में ग्राम सियाड़ी की बंजर भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में जानकारी

198-श्री अफजाल अंसारी-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजीपुर के परगना मुहम्मदाबाद में ग्राम सियाड़ी में कुल कितनी भूमि नवीन परती, बंजर, अनु० जाति आबादी, पोखरी तथा कृषि योग्य ग्राम समाज की भूमि के रुप में सुरक्षित की गयी थी? इसमें से कितनी भूमि गांव के भूमिहीन व्यक्तियों में आवंटित की गयी तथा कितनी भूमि जूनियर हाई स्कूल व प्राथमिक पाठशाला के नाम दर्ज कर दी गयी है? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि मुकद्दमेबाज व्यक्तियों ने चकबन्दी की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भी चकबन्दी के मुकदमों के आधार पर अनुचित व अनियमित ढंग से गांव समाज का नाम खारिज कराकर अपना नाम चढ़वा लिया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जांच कराकर ग्राम समाज की भूमि पुनः ग्राम समाज के खाते में दर्ज कराकर अनुचित कार्य में लिप्त दोषी लोगों को दण्डित कराने का कष्ट करेंगे?

श्री राजेन्द्र कुमार-

प्रश्नगत ग्राम में नवीन परती के रुप में 3-11-5 भूमि उपलब्ध है जिसमें से 1-5-19 भूमि हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित है। बंजर के रुप में 4-7-16 तथा पोखरी/गढ़ही के रुप में 11-9-8 भूमि है। ग्राम में कृषि योग्य भूमि न होने के कारण किसी व्यक्ति को कृषिक भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। किन्तु 3 व्यक्तियों को आवास स्थल आवंटित किये गये हैं।

इस ग्राम में जूनियर हाई स्कूल के कृषि फार्म के नाम 5-5-5 जूनियर हाई स्कूल के भवन तथा क्रीड़ाक्षेत्र हेतु 2-15-8 एवं प्राइमरी पाठशाला के लिए 6-7-13 भूमि चकबन्दी क्रियाओं के समाप्ति के बाद बन्दोबस्त में दर्ज है।

चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान नियम 109अ के अन्तर्गत कृषकों की भूमि के मूल्यांकन का समायोजन ग्राम तथा भूमि से किये जाने के फलस्वरुप ग्राम सभा की मात्र 0-3-5 भूमि कम हुई है जिसके लिये किसी को दोषी मानकर दण्डित नहीं किया जा सकता।

जनपद मेरठ में खेखड़ा विधान सभा क्षेत्र में विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन धारकों को नियमित भुगतान एवं लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण का मामला

199-श्री मदन भैया-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में खेखड़ा विधान सभा क्षेत्र में विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन धारक कितने व्यक्ति है? कितने आवेदन-पत्र निस्तारण हेतु शेष है? क्या पेंशन धारकों के नियमित भुगतान एवं लम्बित आवेदन-पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करेंगे? यदि नही, तो क्यों?

श्री रामपाल-

सूचना एकत्र की जा रही है।

भूमि प्रबन्धक समिति, लखनापुर उर्फ अमेयनपुर तहसील भदोही जिला वाराणसी के अन्तर्गत ग्राम लखनापुर उर्फ अमेयनपुर की ऊसर भूमि की फर्जी तथा अपात्र आवंटियों का मामला न्यायालय में विचाराधीन

200-श्री ऊदल-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के छठें गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-178 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, वाराणसी ने आराजी नं०-13/489 गांव सभा लखनापुर उर्फ अमेयनपुर में भिखारीपुर परगना व तहसील भदोही, जिला वाराणसी की रक्षा हेतु ए०डी०एम०, ज्ञानपुर, वाराणसी को आदेश दिया था और उक्त आराजी का आवंटन प्रस्ताव के निरस्तीकरण हेतु अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), ज्ञानपुर के न्यायालय में आख्या प्रेषित की गयी थी? यदि हां, तो क्या आवंटन प्रस्ताव रद्द किया गया कि नहीं? क्या यह भी सही है कि लखनापुर उर्फ अमेयनपुर की आराजी नं० 63 व 13/489 व 13/493 को गलत तरीके से आवंटन किया गया था? अब इस संबंध में क्या कार्यवाही चल रही है?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हाँ।

आवंटन के निरस्तीकरण का वाद अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ज्ञानपुर के न्यायालय में विचाराधीन है।

जी हाँ।

अब इस संबंध में पट्टे के निरस्तीकरण हेतु अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ज्ञानपुर के न्यायालय में वाद संस्थित कर दिया गया है।

[12 बजकर 20 मिनट]

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 जुलाई, 1995 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई।

सीतापुर नगर में सरायन नदी पर बने फटफटा पुल को चौड़ा करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

महोदय, सीतापुर नगर के बीचों बीच बहने वाली सरायन नदी शहर को दो हिस्सों में बांटती है। दोनों भागों को जोड़ने वाला सेतु "फटफटापुल" मुख्य उप मार्ग है। भारी यातायात रहता है। मरघट को जाने वाला भी मार्ग है। पुल इतना सकरा है कि तीन पहिये वाले वाहन रिक्शा आदि भी नही निकल पाते। इस सेतु के दूसरी ओर ही शहर का विस्तार मुख्य रुप से हो रहा है शव-कन्धों पर लेकर चलते समय धक्का लगने से नदी में गिर चुके है। पुल बहुत नीचा है। किंचित जल स्तर ऊंचा हुआ आवागमन बन्द हो जाता है। सेतु को कुछ ऊँचा तथा चौड़ा करने की मांग स्थाई रुप से बनी हुई है। नगर परिषद सीतापुर द्वारा एक प्राक्कलन नगर विकास विभाग के पास स्वीकृति हेतु लम्बित है। निर्माण की स्वीकृति तथा वित्तीय व्यवस्था न हो पाने से जनता में भीषण असन्तोष/उत्तेजना व्याप्त हैं। अतः लोक महत्व का यह सुनिश्चित विषय शासन के संज्ञान में लाकर उक्त पुल को ऊँचा तथा चौड़ा करने की मांग करता हूँ।

---

* ने भाषण का एनरीक्षण नहीं किया।

कृषि इंजीनियरिंग कालेज इटावा में इंजीनियरिंग की शिक्षा की समुचित व्यवस्था न होने के कारण 20 होनहार विद्यार्थियों को अन्य कृषि इंजीनियरिंग कालेज में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश संगल-

महोदय, गत वर्ष 1994 में एम.एन.आर. कम्पिटिशन के माध्यम से इंजीनियरिंग में प्रवेश हेतु चुने गये मेधावी छात्रों में से बीस छात्रों को इटावा में नये खोले गये कृषि इन्जीयरिंग विद्यालय में प्रवेश दिया गया। मगर वहां अध्यापकों, प्रयोगशालाओं व हास्टिल आदि की व्यवस्था के ठीक न हो पाने के कारण छात्रों की पढाई न के बराबर ही हो पाई और आगे भी समुचित पढ़ाई की कोई सम्भावना नहीं लगती जिससे इन बीस होनहार विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है। अतः इनकी समुचित पढ़ाई हेतु इन सभी को पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय या अन्य किसी कृषि इन्जीयरिंग कालेज में अविलम्ब स्थानान्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। आपसे निवेदन है कि इन बीस मेधावी व होनहार युवकों के भविष्य को बर्बाद होने से बचाने से सम्बन्धित इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन में चर्चा कराई जायें।

कानपुर महानगर में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती प्रेमलता कटियार-

महोदय, कानपुर महानगर में व्याप्त पेयजल के संकट को देखते हुए अविलम्ब एक और वाटर वर्क्स स्थापित करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज बड़ी मुश्किल से नगर की कुल आवश्यकता का आधा जल ही जनता को उपलब्ध हो पा रहा है। गंगा नदी का प्रवाह से उन्नाव की तरफ कटान होने से कानपुर के घाटों से जल की दूरी 7 कि०मी० हो जाने से यह संकट और भी भयावह हो गया है। आवश्यकता है कि शासन त्वरित समाधान के लिए बिठूर से, जहां अभी गंगा के निकट है, एक पाइप लाइन बिछाकर शहर में स्थिति जलाशय में डाल लिफ्ट करके लाया जाए। इस योजना का प्रारूप 1992 में भाजपा सरकार में बनाया गया था और उस समय लगभग 16 कि०मी० पाइप लाइन सहित पूरे प्रोजेक्ट पर 8 करोड़ का व्यय अनुमानित था। आज इस पीने के पानी की अति विस्फोटक स्थिति को देखते हुए इस अविलम्बिनीय लोक महत्व के प्रश्न पर यह मांग करती हूँ कि जनहित में अविलम्ब इस योजना को क्रियान्वित किया जा ।

प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों भूमिहीनों व कृषि मजदूरों को न्यूनतम् रूपया 1000 प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुरलीधर-

मान्यवर, ससम्मान संज्ञान में लाना है कि प्रदेश में पर्याप्त कृषि योग्य भूमि खनिज संसाधन, रोजगार के उपाय तथा सरकारी सेवाओं की व्यवस्था है, परिश्रमी एवं हाथ से अनाज पैदा करने, कल कारखाने चलाने उत्पादन करने की दक्षता रखने वालों के पास पर्याप्त भूमि, पूंजी व साधन नही है, दूसरी तरफ नकारा, आलसी व कमजोर लोगों के हाथ में उपयोग से सैकड़ों गुना भूमि, रोजगार, व्यापार, कल कारखाने व सम्पत्ति धुवीकृत है, सरकारी सेवाओं से सम्पूर्ण जनता की रोजी रोटी उपलब्ध नही कराई जा सकती, सरकारी सेवा की लम्बी अवधि एवं मृतकाश्रित नियमावली में नये शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी सेवाओं में अवसर न पाने के लिए प्रतिबन्धित कर दिया है। इस प्रकार के कुछ लोग धन, शक्ति, व्यापार रोजगार आदि से सम्पन्न है एवं उनके जीवन पर्यन्त उपयोग से कही ज्यादा सम्पत्ति संकलित है, दूसरी तरफ मेहनतकश, दक्ष एवं योग्य व्यक्तियों की बहुत बड़ी जन संख्या मोहताज होती चली जा रही है। परिणामतः जनावश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य—मनुष्य के बीच में संघर्ष की अनवतर सम्भावना बढ़ती जा रही है। यदि समय रहते परिश्रम का मूल्यांकन नही समझा गया तो आने वाले समय में सभी व्यवस्थाएं चकनाचूर हो जायेगी। शिक्षित बेरोजगार भूमिहीन व मजदूर बेवसी में निराशाजनक जिन्दगी मजबूरी में जीने के लिए बाध्य है। मानवीय मूल्यों की रक्षा हेतु आवश्यक है कि जब तक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

शिक्षित बेरोजगारों, भूमिहीनों, मजदूरों की आर्थिक दशा के सुधारने हेतु पर्याप्त व्यवस्थायें सुलभ न करा दी जायं, तब तक अपराध जगत की तरफ सम्भावित गति को रोकने के लिए कम से कम रू० 1000/- प्रतिमाह प्रति व्यक्ति मुआवजा के रुप में जीवन यापन के लिए जीवन निर्वाह भत्ता दिये जाने की व्यवस्था किया जाना सरकार के उत्तरदायित्वों की परिधि के अन्तर्गत है। अतः उपरोक्त मानवता से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्या के निदान हेतु प्रदेश की 22 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षित बेरोजगारों, भूमिहीनों, मजदूरों को कम से कम रू०-1,000/- प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता सुलभ कराये जाने हेतु उ०प्र० सरकार की सकारात्मक आदेश दिये जाने की कृपा करें।

वाराणसी के चंदौली व धानापुर क्षेत्रान्तर्गत प्रभावित भूमि की सिंचाई हेतु पम्प कैनालों की मरम्मत व सुधार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामजीत भारद्वाज-

मान्यवर, सम्मान अवगत कराना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भौपोली, पम्प कैनाल गंगा नदी में पूर्णतया डूब चुका है। इसके अलावा अन्य छोटी-छोटी पम्प कैनालों के बन्द हो जाने की वजह से विधान सभा क्षेत्र चन्दौली व धानापुर की कृषि भूमि सिंचाई जल से बंचित हो गयी है। कृषकों में संशय निराशा की भावना उत्पन्न हो गयी है। परिश्रम के बावजूद सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। यह अति संवेदनशील व गम्भीर समस्या है। अतः विनम्र अनुरोध है कि चन्दौली व धानापुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रभावित भूमि की सिचाई हेतु पम्प कैनालों की मरम्मत व सुधार तथा जनता की प्राण रक्षा हेतु राहत कार्य चलाने हेतु आदेश देने की कृपा करें।

(हरेन्द्र सिंह मलिक का नाम पुकारे जाने पर वह उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष-

मलिक जी सदन में उपस्थित नहीं हैं।

जनपद बांदा में स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वास योजना के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी से रु०7000/- ऋण धनराशि की कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री छोटेलाल-

मान्यवर, केन्द्र सरकार द्वारा संचालित सम्पूर्ण प्रदेश की भांति जनपद बांदा में भी सर पर मैला ढ़ोने की प्रथा समाप्त करने हेतु स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुर्नवास योजना के अन्तर्गत रुपये 20,000/- का ऋण रोजगार सुलभ कराने के उद्देश्य से दिये जाने का प्राविधान है। जनपद बांदा के प्रति लाभार्थी से रुपये 7000/ ऋण राशि की कटौती की गयी है एवं सम्पूर्ण जनपद के लाभार्थियों को भी कौशल किशोर दीक्षित की विभिन्न नामों से पंजीकृत 11 फर्मों से खरीद तथा अधिकांशतः यूनियन बैंक बांदा से ऋण उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 1994-95 में बांदा शहर के 132 में से 126 लाभार्थियों ने तत्कालीन जांच अधिकारी श्री द्विवेदी जिला समाज कल्याण अधिकारी बांदा के समक्ष लिखित बयान दिया था। श्री दीक्षित डीलर शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक आफ इंडिया, बांदा, सहायक प्रबन्धक उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० बांदा के विरुद्ध रुपये 7000/- ऋण राशि कटौती विषयक मुकदमा अपराध संख्या 172/94 धारा 406,420,464,504,व धारा 3(1) दस एस०सी०एस०टी० ऐक्ट 89 के अन्तर्गत नगर कोतवाली बांदा में पंजीकृत है अभी तक अभियुक्तगण की गिरफ्तारी नही हो सकी। श्री दीक्षित की विभिन्न नामों से 11 फर्मों से ऋण योजनाओं के अन्तर्गत करायी जाने वाली खरीद पर जिलाधिकारी बांदा ने दिनांक 6.2.95 को रोक लगा दी थी किन्तु परियोजना निदेशक चूंकि प्रभारी अपर जिला विकास अधिकारी (स०क०) बांदा थे एवं स्वयं हिस्सा कटौती राशि में लेते थे इसलिये खरीद बराबर उक्त फर्मों से करते थे। श्री दीक्षित द्वारा एक करोड़ रुपये से अधिक सामान प्रतिवर्ष बेचने के बाद भी आयकर व व्यापार कर से बंचित रहे यह अत्यन्त खेदजनक स्थिति है और योजनाओं के नाम से कमजोर लोगों के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

नाम ऋण दिखाकर स्वयं धन हड़प जाने की परम्परा से गरीबों व शासन के साथ गहरा विश्वासघात का प्रकरण है। अतः उपरोक्त संदर्भ में विनम्र अनुरोध है कि वर्ष 1980 से श्री कौशल किशोर दीक्षित की विभिन्न नामों से ग्राम्य विकास अधिकरण बांदा में पंजीकृत फर्मों से की गयी बिक्री का मूल्यांकन एवं उसके अनुरुप आयकर तथा व्यापार कर वसूलने एवं सम्पूर्ण जनपद में प्रश्नगत योजना से लाभान्वित व्यक्तियों की वर्तमान स्थिति एवं वास्तविकता के अनुरुप प्रभावी कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

चूंकि एक माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे, इसलिये अब मैं प्रतीक्षा सूची से श्री अक्षयवर लाल की सूचना को ले रहा हूं।

बहराइच के ग्राम भामेपारा के पास बने लकड़ी के पुल के टूट जाने से सैकड़ों गांव के लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाने के सम्बन्ध में नियम 301के अन्तर्गत सूचना

*श्री अक्षयवर लाल-

महोदय, जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र इकौना में इकौना नगर से तीलंगापुरवा घाट तक पीच रोड बनी है ग्राम भामेपारा के पास 50 वर्ष पूर्व लकड़ी का पुल बना है पुल के दूसरी तरफ सैकड़ों गांव है जिसमें लाखों की संख्या में जनता निवास करती है। समस्त जनता को अपनी सारी दैनन्दनी आवश्यकता बाजार से जीवनोपयोगी सामान खरीदने, ब्लाक मुख्यालय, चिकित्सालय विद्यालय, तहसील एवं जिला मुख्यालय जाने आने हेतु इसी पुल से होकर जाना पड़ता है। यह पुल लगभग 20 दिन पूर्व टूट गया है जिससे सैकड़ों गांवों के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है बरसात में जनता का सम्पर्क बाहर से कट गया है तथा इनका जीवन खतरे में पड़ गया है। अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये मांग करता हूं कि जनहित में इस पुल का निर्माण अविलम्ब कराकर जनता का जीवन रक्षा किया जाय।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 300 की सूचनायें लेता हूँ।

*श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, आपने मुझे कल सुनने का आश्वासन दिया था। मान्यवर, मैं जो समस्या उठाना चाहता हूं वह इस विधान सभा के कई माननीय सदस्यों से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, पहले मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

नियम 300 के अन्तर्गत नहीं, लेकिन मैं आपको सुन लेता हूँ। आप दो मिनट के अन्दर अपनी बात कहें।

विधायक निवास–6 में पानी की आपूर्ति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। दूसरे आभारी हूं कि हमारे कांग्रेस दल के नेता भी हमारी समस्याओं से सहमत हैं, इसलिए इनको भी धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि आज यह व्यवधान नहीं डाल रहे हैं। मान्यवर, हम लोग पार्क रोड, विधायक निवास–6, अम्बेडकर कालोनी में रहते हैं। वहां पर पीने के पानी की इतनी गम्भीर समस्या है कि पानी समय से नहीं आता है अगर कहीं आधे घण्टे, 15 मिनट पानी की आपूर्ति की गयी तो शायद एक लोटा भरने में भी मुश्किल हो जाता है, इतना ही नहीं नित्य क्रिया भी करने में हम विधायकों को गम्भीर परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूरी कालोनी में एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगा है। क्षेत्र से जनता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपने काम कराने के लिए आती है और हमारे आवासों पर ही रूकती है। हम उन लोगों के लिए एक गिलास पानी की भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा मान्यवर, न वहां पर स्वीपर, सफाई कर्मी जाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को सदन में नियमित समय पर आने में कठिनाई हो रही है और आज बगैर स्नान किये ही इस सदन में आया हूं। कल मैंने यह मामला उठाया था। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जरा शान्त हो जायें। मान्यवर, आज तो 10-15 मिनट जो पानी आता था वह भी आपूर्ति नहीं की गयी और पूरे कैम्पस में एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगा हुआ है माननीय नगर विकास मंत्री जी से मैंने लिखित रुप से कहा था कि वहां की व्यवस्था ठीक करा दें, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम वहां पर टैंकर की व्यवस्था कर देते हैं और उससे पानी की आपूर्ति होगी। मान्यवर, टैंकर खड़ा भी रहे तो तीसरे स्टोरी पर रहने वाला विधायक नीचे से पानी किस प्रकार से ले जायेगा। जब बात की गयी तो वहां के अधिकारी कहते हैं कि पिछले साल से एक ट्यूबवेल लगाने का प्रयोजन राज्य सम्पत्ति विभाग को गया है, स्टीमेट भी भेजा गया है और जल निगम के अधिकारियों ने सर्वे भी कर लिया है लेकिन शासन से कोई धन न मिलने से मजबूर है। .....

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अब समाप्त करें, आपकी पूरी बात आ गयी है। अब बैठ जायें।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, पूरी बात अभी नहीं आयी है। मैं कांग्रेसियों की तरह अनुशासनहीन नहीं हूं, पूरी बात आ जाती तो मैं बैठ जाता।

श्री अध्यक्ष-

रंगनाथ मिश्र जी इस तरह के आरोप आप नहीं लगा सकते।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मैं अपना आरोप वापस लेता हूं। मान्यवर, वहां पानी स्टोर किया जाता है और पानी स्टोर करके पम्प किया जाता है, पानी जल निगम से आता ही नहीं है, विधायक गण दौड़-दौड़ कर व्यवस्था करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप शासन को निर्देश दें कि समुचित व्यवस्था करके पानी की तत्काल व्यवस्था करें, जिससे हम लोग नियमितरुप से सही समय से उपस्थित हो सकें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठ जाय। मेरा आपसे अनुरोध है कि यह जो आपने समस्या उठाई है, आपकी मंशा कदाचित उसका समाधान चाहने की होगी। उसका समाधान माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को मुझे पहले सुन लेने दें और उसका समाधान हो जायेगी।

*श्री उदल-

ब्राह्मण का नित्य कर्म का कर्तव्य होता है नहाने के बाद पूजा करना, लेकिन श्रीमन् मिश्र जी हमारे पुराने सदस्य हैं आज नहा नहीं पाये हैं और पूजा भी नहीं की इस तरह से भगवान भी नाराज हो जायेंगे दीक्षित जी।

श्री जगदम्बिका पाल-

आज मान्यवर, रगनाथ मिश्र जी ने पूजा नहीं की और नहाये भी नहीं इसलिए सत्य बोल रहे हैं।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

माननीय रंगनाथ मिश्र जी ने अपनी परेशानी माननीय विधायकों की परेशानी को नियम 300 के अन्तर्गत उठाया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

श्री अध्यक्ष-

नियम 300 में नहीं उठाया है, विशेष उल्लेख हेतु मैंने आज्ञा दी है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मैं धन्यवाद दूँगा ऊदल जी को इस बात के लिए राजी कर लिया कि उन्होंने कहा कि ईश्वर नाराज हो जायेंगे उनको भी आज ईश्वर पर विश्वास हो गया है। मान्यवर, जितनी भी गड़बड़ियां माननीय मिश्र जी ने उठाई हैं उसको देखा जायेगा और कार्यवाही भी की जायेगी कि कौन-कौन अधिकारी और कर्मचारी इसमें दोषी है।

*श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, पार्क रोड में एक ट्यूबवेल स्वीकृत हुआ था फंड न मिलने के कारण वह नहीं बन पाया है इसलिए ट्यूबवेल में पैसे कैसे स्वीकृत कर दिये जायं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मैं निवेदन कर रहा था कि जो भी उत्तरदायी अधिकारी होगा उसके विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी और पेयजल की व्यवस्था प्रत्येक दशा में सात दिन के भीतर सुनिश्चित करा दी जायेगी।

श्री नरेश अग्रवाल-

सात दिन में वैसे ट्यूबवेल बन जायेगा?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

ट्यूबवेल का मामला तो उठा नहीं, पानी का मामला उठा है। इसलिए गुमराह करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। मैं आज ही सम्बन्धित अधिकारियों को विधान सभा उठने के बाद अपने कक्ष में बुलाकर एक बैठक करूंगा माननीय विधायकगण उसमें आना चाहें तो आयें। मैं आज ही इस समस्या के समाधान के लिए निर्देश जारी कर दूंगा।

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि यह प्रश्न आ गया है और आपने भी सही मायने में संरक्षक की भूमिका को निभाते हुए माननीय सदस्यों की समस्या को विशेष उल्लेख के द्वारा उठाने का मौका दिया। चूंकि अब यह प्रकरण सदन के संज्ञान में आ गया है, इसलिए मैं दो सुझाव देना चाहता हूँ। पहला, यह कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक सप्ताह के अन्दर व्यवस्था हो जायेगी। जब कोई नया–नया मंत्री बनता है तो अकसर ऐसे गलत उत्तर आ जाते हैं। एक सप्ताह के अन्दर ट्यूबवेल बन पायेगा कि नहीं बन पायेगा, यह तो मैं नहीं जनता, हाँ इतनी माँग अवश्य करना चाहता हूँ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ट्यूबवेल के लिए आज ही पैसा देने की घोषणा यहाँ पर कर दें ताकि ट्यूबवेल का कार्य शुरू हो जाय।

दूसरा, यह कि पार्क रोड की बात आ ही गई है। इस प्रकार की समस्यायें दारूलशफा, रायल होटल या फिर जो नये मंत्री आवास बने हैं, वहाँ पर इस प्रकार की समस्यायें विद्यमान हैं। इसलिए आपके संरक्षकत्व में सदन की एक समिति का गठन कर लिया जाय, जिसमें हर दल के माननीय सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाय, जो यह देखे कि जहाँ–जहाँ विधायकगण रह रहे हैं, वहाँ पर क्या–क्या समस्यायें हैं और उनका समाधान कैसे हो। हम 10–15 दिन में अपने सुझाव दे देंगे। यदि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अगर एक सप्ताह के अन्दर पानी की व्यवस्था पार्क रोड में नहीं हो पायी तो आपका सारा सामान उठाकर पार्क रोड कालोनी में पहुँचा दिया जायेगा, वहीं पर स्नान करने के लिए कहा जायेगा, जहाँ पर माननीय श्री मिश्रा जी स्नान नहीं कर पाये हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन् मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम जन प्रतिनिधि यहाँ पर जन समस्याओं के निदान के लिए चुनकर आते हैं। हम यहाँ पर विधायी कार्य करते हैं, समस्याओं पर विचार-विमर्श करते हैं, बजट पास करते हैं प्रदेश की करोड़ों जनता टुकुर–टुकुर हमें देखा करती है कि हमारे विधायक यहाँ क्या करते हैं। श्री रंगनाथ मिश्र जी की तरफ से एक सही समस्या उठाई गई और सरकार की तरफ से सात दिन का आश्वासन आ गया फिर माननीय श्री ऊदल जी ने एक सुझाव दिया, उस पर मैंने कहा कि आज ही सदन उठने के बाद संबंधित अधिकारियों की बैठक बुला ली जायेगी। जो माननीय सदस्य उसमें सुझाव देने के लिए आना चाहें, आ सकते हैं। जब बैठक होगी तो तमाम बिन्दु आयेंगे। हो सकता है समस्या का समाधान आज ही हो जाय। जहाँ तक बोलने की बात है मुझे भी इस आदरणीय सदन में श्री तिवारी जी से कम मौका नहीं मिला होगा, जहाँ तक सवालों का प्रश्न है, उसका रिकार्ड भी श्री तिवारी जी से ऊपर ही रहा होगा, चाहे वह नियम–56 ही क्यों न हो। हाँ, यह जरूर है कि हँसी-मजाक का माहौल तिवारी जी से कम रहा है। जहाँ तक नये मंत्री होने का सवाल है, जो पहली बार होगा तो वह नया मंत्री होगा। परन्तु इस आदरणीय सदन में तिवारी जी को सुनने का मुझे कोई कम मौका मिला होगा, ऐसी बात नहीं है। अब यदि श्री तिवारी जी ने कोई हंसी-मजाक का प्रशिक्षण चलाया है तो उनकी हास्यास्पद बातों को भी सीख जायेगा। मान्यवर, जो प्रकरण यहाँ पर उठाया गया है, आज ही सारी बातों पर विचार करेंगे।

*श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय मंत्री जी ने बड़ी उदारता से व गम्भीरता के साथ उत्तर दिया है। परन्तु इस तरह की कठिनाईयाँ कदाचित और जगहों पर भी हैं, इस लिए उन सारी समस्याओं पर सम्यक रुप से विचार हो सके, चाहे वह दारूलशफा हो, ओ०सी०आर० हो, रायल होटल हो, इसके लिए भी आप एक बैठक बुला लें जिसमें सभी दलों के माननीय सदस्य हों और या फिर समिति बनाकर इसे कर लें। इसमें और कोई बहस नहीं होनी चाहिये।

इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिये जो माननीय विधायकों की मूलभूत समस्यायें है उन पर सम्यक विचार होना चाहिये, वह सुविधायें मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण जो संयुक्त आवास समिति बनी है जिसमें विधान परिषद् और विधान सभा के सदस्य हैं वह इन्हीं सुविधाओं को देखती है इसलिये अलग से समिति बनाने की जरूरत नहीं है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

निजी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी है अब जन समस्याओं पर भी चर्चा हो जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

श्रीमन्, आपने जो अभी कहा है वह सही है माननीय तिवारी जी जब खड़े हुये थे तो मैं स्मरण दिलाना चाहता था एक संयुक्त आवास समिति बनी हुई है। पहले इस संबंध में एक समिति मुकुट बिहारी अग्रवाल जी की अध्यक्षता में बनी थी तो उस समिति की रिपोर्ट का भी अवलोकन कर लिया जाय और संयुक्त आवास समिति को इफैक्टिव बना दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इस पर काफी माननीय सदस्यों के विचार आ गये हैं। (व्यवधान) आपके दल के नेता के विचार आ गये है। अब मेरी बात भी सुन लें अगर कोई तकलीफ है तो आप भी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के कक्ष में आज जो बात होगी उसमें चले जांय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य-

मान्यवर, हमारे यहां फोन 4 साल से खराब है।....

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अभी यह 12 वीं विधान सभा है इसे गठित हुये 4 साल नहीं हुये।

तो जिस गंभीर समस्या की तरफ कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही है उस पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद मैं समझता हू कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की बात से काफी माननीय सदस्य सहमत हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि माननीय विधायकों के जो आवास हैं वहां पर पानी ही नहीं अन्य जो भी मूलभूत सुविधायें हैं, जो भी आवास संबंधी समस्यायें हैं उनका निराकरण तत्काल कर दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय विधायकों की जो भी समस्यायें है उसमें निजी भी होगी।

श्री अध्यक्ष-

आवास संबंधी मैंने कहा।

अब आगे बढ़े। जो नियम 300 के अंतर्गत सूचनायें आई हैं उसमें दो महत्वपूर्ण सूचनायें है, जो नियम 300 में तो नहीं आती है लेकिन माननीय सदस्यों को दो दो मिनट सुनूंगा। एक तो है जिसमें माननीय प्रमोद तिवारी, माननीय नरेश अग्रवाल माननीय जगदम्बिका पाल और राम विशुन आजाद जी की और दूसरी है माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की।

तो इन दो महत्वपूर्ण सूचनाओं को विशेष उल्लेख के तहत में सुनूंगा।

श्री शिवदानी-

मान्यवर, मेरे क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं बिना अनुमति के बोलेंगे तो लिखा नहीं जायेगा।

श्री शिवदानी-

बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

अभी जो सुन रहा हूं वह 300 के तहत नहीं आती है लेकिन कहीं से भी अगर टच करती हैं तो उनको मैंने लिया है, बहुत महत्वपूर्ण सूचनायें है इसलिये दो दो मिनट विशेष उल्लेख में सुनने की बात कही है।

महामहिम जी राज्यपाल के नेतृत्व में महात्मा गांधी की 125 वीं वर्ष जयन्ती समारोह मनाने हेतु गठित समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री के सम्मिलित न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री नरेश अग्रवाल-

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कोई व्यक्ति ही नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा भी थे और राष्ट्रपिता का असम्मान करने वाला स्वयं ही नीचे हो जाता है और राष्ट्रपिता के सम्मान को कोई भनक भी नहीं लगती है। महामहिम राज्यपाल जी के नेतृत्व में महात्मा गांधी की 125वीं वर्ष जयन्ती समारोह मनाने के लिए एक समिति गठित हुई है। महामहिम जी उसके अध्यक्ष है और मुख्य मंत्री जी उसकी पदेन उपाध्यक्ष है। इस सम्बन्ध में महामहिम ने 12 तारीख को जो बैठक बुलाई थी, मुख्य मंत्री ने उस बैठक में जाने से मना कर दिया। मायावती जी जो बसपा की एक बड़ी नेता और महामंत्री थी, उस रुप में सारा राष्ट्र और प्रदेश उनके महात्मा गांधी के प्रति विचारों को जानता है।

लेकिन जब एक प्रदेश के मुख्य मंत्री के रुप में सुश्री मायावती के विचार महात्मा गांधी के प्रति क्या हैं, यह हम नहीं समझ पाए है और न प्रदेश और राष्ट्र ही जान पाया है। लेकिन उनके द्वारा मुख्य मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जिन-जिन प्रतिमाओं पर वह अपनी श्रद्धाजंलि अर्पित करने गई थी, उसमें उन्होंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर जाना उचित नहीं समझा था। लेकिन आज पूरे प्रदेश में जिनके सहयोग से यह सरकार बनी है, उसके नेता कल्याण सिंह जी आज इस समय सदन में नहीं हैं। एक समय पहले जब बसपा नेता के रुप में मायावती ने गांधी जी को [xxxxxx] कहा था तो उनके प्रति निन्दा का प्रस्ताव सदन में कल्याण सिंह जी लाए थे। आज वह उन्हीं को अपना सहयोग दे रहे हैं। तो एक तरफ गांधी जी [xxxxxx] है और दूसरी तरफ गांधी को [xxxxxx]। दोनों के इस मेल और गठबन्धन को लेकर प्रदेश की जनता आज चिंतित है..... (व्यवधान)।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मेरा यहां पर एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष-

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। ("घोर व्यवधान")

माननीय सदस्यगण आप शान्त रहें। मैंने विशेष उल्लेख के तहत दो सूचनाएं सुनने के लिए निर्देश दिया है। पहली सूचना पर नरेश अग्रवाल को बुलाया है। मेरे आदेश पर वह बोल रहे हैं, इस समय उसमें कौन सी अव्यवस्था हो गई, मैं नहीं समझ पाता हूं। तर्क का जवाब तर्क से होता है। यह जो रख रहे हैं आप उससे भी अधिक तर्कसंगत बात सदन के सामने रख सकते हैं। तर्क का जवाब तर्क से ही हल्ला से नहीं हो सकता है।.....

श्री रंगनाथ मिश्र-

आपने यह कहा है कि....

श्री अध्यक्ष-

नरेश अग्रवाल जी बोल रहे हैं। कोई आपत्तिजनक शब्द, मैं भी सुन रहा हूं, कोई असंसदीय शब्द या कोई आपत्तिजनक शब्द कहा है तो उसको दिखवा लूंगा। होगा तो निकलवा दूंगा।

* श्री घनश्याम शुक्ल-

नरेश अग्रवाल जी ने गांधी के हत्यारे शब्द का उल्लेख किया है। उन्होंने इस चीज को एक पार्टी की ओर इंगित करके कहा है। इसलिए आप गांधी के हत्यारे शब्दों को कार्यवाही से तुरन्त निकलवायें।

श्री अध्यक्ष-

मैं दिखवा लूंगा, यदि असंसदीय है तो उसे मैं कार्यवाही से निकलवा भी दूंगा।

श्री नरेश अग्रवाल-

मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूं... ('व्यवधान')।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात को, व्यवस्था को मैंने सुन लिया, मैं दिखवा लूंगा, वह असंसदीय होगा तो निकलवा दूंगा।

श्री नरेश अग्रवाल-

मैंने यह बात इसलिये कही कि इस सदन से जो पैसा पास करते हैं, सदन के प्रति उत्तरदायित्व भी होता है। महामहिम राज्यपाल महोदय के निर्देशों में यह सदन चलता है, जो भी कार्यवाही यहां होती है, उनके निर्देशों से होती है। महामहिम के नेतृत्व में जो कमेटी बनी उसकी जिम्मेदारी सदन के प्रति है। महामहिम के नेतृत्व में बनी कमेटी में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जाने से इन्कार कर दिया जिससे एक शंका पैदा हो गई है प्रदेश और देश के

नोट–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

सामने। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता किसी व्यक्ति के कहने पर नहीं बने थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, त्याग किया था। उस कमेटी में मुख्यमंत्री के न जाने से वह राष्ट्रपिता का [xxxxxx] कर रही हैं। इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश की जनता, सुश्री मायावती, मुख्यमंत्री जी के महात्मा गांधी के प्रति क्या विचार हैं, यह जानना चाहती है। मैं इसीलिये यह औचित्य का प्रश्न कर रहा हूं।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न की ग्राह्यता पर ही बोलियेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं यह जो औचित्य का प्रश्न इस सदन के समक्ष उपस्थित किया गया है, की ग्राह्यता पर ही कहना चाहता हूं कि कल इस सम्मानित सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया और हमने उसका समर्थन भी किया कि जो वर्तमान सरकार है वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नीतियों पर, उनके आदशो पर चलेगी। लेकिन अगर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर सरकार के मुखिया बहन मायावती और प्रदेश के महामहिम राज्यपाल में कोई सैद्धान्तिक मतभेद पैदा हो गया है तो यह औचित्य का प्रश्न उठाया गया है। मान्यवर, 8 अगस्त से गांधी ग्राम परियोजना चालू हो रही है लेकिन अभी इसके लिये कोई परिव्यय स्वीकृत नहीं हुआ है। जिला अधिकारियों को शासनादेश गये हैं कि उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रपिता की 125वीं जयन्ती आयोजित हो रही है। शासनादेश जा चुके हैं कि 125वीं जयन्ती आयोजित हो रही है और प्रदेश स्तर पर उस कार्य कलाप की बैठक में भाग न लेना मैं समझता हूं कि बहुजन समाजपाटी पार्टी महात्मा गांधी की नीतियों के बजाय बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर की नीतियों पर चलना चाहती है। इसी बात को हम चाहते हैं कि सदन में स्पष्ट हो जाय। एक तरफ संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि वर्तमान सरकार महात्मा गांधी के आदर्शों और नीतियों पर चलेगी और दूसरी तरफ़ मुख्यमंत्री जी की कार्य शैली से ऐसा लग रहा है कि महात्मा गांधी की नीतियों में उनकी व उनके दल की आस्था और विश्वास नहीं है।

यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण और औचित्य का प्रश्न बन जाता है। जिस तरह से अभी माननीय नरेश जी ने बताया कि सुश्री मायावती के मुख्यमंत्री बनने पर वह बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने गई थीं और महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं किया। इसी तरह से महामहिम द्वारा बनाई बैठक में भाग न लेना भी ऐसा ही संकेत है। इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि सरकार स्पष्ट करें कि वह महात्मा गांधी की नीतियों, कार्यक्रमों और आदर्शों के प्रति वचनबद्ध हैं या उनकी नीतियों के प्रति विश्वास नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

श्री राम बिशुन आजाद के जो बातें कहीं गई हैं उनके अतिरिक्त कुछ कहना है तो दो मिनट में अपनी बात कहें।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज सदन में पूज्य बापू जी के विषय में अपशब्द एवं सम्बद्ध न किये जाने पर चर्चा हो रही है। जब सुश्री मायावती मुख्यमंत्री नहीं थी। और बहुजन समाजपाटी पार्टी की महासचिव थीं तो उन्होंने महात्मा गांधी को [xxxxxx] कह कर पूरे राष्ट्र का [xxxxxx] किया था।

श्री अध्यक्ष-

जो नोटिस दिया है, उसकी ग्राहयता पर बोलें।

नोट [xxxxxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान करना सीखना चाहिए। आप जहां पर बैठे हैं, आपके ऊपर भी महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है। आज पूरा देश पूज्य बाबू की 125वीं जयन्ती मना रहा है। महामहिम राज्यपाल ने कमेटी बनाया जिसमें मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया और मुख्यमंत्री जी ने वहां न जाकर पूरे सदन का ही नहीं, पूरे देश का [xxxxxx] किया है। मान्यवर, महात्मा गांधी ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने देश की आजादी से लेकर, अफ्रीका, इंग्लैंड और अमरीका तथा अन्य देशों में सम्मान के साथ याद किया जाता है। पूज्य बापू जी ने दलितों, पिछड़ों, के भविष्य एवं अखण्ड भारत का सुनहरा सपना देखा था और आज कुछ लोग महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं। दलितों के घर में पैदा होने से कोई दलितों का मसीहा नहीं हो जाता है। महात्मा गांधी जी के हृदय में दलितों के प्रति पिछड़ों के प्रति तथा देश के प्रति सम्मान था इसमें सन्देह नहीं है कि उन दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनको ऊँचा उठाने के लिए योजनायें बनाने की बात की थी आज देश आजाद हो गया तथा दलितों के लिए एवं दबे कुचले लोगों के लिए अच्छी से अच्छी योजना को कांग्रेस ने जिससे तमाम विकास की योजनायें कार्य कर रही है और ब.सपा. की सरकार ने गांधी ग्राम में अलग से बजट न देकर महात्मा गांधी का अपमान किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री राम बिशुन आजाद-

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने गांधी ग्राम योजना के लिए एक नया पैसा नहीं दिया है यह सरकार गांधी विरोधी है। तथा गांधी जी का सम्मान करने की इसकी कोई मंशा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

सम्मानित सदस्य बैठ जाएं। मैंने प्रमोद तिवारी जी को बुला लिया है।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इस देश को आजाद कराने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सम्मान देने के संबंध में यह औचित्य का प्रश्न उठाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 164 (2) के अनुसार महामहिम राज्यपाल जब किसी के बहुमत से संतुष्ट होकर मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं उसके बाद मंत्री मंडल का गठन होता है। मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद विधान सभा के प्रति उसका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मान्यवर, मेरा कहना है आज जब सारा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं जयन्ती मना रहा है और उत्तर प्रदेश के जो प्रथम नागरिक हैं महामहिम राज्यपाल हैं उन्होंने एक समिति गठित की है उस समिति के द्वारा 125वीं जयन्ती किस तरह मनाई जाए उस विचार ही नहीं करना है उसका क्रियान्वयन करना है। श्रीमन् राज्यपाल महोदय ने एक समिति गठित कर दी, माननीय मुख्य मंत्री जी अपने पद पर आसीन होंगे उस समिति के उपाध्यक्ष होंगे। महामहिम राज्यपाल द्वारा गठित कमेटी में कोई मुख्य मंत्री नहीं जाते हैं तो वह सम्मपूर्ण देश का अपमान करते हैं, लोकतंत्र का अपमान करते हैं भारत की गरिमा को गिराते हैं, राष्ट्र की आजादी का अपमान करते हैं।

मान्यवर, सरकारें आती हैं और चली जाती हैं इस सदन ने कई सरकारों को देखा है। कोई राष्ट्रपिता को माने या न माने लेकिन उसी बापू के चरणों में बैठकर इस अध्यक्ष पीठ को भी निर्णय देना है। मान्यवर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो वह शख्सियत हैं कि उन पर अगर कोई थूकने की कोशिश करेगा तो वह उस पर ही पलटकर गिरेगा। कोई सरकार रहे या न रहे इस पीठ को, जो भी इस पीठ पर बैठेगा उसे बापू के चरणों में बैठकर निर्णय

नोट [xxxxxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

देना होगा। चाहे वह उनसे सहमत हो या न हो। हर सदस्य को अधिकार है कि वह अपनी विचारधारा रखें। मौजूदा सरकार से संविधान बनाने वाले डा० अम्बेदकर साहब के प्रति आदर रखती है अच्छी बात है हम भी उनके प्रति आदर रखते हैं।

श्रीमन् जब यह सरकार बनी मुख्य मंत्री पद की शपथ ले ली गई उसके बाद माननीया मुख्य मंत्री डा० भीमराव अम्बेदकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गई और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं किया गया। राज्यपाल द्वारा निर्धारित समिति जिसकी वह उपाध्यक्ष हैं मैं न जाना महात्मा गांधी का [xxxxxx] है। माननीया मुख्य मंत्री जी ने इस समिति में न जाकर 164 (2) की अवहेलना की है। सामूहिक जिम्मेदारी की अवहेलना की है। पूरी दुनिया में यह संदेश जा रहा है। कई क्रान्तियों हो रही हैं इस देश की मुख्यमंत्री स्पष्ट कर दें वह किन कठिनाईयों के कारण वह नहीं जा पाई हैं उत्तर प्रदेश पर यह कलंक लगा है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर कोई भी निर्देश देने के पहले उस व्यक्ति विशेष से स्पष्टीकरण जरूर ले लें। जवाब पढ़ देने से काम नहीं चलेगा मुख्यमंत्री जी सदन के सामने स्पष्ट करें कि वह किन परिस्थितियों में समिति में नहीं गई ? यह भारत की अस्मिता का प्रश्न है। यह आजादी की लड़ाई के आदर का प्रश्न है। जो व्यक्ति राष्ट्रपिता का सम्मान नहीं कर सकता है वह राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता है। उसकी राष्ट्रभक्त पर मुझे [xxxxxx] है।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन् कल एक प्रश्न के उत्तर में मैंने स्पष्ट कर दिया था कि महात्मा गांधी, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई को नेतृत्व दिया, विचार दिया और पूरे देश को अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया तो उनके प्रति श्रीमन् इस सरकार की पूरी निष्ठा है, आदर है। यह मैंने कल ही स्पष्ट कर दिया था। मैं सम्मानित कांग्रेस दल के नेताओं से कहना चाहता हूँ जिस गांधी दर्शन की वह बात करते हैं उसके छोड़ देने के कारण ही आज इनकी यह स्थिति हो गयी है। पहले हम जब जीतकर आते थे तो श्रीमन् जहाँ आज श्री प्रमोद तिवारी जी बैठे हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक कांग्रेस बैठती थी.....

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, इसका जवाब मुख्यमंत्री जी से आप बुलवाएं।

श्री हृदयनारायण दीक्षित-

मान्यवर, यह तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। आप पूरी बात सुन लीजिएगा बीच में बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों ने अपनी बात को रख लिया अब जब माननीय संसदीय कार्यमंत्री बोल रहे हैं तो उनकी भी सुनें।

श्री हृदयनारायण दीक्षित-

यह तो कोई गांधी वाद नहीं हुआ। आदरणीय तिवारी जी, श्री नरेश अग्रवाल जी गांधी जी को मानते हैं। गांधी जी जीवन भर तर्क के लिए संघर्ष करते रहे। आप हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। क्या गांधी जी ने यही रास्ता अपनाया था। आप हमको बोलने से रोक रहे हैं।

नोट [xxxxxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रसंग से विरक्त होकर सदन का समय नष्ट होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, सदन का समय मूल्यवान है। प्रसंगमय से विरक्त होकर हम अप्रसंगवश में समय नष्ट कर रहे हैं। मान्यवर, मुख्य मंत्री व्यक्ति नहीं बल्कि एक पद है और गांधी जी को लेकर यहां पर तमाम बातें कही गयीं मुख्य मुद्दा यह है कि उस बैठक का मुख्य मंत्री जी ने बहिष्कार किया या किसी व्यस्तता की वजह से उस बैठक में नहीं गयी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री उत्तर देने के लिये खड़े हुये उनको नहीं सुना गया और पहले ही आपत्ति कर दी गयी तो मैं समझता हूँ कि जानबूझकर सदन का समय नष्ट किया जा रहा है लेकिन उसके साथ में यह भी कहना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी को बुलाने की बात कहकर यहां व्यवधान पैदा करने की नीयत है। माननीय मुख्य मंत्री क्यों नहीं गयीं इस पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुन लिया जाय तो स्थिति खुद ही स्पष्ट हो जायगी। अनेक माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण, लोकहित की समस्यायें हैं जिन पर अभी विचार होना है, मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न पर सदन का समय नष्ट न हो तो उचित होगा। मान्यवर, इस पर आप व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

सदन का समय अवरुद्ध न किया जाय और शोरगुल में समाप्त न किया जाय, यह अच्छी बात नहीं होगी और न अच्छी परंपरा होगी। माननीय सदस्यों की बात सुनने के बाद मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया था और वह जवाब दे रहे थे। उनकी बात सुनी जाय।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप बैठ जायं।

महामहिम श्री राज्यपाल के नेतृत्व में महात्मा गांधी की 125वीं वर्ष जयन्ती समारोह मनाने हेतु गठित समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री के सम्मिलित न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(क्रमागत)

*श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, मैं व्यवस्था इस बात पर चाहता हूँ कि आज जो प्रश्न उठाया गया है उसका आधा भाग तो बहुत पहले निपटा दिया गया है और निपटाया ही नहीं बल्कि दफना भी दिया गया है। अब मुद्दा केवल यह रह गया है कि महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा बुलाये जाने पर बैठक में माननीय मुख्य मंत्री जी क्यों नहीं गयी? किसी व्यवस्तता की वजह ने नहीं गयीं या उन्होने बैठक का बहिष्कार किया। इसका जवाब आना है। जहां तक सामूहिक उत्तर दायित्व का प्रश्न है, कम से कम माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी स्वयं सक्षम हैं कि वह इस बात का जवाब यहां पर दें। उसका जवाब देने के लिये मुख्यमंत्री जी यहां पर आयें यह आवश्यक नहीं है।

इस छोटी सी बात का जवाब देने के लिये वह मीटिंग में क्यों नहीं गयीं, इसका जवाब संसदीय कार्यमंत्री जी दे सकते हैं। (मेजों की थपथपाहट) मैं कहना चाहता हूँ कि अनावश्यक समय बरबाद करने में प्रमोद तिवारी जी माहिर हैं। बिना बात की बात पैदा करने मं माननीय तिवारी जी का जोड़ नहीं है। न्यूज को बनाने के लिये चाहे जो कुछ कहना पड़े उसमें वह पी) नहीं रहते। मैं उनका आदर करते हुये यह कहना चाहता हूँ कि किन परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं गयी इसका स्पष्टीकरण माननीय संसदाय कार्यमंत्री जी दे देगें। मेरा विश्वास है कि उनकी बात सुनने के बाद सदन स्वयं संतुष्ट हो जायगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, माननीय राम आसरे वर्मा जी ने ठीक इंगित किया है, चर्चा का विषय यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी क्यों नहीं पहुचीं। हमारे माननीय नेताओं ने जिस ढंग से यह विषय रखा और जिस पर हमारे सहयोगी गुप्ता जी ने भी प्रश्न उठाया, मेरा निवेदन है कि पूरे धैर्य, धीरज, सम्मान के साथ मैने उनकी बातों को सुना, श्रीमन्, गांधीवाद यही है कि सामने बैठे व्यक्ति से जब बात की जाय तो उसको सम्मान भी देना चाहिये और आदर भी देना चाहिये। मैं अपने मित्रों से बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना करूंगा कि अगर गांधी जी को वह सम्मान देने की बात जब करते हैं तो जब वह अपनी बात कहें तो दूसरे पक्ष को भी ध्यान से सुनें।

गांधीजी के बारे में फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पूरी श्रद्धा है, पूरा सम्मान है, किसी की हिम्मत नहीं है इस देश में कि गांधी जी के बारे में कोई असम्मानजनक बात कह दे।

श्रीमन्, दूसरी बात आदरणीय तिवारी जी ने और आदरणीय अग्रवाल जी ने उठाई थी कि महामहिम के प्रति कोई अश्रद्धा जैसी बात है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि महामहिम श्री राज्यपाल जी सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक संस्था हैं, सरकार उनका सम्मान करती है और हम लोग उनका सम्मान करते हैं और वर्तमान राज्यपाल श्री बोरा जी के प्रति तो हम लोगो का व्यक्तिगत सम्मान है, अत्यधिक आदर है इसलिए यह कहना कि उनके और मुख्यमंत्री जी के बीच मतभेद पैदा हो गया है सही नहीं है उनसे मुख्यमंत्री जी की रोज वार्ता हो ती है।

हमारी पूरी सरकार और सहयोगी दल महामहिम राज्यपाल के प्रति श्रद्धा से विनम्र है तो फिर एक बात साफ हो जाय कि हम लोग उनके प्रति श्रद्धावनत हैं और जिस बैठक की बात उठाई गयी है उसके लिए मैं आपकी अनुमति से सदन को जानकारी दे रहा हूँ कि यह महात्मा गांधी जी की 125वीं जयन्ती समारोह मनाने के लिए है यह राज्य स्तरीय सीमा है जिसमें श्री राज्यपाल जी उसके अध्यक्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी उपाध्यक्ष हैं लेकिन एक दूसरी समिति है उन्हीं समारोहों के लिए जो भी राज्यपाल जी की अनुज्ञा से बनी है वह कार्यकारिणी समिति है, आदरणीय तिवारी जी उसके सदस्य हैं। श्री तिवारी जी बैठे हुए कह रहें हैं कि उनको सूचना नहीं है तो मेरे पास इसका स्पष्ट शासनादेश रखा हुआ है।

श्रीमन्, जिस बैठक का उल्लेख औचित्य के प्रश्न के रुप में माननीय तिवारी जी ने किया है वह बैठक राज्य की उस समारोह की कार्यकारिणी समारोह की थी और कार्यकारिणी समिति में मुख्यमंत्री जी सदस्य नहीं हैं, एक अलग से सूची है तो महात्मा गांधी के आदर्शों को मानने वाले उसमें आस्था रखने वाले तमाम कर्मठ नेतागण उसके सदस्य हैं। इसलिए उस बैठक में मुख्यमंत्री जी का न पहुंचने के कोई ऐसी बात नहीं पैदा हुई मगर उसकी बैठक नहीं थी जिस बैठक का उल्लेख है। श्रीमन्, आपकी अनुमति से जो नोटिस दिया है माननीय नेताओं ने उसमें यह कहा है कि "राष्ट्र पिता के 125वीं जन्म दिवस समारोह समिति की कार्यकारिणी की बैठक" तो श्रीमन्, यह 125वीं राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी और कार्यकारिणी की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी सदस्य नहीं हैं इसलिए उसमें जाने न जाने से कोई ऐसी बात पैदा हो गयी हो ऐसा नहीं है। सरकार स्पष्ट करती है कि पूरे प्रदेश में समारोह मनाया जाना है और उनके प्रति पूरी प्रतिबद्धता है। एक और उल्लेख किया उसका उत्तर कल आ गया, गांधी ग्राम्य परियोजना का उल्लेख आया था इसकी बाबत भी सरकार की पूरी निष्ठा है और मैं कल यह स्पष्ट कर चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि पूरे तथ्य सदन के समक्ष आ गये हैं कदाचित यह कागज उनकी डाक में रहा होगा न मिला होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

सभी माननीय सदस्यों को सुनने के बाद और माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के बाद यह स्पष्ट हो गया है, इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूँ।

वृद्धावस्था पेंशन देने में शहर व देहात के भेदभाव से समानता के सिद्धान्त एवं विधान मण्डल के निर्णय की अवहेलना होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं अपने औचित्य की ग्राह्यता पर बोलने के पहले मैं भारत के संविधान की

धारा 14 व 15 का उल्लेख करना चाहता हूँ-मान्यवर, अनुच्छेद 14 देखने की कृपा करें। इसमें है—राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विषयों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और 15 में है—राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इस सन्दर्भ में मैं पिछली सरकार द्वारा जो शासनादेश जारी किया गया है, उसका उल्लेख करना चाहता हूँ, यह श्री राय सिंह द्वारा जारी किया गया है और 12 अक्तूबर 1994 का है और उसकी पत्र सं०4855 26-3-94-142 94 है। मान्यवर, शहर और गांव का कोई भेद नहीं किया जा सकता है। शासन की ओर से यह व्यवस्था है कि 60 वर्ष या निर्धारित आयु रखने वाले पात्र व्यक्ति को ओल्ड एज पेंशन दी जायेगी, चाहे वह गांव का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो। आप देखें कि शासनादेश के खंड 4 में यह प्राविधानित है कि नगरीय क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब आगे और लाभार्थियों का चयन न किया जाये और जैसे जैसे वर्तमान लाभार्थी मृत्यु हो जाने के कारण अथवा किसी अन्य कारणवश पेंशन पाने के योग्य न रहें, वैसे वैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना में कमी करते हुये यथा समय इसे पूर्णतया समाप्त कर दिया जाये।

मान्यवर, यह विभेदकारी है। मैं संविधान के अनुच्छेद 15 के उपखण्ड 3 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। उसमें है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिये कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आयु और जन्म स्थान का विभेदन नहीं किया जायेगा, जो महिलायें एक ही पात्रता की हैं, उनको विरक्त नहीं किया जाना चाहिये। पुरानी सरकार को लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं था, इसलिये उसने ऐसा शासनादेश जारी कर दिया है। यह शासनादेश इसी समय निरस्त किया जाना चाहिये और गांव और शहरों में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिये और सभी को समान पेंशन दी जानी चाहिये। अगर वह पात्रता सूची में आते हैं तो उनको पेंशन दी जानी चाहिये।

अभी ऊदल जी ने इशारा किया, इसी शासनादेश में आगे दिया है, खंड 5 में दिया है, वित्तीय वर्ष 1994 95 में वृद्धावस्था पेंशन के लिये जो लक्ष्य निर्धारित हैं, उसमें से जितनी स्वीकृतियां होने से रह गयी हैं, उन सभी अवशेष मामलों में ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थी चयनित कर उनकी किसान पेंशन की स्वीकृति की जाये।

मान्यवर, अभी तक क्या होता था, पुराना शासनादेश था, जो लोग पा रहे हैं वह पाते रहेंगे, अब सरकार ने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो यह जनहित विरोधी शासनादेश है, 6-6 महीने हो जाते हैं, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है। मान्यवर, वृद्धावस्था पेंशन जारी क्यों की गयी थी, 100 रुपये और 60 रुपये में किसी की गरीबी दूर नहीं होती है, यह स्वाभिमान पैदा करने के लिये है। अगर लड़का या बहू बृद्धा को कोई पैसा नहीं देते हैं तो उसके जो नाती पोते हैं उनको वह एक पैसा नहीं दे पायेगा। पेंशन से वह उनके हाथ में दो रुपये रख सकती है, दो रुपये मांगने के लिये उसे बहू के पास नहीं जाना होगा, तो इस प्रकार से उसमें स्वाभिमान जागृत होगा, दो रुपये वह अपने नाती की जेब में रख सकती है। इसलिये जो यह शासनादेश जारी किया गया है, वह असंवैधानिक है। जन्म स्थान के नाम पर किसी को विभक्त नहीं किया जा सकता है।

[1 बजकर 20 मिनट]

अगर भगवान हमें शहर में पैदा करदे तो क्या हम गरीब नहीं हो सकते हैं गांव में पैदा कर दिया तो गरीब हो जायेंगे। पैदा हम गांव में हुए परिवार लेकर शहर में आ गये, हमारी मृत्यु हो गयी हमारे परिवार की विधवा है, पैदा तो गांव में हुई थी, शहर में बस गयी तो अपात्र हो गया। यह जनविरोधी आदेश है सब दृष्टि से निर्गसित किया जाने वाला है।

मान्यवर, हम बजट के बाद एप्रोप्रियेशन बिल भी पास करते है, सरकार को खर्च करने का अधिकार देते हैं, यह बजट केवल लेखा जोखा नहीं है व्यापारी की दुकान नहीं है, यह पालिशी स्टेटमेंट है। बिना किसी भेद के विभेद के जन्म स्थान का भेद किये बिना सब को पेंशन दी जायेगी, एक आदेश दिया सदन ने सरकार को, सरकार ने उस आदेश को रद्दी की टोकरी में फेक दिया इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बनता है।

पंचायतीराज एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है और गांव में रोजगार के अवसर कम है इसलिये वहां आमदनी भी कम है इसलिये यह शासनादेश उस समय लागू किया गया था। श्रीमन्, जहां तक इसके असंवैधानिक होने का प्रश्न है, कोई भी गांव में रहता है उसको भिन्न सुविधायें और शहर में रहता है उसको भिन्न सुविधायें, इस तरह का कोई आदेश असंवैधानिक नहीं हो सकता है। माननीय गुप्त जी को याद होगा जब वे संसदीय कार्यमंत्री थे, मैंने उधर से शक्कर वितरण के बारे में पूछा था कि शहर के लोगों को दूसरी तरह से दी जाती है और गांव के लोगों को यूनिट कम है, तो मान्यवर यह सम्यक विचार करके आदेश जारी किये जाते हैं। लेकिन, जो इन्होने बिन्दु उठाया है यह सही है कि अगर वृद्ध महिला है पात्र है, आय के आधार पर पात्रता श्रेणी में आती है तो वह कहीं भी रहे उसको प्रत्येक स्थिति में पेंशन दी जानी चाहिये, सरकार इससे सहमत है, गरीब है पात्र है, इसे दिखवा लेंगे। कहीं कोई पात्र है चाहे कस्बे में रहता हो या देहात में रहता हो, अगर वह पात्र पेंशन का है क्योंकि पेंशन गरीब आदमी को देते हैं पात्र को देते हैं इसे सरकार दिखवा लेगी।

श्री नरेश अग्रवाल-

औचित्य के लिये तो बता दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

औचित्य के लिये पहले कहा कि यह बनता नहीं।

श्री राम आसरे वर्मा-

औचित्य बनता है कि नहीं, इससे तो यह असहमत हैं। ग्रसित देहात क्षेत्र के वृद्ध लोग भी हैं और शहर के लोग भी हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के सामने माननीय गुप्त जी ने शासनादेश पढ़कर सुनाया उसके बाद भी कहते हैं कि हम दिखवा लेंगे तो क्या वही पुराने घिसे-पिटे तरीके के सांचे के मुताबिक यह सब काम चलेगा, दिखवा लेंगे– कर देंगे यह सब कम से कम सिलसिला अब बन्द कर दें। माननीय दीक्षित जी अब इधर बैठकर उधर के लोगों से बात कहा करते थे तो उन्हीं क्षणों को याद करते हुए अब कम से कम ठोस जवाब दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन् वर्मा जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, वर्मा जी ने जिस हिस्से को उठाया है उसका मैं समर्थन करता हूं, यह सही है कि अपेक्षायें हम उधर से बैठकर सरकार से किया करते थे, दिखवा लेंगे का अर्थ नियमावली में परीक्षण करा लेना होता है, माननीय वर्मा जी ने पढ़ी है आश्वासनों की सूची।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं कि माननीय मंत्री जी ने दिखलाने की बात कही है और वह इस बात से सहमत हो गये हैं कि पात्रता का ही आधार होना चाहिये न कि शहर और देहात का। मान्यवर, गुप्त जी ने शासनादेश का उल्लेख किया, इस शासनादेश से आज, भारत के संविधान के तहत आर्टिकल 14 का उल्लघंन हो रहा है। आज जो इक्वलिटी होनी चाहिये, समानता होनी चाहिये, उसका अतिक्रमण हो रहा है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूँगा कि उस शासनादेश को देख लें और उक्त शासनादेश को निरस्त करने की घोषणा करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय दीक्षित जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है और वह महसूस भी करते हैं कि यह गलत हुआ है, यह ठीक करने को तैयार भी हैं, पर जरा हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कहा है देख लेंगे। आप इनको जरा हिम्मत बंधा दें, देख लेंगे की जगह कह दें, कर देगें।

*श्री सत्य प्रकाश विकल-

माननीय गुप्त जी ने बहुत स्पष्ट रुप से शासनादेश का उल्लेख किया। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार भी किया और मान भी लिया, लेकिन पता नहीं घोषणा करने में माननीय मंत्री

जी को क्या हिचक है। पूरे सदन की यह भावना है कि ग्राम और शहर की वृद्धा का भेद नहीं होना चाहिये, माननीय मंत्री जी भी इस बात को स्वीकार करते है तो मान्यवर, उस शासनादेश को निरस्त करने की तत्काल घोषणा कर दें।

श्री ऊदल-

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूँ कि सर्व सम्मत राय है कि यह जो शासनादेश निकाला गया है, यह दुर्भावनापूर्ण है, इसलिये शहर और देहात में कोई भेद नहीं होना चाहिये, अतः इससे पूर्व का जो शासनादेश है, उसी को लागू कर देना चाहिये, यही मैं चाहता हूँ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी दिन भर में कितना सत्य बोलेंगे मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब उन्होंने स्वीकार कर लिया है तो फिर क्या हिचक है, आप कहिये कि निरस्त करता हूँ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, तिवारी जी कह रहे हैं कि हमारी तरफ देखों और नियमावली में लिखा हुआ है कि मैं आपकी तरफ देखूं। मान्यवर, तिवारी जी ने शासनादेश पढ़ा तो है नहीं और कह रहे हैं कि निरस्त करिये। माननीय राजेन्द्र जी ने उसके एक हिस्से को निरस्त करने की बात कही है। मैनें सरकार की तरफ से आश्वासन दिया है कि मैं उसको देख लूंगा और सम्यक परीक्षण करूँगा। जो माननीय सदस्यों की भावनायें हैं, उसको देखते हुये मैनें पहले ही यह घोषणा की, कि कोई भेद नहीं होना चाहिये, तद्नुसार सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष-

दो महत्वपूर्ण सूचनायें जो नियम 300 की परिधि में तो नहीं आती, लेकिन विशेष उल्लेख के तहत नियम 300 में ले रहा हूँ।

विधान सभा का सत्र 90 दिन चलाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

मान्यवर, हम सब अपने क्षेत्रों से चुनाव लड़कर आते हैं, उसमें हमारी अपनी नीतियाँ भी होती हैं, जनता के प्रति जवाबदेही होती है। क्षेत्र के विकास के लिये जनता हमको चुनकर भेजती है और अपेक्षा करती है कि हम प्रदेश की, क्षेत्र की समस्याओं को विधान सभा में प्रस्तुत करके निराकरण करायेंगे। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुये साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन अर्थात आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षा कालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होगें। मैं दूसरी बार सदस्य चुना गया हूँ, मैनें पहले की भी जानकारी प्राप्त की, उसके अनुसार इसका पूर्णतः पालन नहीं होता है। बहुत सारी जनता की समस्यायें यहाँ रखी जानी आवश्यक होती हैं, वह नहीं आ पाती हैं और पिछली बार की सरकार को नियमों से कुछ लेना देना नहीं था, वह तो हल्ला बोल की सरकार थी, वह 56 तक मद पढ़कर 3 मिनट में सब बजट पास करा दिया करते थे। मैं अपेक्षा करूँगा कि जो नियम दिया गया है, उसका पालन होना चाहिये। बजट सत्र में भी कम से कम 34 बैठकें होनी चाहिये, इस सत्र में मुझे आशंका है कि उतनी बैठकें नहीं होने जा रही हैं। आप मान्यवर, स्वयं संरक्षक हैं। मान्यवर, आप सरकार को आदेशित करें कि जो प्रक्रिया नियमावली में 90 दिन का उल्लेख किया गया है और 3 उपवेशन बुलाने का, उसका अवश्य पालन किया जाना चाहिये, यह जनहित में और हम सबके लिये भी महत्वपूर्ण है। मैं औचित्य प्रश्न के माध्यम से अपने प्रस्ताव पर बल देते हुये इसके क्रियान्वयन की मांग करता हूँ।

पचायती राज एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन् इस सरकार को बने हुये अभी 2 माह भी पूरा नहीं हुआ है और माननीय मल्ल जी सहमत होंगे कि जब यह सरकार बनने की प्रक्रिया में थी और लखनऊ में खादी का कपड़ा पहनने से लोग डरते थे कि एम०एल०ए० समझकर कोई पीट न दे। मान्यवर, जब से सरकार अस्तित्व में आ गई, तब से बीच के थोड़े दिनों को छोड़कर, पहले दो दिन बैठक चली और इधर लगातार सत्र चल रहा है और आपने आगे सत्र का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, तो अभी से यह शंका कर लेना कि आगे सत्र नही चलेगा और 90 दिन से कम चलेगा, तो मैं समझता हूँ कि बेबुनियाद है। यदि एक वर्ष हो गया होता, 2 वर्ष हो गया होता और न चलती तो इस तरह के प्रश्न उपस्थित किये जाते तो संगत होता। हमारी विधायिका में पूरी आस्था है और सरकार विधायिका के समक्ष जवाबदेह है इसलिये हमारी सरकार विधान सभा में उठाये गये सभी प्रश्नों का संगत उत्तर देती है, किसी प्रश्न का उत्तर देने से कतराती नहीं है, पहले की तरह टालमटोल में नहीं ले जाती है। मान्यवर, संविधान और नियमावली में जो व्यवस्था है, तदनुसार सरकार पूरा आचरण करेगी, अभी से किसी बात की शंका किये जाने का सवाल नहीं उठता और यह नियम 300 में आता नहीं, इसलिये इसे निरस्त करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 14 के अनुसार साधारणतः प्रत्येक वर्ष में 3 उपवेशन आय–व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन और शीतकालीन अधिवेशन होने चाहिये तथा 90 दिन के उपवेशन का प्राविधान है। अनुच्छेद 174 के तहत श्री राज्यपाल को सत्र बुलाने, सत्रावसान करने का अधिकार है। सदन कब-तक बैठेगा, इसका निर्णय सदन ओर सरकार दोनों मिलकर करते हैं, इस संबंध में अनेक अवसरों पर औचित्य का प्रश्न उठाया जा चुका है और उसे शासन के विचारार्थ भेजा भी गया है, अतः मैं पुनः कार्यवाही करने हेतु इसे शासन के विचारार्थ भेज दूँगा।

सदन में बोलने के लिए सभी मा० सदस्यों के लिए एक समान कानून लागू किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

मान्यवर, जिस आदरणीय सदन में हम बैठे हुये हैं, उसी की कार्यवाही के संचालन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अधिकांशतः मैने देखा है कि इस सदन की कार्यवाही जब चलती है या आपकी पीठ से जो निर्देश दिये जाते हैं, उनको हम अच्छी प्रकार से सुन नहीं पाते हैं क्योंकि कुछ माननीय सदस्य व्यवधान पैदा करते हैं सदन की कार्यवाही विधिवत रुप से नहीं चल पाती है। सदन इतना महत्वपूर्ण है कि प्रदेश की ज्वलन्त समस्याओं के समाधान के लिए हमें निर्णय करने होते हैं। यदि हम प्रदेश की समस्याओं का समाधान इस सदन के माध्यम से नहीं कर पाते हैंतो हम प्रदेश की जनता के साथ अन्याय करते हैं, मान्यवर, मेरा सुझाव है कि सदन की कार्यवाही सही रुप में चले। यहां पर कुछ माननीय मदस्य जानबूझकर विघ्न पैदा करना चाहते हैं। नियमों का उल्लंघन न हो इसके लिए मैं आपकी पीठ से निर्देश चाहता हूं। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि सदन में व्यवधान पैदा करके हमारे कुछ साथी जनता के साथ न्याय नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सदन में हर सदस्य को मर्यादा का पालन करना चाहिए। कुछ सदस्य कई बार उठ जाते हैं, जब तक माननीय अध्यक्ष की आज्ञा न हो तब तक किसी भी सदस्य को बोलने का अधिकार नहीं है। मगर यहां पर कुछ सदस्य अनावश्यक रुप से खड़े हो जाते हैं और अपनी वरिष्ठता का प्रदर्शन करते है। मेरा निवेदन है कि सदन को नियमानुसार चलाया जाये और जो सदस्य इस सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं उनको आप रोकिये। ऐसे नियम बनाइयें कि प्रत्येक मदस्य उस नियम का पालन कर और इस प्रदेश की जनता के साथ यह सदन न्याय करे। यही मेरा अनुरोध है।

पंचायतीराज एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, माननीय मातबर सिह जी ने विधान सभा के भीतर हम लोग जो कभी हंसी–मजाक कर लेते हैं, हम हैं–तिवारी जी हैं कुछ साथ और हैं, उस हंसी मजाक को यह समझ लिया है कि जैसे वहां कोई लड़ाई हो जाती

है। श्रीमन्, यहां कोई ऐसा वातावरण नहीं बना, जिसकी वजह से किसी माननीय सदस्य को बोलने में असुविधा हुई हो। आप इस सदन के संरक्षक हैं। माननीय सदस्य ने अनुरोध किया है कि आप नियमों में प्रावधान करें तो नियमावली में तमाम व्यवस्थायें है। अगर श्रीमन् आपकी अनुज्ञा नहीं होती हम लोग सब शान्त नहीं होते तो मातवर सिंह जी की बात इतनी धैर्य से सुना भी नहीं जाता, चूंकि हम यहां पर पूरे उत्तर प्रदेश से चुनकर आते हैं, यह बहुत बड़ा राज्य है, लोगों को अपनी–अपनी समस्यायें कहनी होती हैं तो कभी समस्यायें रोष में, कभी स्नेह में, कभी हंसी–मजाक में और कभी–कभी नोंक–झोंक भी हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहां पर कोई नियम टूट गया है और कोई अव्यवस्था पैदा हो गयी है। अब अगर कोई अव्यवस्था पैदा हो तो श्रीमन्, आपको पूरा अधिकार है, दण्डित कर सकते हैं, निष्कासित कर सकते हैं। यह औचित्य का प्रश्न नहीं बना है, अतः आपसे प्रार्थना है कि इसे निरस्त करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

इस विधान का कार्य उत्तर प्रदेश कार्य संचालन नियमावली 1958 द्वारा विनियमित और संचालित होता है। इसके नियम सभी माननीय सदस्यों पर समुचित रुप से लागू होते हैं। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान उक्त नियमावली के नियम 286 से 294 तक के उपबंधों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा और उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वह उक्त नियमों का कृपया गहन अध्ययन कर लें। और इसके अनुसार यह औचित्य का प्रश्न नही बनता, इसलिए मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के दायित्वों के निर्वहन के सम्बन्ध में शासन के शासनादेश के अन्तर्गत विधायकों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में औचित्य का प्रश्न

श्री तीरथ राज-

मान्यवर, शासन के संसदीय कार्य अनुभाग-1 द्वारा राज्य विधान मण्डल के सदस्यों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उनको अपेक्षित सुविधाओं आदि से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1688 17 मनु/92-56 सनु/92 दिनांक 21 मई, 1992 के अन्तर्गत विधायकों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया गया है प्रशासन की अवधारणा है कि उक्त शासनादेश के अनुसार विधायकों को समस्त सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, परन्तु यह वास्तविकता से एकदम परे है। वस्तुस्थिति यह है कि न तो जिले के अधिकारी और न ही शासन स्तर के अधिकारी उनका अनुपालन कर रहे हैं। यह विषय समस्त विधायकों के कर्तव्यों के निर्वहन से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह विषय औचित्य का प्रश्न बनता है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस पर अध्यक्ष पीठ से यथोचित निर्णय कराने का कष्ट करें।

मान्यवर, अभी हम याद दिलाना चाहते हैं कि इसके पूर्व में पार्क रोड के माननीय विधायकों के द्वारा पानी की समस्या से भी आज सदन को अवगत कराने की आवश्यकता पड़ी। कई प्रकार की सुविधाएं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं ऐसी सुविधाओं की ओर भी ध्यान नहीं आ रहा है। विधायकों को पानी पीने के लिए अपनी बात यहां कहनी पड़ रही है। मान्यवर, जो जनपद के जिलाधिकारी द्वारा जनपद की समस्त रिक्तियों की सूचना माननीय विधायकों को दी जानी चाहिए। यह भी अपेक्षा की गई है कि विधायकों द्वारा जो भी शिकायतें की जायं, जांच के बाद जांच आख्या से शासन को भी अवगत कराया जाय उसकी कापी माननीय विधायकों को भी दी जाय। लेकिन आज तक जो भी जनपद की रिक्तियों की सूचना, जहां तक मेरा ख्याल है, किसी विधायक को नहीं दी जाती होगी।

श्रीमन् मेरे पास यह दो–दो तीन–तीन पुस्तकें हैं जिसमें सैकड़ों शासनादेश हुए हैं इसका ही परिणाम यह है कि एक के बाद एक आदेश होते गये किसी का भी अनुपालन नहीं हुआ। यह कौन सी व्यवस्था है जो हमें संवैधानिक अधिकार है जिलाधिकारी द्वारा उसे हमसे वंचित किया जा रहा है। जो जांच आख्या शासन को भेजी जाती है उसकी कापी किसी भी विधायक को नहीं दी जाती है। मैंने शिकायत की, उसका परिणाम क्या हुआ मुझे कोई जानकारी नहीं है।

आखिरकार हम लोग अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कैसे करें। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हुए हैं उनके ही द्वारा ऐसा प्रश्न उठाया गया जब वह माननीय विधायक थे तो आपक द्वारा एक पत्र लिखा गया था जनपद उन्नाव के मार्ग निर्माण में घटिया पत्थर डालने विषयक माननीय राम आसरे वर्मा भी उस मीटिंग में थे जिस पर चर्चा हुई थी और उसमें कुछ नीतियां तय की गयी थी जिसका अनुपालन उनको करना ही था। इन सबके बाद भी अब तक उस पर अमल न किया जाना क्या यह हम लोगों को जो सुविधाएं दी गयी हैं उसका उल्लंघन नहीं है। शासन के अधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार से जो यह असहयोग किया जा रहा है उसका निराकरण होना ही चाहिए। मान्यवर, यह भी इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रोटोकोल के हिसाब से जिलाधिकारी को और पुलिस अधीक्षक को विधायकों का खड़े होकर स्वागत करना चाहिए। समान्यतः जब वह जाने लगे तो उसको सी०आफ० करना चाहिए। लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं होता है। आखिरकार यह अपमानजनक व्यवहार कब तक होगा। मान्यवर, यह एक बहुत ही गम्भीर मुद्दा है, औचित्य का प्रश्न बना है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें।

पंचायतीराज एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन्, हमारी सरकार माननीय विधायकों के सम्मान के प्रति सजग है। अगर कोई भी अधिकारी माननीय विधायकों का सम्मान नहीं करता और शासनादेश में वर्णित निर्देशों के अनुरुप आचरण नहीं करता तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी, यह सरकार की स्पष्ट घोषणा भी है। नोटिस में एक शासनादेश का उल्लेख किया गया है अगर वह शासनादेश इस नोटिस के साथ संलग्न होता तो उसका उत्तर देने में और सुविधा हो जाती। अगर कहीं कोई शिकायत विशेष है माननीय विधायक जी को तो श्रीमन् मेरी उनसे प्रार्थना है....

(कई माननीय सदस्यों ने एक साथ खड़े होकर कहा कि सभी जिलों में ऐसी शिकायतें हैं)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, कृपा करके बैठ जायं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को तो सुन लें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

अगर कहीं पर नियमों में प्राविधानित निर्देशों का उल्लंघन हो रहा हो तो सरकार तभी कार्यवाही कर सकती है जब उसकी कोई सूचना सरकार के पास आती है। अगर कहीं कोई विशेष प्रसंग है तो सरकार उसकी जाँच करवायेगी। जो दोषी पाये जायेंगे, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

*श्री हरिशंकर तिवारी-

जिला स्तर पर जो मीटिंग होती हैं, उनका कार्यवृत्त तक नहीं लिखा जाता है और न ही उसकी सूचना भेजी जाती है और अधिकारी मन माने तरीके से बैठकों की सूचनाओं को निरस्त कर देते हैं और न ही कोई सूचना हमको दी जाती है, इसलिए इस पर रोक लगना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री तीरथ राज जी ने एक गम्भीर समस्या को उठाया है। मैंने श्री तीरथ राज जी को ध्यानपूर्वक सुना और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को भी सुना। माननीय विधायकों के हित से संबंधित यह मामला है। मैंने ग्राह्यता पर सुना। इस पर कोई चर्चा तो हो नहीं रही है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है।

(व्यवधान)

अभी मेरी बात पूरी नहीं आ पाई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय यादव जी आप बैठ जांय पहले माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की बात पूरी हो जाय। उनकी बात सुनने के बाद आप संतुष्ट हो जाय। यह स्पष्टीकरण के लिये कोई वक्तव्य है नहीं, विषय की ग्राह्यता पर मैंने सुना है। अगर कोई आशंका रह जाती है तो पहले कम से कम संसदीय कार्यमंत्री जी जो कहना चाहते हैं उसे सुन लें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं माननीय विधायकों का मान सम्मान और उनके पत्रों का सम्मान होना चाहिये। तमाम माननीय सदस्यों ने जो चिंता जाहिर की है कि उनके अपने अपने क्षेत्रों में शासनादेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वह सही नहीं है वह ठीक ही बोल रहे है। लेकिन अगर किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करनी है और वह शासनादेश नहीं मान रहा है तो उसके लिये शिकायत की आवश्यकता होगी और कोई खास शिकायत देंगे तो उस पर सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी और संबंधित अधिकारी को दंडित करके बता देगी।

इस संबंध में जो पुराने शासनादेश है उनको नये सिरे से फिर से सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जायेगा और जो पुराने शासनादेश हैं उनका कड़ाई से अनुपालन हो किसी भी माननीय सदस्य के मान सम्मान के प्रति चूक न हो। तो हम नये सिरे से फिर से आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

*श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि यह सरकार माननीय सदस्यों के मान–सम्मान के प्रति सजग है और इस संबंध में शासनादेशों का कड़ाई से पालन करायेंगे। तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सरकार के पास कितने विशेषाधिकार हनन के मामले लम्बित पड़े हैं, ऐसे मामले कितने लम्बित है जिन पर कोई सुनवाई नहीं हुई है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

विशेषाधिकार हनन की जानकारी श्रीमन्, आपके पास रहती है इस पर सरकार विवरण नहीं दे सकती है।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

जब सम्मान को ठेस पहुंचती है तब विशेषाधिकार हनन की बात आती है। आज क्या हो रहा है आज माननीय सदस्यों के विरुद्ध अपराध पंजीकरण करा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम सजग हैं उनके सम्मान को गिराया जा रहा है अधिकारी झूठे अभियोग दर्ज कर रहे हैं तो ऐसे मामलों को आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कृपापूर्वक आश्वासन दिया कि हम शिष्टाचार और प्रोटोकाल के जो आदेश हैं उनको दोहरा देंगे। मैं एक बात मेरे मन में बहुत देर से आ रही थी कह नहीं पा रहा था लेकिन मनमें आया कि भावना से कर्तव्य ऊंचा होता है उसी कर्तव्य पालन हेतु मैं एक बात कहना चाहता हूं जिसे माननीय सदस्य नहीं कह पाये, एक पीड़ा है माननीय मंत्रिगण जो बैठे हैं उनको शायद मालूम नहीं है माननीय सदस्य जो पत्र उनको लिखते हैं उसका उत्तर उनके हस्ताक्षर से आता है। शायद उनकी जानकारी में न हो या माननीय मंत्रियों के पी०एस० ने नहीं बताया हो, माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने न बताया हो। तो उन्होने जो शिष्टाचार के आदेशों को रिवाईज करने की बात कही है उसी के साथ लेकिन साथ साथ अपने सहयोगी मंत्रियों से भी यह अपेक्षा करें कि माननीय सदस्य जो पत्र देते है, उस पर निर्णय लेना तो उनका अधिकार है, लेकिन उस पर जानकारी पाना हमारा अधिकार है। इसलिए हमारे इस अधिकार को भी सुरक्षित रखा जाए, यह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।

श्री ऊदल-

मेरी भी यह सारी जिन्दगी यहां बीत गई, यही सोचना रहा कि कहूं या न कहूं। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पंचायतीराज मंत्री भी है, मिला था। एक बुढ़िया ने मेरे पास एक प्रार्थना पत्र भेजा था। उस बुढ़िया का लड़का पंचायतराज अधिकारी है, उसका इलाज हो रहा था एक साल के लिए उसका ट्रांसफर रोकने के लिए मंत्री जी को लिखकर भेजा था। आपने उस पर आदेश कर दिये। लेकिन उसके बाद जिसे आदेश का कार्यान्वयन करना है वह वाराणसी का डी०पी०ओ० कहता है कि एम०एल०ए० और मंत्री तो ऐसे ऐसे आदेश किया ही करते हैं और उस आदेश की बिलकुल अनदेखी करके उस अधिकारी ने उसका ट्रांसफर कर दिया और उसने उसे खूब धमकाया भी और साथ ही उसने एम०एल०ए० के बारे में भी उल्टी-सीधी बातें कहीं। मैं बहुत देर से बैठा सुन रहा था, आपने अभी तथ्य चाहा था, इसलिए इस घटना का हवाला दिया और वह भी बताया कि आपके आदेश का पालन नहीं हुआ।

*श्री रामआसरे वर्मा-

यह जो मुद्दा सदन में उठा, निश्चय ही बहुत गम्भीर मुद्दा है और हम सभी किसी न किसी रुप में उससे जुड़े हुए हैं। जो इस समय हालत प्रदेश में है, नोकरशाही बिलकुल निरंकुश हो चुकी है और इतनी निरंकुश है कि आप माननीय सदस्यगण के सम्मान की बात करते हैं, किन्तु हमारे ही दल के श्री हरेन्द मलिक जी एक गरीब की मदद में खड़े हुए थे—किसी का मर्डर हुआ था, पुलिस के लोगों ने उन्हें की उस केस में इन्वाल्वड करने की साजिश की और उनके विरुद्ध अभियोग भी दर्ज हो गया। इसमें एस०ओ० का कहना है कि ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन मातहत कहता कि यह घटना घटित हुई है और यह विधायक उसमें इन्वाल्वड है। जहां पर सम्मान की बात है, इस तरह की घटना विधायक के साथ हो, पुलिस अधिकारी कहता है कि इस तरह की घटना घटित नहीं हुई और सर्बाडीनेट कहता है कि घटी, तो विधायकों के खिलाफ ऐसा मुकदमा कायम हो जिसका प्रमाण पुलिस अधिकारी स्वयं मिल जाए, तो ऐसे मामले को वापस लेने की कार्यवाई करनी चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो आप उनका हौसला बढ़ायेंगे। आज एक हरेन्द्र मलिक के साथ ऐसी घटना घटी है, कल दूसरे के साथ घट जाएगी। इसलिए ऐसी चीजों पर रोक लगनी चाहिए।

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, यह जनप्रतिनिधियों की बहुत बड़ी पीड़ा आपके सामने है, उसको अपने सम्मान के लिए ब्यूरोक्रेसी के हस्ताक्षरों पर निर्भर रहना पड़ता है। पुरुष सचिव के आदेश पर हमारे अपने सम्मान और दूसरी चीजें सुरक्षित रखी गई हैं। उक्त शासनादेश में उसके उल्लंघन करने पर किसी दण्ड का प्राविधान नही है। इसीलिए जब कभी हम लोग शिकायत करते हैं कि जन प्रतिनिधियों के साथ समुचित सम्मान का व्यवहार नहीं हो रहा है तो यही निर्देशित किया जाता है, पुनः एक शासनादेश की कापी भेज दी जाय। जबतक शासनादेश में यह उल्लेख नहीं होगा कि जन प्रतिनिधियों के साथ शासनादेश के अनुसार अपेक्षित सम्मान न होने पर यह—यह दण्ड दिया जाएगा तब तक उस कापी को बार बार भेजने से कोई लाभ नहीं। यह 1953 का केन्द्र सरकार का एक आदेश है। हर सरकार में यह विषय उठता है। यदि आप उसका अनुपालन सुनिश्चित कराना चाहते हैं जन प्रतिनिधियों के सम्मान के आप संरक्षक हैं। इनके सम्मान की रक्षा के लिये आप गम्भीर हैं, मैं ऐसा समझता हूं तो कृपया इस शासनादेश में और उसका अनुपालन न करने के लिये किसी दण्ड की व्यवस्था करने की कृपा करें।

श्री राम कुमार शुक्ल-

इस बात से सभी सदस्य अवगत होंगे कि जब कोई भी जांच की बात लिखकर देते हैं, या कोई प्रार्थना पत्र लिख कर देते हैं, तो आदेश हो जाता है उसके बाद भी उन पत्रों का कोई एकनोलेजमेंट नहीं मिलता है। पिछली सरकार में भी दर्जनो बार मैंने इस प्रश्न को उठाया और मुझे आश्वासन मिला हो कि सब तथा पत्रों के उत्तर दिये जायेंगे। विद्युत विभाग हो या कोई अन्य विभाग हो, नियम हो सबकी स्थिति एक जैसी है। हम जांच के सम्बन्ध में, किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को हाउस में पत्र देते हैं जिस पर अति आवश्यक भी लिखा होता है, उस पत्र का भविष्य क्या होता है? कोई नही जानता।

श्री अध्यक्ष-

राम कुमार शुक्ल जी, इस बात को विस्तार से अभी राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा है ओर भी अन्य सदस्यों ने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कतिपय बातें कहीं हैं, अब इस बारे में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के विचार आ जाने दीजिये।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, कई माननीय सदस्यों ने तीरथ राज सिंह द्वारा दिये गये औचित्य के प्रश्न पर विचार व्यक्त किये और इससे यह साफ जाहिर होता है कि पूरे सदन की चिन्ता इस पर है। श्रीमन् जो विचार माननीय सदस्यों के आये, वह भिन्न-भिन्न बातों पर आये, भिन्न भिन्न बातें कहीं गई इसलिये मैं नाम लेते हुए सभी माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। मलिक जी ने कहा है कि विशेषाधिकार सम्मान न मिलने के कारण ही दिये गये हैं और इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मान्यवर, विशेषाधिकार समिति आपके आदेश और इस आदरणीय सदन द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत बनी है। यह उच्च अधिकार प्राप्त समिति है और इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिये श्रीमन्, इस पर सरकार कोई उत्तर दे, यह कदाचित् ठीक नहीं होगा और श्री मलिक भी एक समिति के सभापति हैं। आश्वासन समिति के बारे म अगर सरकार कोई हस्तक्षेप करने लगे तो ठीक नहीं होगा। विशेषाधिकार समिति में जब विशेषाधिकार का हनन होता है, तब नोटिस दिया जाता है।

श्रीमन् आदरणीय गुप्ता जी और शुक्ला जी ने माननीय मंत्रियों को दिये गये पत्रों का उत्तर न मिलने का कारण उठाया है। यह सच है कि सभी मंत्रियों को माननीय सदस्यों के पत्रों का उत्तर देना चाहिए लेकिन इस समय सदन चल रहा है और माननीय गुप्त जी स्वयं संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं, वह स्वयं जानते होंगे कि जिन दिनों सदन चलता है उन दिनों मंत्री देर रात तक प्रश्नों की तैयारी में व्यस्त रहते हैं और सुबह भी जल्दी आना पड़ता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है और जिन जिन मंत्रियों से मेरी बात हुई है मंत्री जी के कार्यालय में माननीय विधायकों के पत्रों के उत्तर तैयार हैं लेकिन इस समय सदन में आना होता है और तमाम प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं इसलिये हो सकता है माननीय विधायकों को मंत्रीगण उत्तर न दे पाते हों। यह हमारी प्रतिबद्धता है और माननीय विधायकों का सम्मान करना चाहिए और तत्समय उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए और देंगे।

त्यागी जी ने जो सुझाव दिया है कि शासनादेश में दण्ड का प्राविधान किया जाना चाहिए, शासनादेश में दण्ड का प्राविधान नहीं किया जा सकता गुप्ता जी भी सहमत होंगे। शासनादेश कोई भी हो अगर उसका उल्लंघन होता है तो उसके लिये अलग से विभागीय अनुशासन की व्यवस्था है। किसी शासनादेश में अगर दंड का प्राविधान करेंगे तो उसके लिये अधिनियम बनाना होगा। इसलिये शासनादेश में दण्ड का प्राविधान नहीं किया जा सकता। ऊदल जी ने जो विषय उठाया है, उस पर श्रीमन् मैं ऊदल जी से बात कर लूंगा। मैं उनकी पीड़ा को समझ रहा हूँ। यह उनका निजी मामला नहीं है, उसमें अधिकारी की कहीं चूक है। मैं उनसे मिलकर पूरे प्रकरण को देखूंगा। आदरणीय वर्मा जी ने प्रश्न उठाया है वह गम्भीर है। माननीय मलिक जी का प्रकरण है किन्हीं पुलिस अधिकारी ने इनको मुकदमें में सम्मिलित कर लिया है उस पर काफी परीक्षण हो गया है। मैं इस सदन में घोषणा करता हूँ जिस अधिकारी से माननीय मलिक जी चाहते हैं प्रदेश के किसी अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी से जिससे चाहें हम जांच करायेंगे।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

एक दरोगा ने कहा मुझे थाने पर आकर धमकी दी मारपीट की। दीवान कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

यह मामला औचित्य में नहीं आता है मेरी प्रार्थना है इसे निरस्त करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नगत मामला नियम-300 में नहीं आता है इसलिए अस्वीकार किया जाता है।

श्री जगदम्बिका पाल-

श्रीमन् यह आश्वासन दे दें जब वहां के एस०ओ० दीवान कहते हैं कोई घटना नहीं हुई है तो जो चार्जशीट लगाई है उसको वापस लेने के संबंध में कार्यवाही करेंगे।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

बिना परीक्षण के वापस कैसे हो सकती है आप पूरी बात जानते हैं।

श्री किरनपाल सिंह-

झूठी चार्जशीट जो लगाई गई है उसका क्या करेंगे। चार्जशीट वापस कराकर जांच करायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

तीरथ राज जी 300 में आपने सूचना दी थी उसमें आपके माननीय सदस्यों तथा नेतागणों को सुनने के बाद, संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम -300 में नहीं आता है इसको अग्राह्य करता हूं। यह काफी गम्भीर मामला है। माननीय सदस्यों के हितों से संबंधित जितने शासनादेश हैं उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। इसको गम्भीरता से लें शासनादेश का उल्लंघन करने वाले जो अधिकारी हैं उन्हें शासनादेश के तहत अनुपालन करना चाहिए। यदि अनुपालन नहीं होता है तो इसके अनुपालन की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

श्री तीरथ राज–

मान्यवर एक मिनट **सुन लें**।

श्री अध्यक्ष-

आपको ग्राह्यता पर बोलने के लिए मौका दिया। आपकी सूचना तो नियम-300 की परिधि को टच भी नहीं करती थी फिर भी काफी जिज्ञासा जाहिर की है। किरनपाल जी आप तीन लोगों की सूचनायें हैं इसमें केवल एक माननीय सदस्य अकेले जो भी इसके बारे में कहना चाहते हों वह कह दें मैं दो मिनट का समय देता हूँ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रकरण समाप्त हो चुका है।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

मान्यवर, सुन तो लें आपकी व्यवस्था शिरोधार्य होगी।

श्री अध्यक्ष-

किस नियम के तहत सुन लूँ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

मैं संसदीय कार्य मंत्री से आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा। मेरा नाम उछला है आपका संरक्षण चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूँगा मेरे साथ एक घटना घटित हुई है। थानेदार ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई। विधायक जी 70-80 आदमियों के साथ आए। स्टेशन अफसर कह रहा है घटना घटित नहीं हुई। मैं आपको कापी भेजता हूँ उसके बाद अपराध दर्ज हुआ है आप स्वयं देख लें मैं अनुरोध करना चाहता हूँ संसदीय कार्यमंत्री जी से राजनीतिक मुकदमें वापस हो रहे हैं। मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि राजनैतिक लोगों पर उत्पीड़न के जो मुकदमें दर्ज कराए गए वह वापस होंगे। मैं सरकार का कृपापात्र नहीं बनना चाहता हूँ। मैं केवल आपका कृपा पात्र बनना चाहता हूँ। आप सम्बंधित मामले में एस०ओ० के बयान को देख लें।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी पूरी बात माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से मिल कर बता दें।

श्री किरन पाल सिंह जी ने एक नोटिस दिया है जिसमें तीन सदस्यों के दस्तखत हैं उसमें से एक सदस्य जो भी कहना चाहे अपनी बात कहें।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

मान्यवर, जो एस०ओ०ने बयान दिया है उसके आधार पर कार्यवाही करने के लिए आप सरकार को निर्देश दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आप संसदीय कार्यमंत्री जी से मिलकर बात कर लें वह विचार कर लेंगे।

श्री बदन सिंह (जनपद बुलन्दशहर) को स्वतंत्रता संग्राम राज्य पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री किरनपाल सिंह-

आज का प्रश्न जो मैंने उठाना चाहा है वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रश्न के महत्व को समझते हुए और भी हमारे साथ जिन्होंने दस्तखत किए हैं उनको भी सुनेंगे। इस देश की आजादी की लड़ाई में हजारों हजार लोगों ने कुर्बानी दी बहुत से लोगों के नाम इस देश के इतिहास में स्वर्णक्षरों में लिखे गए और बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी लेकिन उके नाम गुमनामी में खो गए। ऐसे ही एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बुलन्द शहर जनपद के श्री बदन सिंह जी हैं वह ग्राम खेरपुर, डाकखाना सैदपुर और जिला बुलन्द शहर के निवासी हैं। आजादी की लड़ाई में अनेकों बार उन्होंने चौराहे पर तिरंगा झण्डा चौराहे पर फहराया और कोड़े खाए। अनेकों बार जेल गए। आज यह वृद्धावस्था में हैं। जब सरकार ने आजादी की लड़ाई में जेल जाने वाले लोगों के सम्मान स्वरुप राज्य पेंशन देने की घोषणा की तो मान्यवर इनको पेंशन नहीं दी गई। इन्होने अनेकों बार शासन और प्रशासन को प्रतिवेदन दिए, प्रार्थनापत्र दिए और यह कहा कि में अनेकों बार जेल गया हूं मेरा भी अधिकार है और मुझे भी सम्मान के तौर पर पेंशन दी जाए।

मान्यवर, इस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आज यह अपने गुजारे के लिए मोहताज हैं। इनको दो वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल है। एक सवाल इस विधान सभा में किया गया। पहले मंगलवार को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 83 इसका जवाब सरकार से आया है कि चूंकि इनके जेल की अवधि इतनी नहीं है कि इनको पेंशन दी जाए। मान्यवर, इनके कागजात नष्ट कर दिए गए हैं। इनके जेल का रिकार्ड मिल नहीं रहा है। सरकार के पास खोजबीन करने के बाद सन् 1941 में 28-4-41 से 16-5-41 तक जेल जाने का रिकार्ड मिला है। यह अनेकों बार जेल गए हैं। इनके जेल का रिकार्ड खत्म हो गया है। सरकार खुद यह मान रही है कि इन्होंने सात बार दरखास्त दी है। जिलाधिकारी को दरखास्त दी है सरकार को सात बार प्रार्थना पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

मान्यवर मैं चाहूँगा कि वृद्ध हैं चन्द दिनों के मेहमान हैं इनकी उम्र इस समय 80 वर्ष की है। इनके जीवन यापन में कठिनाई है। उस वक्त तो यह पता नहीं होगा कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाएगा। उस समय लोगों ने लंबी यातनायें सही, लोग उस समय की अंग्रेजी हुकूमत का सामना बहादुरी से करते हुये जेल चले जाते थे उस समय लोगों ने बड़ी कठिन तपस्या की है। मैं मांग करता हूं कि इस मामले में सरकार पुर्नविचार करे। उनके त्याग, तपस्या और बलिदान की कीमत कोई नहीं दे सकता है। जो लोग जेल भी नहीं गये हैं उनको भी आज पेंशन मिल रही हैं लेकिन जिन्होने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रुप में आजादी की लड़ाई लड़ी और जिनके रिकार्ड से पता चलता है कि वह जेल गये हैं उनको पेंशन स्वीकार नहीं की जा रही है, मैं मांग करता हूं कि सरकार उनको पेंशन देने की घोषणा सदन में करें।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता जिनका जिक्र अभी यहां पर आ गया है। मैं कहना चाहता हूं कि उनका और रिकार्ड मिले न मिले लेकिन जो रिकार्ड मिला है उससे साबित होता है कि वह 10 दिन के लिये जेल गये हैं। सरकार ने 2 महीने की समय सीमा रखी है उससे कम अवधि पर पेंशन नहीं देगी। यह उचित नहं लगता है। इसी उत्तर प्रदेश में अनेकों लोग ऐसे हैं जो जेल भी नहीं गये हैं। और कुछ दिनों के लिये एक सिलसिला जो चला था

कि अगर कोई सांसद या विधायक लिख देता था कि यह जेल गये हैं तो उसे सही मानकर लोगों को पेंशन दी गयी है और उसी आधार पर आज भी अनेकों लोगों को पेंशन मिल रही है। इनका 18 दिन का रिकार्ड मिला है मेरा शासन से अनुरोध है कि इनको पेंशन देने की घोषणा करे। इस 18 दिन को 2 महीने का समय मानकर पेंशन देने की घोषणा करें।

आजादी की लड़ाई में अनेक लोग बरबाद हुये हैं और जीवन की आखिरी सांसे ले रहे हैं और घुटघुट कर जिंदा हैं। उस समय आजादी की लड़ाई लड़ने वाले अनेक लोग ऐसे होगें जिनकी नौकरियां समाप्त हो गयी होंगी। उस समय जो आजादी की लड़ाई लड़ने वालों की सहायता देता था उसको भी यातनायें दी जाती थीं। मैं निवेदन करूंगा कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अगर किसी भी प्रकार के लोग आते हैं तो शासन को सहानुभूति और सहृदयतापूर्वक उनके मामले को देखना चाहिये और पेंशन देनी चाहिये। श्री बदन सिंह जी को पेंशन देने के लिये मैं अनुरोध करता हूं, सरकार उनको पेंशन देने की घोषणा सदन में करे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने इस मामले में 18 दिन जेल काटने का संदर्भ दिया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन देने के लिये जो नियमावली है उसमें एक नियम 12 है, मेरी जानकारी है कि नियम 12 में शासन को अधिकार है, शासन पेंशन दे सकता है। मेरा निवेदन है कि इस मामले में मेरे इस सुझाव पर विचार कर लें।

श्री ऊदल-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि गुप्ता जी ने एक नियम का हवाला दिया कि नियम 12 में शासन को अधिकार है और वह पेंशन दे सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप उसमें भी नहीं दे सकते हैं तो केवल एक व्यक्ति बदन सिंह जी के लिये शासन नियमों को शिथिल कर सकता है और यदि शिथिल न कर पायें तो जैसा माननीय गुप्त जी ने कहा नियम 12 के अंतर्गत शासन उनको पेंशन दे सकता है। श्री बदन सिंह को पेंशन देने की घोषणा करें।

श्री जगदंबिका पाल-

मान्यवर, माननीय किरन पाल जी, वर्मा जी, मलिक जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी सहमत होंगे कि उन्होने 18 दिन की जेल काटी है भले ही वह पेंशन के लिये निर्धारित अवधि न पूरी करते हों। यह कहीं पर भी विवाद नहीं है कि वह स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जुड़े नहीं हैं। जंगे आजादी की लड़ाई से जुड़े रहे, उन्हें 18 दिन की सजा हुई जिसका रिकार्ड उपलब्ध हुआ। माननीय मंत्री जी विज्ञ हैं कि बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को रिकार्ड नहीं मिला तो उनके साथ जो उनके साथ जेल में रह उन्होंने प्रमाण–पत्र दे दिया तो उसे मान लिया गया यह सदाशयता रही नामधन्य इंदिरा जी की। मान्यवर, यह आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग शनैः शनैः हमारे बीच से जा रहे हैं और शायद 5 या 10 वर्षों के बाद यह अतीत के इतिहास हो जायेंगे और हम उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और उनके त्याग और बलिदान से हम प्रेरणा लेने की कोशिश करेंगे। तो मान्यवर, मैं चाहूंगा कि जैसा माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने उल्लेख किया वह पेंशन के सम्बन्ध में स्पष्ट है तो जब 18 दिन बदन सिंह जी ने सजा काटी है तो इसमें उदारता पूर्वक नियम 12 के अन्तर्गत माननीय संसदीय कार्यमंत्री इसकी व्यवस्था करें इससे पूरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान होगा।

[2 बजकर 20 मिनट]

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, आज हमने नियम 300 के अन्तर्गत सूचना माननीय बदन सिंह जी को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में दी है जिस दिन बदन सिंह जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो उन्हें जानकारी न रही होगी कि सत्ता के पात्र होंगे और न ही उन्होने इसका रिकार्ड उठाकर रखा था जब वह आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो केवल आजादी के मतवाले थे आज उनकी वजह से ही हमें और आपका यहां बैठने का मौका मिला है। वह 18 दिन जेल में

रहे यह तो सरकार मान चुकी है। ऐसा भी नहीं है कि वह चोर थे, जेबखतरे थे, जेब काटी थी और पकड़े गये जब वह आजादी के लिए लड़ाई करने जा रहे थे तो वह जंगे आजादी से जुड़े होंगे, उन्होंने हिस्सा लिया होगा तो उसमें पकड़े गये होंगे, कई बार पकड़े गये और इतिहास गवाह है कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वह अनेक बार जेल गये, उनके संबंधियों को, परिजनों को यातानाए दी गयी जबकि वृद्धावस्था पेंशन के बारे में माननीय गुप्त जी ने कहा था यह सच है और मैं समझता हूं कि जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन दी गयी उस समय भी राज्य सरकार और भारत सरकार का यह मानना रहा होगा कि उनके कार्यकलाप के अनुसार उन्हें पेंशन दी जायेगी। (व्यवधान) मान्यवर, राज्य के ऊपर उनका एहसान है ऋणी हैं हम उनके। बदन सिंह जी का मामला तो सरकार ने स्वीकार कर लिया है। माननीय किरन पाल सिंह जी के उत्तर में आया है कि 18 दिन वह जेल में रहे हैं। मेरा अनुरोध है नियम 12 के अन्तर्गत माननीय मंत्री जी अपने विवेक का प्रयोग करके उन्हें पेंशन दिये जाने की घोषणा करें।

पंचायतीराज एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन्, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं के प्रति सम्मान देने के बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता और यह भी सही है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री बदन सिंह जी 18 दिन तक जेल में रहे। यह हमारी सरकार के मंत्री माननीय अकबर अली ने स्वीकार किया एक प्रश्न के उत्तर में अभी कल या परसों, मगर पेंशन देने के मामले में एक नियमावली है और माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने उस नियमावली के एक प्राविधान का उल्लेख करते हुए एक सुझाव दिया है अगर उस नियमावली में कहीं भी ऐसा कोई प्राविधान है जैसा कि सुझाव माननीय गुप्ता जी ने दिया या इसके अलावा भी कोई प्राविधान है, जो सरकार को शक्ति देता है तो हम माननीय बदन सिंह जी को जिनका 18 दिन का रिकार्ड उपलब्ध है, उन्हें पेंशन दी जा सकती है तो अवश्य दी जायेगी।

श्री किरन पाल सिंह-

अगर पेंशन नहीं देंगे तो पूरे दिन धरना दूंगा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, गुप्ता जी ने नियम का उल्लेख किया है।

श्री अध्यक्ष-

पहले संसदीय कार्यमंत्री जी को सुन लें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय गुप्ता जी ने जिस नियम का हवाला दिया है उस नियमावली में और कोई भी नियम है तो उसके अनुसार भी माननीय बदन सिंह जी को पेंशन दी जायगी।

श्री किरन पाल सिंह-

मान्यवर, मुझे बड़ा अफसोस है.....

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों को विस्तार से सुनने के बाद और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के सुनने के बाद, इसे अग्राह्य करता हूं। यह नियम 300 में नहीं आता है।

नियम 300 की शेष सभी सूचनायें निरस्त की जाती हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कोई प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

श्री जगदम्बिका पाल-

मेरी सूचना बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष-

अब नहीं, मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है।

(व्यवधान)

(श्री जगदम्बिका पाल, राम किशुन आजाद एवं कांग्रेस दल के अन्य कई सदस्य वेल आफ दि हाउस में आ गये)

श्री अध्यक्ष-

पाल जी आप अपना स्थान ग्रहण करें। संगत नियमों के तहत जो सूचनायें होगी, उन्हीं को मैं सुनूंगा। अगर आप जबरदस्ती सुनाना चाहेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

आप तत्काल सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप संगत नियमों के तहत दें, लिखकर दें, इसके बाद मैं सुनूंगा। अगर वेल में आकर जबरदस्ती सुनाना चाहेगे, तो मैं नहीं सुनूंगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

विधायक को चोट लगी है.....

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दे दें। आप लोग अपने स्थान पर जायें। मैं आज कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे संगत नियमों के तहत लिखकर दें, मैं विचार करूँगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, अब हम लोग अपने आसनों पर वापस आ गये हैं। कृपया सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप मुझे लिखकर दे देंगे जो घटना हुई है संगत नियमों में उस पर विचार कर लूँगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं लिखकर के दे दूँगा। लेकिन आप कृपया कर श्याम सुन्दर शर्मा जी को सुन लेने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

अब अगली मद होने दें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष को सभी समितियों में वर्ष 1995-96 के लिए विधान सभा सदस्यों के नाम निर्देशित करने के लिए सदन द्वारा प्राधिकृत किया जाना

पंचायती राज एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक प्रस्ताव रख रहा हूँ। यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 1995 96 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिए सम्बंधित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, यह सदन श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 1995-96 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम

निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों को, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथा–समय सदस्यों को नाम–निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित

(व्यवधान)

(इसी मध्य श्री जगदम्बिका पाल व कांग्रेस दल के अन्य सदस्य सदन त्याग कर चले गये।) सदस्य उक्त समितियों में सम्बंधित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 1995-96 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन–जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिए सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बंधित है, यह सदन श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 1995-96 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम निर्देशित करते हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथा–समय सदस्यों को नाम–निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम–निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में संबंधित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेगें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1995 में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (दशम् संस्करण) के निदेश 14 (3) के अनुसार विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 (दिनांक 1 फरवरी, 1995 से दिनांक 8 फरवरी, 1995 तक) के नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड संशोधन विधेयक, 1995 उ०प्र० विधान परिषद द्वारा संशोधित रुप में पारित†

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1995 के नियम 150(2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधयेक, 1995 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 1995 को पारित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन सहित दिनांक 19 जुलाई, 1995 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ है, को विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन सहित, सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1994†

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर मैं आप की अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आयोग विधेयक, 1994 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा संशोधित रुप में पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूँ।

नोट :–† छापा नहीं गया।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20-7-95 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुयीं जिसमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम 5 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु चुना जायेगा, शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

जिनकी ग्राह्यता पर सुना जायेगा, वह कौन सी 5 सूचनायें हैं, उनको बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य धैर्य रखें, क्रम से आपको पता चल जायेगा। वैसे इतना सस्पेंस रहने दें। पहली सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी व श्री सुन्दर लाल दीक्षित जी की है। माननीय सदस्यगण ग्राह्यता पर अपने विचार में रखें।

* श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, एक बहुत बड़े गम्भीर प्रश्न की ग्राह्यता पर बोल रहा हूं। इस समय सम्पूर्ण प्रदेश के अन्दर चाहे वह बड़े जिले हों, अथवा छोटे जिले हों, या गांव हो या कस्बा हो, हर जगह विद्युत अनापूर्ति की संकट में सब परेशान हैं, यहां तक कि नलकूप नहीं चल पा रहे हैं, बिजली न होने से सिंचाई भी बाधित हो रही है। शहरों के अन्दर भी कहीं अगर एक जगह ट्रांसफार्मर जल रहा है तो विद्युत विभाग वाले यह कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर नहीं है और ट्रांसफार्मर आने में 15-20 तथा महीने भर का समय लग रहा है, तब तक लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वाराणसी में इन दिनों विद्युत अनापूर्ति से लोग बुरी तरह से परेशान हैं। वहां हर क्षेत्र में आये दिन विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है और इससे वहां के छोटे-छोटे व्यापारी, परेशान हो रहे हैं, वहां के उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, आम नागरिक तो बहुत परेशान है. इस उमस भरी गर्मी में बिजली का न होना बहुत कष्टदायक होता है।

मैं चाहता हूं कि प्रदेश की जो विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है, इसके निराकरण हेतु कोई ठोस उपाय किये जायें। मान्यवर, मैं लखनऊ के दारूलशफा में ही अनुभव कर रहा हूं कि वहां भी आये दिन बिजली की आवाजाही का कोई समय निश्चित नहीं है। इस तरह से चाहे लखनऊ हो, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद के महानगर हों, वहां के लोग भी परेशान हैं, इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि पूरे प्रदेश के अन्दर विद्युत की क्या स्थिति है ? इस विद्युत की आवाजाही पर नियंत्रण करने के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारी, जो जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से ऐश कर रहे हैं, बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, उदासीन हैं, इसलिए उनके प्रति भी कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। ताकि हमारे प्रदेश के अन्दर जो विद्युत अनापूर्ति से संकट उत्पन्न हुआ है और गांव से लेकर शहर तक के सभी नागरिक परेशान हैं, उद्योगपति परेशान हैं, उनके उद्योग प्रभावित हो रहे हैं वहीं मजदूरों को बैठाकर तनख्वाह देना पड़ रहा है, जहां एक तरफ खुद का उद्योग प्रभावित हो रहा है प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

छोटे-छोटे दुकानदार जो कि सोचते हैं कि धूप के बाद जब शाम होगा तो ग्राहक आयेगा, लेकिन शाम को ग्राहक जब खरीददारी के लिए निकलते हैं, उस सयम दुकानों पर रोशनी नहीं होती है और ग्राहक वापस चले जाते हैं, उनका सारा परिवार भुखमरी की कगार पर है। मान्यवर, वैसे तो बारिस की कमी है लेकिन अगर एक दिन भी बारिस हो गयी तो तार इतने जर्जर हैं कि वह टूटकर गिर जाते हैं, उसका नतीजा यह होता है कि जो राहगीर होते हैं, उनको कालकवलित हो जाना पड़ता है, वह उसके शिकार होकर उनको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय और गम्भीर प्रश्न पर चर्चा करायें। मैं इस अविलम्बनीय और गम्भीर सवाल पर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह जो गम्भीर सवाल आज उत्तर प्रदेश में विद्युत अनापूर्ति का है, उसके त्वरित समाधान हेतु सरकार को निर्देश देने की कृपा करें। इस अविलम्बनीय प्रश्न पर बल देता हूं और यह मांग करता हूं कि इसकी और लोक महत्व को देखते हुये इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

*श्री सुन्दल लाल दीक्षित-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर प्रकरण है। पिछली सरकार में भी हम लोगों ने विद्युत व्यवस्था से सम्बन्धित मामला उठाया था। इस सम्बन्ध में पिछली सरकार का भी ध्यान आकर्षित किया था। यह दलगत भावना से ऊपर उठकर माननीय सदन के जो सदस्य है विद्युत व्यवस्था से चिन्तित है। आज प्रदेश के अन्दर विद्युत व्यवस्था जो आज से बीस साल पहले लाइन विछाई गई थी इस समय भी है। तार टूट गये है. खम्भे टूट गये हैं। बिजली नही आ रही है परन्तु किसानों को बिल देना पड़ रहा है। आज ग्रामीण अंचलों में यह स्थिति है। कि कृषि कार्य के लिए बिजली नही मिल रही है। कनेक्शन लिया भी है तो 3-4 महीने बाद बिजली मिल रही है। स्थिति यह है कि आज लघु उद्योग धन्धे बन्द हो रहे है तथा निजी नलकूप जिससे श्रीमन्, आज किसानों का खेती का काम होता है सिचाई नही हो पा रही है।

आज सबसे बड़ी गम्भीर स्थिति यह है कि बिजली भी एक समस्या बन गई है। कृषि के काम, उद्योग धन्धों, निजी नलकूपों, के उत्पादन में गिरावट आ रही है। हम मान्यवर, गम्भीरता को रानीतिक चश्में से न देखें बल्कि इस विद्युत की समस्या के निराकरण का प्रयास करें और आज प्रत्येक ग्रामीण अंचल में लघु उद्योग धन्धे, उद्योग धन्धे और निजी नलकूपों के लिए विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की नितान्त आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार को अपनी हठधर्मिता की नीति छोड़कर सहृदयता का परिचय देते हुए विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने का आश्वासन देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा नही हो रही है ग्राह्यता पर जो माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर है दोनों माननीय सदस्यों को मैं सुन रहा हूँ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, माननीय श्यामदेव राय चौधरी जी ने उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत दिये गये अपने निर्देश पर बल देते हुए कुछ बिन्दु रखें है। श्रीमन् यह कहना सही नही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था चरमरा गयी है और यह भी सही नहीं है कि राज्य विद्युत परिषद के पास ट्रासफार्मरों का अकाल पड़ गया है। अभी मान्यवर, दोनों माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तो माननीय सुन्दरलाल दीक्षित जी ने अपने जनपद बाराबंकी का उद्धरण देते हुए बताया था कि कुछ गांव फतेहपुर, रामनगर, दरियापुर व हैदरगढ़ का नाम लिया कि वहां बिजली नही है। मैं माननीय सुन्दर लाल दीक्षित जी को जानकारी के लिए बता रहा हूँ जनपद बाराबंकी के ग्रामीण अंचलों में माह जून, 1995 में औसत विद्युत आपूर्ति 16.20 घन्टे प्रति दिन की रही है। यह हो सकता है कि कही पर स्थानीय स्तर पर किसी बजट से कोई लाइन टूट गयी हो या कोई गड़बड़ी हो गयी हो, कही कोई खम्भा टूट गया हो।

स्थानीय स्तर पर उसे ठीक कराने में कही कोई विलम्ब हो गया हों। लेकिन सामान्यतः विद्युत आपूर्ति ठीक है और जैसा कि श्यामदेव राय चौधरी जी ने बताया कि ट्रांसफारमर बदला नही जाता है तो मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन कर रहा हूँ कि 25 केवी का ट्रांसफारमर, 100 केवी का ट्रांसफारमर, 160 केवी का क्रमशः 65,23,110,127,125 नग है। कही कोई ट्रांसफारमर बदलने में विलम्ब हो गया होगा, वर्षा के कारण भी हो

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

सकता है। यातायात के लिए तत्काल कोई व्यवस्था नही हो पाई होगी। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि सम्पूर्ण विद्युत आपूर्ति गड़बड़ा गई हो और जन जीवन अस्त–व्यस्त हो गया हो। दूसरा, मान्यवर, नियम–56 में ऐसे मामले आते हैं जिस पर तत्काल कोई कार्यवाही करनी हो। विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का हो। जिन दो विद्वान साथियों ने यह मामला उठाया है, वह इसे भली–भांति जानते हैं। यह मामला नियम–56 के अन्तर्गत बनता नहीं है लिहाजा आपसे प्रार्थना है कि आप इसे निरस्त कर दें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री चौधरी जी को व श्री दीक्षित जी को ग्राह्यता पर सुना तथा माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को भी सुना। यह मामला नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आता है, लिहाजा मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

अगली सूचना श्री रमेशकान्त लावानियां जी की है। अब वह अपनी बात कहें। केवल ग्राह्यता पर बोलें।

श्री रमेशकान्त लवानियां-

मान्यवर, तत्कालीन मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा था, चारों तरफ गुण्डा–गर्दी व जंगल राज कायम हो गया था। डकैती, लूट, राहजनी व अन्य प्रकार की अपराधिक घटनायें बढ़ती जा रही थी। अपहरण तो एक प्रकार से व्यवसाय बन गया था। ऊँचे स्तर पर अपहरण होते थे तथा उनसे ऊँची फिरौती लेकर लोगों को मुक्त किया जाता था। उत्तर प्रदेश में जनता में त्राहि–त्राहि मची हुई थी और इसीलिए जनता आतुर थी उस सरकार को बदलने के लिए। जनता की भावना के अनुरुप सरकार बदली सुश्री मायावती जी ने सबसे पहले यही घोषणा की कि वह प्रदेश से गुण्डा राज व जंगल राज को समाप्त करेगी और अपराधों पर नियंत्रण करेंगे। इस ओर उन्होने कुछ कदम उठाये भी हैं। इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। लेकिन अभी भी बहुत अधूरा कार्य है। प्रभावी कार्य किये जाने हैं, प्रभावी कदम उठाये जाने हैं।

इस समय मैंने कार्यस्थगन के माध्यम से जो विषय रखा है वह एक विशेष घटना को लेकर रखा है फिरोजाबाद जनपद में बहुत अपराधी होते रहते हैं उसमें भी पटसैना थाना जहाँ की यह घटना है, सबसे ज्यादा अपराधी होते हैं। 12/13 जुलाई की रात को भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री राधेश्याम पचौरी की हत्या कर दी गई। उस रात वह अपने खेत पर थे और उनके साथ उनका पुत्र श्री संजीव पचौरी था तथा एक नौकर ट्रैक्टर चला रहा था। श्री राधेश्याम पचौरी अपने खेड़ की मेड़पर बैठे हुए थे। दो नवयुवक आये और पूछने लगे कि यह ट्रैक्टर किसका है। इस पर श्री राधेश्याम पचौरी ने कहा कि यह ट्रैक्टरा मेरा है। इस पर उन्होने दनादन 3–4 फायर उन पर कर दिये और उनकी हत्या कर दी।

श्री अध्यक्ष-

आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री रमेश कान्त लवानियां-

इस बीच गाँवों के लोग चारों तरफ से एकत्र हो गये और उन्होने गुण्डों का पीछा किया। परन्तु गुण्डे फायर करते हुए भाग गये। इसके बाद श्री राधेश्याम पचौरी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। पास ही नगलामुल्ला के रहने वाले मुज्जिम हैं, उनकी पहचान भी लिया गया है। पुलिस की अकर्मण्यता के कारण वहाँ पर लोगों में रोष है। उन दो नवयुवकों को जो नगला मुल्ला के थे वे हिरासत में लिया गया परन्तु बाद में थानाध्यक्ष ने उन्हें छोड़ दिया इस समय वहाँ पर पुलिस के खिलाफ काफी रोष है। वह एक सम्मानित नेता थे इसलिये जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है। अगर जन असंतोष बढ़ा तो कोई भी सरकार क्यों न हो जनता किसी को बक्सेगी नहीं। इसलिये इस पर विशेष ध्यान दिया जाय। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है सदन का कार्य स्थगित कर इस पर चर्चा कराई जाय और उत्तर प्रदेश में जो अपराधी है उन पर नियंत्रण पाने के लिये प्रभावी कदम उठाये जांय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और पुनः निवेदन करता हूं कि इस पर चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करें।

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, मैंने भी दी है उसे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने लवानियां जी को ग्राह्यता पर सुना आगे आपने सूचना दी होगी और लाटरी में आई है तो मैं देखूंगा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

माननीय रमेश कांत लवानियां जी ने एक गंभीर विषय उठाया है। हत्या किसी भी व्यक्ति की हो निश्चितरुप से उसके लिये अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिये और हमारी सरकार गुंडा गर्दी करने वालों, माफिया गिरोहों और अराजकता पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रही है। हम उसी संकल्प को लेकर सत्ता में आये हैं इसलिये इस हत्या में जो सामाजिक कार्यकर्ता की हुई है राधेश्याम पचौरी की हत्या जो हुई है उसमें जानकारी हमने मंगाई है उसमें सिराजुद्दीन उर्फ बबलू के अलावा तीन अन्य अज्ञात लोग नामजद किये गये थे। जो नामजद अपराधी हैं पुलिस ने उसे तत्परता के साथ एक बंदूक और 6 कारतूसों सहित घटना के तीन दिन के भीतर गिरफ्तार कर लिया हैं जो अन्य अभियुक्त हैं जिनके नाम नहीं दिये है पुलिस तत्परता से उनकी खोजबीन में लगी है उच्च अधिकारी इस समाजिक कार्यकर्ता की हत्या के मामले में कार्यवाही करने के लिये सचेष्ट हैं। यह मामला किसी प्रकार नियम 56 में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। "हां" दीर्घा के ऊपर बैठे एक व्यक्ति ने पर्चे फेंकने का प्रयास किया और नारे लगाये जो स्पष्ट नही सुनाई पड़ें।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह-

एक महत्वपूर्ण मामला इसे सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

जो शलाका में सूचना आती है उसी के अनुसार लिया जाता है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, भदोही जनपद की दर्दनाक घटना का उल्लेख इस कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत है। मान्यवर, पंचायतों के चुनावों में जिस ढंग से धांधलियां पिछली सरकार ने कराई थी, जिस ढंग से सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग करके गुण्डागर्दी करके अपने कैंडिडेट्स को जिताया है उसका एक उदाहरण भदोही जनपद का भी है। इन धांधलियों की चर्चा प्रदेश में ही नही पूरे देश में रही है। गुण्डादर्गी और धाधली केवल चुनाव में ही नही हुई बल्कि काऊटिंग में भी अपने पाले हुए अधिकारियों के द्वारा अपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में किया उसके लिए उन्होने कलम का ही प्रयोग नही किया बल्कि गोलियों का भी उपयोग किया। सूपदाना ब्लाक में सभी प्रत्याशी काऊटिंग कराने में लगे थे उनमें अनिल कुमार पासवान भी एक बी०डी०सी० का प्रत्याशी था और भी तमाम प्रत्याशी थे, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी थे और जो मैजिस्ट्रेट थे, पहले उसकी भदोही में ड्यूटी थी, भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उसको सुरियावां के ब्लाक में लगाया गया, और जब वहां पर भी उसने समाजवादी पार्टी के नेताओं के दबाव में आकर वहां के उनके पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास किया, तो अन्य प्रत्याशियों ने उसका कड़ा विरोध किया।

उस दिन वहां कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी, जिससे पी०ए०सी० को जनता पर गोली चलानी पड़ती। जब विक्षुब्ध प्रत्याशी और जनता के आदमी अपनी बात कहने के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने गये, तो तहसीलदार भदोही ने नाराज होकर पी०ए०सी० को गोली चलाने का आदेश दिया। इस पर पी०ए०सी० ने अनगिनत फायरिंग की और सामने नाल करके पी०ए०सी० ने गोलियां चलाई। जिस बसपा के समर्थन से वह गवर्नमेंट बनी थी, उसका

एक कार्यकर्ता अनिलकुमार था, वह बी०डी०सी० का चुनाव लड़ रहा था, उसको उसमें गोली लगी और वह बेचारा वहीं ढ़ेर हो गया। इतना ही नहीं उस गोलीकाण्ड में एक सुभाष नामक आदमी भी मारा गया। साथ ही उसमें अनेक घायल हुए और उन घायलों को कुत्तों की तरह घसीटकर पी०ए०सी० की गाड़ियों में डालकर कहां ले गये, पता नहीं चला। जनता के भारी विरोध पर किसी प्रकार पी०ए०सी० की फायरिंग बन्द हुई और उस घटना क 6 घंटे बाद डी०एम० और एस०एस०पी० मौके पर पहुंचे।

श्री अध्यक्ष-

आप विषय की ग्राह्यता पर ही बोलें, लेकिन आप तो विषय के विस्तार में जा रहे हैं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

इसमें सभी अनुसूचित जाति के आदमी मारे गये। यह एक साजिश का अंग है। यह एक गम्भीर प्रकरण है, इस पर आप अवश्य समय दें। जब डी०एम० और एस०एस०पी० पहुंचे, तो वहां से वायरलेस जारी हो रहा था यहां के पुलिस अधिकारी कह रहे थे कि किसी को गोली नहीं लगी है और जब मेडिकल कालेज के डाक्टर को बुलाकर मैजिस्ट्रेट पूछते हैं तो वह कहते हैं कि दो आदमी मारे गये हैं (व्यवधान) आजतक मृतक परिवारों को कोई मुआवजा और घायलों को समुचित चिकित्सा नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष-

रंगनाथ मिश्र जी समाप्त करें, आपका समय हो गया है। (व्यवधान)– अब आप जो भी बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जाएगा।

श्री रंगनाथ मिश्र-

यह घटना समाजवादी पार्टी के लिए कलंक की बात है। इसकी न्यायिक जांच कराई जाए, जो घायल हैं उनको एक–एक लाख रुपया और मृतक परिवारों को पांच–पांच लाख रुपया मुआवजा स्वरुप दिया जाए यही मैं अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चाहता हूं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जिस घटना का उल्लेख मिश्र जी ने किया है, उसके बारे में जो शासन को जानकारी है, आपके माध्यम से में उनको देना चाहता हूं। 19-4-95 से उक्त ब्लाक में मतगणना होनी थी और वहां के लोगों की शिकायत यह थी कि मतगणना कर्मचारियों की सांठ गांठ से मतगणना में कोई हेराफेरी हो सकती है। किसी वजह से उस दिन मतगणनाकर्मी ठीक समय पर वहां नहीं पहुचे, लगभग 10.30 बजे पहुंचे, तो उस समय तक भीड़ काफी उत्तेजित हो गई थी। मतगणनाकर्मी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी गई। तबतक देर हो चुकी थी। लोगों के उग्र प्रदर्शन और घेराव आदि वहां पर हुए। भीड़ उत्तेजित थी, जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया, तो वहां उपस्थित तहसीलदार–मैजिस्ट्रेट ने वहां पर गोली चलाने का निर्देश दिया और जिसमें रास्ते में जाते हुए दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी।

यह घटना निश्चित रुप से गम्भीर है और यह कहना गलत है कि किसी को भी कोई राहत राशि नहीं दी गई है। मृतक के आश्रित को 35-35 हजार रुपये और घायलों को 5-5 हजार रुपये दिये जा चुके हैं। घटना की गम्भीरता को देखते हुए श्रीमनु मैजेस्टीरियल जांच के आदेश निर्गत हो गये हैं। यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता है। नियम-56 के अन्तर्गत वही मामले आते हैं जो नये हों और अविलम्बनीय लोक महत्व के हों। श्रीमनु, यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता इसलिये इसे अग्राह्य किया जाता है।

(श्री बदन सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रंगनाथ मिश्र-

[x x मेजेटीरियल x x x x]

श्री अध्यक्ष-

आप जो भी कह रहे हैं, मेरी इजाजत के बिना कह रहे हैं, यह लिखा नहीं जायेगा। मैंने बदन सिंह को बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह-

मान्यवर, पहले यह तो बैठें तब मैं अपनी बात कहूं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

[x x x x x x]

श्री अध्यक्ष-

आप नियम-56 पढ़ लें। कुछ नहीं लिखा जायेगा क्योंकि मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। आप बिना मेरी इजाजत के बोल रहे हैं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

[x x x x x x]

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

उसके ऊपर के अधिकारी से जांच करवा लेंगे।

*श्री बदन सिंह-

मान्यवर, मैं आज अपने कार्य स्थगन के द्वारा एक ऐसे विषय को इस सदन के सामने लाना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश कि किसानों से संबंधित है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में किसानों की जमीनें विकास प्राधिकरण के द्वारा, आवास विकास परिषद् के द्वारा नहरों के लिये, सड़कों के लिये अधिग्रहित कर ली जाती हैं और भूमि अध्याप्ति कानून को पैचीदगी में पड़कर बीस वर्षों तक उस भूमि की कीमत किसानों को नही मिल पाती है। मैं आगरा के किसानों की समस्याओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आगरा के किसानों की जमीन आगरा डेवलेपमेंट एथारिटी ने ताज नगरीकरण योजना के लिये और आवास विकास परिषद् ने सिकन्दर आवास योजना के लिये अधिग्रहीत कर ली है और आज तक आगरा विकास अधिकरण की ओर किसानों का जो 50 करोड़ 48 लाख रुपया और आगरा विकास परिषद् पर 50 करोड़ 78 लाख रूपया बकाया है, का भुगतान वहां के किसानों को नहीं दिया गया है और न ही देने की बात सोची जा रही है।

आगरा पर्यटन विकास ने किसानों की जमीन नेशनल पार्क के लिये ली। दिल्ली कलकत्ता मार्ग के लिये उनकी जमीन ले ली गई। यू०पी०एस० आई०डी०सी० के पास किसानों के बहुत से प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि यह किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। आगरे के किसान अपनी इस भूमि को देने के पश्चात भीख मांगने की स्थिति में पहुँच गए हैं, लेकिन किसान को आज तक उस भूमि का पैसा नहीं दिया जा रहा है। जिला भूमि अध्याप्ति अधिकारी, भूमि को अधिग्रहीत करने वाले विभिन्न विभागों की सांठ-गांठ के कारण इस भुगतान में विलम्ब किए हुए हैं। श्रीमन् यह आगरे का मामला नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश का, पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है।

नोट [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश के किसानों की इस प्रकार से जमीन विभिन्न कार्यों के लिए, विकास कार्यों के निर्माण पर, नगरों के विन्यासों के नाम पर ले लेते हैं और उनका भुगतान नहीं किया जाता है यह अविलम्बनीय और लोक महत्व का विषय है। चिन्तनीय विषय है किसानों की एवज में जल्दी से जल्दी उनकी जमीन की कीमत का भुगतान किया जाए। किसान जिस भूमि से जीवन भर लगा रहता है वह उस भूमि को राजी से नहीं देता है जबर्दस्ती और अनिच्छा से उसकी भूमि खाली कराई जाती है और फिर उसका भुगतान भी नहीं किया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करायें। मैं इस पर चर्चा की और प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

*श्री उदयभान सिंह-

श्रीमन् में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आगरा विकास प्राधिकरण योजना जो है।

श्री अध्यक्ष-

आप समाप्त करें। इसमें एक माननीय सदस्य के हस्ताक्षर हैं आपके हस्ताक्षर होते, आप भी सूचना दिए होते तो मैं आपको भी सुन लेता लेकिन आपके इस सूचना पर हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही अलग से कोई सूचना दी गई है। जो माननीय सदस्य सूचना दिए हैं मैंने उनको सुन लिया है।

श्री उदयभान सिंह-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ यह बहुत ही ज्वलन्त समस्या है।

श्री अध्यक्ष-

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ आपके हस्ताक्षर नहीं हैं।

श्री उदय भान सिंह-

यह बहुत बड़ी समस्या है। किसानों से संबंधित मामला है कृपया आप अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मैं, अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन् माननीय बदन सिंह जी ने आगरा विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद् द्वारा आगरा के किसानों का 60.18 करोड़ रुपया भूमि अध्याप्ति का देने के बारे में सबाल उठाया है। यह धनराशि बहुत बड़ी है। किसानों की जमीन ली गई है, अध्याप्ति की गई है तो शासन की जिम्मेदारी बनती है कि शासन उसकी देनदारी सुनिश्चित करें। श्रीमन् बदन सिंह जी द्वारा उठाई गई सूचना पर मैं स्पष्ट आश्वासन देता हूँ शासन देखेगा यह भुगतान अब तक क्यों नहीं कराया गया है। अगर कोई अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा भुगतान न करने के मामले में, उसमें कार्यवाही की जाएगी। इसमें शीघ्र भुगतान कराने की व्यवस्था की जायगी। यह मामला आज का नहीं है और न ही हाल ही में कोई घटना घटित हुई है इसलिए यह नियम-56 में नहीं आता है यह गम्भीर मामला है इसलिए आश्वासन दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

मैं इनकी सूचना से अग्राह्य करता हूँ।

श्री किरनपाल सिंह-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री प्रमोद तिवारी-

श्रीमन् मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पांचवीं सूचना श्री रमेश पोखरियाल निशंक की है।

(श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"– के अनुपस्थित होने)

छठीं सूचना श्री सुन्दरलाल लोधी की है इन्होने जनपद उन्नाव में पूर्व सरकार से कार्यरत रहे पुलिसकर्मियों की कार्य शैली से जनता में व्याप्त असंतोष के संबंध में सूचना दी है मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। सातवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी श्री सत्य प्रकाश विकल, डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल की है इन्होंने लखनऊ तथा इलाहाबाद महानगरों का नगर निगमों का कार्यकाल बढ़ाये जाने के संबंध में सूचना दी है इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

आठवीं सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की टिहरी बांध के निर्माण कार्य को तीव्र गति से कराए जाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किए जाने के सम्बन्ध में है। इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

नवीं सूचना श्री भैरों प्रसाद मिश्र की बांदा जिले के अन्तर्गत चित्रकूट धाम करवी में अवैधानिक रुप से वसूली जा रही तह बाजारी के सम्बन्ध में है। इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

दसवीं सूचना आचार्य जगदीश की जनपद हरिद्वार में बढ़ते आतंकवाद की घटनाओं तथा विगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में है। इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। शेष माननीय सदस्यों की सूचनाओं को नियम–56 के अन्तर्गत चयनित नहीं किया गया है अतः यह अस्वीकार की जाती हैं।

मद संख्या 11–1995–96 के आय व्ययक पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

इस समय कौन सी अव्यवस्था पैदा हो गयी है? जितना सम्भव हो सकता था ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं को हमने लिया है।

श्री किरनपाल सिंह-

आपने ऐसी सूचनाओं को लिया है जो न तो लोक महत्व की थी और न तात्कालिक थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है यह इतना महत्वपूर्ण मामला है और आप हमको सुन नहीं रहे हैं।

(इसी मध्य जनता दल के माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए तथा फ्लोर से)

श्री किरन पाल सिंह-

आपने जो सूचनाएं शलाका के आधार पर ली हैं वह एक–एक साल, दो–दो साल, 4,4 साल पुरानी हैं।

श्री अध्यक्ष-

हम ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की सूचनाओं को ले रहे हैं। अगर किसी सदस्य की सूचना शलाका के आधार पर नहीं आई तो जबरदस्ती आप सुनाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

सभी माननीय सदस्य कृपया अपने आसन पर चले जाएं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अब करीब एक सप्ताह तक सदन की बैठक नहीं होगी। आज आपने काफी दयालुता दिखाई है।

और सभी विषयों को ग्राह्य कर लिया है। मैं आप पर बल नहीं दे रहा हूं लेकिन मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप किरन पाल सिंह जी को भी दो मिनट सुन लें। श्री किरन पाल सिंह जी व हरेन्द्र सिंह मलिक जी ने जो विषय उठाए हैं वह काफी महत्वपूर्ण हैं। आज सूखा पड़ा हुआ है। एक सप्ताह बाद जब सदन बैठेगा तब तक पता नहीं स्थितियां क्या हों श्री किरन पाल सिंह जी वरिष्ठ सदस्य हैं मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि दो मिनट इनको सुन लें। इससे शासन को भी इससे कार्यवाही करने में मदद मिल जाएगी। आपको अधिकार है आप विशेष उल्लेख के जरिये या नियम 110 के अन्तर्गत इनको सुन सकते हैं। इससे शासन को सूखे से निपटने में सहयोग मिलेगा। मैं आग्रह करता हूं कि माननीय सदस्य यहां पर आ जायगें आप उनको कृपा पूर्वक 2 मिनट का समय देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य से इस संबंध में 17 तारीख को जो सूचना दी है, उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है।

श्री किरन पाल सिंह-

(सदन के वेल से) [x x x x x x x x x x x x]

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

(सदन के वेल से)—मान्यवर, यह सूचना बिल्कुल अगल है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इनको समय दे दें, आज हम सूखे पर बोल रहे हों सकता है कि एक सप्ताह बाद बाढ़ पर बोलें।

श्री अध्यक्ष-

जिस विषय पर आपने सूचना दी है उस विषय पर 17 तारीख को शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है।

(किरन पाल सिंह अपने आसन पर चले गये)

श्री किरन पाल सिंह-

[x x x x x x x x x x x x]

श्री अध्यक्ष-

मैं बोलने की इजाज नहीं दे रहा हूं। जो बिना इजाजत के बोला जायगा वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा।

श्री किरन पाल सिंह-

[x x x x x x x x x x x x]

श्री अध्यक्ष-

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप लोग वेल में आकर अव्यवस्था कर रहे हैं। अब मैं वित्तीय वर्ष 95-96 पर सामान्य चर्चा की मद लेता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, नेता जनतादल खड़े हैं उनको सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, अपने आसन पर जांय। जबरदस्ती वेल में आकर सुनने की परंपरा मैं नहीं डालूंगा।

श्री किरन पाल सिंह-

[x x x x x x x x x x x x]

नोट [xxxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

मैं अनुमति नहीं देता हूँ।

श्री किरन पाल सिंह-

[x x x x x x x x x x x x]

श्री अध्यक्ष-

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ जिस विषय को आप उठाना चाहते हैं 17 तारीख को उसी विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराया जा चुका है।

श्री किरन पाल सिंह-

[x x x x x x x x x x x x]

[3 बजकर 20 मिनट]

श्री अध्यक्ष-

इस विषय पर किसी माननीय सदस्य को मैं बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। बिना अनुमति के जो भी माननीय सदस्य बोलेंगे वह लिखा नहीं जायगा।

मैने आय व्ययक की साधारण चर्चा पर माननीय कृष्ण कुमार नवमान को बुलाया है, इसके अतिरिक्त जो माननीय सदस्य बोल रहें हैं, वह लिखा नहीं जायगा।

(श्री राम विशुन आजाद, श्री किरन पाल सिंह एवं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह-

[x x x x x x x x x x x x]

श्री अध्यक्ष-

शलाका के आधार पर चयन होता है दल के आधार पर नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह-

[x x x x x x x x x x x x]

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, मैंने अनेक नियमों के तहत कालरा के मामले को उठाया है मनकापुर में हैजा और कालरा के मामले को लेकिन आपने सबको निरस्त कर दिया। गोण्डा के जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जाकर वि०ख० पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जिला प्रशासन के कहने के बावजूद भी मान्यवर वि०ख० मनकापुर एवं छपिया में जबरदस्त कालरा फैला हुआ है, जिससे 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है सैकड़ों प्रभावित हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बगैर नियम के बोल रहें हैं, लिखा नहीं जायगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैजा और कालरा फैला हुआ है।

नोट [xxxxxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

जगदम्बिका पाल जी, आपकी सूचना पर नियम 51 के तहत केवल वक्तव्य स्वीकृत हो चुका है। अब इसको जबरदस्ती आप उठाना चाहते हैं।

श्री किरन पाल सिंह-

[x x x x x x x x x x x x]

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक सूचना आप अपने विवेक से स्वीकार कर सकते हैं तो दूसरी भी स्वीकार कर सकते हैं यह कहां लिखा है कि दूसरी नहीं स्वीकार कर सकते हैं। यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है और अविलम्बनीय है। इसे अगर आज नहीं सुनेंगे हफ्ता भर बाद सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा। मेरा अनुरोध है कि इस पर आप सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

क्या नई परम्परा डाली जायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

जब उस पर वक्तव्य स्वीकार है, तो क्या फिर सुना जाय। माननीय सदस्यों ने जो दिया है उस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है। यह जबरदस्ती नही।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अगर लोडेडपिस्टल रखकर आपके निर्णय को परिवर्तित कराया जायेगा, तो यह हाऊस कैसे चलेगा। यह सदन नियमावली और परम्पराओं से चलता है। तीन सदस्य वहाँ पहुँच गये और धरना देने लगे एक सदस्य वापस आ गये और वह अपने स्थान से बोल रहे हैं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए, जो सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

माननीय, किरनपाल सिंह जी ने जो कुछ कहा है, इसी पर मैं कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मेरा मलिक जी से कहना है, वह अपने स्थान पर जायें।

श्री जगदम्बिका पाल-

हैजा उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में फैला हुआ है....।

श्री अध्यक्ष-

जब वक्तव्य आ गया है तो अब कैसे बोल रहे हैं ? पूरे विषय पर सोचना ही है और उस पर वक्तव्य स्वीकार है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

आपकी सूचना पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, आप अपने दल के सदस्यों को वेल से वापस बुलावें।

*श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

मान्यवर, जब नियम सूट करते हैं तो नियमों का हवाला देते हैं और जब नियम सूट नहीं करते है तो नियमों के शिथिल करने की बात करते है। एक सूचना आपको अपने विवेक से स्वीकार करना है, किसी दल का सवाल नही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। मैने नियम 56 में दो बार सूचना दी है और वह स्वीकार नही हुई इसलिए मैने नियम 51 में दिया और आपने उसे स्वीकार किया। नियम 56 में दे दे और फिर उसे स्वीकार करने के लिए आप पर दबाव बनाया जाए वह उचित नही है। जब शलाका में नहीं आया तो आप कैसे सुन सकते है और अभी तिवारी जी कह रहे थे कि एक सूचना आप अपने विवेक से सुन सकते है तो दो सूचनायें भी आप अपने विवेक से सुन सकते है आप पर कोई प्रतिबन्ध नही है तो मान्यवर, सदन इस प्रकार से नही चलेगा, जो नियम है उन्ही के अनुसार चलेगा।

जो विषय उठाया गया है वह महत्वपूर्ण है इसी लिए आपने उसको वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। वे मामला सदन के संज्ञान में आ चुका है। शासन को सूचना दी जा चुकी है और उस दिन आपको प्रश्न करने का भी अवसर मिलेगा। आप अनुपूरक प्रश्न भी कर सकते है लेकिन यह स्थिति ठीक नही है कि आप पर दबाव डाला जाए और आपके निर्णय को परिवर्तित करने की कोशिश की जाए, यह परम्परा ठीक नही है, स्वस्थ परम्परा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

मान्यवर, हमारे यहां देवरिया में चीनी मिलों की मरम्मत नहीं हो रही है, इस तरह की जितनी भी सूचनायें हैं एक से एक उपयोगी सूचनायें हैं अगर इस ढंग से सदन चलना है तो हम लोग भी आकर बैठ जाय।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, आपने किरन पाल सिंह जी की सूचना को कृपापूर्वक सुना, मगर माननीय किरन पाल सिंह जी के दल के सदस्य यहां बैठे हुए है, वे सुनने के लिये याचना करने आये थे। जब उनकी बात पूरी सुन ली गयी तो आपके माध्यम से उनसे अनुरोध है कि कृपापूर्वक वे अपने स्थान पर जायें हमारी बात शायद ज्यादा सुनाई पड़ेगी।

श्री किरन पाल सिंह-

[x x x x x x x x x x x x]

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, सूखे की बाबत....।

श्री अध्यक्ष-

इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है, एक नयी परिपाटी नहीं डालूंगा, उन्होंने जो सूचना दिया है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, सूखे पर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा?

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमनु, यह सही है कि आपने कार्यवाही के लिये निर्देशित कर दिया है किसी बजह से इनका बयान सदन में आ गया, इनका पक्ष सदन में आ गया, सरकार का पक्ष नहीं आयेगा, कृपापूर्वक इनको सुना किरनपाल सिंह जी को सुन लिया है, तो सरकार का पक्ष भी आ जाये, मैं आपकी अनुज्ञा से।

श्री अध्यक्ष-

बिना मेरी अनुमति के किरन पाल सिंह जी बोले हैं, जो बोले हैं वह लिखा नहीं गया है।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है। यह पहली बार मैं बड़े विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं, सदन में देखने को मिल रहा है, सरकार की तरफ से जवाब आने के बावजूद, सरकार जवाब देने को तैयार है, मान्यवर आप तो उस आसन पर बैठे हैं, आपको तो विशाल हृदय रखना चाहिये, आपने अनुमति नहीं दी।

मान्यवर, आपकी पीठ से हमें अपेक्षा थी और अपेक्षा है, हमारा विनम्र अनुरोध है, हम लोग सदस्य हैं, यह दबाव के बल पर बात सुनेंगे नहीं, हम लोग वेल में गये कोई कागज आदि नहीं छुआ, किसी कर्मचारी तक नहीं गये जो तरीका होता है विरोध का, हम लोग शालीनता के साथ वहां आकर बैठ गये। मान्यवर, आपकी पीठ से यह कहने के बाद कि अनुमति नहीं दी, भावनाओं को ठेस पहुंची है। मेरा अनुरोध है कि आप सूचना को देखें, मैं पढ़कर सुना दूं, इसमें बीमारियों का उल्लेख है।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

[x x x x x x x x x x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं अनुमति नहीं देता हूं, बिना अनुमति के लिखा नहीं जायगा।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

[x x x x x x x x x x x x].

श्री अध्यक्ष-

मैं न इनके दबाव में हूं न आपके दबाव में हूं। जो नियम हैं जो परम्परायें हैं उसका अनुपालन करने में लगा हुआ हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री किरन पाल सिंह–

[x x x x x x x x x x x x]

(श्री किरन पाल सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री कृष्ण कुमार नवमान को बुला लिया है आय–व्ययक पर साधारण चर्चा में बोलने के लिये।

(श्री राम बिशुन आजाद व कई अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

सभी बजट भाषण पर सबको बोलने का मौका मिलेगा। मैं अभी अन्य विषय पर अनुमति नहीं देता हूं।

नोट [xxxxxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माननीय सदस्यगण आय व्ययक पर चर्चा शुरू हो गयी है उस पर आप विचार रखना चाहते हैं सूखे पर बोलना चाहते हैं या किसी पर बोलना चाहते हैं, सिंचाई की कोई अच्छी व्यवस्था कराना चाहते हैं उस पर अपने विचार रखें उसमें कोई एतराज नहीं है। जिस विषय को अब मैंने नहीं लिया है उस पर कोई विचार नहीं होगा। आप लोग बैठ जाय। मैंने कृष्ण कुमार नवमान जी को बुला लिया है।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री कृष्ण कुमार नवमान का नाम पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, एक ज्वलंत समस्या की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप मुझे बोलने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष-

आपने नियम 51 में सूचना दिया है और जब यह मद आयेगी तो आपको समय मिलेगा, इस समय आप हल्ला क्यों कर रहे हैं ? आप बैठ जायें मैंने आय–व्ययक पर चर्चा के लिए माननीय श्री नवमान जी को बुला लिया है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आज आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब 51 की सूचना आये तो आप चर्चा स्वीकार कर लीजिएगा।

1995-96 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा

श्री कृष्ण कुमार नवमान-

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया। यह मायावती जी की सरकार जो इस समय सत्तारूढ़ है, इस अच्छे बजट के लिए धन्यवाद की पात्र है, जिसने गरीबोन्मुख बजट प्रस्तुत किया है, जिसने यह तय किया है कि 72 प्रतिशत धन गांवों पर खर्च करेंगे। यह सरकार दलितोंन्मुखी सरकार है और मेरा निवेदन यह है कि इस सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दलित केवल गांव में ही नहीं बसते, शहरों में भी बसते हैं। मेरा शहर अलीगढ़, ऐसा शहर है जो सारी दुनिया को, केवल प्रदेश और देश को ही नहीं, अमूल्य वस्तुयें प्रदान करता है। दूध, मक्खन, घी, ताला, हार्डवेयर, देवताओं की मूर्तियां आदि अच्छी-अच्छी वस्तुयें उपलब्ध करता है और विदेशों को भेजकर विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। ऐसी अलीगढ़ शहर के आसपास सारा दलित वर्ग बसता है।

मान्यवर, मेरा अलीगढ़ दंगा और गन्दगी के लिए मशहूर है। आज भी अलीगढ़ शहर की स्थिति यह हो रही है कि एक तिहाई शहर पानी में डूबा हुआ है, अभी ज्यादा बरसात भी नहीं हुई है न बाढ़ का पानी आया है बल्कि जो पानी ट्यूबवेलों से शहर में जलापूर्ति की जाती है वही पानी बाहर नहीं निकल पाया है, लाईनें चोक पड़ी हैं, नाले साफ नहीं हो पा रहे हैं। हमारा गरीब मजदूर एक–एक कमरे के मकान में रहकर अपने परिवार का पालन–पोषण करता है। वही एक कमरा उसका स्लीपिंग डायनिंग और फैक्टरी रुम है, परिवार के सब सदस्य लगकर दिन–रात काम करते हैं। उनके पास अपने मकान में इतना स्थान नहीं है कि वह शौचालय बना सकें, सार्वजनिक शौचालय पर निर्भर हैं और वे सार्वजनिक शौचालय बेहद गन्दे रहते हैं।

(इस समय 3-38 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलूराम पीठासीन हुये)

जिसमें घुसना तथा शौच के लिए जाना तो अलग बात है उसके निकट से निकलना भी पसन्द नही करेंगे। इस परिस्थिति से सारा प्रदेश परिचित है। पीड़ा जो मैं व्यक्त कर रहा हूं इस सबसे आप परिचित है। सफाई कर्मचारियों की अलग–अलग समस्याएं है, सफाई कर्मचारियों को निकाल दिया गया कुछ को ठेकेदारी के काम निकाल दिया गया, कुछ रिटायर हो गये कुछ की मृत्यु हो गयी, लेकिन जो सफाई कर्मचारी है भी उनके पास पर्याप्त उपकरण नही है। मेरे नगर के अन्तर्गत दो उप प्रशासक होने चाहिए लेकिन एक ही उप प्रशासक है और उसको तीन–तीन ड्यूटियां करनी पड़ती है शहर की शान्ति व्यवस्था की जिम्मेदारी उसी की है और मण्डी समिति का कार्य भी वही देख रहा है और नगर निगम का उप प्रशासक भी वही है। यह तीनों जिम्मेदारियां इतनी बड़ी है

जिनके लिए अलग–अलग व्यक्ति होने चाहिए लेकिन एक ही व्यक्ति को तीन–तीन ड्यूटियां करनी पड़ रही है और वह काम भी पूरा नही हो पा रहा है।

जल निगम का जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है वह दो माह से छुट्टी पर पड़ा हुआ है। 50 लाख रूपये ड्रेन के लिए वहां गया है और खर्च नही हुआ परन्तु उसे अब फर्जी दिखाया जा रहा है कि खर्च हो गया है। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के कर्मचारी कमरों के बाहर बैठकर नारा लगा रहे है "काम नही करेंगे" यह सारी अव्यवस्था और सारी पीड़ा उस अलीगढ़ शहर की है जो सारे देश को अच्छी–अच्छी चीजें उपलब्ध करा रहा है उसे जिले के नेता मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मेरा निवेदन है कि इस अलीगढ़ शहर की दुर्व्यवस्था की ओर भी आप ध्यान दें। दुसरी बात मान्यवर में यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने बिक्रीकर पर अपने विचार इस बजट में नही दर्शाये है बिक्रीकर के बारे में बजट में कोई चर्चा नही है बिक्रीकर व्यापारी के लिए भी, किसानों के लिए भी, उपभोक्ता के लिए भी बड़ा भारी सरदर्द बना है अभी कीटनाशक दवाओं का एक प्रकरण यहां उठा पंजाब में कीटनाशक दवाओं पर कोई बिक्री कर नही है।

हरियाणा में एक–डेढ़ प्रतिशत बिक्रीकर है। दिल्ली में एक–डेढ़ प्रतिशत बिक्री कर है बिहार में दो प्रतिशत बिक्री कर है कीटनाशक दवाओं पर, जो किसान के लिए बहुत आवश्यक है लेकिन उत्तर प्रदेश में साढ़े सात प्रतिशत बिक्री कर है। इस प्रकार से और चीजों पर भी होगा। कई लोग सोचते होंगे कि बिक्रीकर का विकल्प नही है परन्तु हमारे संज्ञान में है अगर सही तरह से व्यवस्था कर दी जाय तो बिक्रीकर का विकल्प बनाया जा सकता है। सरकार अगर उस विषय पर गम्भीर है तो एक बैठक का कोई समय दे दें। और मैं अपने विचार वहां प्रस्तुत करूगां और बिक्रीकर का विकल्प बनाया जा सकता है। मेरा निवेदन आप से है कि बिक्री कर के लिए प्रदेश के व्यापारी बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं।

बिक्री कर कह लो चाहे, व्यापार कर कह लो, एक ही बात है। यह एक झांसा था पिछली सरकार का। एक नारा लगा दिया कि 30 नवम्बर, 93 के बाद व्यापारी बिक्री कर देना बन्द करें दें, सरकार उसे हटा तो पायी नही परन्तु जब दबाव पड़ा तो बाद में उसका नाम बदलकर व्यापार कर रख दिया। प्रदेश का मुखिया जनता को जब इस प्रकार गुमराह करेगा तो एक अच्छी बात नही है। जनता चाहती है कि सरकार के राजस्व में कमी नही आने पाये वह राजस्व देना चाहती है। और उसके लिए पर्याप्त विकल्प मौजूद है सरकार को इसको ठीक से विचार करके बिक्री कर का विकल्प तलाश करके बिक्री कर को हटाने की कृपा करनी चाहिये। मान्यवर, मैं अपने शहर की समस्याओं पर पुनः बल देते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री तीरथ राज-

मान्यवर, आपने मुझे सामान्य बजट चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सत्ता पक्ष के अन्य सदस्यों की तरह मैं भी इस बजट की प्रशंसा करता हूँ। मैंने प्रशंसा शब्द का जानबूझकर उल्लेख किया है और इसके पीछे मेरी कुछ भावनायें हैं। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सोनभद्र एक मात्र ऐसा जनपद है जहाँ पर समस्त सीटें चाहे वह विधान सभा की हों या लोक सभा की हों, सभी की सभी आरक्षित सीटें हैं। प्रदेश में अन्य कोई ऐसा जनपद नही है जहाँ पर सभी सीटें आरक्षित हों। सौभाग्य यह है कि वर्तमान सरकार दलितों व पिछड़ों की सरकार है और इस ओर ध्यान भी दिया जा रहा है। सोनभद्र जनपद एक अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। इसके 8 ब्लाकों में से 5 ब्लाक अनुसूचित जाति बाहुल्य है लेकिन दुख इस बात का है कि सोनभद्र में जो कार्य वर्षों पहले शुरू किये गये थे जैसे बहुउद्देश्यीय सिंचाई योजना कनहर, सोन पम्प नहर व कनहर का पुल, आज भी अधूरे पड़े हुए हैं, जिन पर कार्य नहीं हो सका है। ये सभी योजनायें जनहित में थी।

मैंने जब इस बजट पुस्तिका को पढ़ा तो उसमें नये मदों के लिए जो बजट का प्राविधान किया गया है, उसमें कुछ ऐसे कार्य हैं, जो सोनभद्र में अधूरे पड़े कार्यों की तुलना में ज्यादा महत्व व स्थान नहीं रखते। क्या इस दलित सरकार में भी इस अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र की उपेक्षा की जाती रहेगी। सोनभद्र जिला अकेले पूरे प्रदेश का 80 प्रतिशत विद्युत उत्पादन करता है और सम्पूर्ण प्रदेश के 76 प्रतिशत गाँवों का विद्युतीकरण भी इसजिले से

उत्पादित बिजली कर चुकी है परन्तु सोनभद्र में मात्र 34 प्रतिशत ही विद्युतीकरण हुआ है। क्या यह अन्याय नहीं है।

बहुउद्देश्यीय सिंचाई योजना कनहर, सोन पम्प नहर तथा कनहर का पुल जिसे बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिये था, बहुत दुख की बात है कि उनके लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, हम नई योजनाओं की बात नहीं करते। हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि सोनभद्र के लिए उसे विशेष ध्यान देना चाहिये। में सिर्फ दो योजनाओं के लिए सरकार से निवेदन करना चाहूँगा। हमारे यहाँ एक सड़क मिर्जापुर से शक्तिनगर तक दी जाय। दूसरा, जसौली सिंचाई योजना दी जाय। इन दो योजनाओं पर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये। सरकार को वित्तीय संसाधनों को देखते हुए मैं और अधिक योजनाओं की माँग सरकार से नहीं करता हूँ। मुझे विश्वास है कि जिन योजनाओं का मैने उल्लेख किया है सरकार अवश्य ही उन पर विशेष ध्यान देगी और बजट में उसके लिए प्राविधान करेगी। इन्ही शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूँ? धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने मुझे 1995-96 के बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, किसी भी सरकार का बजट हो उसमें आम जनता के विकास कार्यों के प्रति और उस सरकार की क्या मंशा है क्या दिशा है प्रदर्शित होती है। पृष्ट 43 पर हमने देखा है कि यह सरकार कहती है कि हम ग्रामीण अंचलों के विकास के लिये कटिबद्ध हैं। सरकार की यह बात सही भी है जो इंसान जिस दुख दर्द में पैदा हुआ है उसके दुख दर्द को वह जानता है। यह बेहद खुशी की बात है कि यह सरकार दलितों की सरकार है लेकिन दुख इस बात का है जब जब ग्रामीण अंचलों की बात की जाती है तो उसके लिये कार्य उस तरह नहीं होते हैं। यह सही है कि 72 परसेंट बजट ग्रामीण अंचलों के लिये रखा गया है लेकिन यह कहना पड़ता है हमारा अलीगढ़ एक पिछड़ा हुआ जिला है। यह अलग बात है कि वह एक सुन्दर जगह है, पश्चिम के जिलों को लोग विकसित मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है वहां की भी समस्यायें है और विकराल समस्यायें हैं। यहां सिंचाई के साधन है लेकिन 85 प्रतिशत ट्यूबवैल धनाभाव के कारण बेकार पड़े हैं, उनको सही कराने के लिये धन का प्राविधान नहीं किया गया है।

हमारा जनपद पेयजल समस्या से ग्रस्त है वहां पानी का जलस्तर नीचे चला गया है, जनता के जो पम्प हैं वह काम नहीं करते हैं उसके लिये कोई प्राविधान बजट में नहीं किया गया है। एक तरफ यह सरकार कहती है कि हमें ग्रामीण अंचलों का विकास करना है और दूसरी तरफ विद्युतीकरण के लिये जिला सेक्टर में 2 करोड़ रूपये की कटौती कर दी गयी है। सरकार कहती है कि हम ग्रामीण अंचलों में अंधेरा दूर करेंगे ताकि अपराध न होने पाये। तो कोई प्राविधान इस तरह का नहीं किया गया है जिससे ग्रामीण अंचलों का विद्युतीकरण हो सके। एक तरफ यह सरकार कहती है कि हम 16 घंटे गांवों में बिजली दे रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि विद्युत सप्लाई मात्र 8 घंटे भी नहीं है। तामाम किसानों की फसल नष्ट हो गयी है। बिजली की हम सप्लाई से किसान त्राहि–त्राहि कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि सिंचाई के लिये नहरों की व्यवस्था है लेकिन नहरें भी रोस्टर के हिसाब से नहीं चलती है जिससे किसान को पानी ठीक समय पर नहीं मिल पा रहा है और उसकी फसल नष्ट हो रही है। नयी नयी कैनाल बनाई गयी हैं किसानों की उसके लिये जमीन ली गयी है लेकिन जल सप्लाई की कोई व्यवस्था नहीं दी गयी है। अलीगढ़ में बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं, जैसा कि शासन की नीति है पहले अधूरे काम लिये जायेंगे उनके लिये धन का प्रावधान किया जायेगा। इसलिये जो मेरी मांग है कि अलीगढ़ के अधूरे काम पड़े हैं उनको पूरा करने के लिये धन आवंटित किया जाय। अलीगढ़ जनपद के लिये अनुरोध करता हूँ कि इस तमाम बातों को सरकार देखे और वहां के विकास के लिये धन आवंटित किया जाय, वहां किसान समस्या ग्रस्त हैं, वहां विद्युतीकरण के लिये धन आवंटित किया जाय जैसा कि सरकार की मंशा है वह अधूरे कार्यों को पहले पूरा करे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

*श्री जयपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्रामीणोन्मुख बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, इससे पहले बहुत सी सरकारें आई और वह कहती रही कि हम दलितों की सरकार हैं, पिछड़ों की सरकार है, उपेक्षित वर्ग की सरकार हैं लेकिन अबकी बार जो सरकार आई है वह वास्तव में इन वर्गों की सरकार है और इस बार माननीया मुख्य मंत्री एक दलित महिला हैं।

श्री जयपाल सिंह-

कि निश्चित रुप से पूरे प्रदेश में ''पिछड़े लोगों और दलित लोगों का भला होगा। मान्यवर, मैं इस बजट पर जहां यह कहना चाहूंगा कि निश्चित रुप से यह अच्छा बजट है, वहां पर अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को भी जोड़ना चाहूंगा। जनपद मेरठ में एक गांव ऊंटघास है, वहां पर सन् 82 में गरीब दलित किसानों की भूमि अर्जित कर ली गई थी, किन्तु पी०डब्लू०डी० द्वारा अर्जित भूमि का आजतक मुआवजा उन्हें नहीं मिला है। इसके लिए 2 लाख 68 हजार रुपया उस समय तक हुआ था। मैं आपके संज्ञान में इस समस्या को भी लाना चाहता हूं। ऐसे लोगों का भुगतान, जो दलित जाति के हैं, जिनके पास खाने और रहने को नहीं है, निश्चित रुप से अति शीघ्र कराया जाय।

मेरे खरखौंदा विधान सभा क्षेत्र में एक स्थान है, कोला वहां पर गांव में एक नदी बहती है। 40 साल हो गये, उस नदी पर पुल बनाने की बात बराबर उठती रही है, लेकिन आजतक उस पर पुल नहीं बनाया गया है। उससे जो एक गांव एक किलोमीटर है, वहां पर जाने के लिए लोगों को घूमकर 40 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है उस नदी पर पुल न होने के कारण। नदी के दोनों तरफ दलित जाति के लोग रहते हैं। इस पार और उस पार भी उनकी भूमि है। जाड़े में और बरसात में वह किस तरह उससे निकलकर जाते हैं, यह बड़ी गम्भीर समस्या है। मैं इस गम्भीर समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री जी ने पुल और सड़क बनाने के लिए अपने बजट में 410 करोड़ रूपये का प्राविधान किया है। मै पूरी उम्मीद करता हूं कि मेरे क्षेत्र की इस गम्भीर समस्या को हल करने के लिए भी सरकार निर्देशित करेगी। दो लाख 40 हजार गरीब लोगों को गरीबी–रेखा से ऊपर उठाने का सरकार ने अपने बजट में प्राविधान किया है। लेकिन मेरा यह संदेह है कि जब भी गरीबों की बात आती है, उनके विकास की बात होती है, तो उनकी मदद को बिचौलिये बीच में ही खा जाते हैं। मेरी यह शंका नहीं निश्चित मत है। यदि इस सरकार ने सख्ती से इन योजनाओं को इम्पलीमेंट करने का प्रयास नहीं किया, तो वह मदद गरीबों के पास नहीं पहुंच पाएगी।

मेरे क्षेत्र में एक भी डिग्री कालेज नहीं है और एक भी कन्या इन्टर कालेज नहीं है। हम इसके लिए कई बार लिखकर दे चुके है–सरकार को भी लिखकर दे चुके है और सम्बन्धित अधिकारियों से भी बात कर चुके हैं, लेकिन आजतक इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। जनपद मेरठ विकसित क्षेत्र का हमारा विधान सभा क्षेत्र खरखौदा बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आप मान्यवर, जरूर निर्देशित करें कि वहां पर कम से कम एक डिग्री कालेज और एक कन्या इन्टर कालेज अवश्य बनवा दिया जाय। उस जनपद में मेरठ और हापुड़ में दो जगह मण्डी है, लेकिन हमारे यहां नहीं है। खरखौदा में मंडी प्रस्तावित है, लेकिन वहां पर उसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। हमारे खरखोदा में एन०सी०आर० स्कीम के अन्तर्गत 132 केवी का एक पावर स्टेशन भी प्रस्तावित है। उसके बारे में भी मैं कई बार लिख चुका हूं, लेकिन कोई धन नहीं दिया जा रहा है। अब मुझे इस दलितों की सरकार से पूरा विश्वास है कि जो दलितों की सरकार मायावती जी के नेतृत्व में चल रही है, वह सरकार निश्चित रुप से ग्रामीण अंचलों में अपने प्रभाव से उनकी तरक्की और विकास के लिए जरूर प्रयास होगी।

श्री जयपाल सिंह-

और मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री मोलई-

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं गोरखपुर जनपद से विधायक चुन कर आया हूँ जो कि विभिन्न परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। पर लगभग नौ नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। प्रति वर्ष मान्यवर भयंकर बाढ़ आती है, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। बाढ़ की विभिषिका के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों जैसे गैस्टो कालरा, आंत्रशोध, हैजा मस्तिष्क ज्वर फैलता है और इन बीमारियों से रोक थाम के लिये कोई उपचार नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ बाढ़ से फैलने वाली बीमारियों के रोकथाम के लिये व्यवस्था की जाय और उसे इस बजट में जोड़ा जाय।

गोरखपुर जनपद के पास बांसी खजनी, बांसी गोला तहसील में पिछले अक्टूबर के महीने में भयंकर बाढ़ और वर्षा होने के कारण, जल जमाव के कारण घर ध्वस्त हो गये। गरीब लोग बेघर हो गये जिन गरीबों के घर ध्वस्त हो गये, उनके पुनः निर्माण के लिये गृह अनुदान दिया जाय और इस बजट में इसको जोड़ा जाय। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र बांसगांव गोरखपुर की और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। बांसगांव से घूमकर जाने में 25 किलोमीटर ज्यादा पड़ता है। यहां पर उनवल घाट पर पक्का पुल बनाया जाना स्वीकृत है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पुल के निर्माण के लिये धनराशि अवमुक्त करायें जिससे वाराणसी और आजमगढ़ को जोड़ने में आसानी हो जायेगी। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग रहते हैं यहां पर एक जैविक कारखाना हरिहरपुर खजरी तहसील में स्थापित किया जाना था और उसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार से 10 करोड़ रूपये की मांग की गई थी।

पिछली बार की सरकार ने उसे निरस्त कर दिया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिस जैविक कारखाने को स्थापित करने के लिये भूमि एक्वायर की जा चुकी है उस पर कारखाना लगाया जाय ओर इस कार्य को बजट में जोड़ा जाय। हमारे विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा बस्ती जनपद का बाडंर है। मान्यवर, हमारे यहां 25 किलोमीटर की दूरी में न तो कोई विद्यालय है और न आने जाने के लिये पक्का मार्ग ही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में बेतघाट ब्लाक, खजनी का सीमावर्ती क्षेत्र है, 25 किलोमीटर की परिधि में फैला है लेकिन निरन्तर निरक्षरता का शिकार होता चला जा रहा है। जिस तरह से अन्य ब्लाकों में बालिका विद्यालय खोलने की बात, मैं मांग करता हूँ कि उक्त ब्लाक में भी एक बालिका विद्यालय खोलने की अनुमति देने की कृपा करें मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री अमित अग्रवाल-

मान्यवर, इस सरकार द्वारा जो बजट रखा गया है उस पर विचार रखने का मौका दिया गया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। श्रीमनु बजट में जो ग्रामीण विकास की बात कही गई है वह स्वागत योग्य है। मान्यवर, जो नगरों और महानगरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ा जा रहा है उसके बारे में बजट में कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है। उत्तरांचल के विकास की बात की गई है लेकिन पूर्वांचल क्षेत्र के विकास की कोई बात नहीं की गई है। नगरों और महानगरों के विकास की बात को छोड़ दिया गया है उनके रख–रखाव और उनके मेंटीनेंस के लिए धनराशि की आवश्यकता है इसके बारे में बजट में कुछ प्राविधान नहीं किया गया है।

श्रीमनु वृद्धावस्था पेंशन समाप्त कर दी गई है और उसके स्थान पर किसान पेंशन के नाम से पेंशन दी जा रही है जो मात्र गाँव तक ही सीमित रह गई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि पूर्व की भाँति वृद्धावस्था पेंशन को पुनः जारी किया जाए ताकि वृद्ध लोगों को राहत मिल सके। प्राइमरी स्कूलों के नाम पर कुछ नहीं दिया गया है। नगरीय क्षेत्रों में स्कूलों के भवन का निर्माण नहीं हुआ है उसके लिए कोई धनराशि नहीं दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 31.3 धनराशि की वृद्धि की गई है। श्रीमनु जो गाँव महानगरों में सम्मिलित कर लिए गए हैं उनके लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है उन ग्रामों पर भी धन खर्च किया जाना चाहिए। चिकित्सा पर जो धनराशि दी गई है वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत ही अल्प है इसकी धनराशि को बढ़ाया जाना चाहिए। ताकि गरीब और कमजोर जनता की इलाज कराने में सुविधा हो सके।

श्रीमन् महानगरों में जो यातायात की व्यवस्था है उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा, महानगरों की यातायात व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा प्रत्येक नगर और महानगर के अन्दर यायायात के लिए सब–इंस्पेक्टर एवं यातायात कांस्टेबिल की कमी को पूरा किया जाना चाहिए। जिससे महानगरों में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। ग्राम जो महानगरों में मिल चुके हैं वहां प्रकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए। पश्चिम क्षेत्र की जनता विद्युत सप्लाई न होने के कारण बहुत त्रस्त है। पश्चिम क्षेत्र में बिजली का पूर्ण उत्पादन होने के बावजूद पश्चिम क्षेत्र को ही विद्युत की सप्लाई नहीं हो रही है। विद्युत का एक बटा चार भाग मेरठ मंडल द्वारा दिया जाता है लेकिन उसके हिसाब से उसे सुविधा नहीं मिल रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्रीमन् एन०सी०आर० के नाम से एक बोर्ड का गठन किया गया है। पश्चिम में गाजियाबाद, मेरठ नोएड़ा आदि क्षेत्र बढ़ रहे हैं। एन०सी०आर० के अन्दर आने वाले वह क्षेत्र हैं जो दिल्ली के 100 किलोमीटर के अन्दर आते हैं इन क्षेत्रों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है इनको भारत सरकार पर छोड़ दिया गया है। भारत सरकार ऋण के रुप में पैसा देती है लेकिन कोई विकास कार्य एन०सी०आर० के अन्दर नहीं हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है नयी सरकार इस क्षेत्र के लिए एन०सी०आर० द्वारा एक बोर्ड का गठन कराए और एक विशेष व्यय के लिए धनराशि उसके अे एक क्षेत्र विशेष के रुप में विकसित किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

*श्री छोटेलाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया। यह बजट निश्चय ही सराहनीय है। इसके पहले इस प्रदेश में गुण्डा राज, माफिया, राज, जंगल राज कायम था जिसको खत्म करके इस बजट में न्याय मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन को देने की व्यवस्था की गयी है। साथ ही साथ इस बजट में किसानों के लिए, वृद्धों के लिए पेंशन योजना में पिछले वर्ष की भाँति लगभग 176 प्रतिशत अधिक बजट देने की व्यवस्था की गयी है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम और पिछड़ी जाति वित्त विकास निगम तथा अल्प संख्यक वित्त विकास निगम के लिए 174 प्रतिशत बजट देने की व्यवस्था की गयी है। हमारे प्राइमरी स्कूल के भवनों के निर्माण हेतु लगभग 60 प्रतिशत अधिक की व्यवस्था की गयी है।

इस प्रकार यह बजट निश्चय ही सराहनीय है और स्वागत योग्य है। साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे हरदोई जनपद में एक कस्बा गोपामऊ है जिसे आदर्श टाउन एरिया घोषित किया गया है। जिसकी आबादी 15 हजार के करीब है। आदर्श टाउन एरिया होते हुए भी वहा पर कस्बे में कोई पक्की सड़क नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि उस कस्बे को जिसको आदर्श कस्बा घोषित किया गया हो वहाँ पर एक पक्की सड़क नहीं है इसलिए इस बजट में उसको जोड़ दिया जाए कि वहाँ पर पक्की सड़क बनाई जाए। साथ ही साथ इतना बड़ा कस्बा होते हुए और आदर्श टाउन एरिया जिसको बनाया गया है जूनियर हाई स्कूल से बड़ा कोई विद्यालय नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां पर एक इण्टर कालेज की स्थापना करवाई जाए और साथ ही साथ एक निवेदन और करना चाहता हूं हमारे जनपद हरदोई में बरवन नाम से रजवहा चलता है। जो कि 34 किलोमीटर है लगभग 13 वर्षों से उसमें पानी नहीं छोड़ा गया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उस रजबहे में पानी छोड़ा जाए और वहाँ के किसानों की भुखमरी दूर की जाए। हरियावाँ ब्लाक में एक ऐसी सड़क है जिसकी लम्बाई 14 किलोमीटर है जो हरियावाँ और गोयामऊ तक जाती है उसमें खड़ंजा लगा हुआ है वह सड़क भी खराब है उसको पक्की सड़क बनाया जाए। इसके साथ वावन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

ब्लाक में तथा बेटा मानकपुर तक सड़क जाती है जिसकी लम्बाई 15 कि०मी० है। वहाँ भी खड़ंजा खराब हो गया है उसमें केवल साइकिल से व पैदल जाया जा सकता है उसे पकका कराया जाए। मैंने जो समस्याएं बताई हैं उसको बजट में जोड़ दिया जाए। इसके साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। आपने जो समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री उदयप्रकाश-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। इसमें जो जनोपयोगी और हितकारी व्यवस्थाएं की गई हैं उसके प्रति अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं बल देता हूँ। तथा आपसे महोबा जो नया जनपद सजित हुआ है। उसके बारे में कहना चाहता हूं। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जिला हेड क्वार्टर चरखारी में बनाया जाना चाहिए था। जिससे वादकारियों के हित सर्वोपरि हो सके। तथा क्षेत्र की जनता को कम पैसे और कम समय में तुरन्त न्याय सुलभ हो सके। इस बात का ध्यान पूर्व मुख्यमंत्री जी ने रखा था।

राजनीतिक दबाव के कारण 1952 में चरखारी स्टेट को जिला बनाने के लिये एक रुपया टोकेन मनी भी दी गयी थी। वहां पर बहुत सी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स मौजूद हैं जहां पर कार्यालय खोले जा सकते हैं और बिल्डिंग्स भी तहसील स्तर पर बनकर तैयार हो गयी हैं। चरखारी स्टेट भी तीन तहसीलों के माध्य की तहसील है जहां पर मुख्यालय बनाने से जनता को सबसे बड़ी राहत मिल सकती है लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। मान्यवर, चरखारी और महोबा के बीच ग्राम करहरा में 40 एकड़ जमीन भी एक्वायर की गयी थी और वहां पर पिलर भी बन गये थे लेकिन राजनतिक कारणों से मंडी परिषद की जमीन पर जिला कार्यालय का उद्घाटन महोबा में किया गया।

मेरा कहना है कि या तो मुख्यालय चरखारी में बनाया जाय यह ऐसा करना पासिबिल नहीं है तो करहरा में जहां पर ४० एकड़ जमीन एक्वायर की गयी है वहां पर जिला मुख्यालय को बनाया जाय मैं अपने क्षेत्र के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद महोबा पठारी, जंगली तथा पहाड़ी क्षेत्र है। बुदेलखंड का यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के बार्डर पर स्थिति है। वहां की जमीन में पत्थर हैं इसलिये वहां पर एक भी ट्यूबवेल नहीं है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त है कि वहां पर डायमंड रिग से जमीन बोर कराकर पानी की सुविधा दी जाय। वहां पर पेयजब का बड़ा संकट है। लोगों को तालाबों का पानी पीना पड़ता है। मेरी मांग है कि पनवाड़ी में एक ट्यूबवेल बनाकर और चरखारी में अर्जुन बांध परियोजना को विकसित करके वहां पर पानी मुहैय्या करवाया जाय।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर बिजली का बहुत बड़ा संकट है। वहां पर उत्तर प्रदेश के गांवों से मध्य प्रदेश के गांव बिजली के लाइन से जुड़े हैं लेकिन मध्य प्रदेश से चलने वाली बिजली की लाइन से उत्तर प्रदेश के गांव नहीं जुड़े हैं इसलिये मैं मांग करता हूँ कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की लाइन से मध्य प्रदेश के गांव जुडे हैं उसी तरह से मध्य प्रदेश से इंटर स्टेट लाइन द्वारा उत्तर प्रदेश के गांवों को भी जोड़ने का कष्ट करें। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया।

*श्री चेत राम-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट भाषण पर बोलने के लिये अवसर दिया। मान्यवर, इस प्रदेश में जबसे एक दलित परिवार की सदस्य माननीय मुख्य मंत्री मायावती ने अपना पद संभाला है तब से इस प्रदेश की आमजनता ने और हर वर्ग ने उनका स्वागत किया है और खुशी महसूस की है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान अपने जनपद शाहजहांपुर की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। जनपद शाहजहांपुर एक शहीदों की नगरी रही है जहां पर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाक उल्ला और ठाकुर रोशन सिंह जैसे महान शहीदों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहूति देकर इस देश की आजाद कराया है।

[4 बजकर 20 मिनट]

श्रीमन् उस जनपद की जनता मूलभूत समस्याओं के कारण आज कराह रही है। जनपद शाहजहांपुर में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

विद्युत और पानी की भयंकर समस्या है। सड़को की हालत बहुत ही दयनीय है उस जनपद के विधान सभा क्षेत्र पुवांया से मैं चुनकर आता हूं वहां की गम्भीर समस्या की ओर में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ पुवांया मुख्यालय पर काफी अर्से से एक डिग्री कालेज की स्थापना की मांग की जा रही है। मान्यवर, पुवांया तहसील जहां का किसान अपनी कड़ी मेहनत से अन्न का उत्पादन करता है और उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है वहां शिक्षा का बड़ा अभाव है वहां विकास खण्ड 4 है। खुटार और बंडा में एक एक कन्या इंटर कालेज की अति आवश्यकता है। हमारे पुवांया में एक राजकीय कन्या इण्टरकालेज का निर्माण चल रहा है उसे अति शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार को आप इंगित करें।

मान्यवर, खुटार में पेयजल योजना हेतु जल निगम का कार्य चल रहा है जो धीमी गति से चल रहा है उसे तेज किया जाय। सड़को की हालत दयनीय है जिनके सुधार की आवश्यकता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार कार्यवाई करें। अंत में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

*श्री दल बहादुर कोरी-

मान्यवर, नये लोगों को बोलने का मौका दें-

श्री अधिष्ठाता-

आप बजट भाषण पर बोल चुके हैं इसलिए दुबारा मौका नहीं मिल पायेगा।

*श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की मूलभूत आवश्यक्ताओं और समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे यहां का बहुत बड़ा हिस्सा खादर का पड़ता है वहां बाढ़ के कारण हजारों बीघा जमीन बेकार हो जाती है गंगा की कटान के कारण लोग तवाह हो जाते हैं। इस बाढ़ को रोकने के लिए और पुख्ता इंतजाम करने के लिए बांध का बनना अति आवश्यक है।

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है भले ही मुजफ्फर नगर का क्षेत्र है जब कि मुजफ्फरनगर को समृद्ध जाना जाता है। मान्यवर, मेरे यहां जानसठ विधान सभा क्षेत्र में अध्यापकों की कमी है। मान्यवर, जैसा आप भिज्ञ हैं कि प्राइमरी पाठशालाओं में केवल गरीबों के ही बच्चे बढ़ते हैं और जब इनमें अध्यापक नहीं होगें तो गरीबों के बच्चे केसे पढ़ेगे इसलिए अध्यापकों की नियुक्ति की जाय। हमारे क्षेत्र की जो सबसे बड़ी मूलभूत विकट समस्या है वह है हमारे यहां कढ़ली गाँव के पास नागिन नदी है जहाँ पर एक छोटे पुल की आवश्यकता है जो मात्र 25 लाख रुपये की लागत का पुल है आप कृपया सरकार को निर्देशित करें कि वहां पर पुल की व्यवस्था करवाये।

मान्यवर, हमारे यहां विद्युतीकरण न होने के कारण अनेक ऐसे गाँव हैं जहां अंधेरा रहता है मेरा अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दिया जाय। हमारे यहाँ मीरापुर कस्बे के जहाँ के हम रहने वाले हैं वहां पर पेयजल आपूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछ रही है वह पाइप लाइन इतनी घटिया किस्म की बिछाई गयी है कि उसमें से अभी से पानी रिस रहा है। इसकी शिकायत करने पर यह कहा जाता है कि ऊपर से ऐसा ही पाइप आता है जिसको लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है और सरकारी धन का दुरूपयोग है इसकी जाँच करवाई जाय। मान्यवर, हमारे यहाँ खतौली जसीला रोड जो साढ़ चार कि०मी० है और 20 वर्ष पुरानी हो गयी है इसकी स्टीमेंट मंडी परिषद द्वारा आया है। मेरा अनुरोध है कि इसको स्वीकृत कर सड़क बनवाई जाय।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में कोई महा विद्यालय नहीं है, जब कि तहसील मुख्यालय है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि महाविद्यालय खोलने की कार्यवाही की जाय। हमारे क्षेत्र में प्रति वर्ष कई कई गांव आगजनी के शिकार हो जाते हैं, इस वर्ष भी 5-6 गांव में आग लग गयी, इसलिये मेरा सरकार से आग्रह है कि तहसील मख्यालय पर एक अग्नि शमन केन्द्र खोला जाय, इसकी मैं मांग करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

*श्रीमती रेखा छागला-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी बड़ी आभारी हूँ कि आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया ?

मान्यवर, भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब कि एक दलित महिला सत्ता के उच्च पद पर आसीन हुई है और कांशी राम ने मायावती के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सहायता से सरकार बनाया है। इस प्रकार से उन्होने दलितों का सर ऊंचा किया है। मायावती जी के मुख्य मंत्री बनने से हम लोग गौरवान्वित हुये हैं। बहुजन समाज की सरकार बनाकर कांशीराम जी ने बाबा भीमराव अम्बेदकर का सपना पूरा किया है। बाबा साहेब ने कहा था दलित समाज के लिये कि तुम दीवारों पर लिख लो कि तुम एक दिन इस देश के मालिक बनोगे और यह बात उन्होने उस समय कही थी जब उनके पास दीवारे लिखने के लिये नहीं थीं। पिछली सरकार ने अपराधों का राजनीतिकरण किया है और राजनीति का अपराधीकरण किया है।

मान्यवर, लोक तंत्र के चारो स्तम्भ पूरी तरह से चरमरा गये थे। प्रदेश पूरी तरह से धांय–धांय जल रहा था, ऐसी स्थिति मैं मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी की सहायता से प्रदेश की बागडोर संभाली और उन्होने कहा कि हमारी सरकार का पहला काम है कि प्रदेश की 14 करोड़ जनता को अमन चैन दिलाना और ऐसा माहौल पैदा करना जिससे समाज के लोग चैन की सांस ले सकें। पिछली सरकार के समय अनाचार और भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैल गया था। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को इस बीमारी से मुक्त करने के लिये जो बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री गोपाल काली-

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

वर्तमान सरकार ने जो बजट पेश किया है वह प्रशंसनीय है। मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो नदियां बहती हैं और उनकी बाढ़ से मेरा क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित होता है। गंगा नदियों की बाढ़ से प्रत्येक वर्ष खादर के क्षेत्र में गंगा नदी के समीप के जो गांव हैं और जिनमें अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जानजाति के लोग रहते हैं, उन गांवों में लगभग एक दर्जन गांव की करोड़ों रुपये की कृषि योग्य भूमि 9–10 वर्षों में गंगा ने जिसको लील लिया है और इस प्रकार से 90 प्रतिशत किसान मजदूर हो गये हैं और उनका पालन पोषण का साधन नहीं रहा है।

गंगा नदी बूढ़ी गंगा में मिलने जा रही है मान्यवर मात्र 10 मीटर का गैप रह गया है। पिछले वर्ष हमने इसको जो पूर्व सरकार थी उसके मुख्यमंत्री से कहा था सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कहा था, बराबर क्षेत्र में आंदोलन धरना प्रदर्शन किया। लेकिन मान्यवर, कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, यदि यह गंगा नदी बूढ़ी गंगा में मिल गयी तो 50 गांव जो क्षेत्र के हैं, न तो उनकी आबादी बचेगी न कृषि योग्य भूमि बचेगी।

सिंचाई विभाग ने इसकी कटान को रोकने के लिए 93 लाख की परियोजना बनायी उस 93 लाख रू० की परियोजना को मंजूरी दे दी गयी लेकिन मान्यवर जब लखनऊ में अधिकारियों की बैठक हुई तो सिंचाई विभाग की प्रमुख सचिव ने कहा कि बनायी गयी योजनाओं का हम पचास प्रतिशत राशि इसमें अवमुक्त करते हैं तो हमारे यहां के अधीक्षण अभियंता ने कहा कि जब तक योजना की राशि नहीं दी जायेगी तब तक काम शुरु नहीं हो सकता। वर्तमान प्रदेश सरकार में हमारे जनपद से एक व्यक्ति मंत्री हैं जो सहकारिता मंत्री है वह कुछ दिन पहले मेरे क्षेत्र में गये उन्होने कटान की जगह को देखा माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार से इसमें धनराशि अवमुक्त करायेंगे। यह दुख का विषय है कि इस भयानक जन समस्या जहां 50 गांव बरबाद होने जा रहे हैं बजट में इसका प्राविधान नहीं किया गया है जिला प्रशासन ने एक 6 लाख रु० की पैसा पानी में बहाने की, अस्थायी योजना बनाकर, काम शुरू कर दिया गया है। उसमें कुछ होने वाला नहीं है।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मेरा आग्रह है कि खादर क्षेत्र में कटान हो रहा है उसे रोकने की तुरन्त व्यवस्था होनी चाहिये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक कस्बा मवाना पड़ता है यहाँ रोडवेज का डिपो पिछले वर्ष में स्वीकृत हुआ था दुख का विषय है कि आज तक उस डिपो को नहीं बनवाया गया है। इस कस्बे मवाना से करीब 100 गांव जुड़े हैं यहां रोडवेज डिपो को प्राथमिकता पर बनवाया जाय। मेरे क्षेत्र में बिजली की यहां समस्या है। इस विधान सभा क्षेत्र से पहले जो जन प्रतिनिधि चुनकर विधान सभा में आये उन्होंने कभी क्षेत्र समस्याओं को नहीं उठाया। पिछड़ेपन के आधार पर यदि तुलना की जाय तो जनपद मेरठ में 11 विधान सभा क्षेत्र है मेरा क्षेत्र हस्तिनापुर सबसे पिछड़ा है यहां 35 गांवों में बिजली नहीं है लड़कियों का कोई डिग्री कालेज नहीं है। 15 गांवों में बिजली के खंभे गड़े हैं लेकिन तार की व्यवस्था अभी तक नहीं की गयी है।

यह गंगा का जो कटान प्रतिवर्ष हो रहा है उसको रोकने के लिये कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है यह जो समस्या कटान वाली है यदि इसका समाधान नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ी तबाही हो जायेगी। क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध के लिए बजट में प्राविधान होना चाहिए मैं सरकार द्वारा पेस किये गये वर्ष 95-96 के बजट की पुनः प्रशंसा करता हूं और सरकार को बधाई देता हूं।

*श्री धनराज यादव-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का मौका दिया। आज जो प्रमुख विपक्षी दल है उसकी बेंच खाली है एक भी सदस्य नहीं है स०पा० का। डेढ़ साल तक स०पा० के मुख्यमंत्री जो मुलायम सिंह यादव थे उनके राज्य में पूरा प्रदेश आतंकित था पूरे प्रदेश के खजाने को उन्होने खरोच खरोच कर बटोर लिया या तो अपने घर में भरा या तो अपने चहेतों के घरों में भरा, तथा इनके चट्टे बट्टे तथा सबने लूट कर भर लिया। आज बजट बनाते समय इस सरकार को जिसका हम समर्थन कर रहे हैं, उनको समस्या हुई होगी कि आखिर कहां से पैसा मिले। कैसे व्यवस्था करें और आज बेंच खाली है, बेंच खाली देखकर मुझे स्मरण हो आता है कि जिस तरह से महाभारत काल में युद्धिष्ठर जो सम्राट होते, घमण्डी दुर्योधन उनको देख नहीं पाता था। उसी तरह से दलितों की नेता सुश्री मायावती जी को मुख्यमंत्री के रुप में माननीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं देख सकते।

अधिष्ठाता महोदय, जब विरोधी दल के नेता मुलायम सिंह यादव थे और उन्हें हटाकर जनता दल ने श्री सत्य पाल सिंह यादव को विरोधी दल का नेता बनाया था तो मुलायम सिंह यादव ने घोषणा की थी कि जब तक नेता विरोधी दल श्री सत्यपाल सिंह यादव रहेंगे, मैं सदन में नहीं बैठूंगा और इतना ही नहीं माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी का भाषण था पक्ष और विपक्ष के नेता होने के कारण सत्यपाल सिंह यादव ने भी महीनों से तैयारी की थी और आज जैसे कुछ भाई, इधर के लोगों के बोलने का अवसर आता है तो हंगामा करते हैं उसी तरह से माननीय मुलायम सिंह यादव जी लोगों ने हंगामा किया और सत्यपाल सिंह यादव को बोलने नहीं दिया।

कैलाश नाथ सिंह यादव भी यादव थे, सत्यपाल सिंह यादव भी यादव थे सत्यपाल पाण्डेय नहीं थे। कहते हैं कि बड़ा यादव वादी हूं, लेकिन कैलाश नाथ सिंह यादव को खदेड़ने वाले मुलायम सिंह यादव हैं। एक चौधरी साहब थे जिनका जनता दल का अध्यक्ष बनाकर भेजा गया, उनको मुलायम सिंह यादव जी ने चार्ज नहीं लेने दिया माननीय राम नरेश यादव को जनता दल से भगाने वाले मुलायम सिंह यादव हैं, यह आधुनिक दुर्योधन हैं। वह इस सरकार को देख नहीं सकते।

मान्यवर; इसके साथ ही अपने जिले की कुछ बात कहना चाहता हूं। सुश्री मायावती जी की सरकार का इकबाल लखनऊ में तो स्थापित हो चुका है लेकिन अभी जिले तक नहीं पहुंचा है क्योंकि एक वरिष्ठ आई०ए०एस० श्री राय सिंह को थोड़ी सी गलती के कारण ही सजा मिल गयी। आज वे सचेत हैं कि यह मुलायम सिंह यादव का राज नहीं है कि लुटो खाओ जमीन पर कब्जा करो। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जनपद

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

सिद्धार्थनगर से चुनकर आता हूं। पी०डब्लू०डी०, सिंचाई, आर०ई०एस० के इन्जीनियर वर्ग, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पिछली सरकार की जो विकृति है, उसकी शिकार है।

सिंचाई विभाग में जो अधिशासी अभियंता तथा सहायक अभियंता हैं, इन लोगों ने लाखों–लाख रुपये की लूट की है। मझौली, सिसवा सागर बांध जहां माननीय ओम प्रकाश सिंह जी पहुंच चुके हैं, वह टूट गया। जब मैने कहा कि सागर टूट चुका है तो अधिशासी अभियन्ता ने कहा कि सागर नहीं टूटा है और दो दिन बाद भी नहीं पहुंच पाये और आज जब मैंने विरोध किया, बात यहां पहुंची तो सारे इन्जीनियर यहां आये हुये हैं। वहां पर बाढ़ आयी हुई है, वहां न अधिशासी अभियन्ता हैं न सहायक अभियन्ता डी०के० सिंह है। यहां मंत्रालय के इर्द–गिर्द, दारूलशफा के इर्द–गिर्द घूम रहे हैं। उनको सजा देना जरूरी है, यह बताना जरूरी है कि यह मुलायम सिंह यादव की सरकार नही है।

इसी तरह से पी०डब्लू०डी० के राय साहब सहायक अभियन्ता हैं जिन्होने एक भी पैसे का काम नहीं किया है इस पर भाजपा के जो अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष हैं राही जी, उन्होंने अपना आमरण अनशन किया था। चीफ इंजीनियर ने भी जो जांच की है वहां पर काम नहीं हुआ है लेकिन उनका आज तक ट्रांसफर नहीं हुआ।

मैं चाहता हूं कि उन दोनों विभागों के इंजीनियरों को वहां से हटाकर जांच की जाय और उन्हें सजा दी जाय मेरे जिले में कपिलवस्तु है। कपिलवस्तु जो कि पर्यटन केन्द्रों की सूची में प्रथम लिस्ट में दर्ज है वहाँ जयवर्धन व श्री लंका के राष्ट्रपति श्री प्रेमदासा जा चुके हैं, मत्था टेक चुके हैं लेकिन वहां खंडहर के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि हमारी सरकार जो हम लोगों के समर्थन से बनी है वह वहां विकास का कार्य करे ताकि चीन, जापान, श्री लंका, वर्मा इत्यादि से जो बौद्ध यात्री आते हैं वहां पर अधिक से अधिक आयें और इस तरह से विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी और हमारे राष्ट्र का गौरव भी बढ़ेगा। इस तरह से मैं अपने बजट भाषण को यहीं पर रोकते हुए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री योगेन्द्र कुमार सागर-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जैसा कि वहन मायावती जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया उस बजट पर बल देते हुए अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं और मूलभूत विकास कार्य की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैने सोचा कि सभी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को रख रहे हैं और आपके माध्यम से सम्भवतः उपर निर्देश भी जा रहे होंगे। इसलिए मैने भी सोचा कि कहीं मेरा क्षेत्र विकास कार्य से अछूता न रहे। इसलिए अपेक्षा करता हूं कि आप बताए हुए सारे विकास कार्य कराने के निर्देश देंगे।

मान्यवर, मैं विधान सभा क्षेत्र बिल्सी जनपद बदायूं से चुनकर आया हूं। मेरे बिल्सी क्षेत्र अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र है और विकास की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। आपको जानकारी दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत गांव में विद्युत से अछूते हैं और 50 प्रतिशत गांव में विद्युत है उनमें भी 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति के गांव विद्युतीकरण से अछूते हैं। मैं सरकार से चाहूँगा कि जो शेष गांव रह गये हैं साथ ही जो अनुसूचित बाहुल्य गांव रह गये हैं जो अनुसूचित बाहुल्य बस्तियां रह गई हैं उन बस्तियों में शीघ्र ही विद्युतीकरण कराया जाय। साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र के आधे से अधिक गांव सम्पर्क मार्ग से अछूते हैं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं चाहता हूं कि उन गांवों में सम्पर्क मार्ग बनाये जाने की व्यवस्था की जाय। साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई के नाम पर कोई भी साधन नहीं। सिंचाई का साधन एक मात्र नलकूप है और मेरे विधान सभा क्षेत्र में 125 नलकूप हैं। दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि 125 नलकूपों में से 51 नलकूप खराब पड़े हैं। मैने इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से की। 51 नलकूप जिनके नम्बर मुझे मालूम हैं 51 नलकूप मेरे विधान सभा के खराब पड़े हैं। मैं सरकार से आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उन खराब पड़े नलकूपों को ठीक कराया जाय और कम से कम 10 नये नलकूप बनाने के निर्देश दिये जायं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या है। पेयजल की समस्या के कारण वहां के अनेक गांव के लोग इसकी वजह से तड़फ रहे हैं।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो इंडिया मार्का हैंडपंप बने हैं उनमें आधे से अधिक खराब पड़े हैं उनकी मरम्मत व बोरिंग की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि उन खराब पड़े नलकूपों में जो इंडिया मार्का हैं उनको शीघ्र ठीक कराया जाय। कम से कम 300 नये इंडिया मार्का हैंडपंप स्वीकृत कर दिये जायं। बिलसी नगर, जिसकी आबादी लगभग 30 हजार है को अभी तक नगर क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, जिसके कारण वहां पर विद्युत अव्यवस्था रहती है। मात्र 6-7 घण्टे बिजली दी जाती है। पूर्ववर्ती सरकार ने घोषणा की थी कि 16 घंटे बिजली दी जायगी। परन्तु बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि मात्र 6-7 घण्टे ही बिजली दी गई।

जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरा क्षेत्र अपराध की दृष्टि से प्रसिद्ध है और वहां पर अपहरण अधिक मात्रा में होते हैं। 12 घण्टे अगर बिजली दी जाती है तो मात्र 6 घण्टे ही सिंचाई में उसका उपयोग किया जा सकता है। रात्रि प्रहर होते ही कोई भी व्यक्ति सिंचाई के लिए बाहर नहीं निकलता है। इसलिए मेरे विधान सभा क्षेत्र तथा पूरे बंदायू जनपद में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। साथ ही प्रसंसा की बात यह भी है कि सरकार ने 72 प्रतिशत बजट ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए रखा है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। जिस तरह से अनुसूचित जाति के गांवों में विकास के कार्यों को प्राथमिकता बजट में दी गई है, उससे भी साफ जाहिर होता है कि यह सरकार अनुसचित जाति की हितैषी सरकार है, दलितों की सरकार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जाग उठा है राष्ट्र दलित और अनुसूचित जाति पर अत्याचार नहीं होने पायेगा और पूज्य बाबा साहब का सम्मान कभी कम नहीं होने पायेगा।

श्री राजबली यादव

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। दलित मुख्यमंत्री ने जो बजट रखा है, उसकी मैं सराहना करता हूं। 72 प्रतिशत बजट गांवों के विकास के लिए रखा गया है, यह एक सराहनीय कदम है। इसके साथ ही वह एक और सराहनीय कार्य करने जा रही है जिस प्रकार स्पेशल कम्पोनेट प्लान के तहत अनुसूचित जाति के लिए पैसा खर्च किया जाता है उसी प्रकार 27 प्रतिशत पैसा पिछड़ी जाति के लिए इस योजना में खर्च करने जा रही है। मैं अब अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कहने से पहले एक बात यह कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी के राज में गुण्डई की पराकाष्टा हो गई थी। जिसकी परिणीति आप लोगों ने 2 जून को स्टेट गेस्ट हाऊस, लखनऊ में देखा ही होगा। सारे लोगों को सजा मिल गई और मुलायम सिंह यादव को भी सजा मिल गई, उनका मुख्यमंत्री पद चला गया। हमारे साथ बदतमीजी की गई। मेरे जैसे बूढ़े आदमी को तीन घण्टे तक पानी नहीं मिला, बिजली काट दी गई, प्राण बचाने मुश्किल हो गये। अब यह कभी भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होने वाले नहीं थे।

सारा देश व प्रदेश इस बात को जानता है कि मुलायम सिंह यादव जैसा धोखेबाज पूरे देश की राजनीति में और कोई दूसरा नहीं है। आज कोई भी दल ऐसा नहीं है जो मुलायम सिंह यादव जी के साथ बैठने को तैयार हो लेकिन अफसोस तब होता जब उन अधिकारियों को प्रोन्नत कर दिया गया, जिन्होने मुलायम सिंह यादव का साथ दिया। सिटी मजिस्ट्रेट की प्रोन्नति कर दी गई। इन्हें भी सजा मिलनी चाहिये थी जिलों में बैठे हुए जो कलेक्टर हैं, कप्तान हैं, आज हम यादव रैली कर रहे हैं, यह सरकार उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहती है और उन्हें 27 प्रतिशत धन विकास कार्यों के लिए देने जा रही है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी तरफ बड़े महीन तरीके से उनके अफसर जो जिलों में बैठे हुये हैं वह यादवों को प्रताड़ित कर रहे हैं वह इसलिये कर रहे हैं ताकि यादव प्रताड़ित होंगे और परेशान होगे तो मुलायम सिंह यादव के साथ जायेंगे। तो ऐसे अधिकारियों पर निगाह रखी जाय। मेरे अपने जिले में एस०एस०पी का ट्रांसफर हुआ उसे रोक दिया गया उसका परिणाम हुआ कि वहां दंगा हो गया। बारा गांव में एक यादव के मकान की कुर्की करने के बाद उसे कहा दिया गया उसकी छत में छेद कर दिया गया, छत को तोड़ते समय उसमें से गिन्नी निकाली तो उसे एस०एस०पी० उठा ले गये। तो इस प्रकार से वहां दंगा कराया गया इस पर सरकार ध्यान दे ताकि अधिकारी दंगा न करा सके। यादवों मुलायम सिंह यादव की तरफ किया जाय इसका प्रयास हो रहा है। ऐसे अधिकारियों को महत्वहीन पदों पर बैठाया जाना चाहिये।

मेरे क्षेत्र में काफी बुनकर हैं, वहां मुबारकपुर गांव है जहां बुनकर बहुत संख्या में रहते हैं उनको बिजली के लिये त्रस्त किया जा रहा है। मेरी मांग हे कि उनके मीटर हटा कर एक फिक्स रेट पर कनेक्शन कर दिये जांय ताकि कोई गड़बढ़ न कर सके और बुनकरों को परेशान न कर सके।

यह सही है कि गुण्डा राज्य खतम हो गया लेकिन आज भी मुलायम सिंह यादव के लोग जगह जगह गुण्डागर्दी कर रहे हैं और दंगा कराने का साजिस कर रहे हैं। तो उसे रोकने के लिये अधिकारियों को कसा जाना चाहिये और महत्वपूर्ण पदों से हटाया जाना चाहिये ताकि मुलायम सिंह यादव जो दंगा कराने की योजना बना रहे हैं उसे विफल किया जाय। भले ही वह यहां छोड़ कर चले गये हैं लेकिन बाहर सरकार को बदनाम करने की योजना बना रहे हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में एक भी विकास का काम नहीं हुआ है, सइफई में हुआ होगा, वहां जो पैसा गया है वह वापस होना चाहिये। बाराबंकी में बेनी प्रसाद वर्षा के यहां जो पैसा गया वह वापस होना चाहिये। हमारे यहां एक अस्पताल बन रहा है सुना है उसका भी पैसा वापस हो रहा है वह नहीं होना चाहिये, वहां अस्पताल बनना चाहिये क्योंकि यह महिलाओं और बच्चों का अस्पताल है गरीबों के लिये है उसके लिये दो करोड़ रुपया मिलना चाहिये यह अस्पताल अवश्य बनना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्तावों का समथन करता हूं।

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट भाषण पर चर्चा में मौका दिया। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण सुना और पढ़ा भी है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं यह बजट गरीबों के हित का है, यह बजट दलितों, पिछड़ों का और गांवों के विकास का है। ग्रामीण विकास के लिये 72 परसेंट इस बजट में खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। समाज को न्याय देने के लिये यह बजट है इसमें 27 परसेंट बजट दलितों और पिछड़ों के विकास के लिये रखा गया है।

मान्यवर, मैं उत्तरांचल से संबंधित विधायक हूं। वहां की भौगोलिक परिस्थितियां मैदानों से भिन्न हैं, वहां की आर्थिक परिस्थितियां मैदानों से भिन्न है इसलिये वहां की जनता समय समय पर उत्तरांचल राज्य की मांग करती आई है क्योंकि वहां की मांग है कि उस क्षेत्र की गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिये और वहां के विकास करने के लिये नये सिरे से नियोजन होना चाहिये। जो मैदानी क्षेत्रों का नियोजन होता है, उसे हमारे क्षेत्र का विकास सम्भव नहीं है। इसलिए उत्तरांचल राज्य की मांग के लिए हम समय समय पर मांग किया करते हैं और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे 8 पर्वतीय जिलों के लिए एक अलग से राज्य बनाने की सिफारिश भारत सरकार से की जानी चाहिए। हमारे क्षेत्र स्कूलों और कालेजों में प्रधानाचार्यों, अध्यापको, प्रवक्तावों और सहायक अध्यापको आदि के तमाम पद रिक्त पड़े है। हमारे जनपदों में अधिक्तर विद्युत ट्रांसफार्मर जल हुए है, उनकी बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां बिजली नियमित रुप से नहीं दी जाती है। मैंने सुन रखा है कि वहां के लिए सिंचाई कर की दर में 6 गुना की वृद्धि कर दी गई है, जबकि हमारे यहां इसके लिए सब्सिडी दी जाती थी पूर्व की भाँति हमारे उत्तरांचल में सिंचाई कर में सब्सिडी दी जानी चाहिए। यदि यह सब्सिडी नहीं दी गई तो हमारे

उत्तरांचल के कृषकों पर कर का बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा, जिसे वह उठा नहीं सकेंगें । यदि सर्वे कराया जाए तो आप पाएंगे कि वहां का किसान मैदानी किसानों की अपेक्षा अधिक पश्रिश्रम और लगन से खेती करता है, लेकिन उसे अपने परिश्रम और लगन के अनुरूप खेती का प्रतिफल नहीं मिलता है ।

उत्तरांचल के लिए फलपट्टी का प्राविधान रखा जाए । जिस तरह है इसके आधार पर हिमांचल प्रदेश ने उन्नति की है । उत्तरांचल क्षेत्र भी बागवानी है लाभान्वित हो सकता है । इसलिए वहां के लिए फल पट्टी योजना लागू की जाए । वहां पर चाय की खेती बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । इसलिए वहां पर चाय की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए । यहां पर अनेकानेक जड़ी बूटियां सुलभ है, जिनसे अनेक दवाएं बनाई जा सकती है । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे यहां जड़ी बूटी की खेती के लिए यहां के किसानों को उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ताकि उसका फायदा सारे भारत के लोग उठा सकें । एक उदाहरण देना चाहता हूं, कहते हैं कि गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते है । इसका कारण बहुत लोग धार्मिक मानते हैं । किन्तु वास्तविकता यह है कि गंगा जल में कीड़े इसलिए नहीं पड़ते है कि वह जड़ी बूटियों का पानी है । इसलिए उत्तरांचल में जड़ी बूटियों के विकास और उत्थान के लिए उसकी खेती में मदद की जानी चाहिए । मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

*श्री शिवदानी-

सबसे पहले आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आभार प्रकट करता हूं और अपने क्षेत्र की जनता की ओर से आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं । मैं विधान सभा क्षेत्र चायल, जनपद इलाहाबाद से चुना गया हूं । यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों से बहुत दूर रखा गया है । वहां पर स्वतंत्रता के बाद से आज तक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई भी नया कार्य नहीं हुआ है, जो मैं आपके सामने बता सकूं । वहां पर एक नहर है, 1904 में उसका निर्माण हुआ था । आज दो साल से माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय से मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक भी बूंद पानी उस नहर में नहीं आया है, जिससे वहां का किसान बहुत त्रस्त है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में 92 नलकूप लगाए गए हैं विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत, जिसमें से 40 नलकूप विद्युत दोषों के कारण लगभग 6 माह से खराब पड़े है । वहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है । जब कि मेरा क्षेत्र मात्र कृषि प्रधान क्षेत्र है । मेरे क्षेत्र में कृषि अच्छी हुई तो खुशहाली होगी, यदि कृषि अच्छी नहीं हुई तो किसी क्षेत्र में खुशहाली नहीं रहेगी ।

इसी के साथ–साथ मान्यवर, शिक्षा के प्रति कोई विकास नहीं हुआ है । सरकार केवल कागज पर ही योजनाएं अंकित करती है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी राजकीय बालिका कालेज नहीं है, एक भी राजकीय इन्टर कालेज बालकों के लिये नहीं है । एक भी महाविद्यालय की योजना नहीं है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम पर आंसू बहा रहा है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की हालत यह है, मैंने दो–तीन क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया । मुझे बताया गया है कि 400 रुपये की दवा महीने में दी जाती है । मान्यवर, इस तरह से कुल 10 रुपये रोज की दवा दी जाती है । यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की क्षमता 50 हजार आबादी पर रखी गई है । यहाँ के कर्मचारियों का वेतन ही 25-30 हजार के लगभग आता है । मैं समझ नहीं पाता कि कैसी व्यवस्था है ? इसी प्रकार म वहाँ पर पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा जो सम्पर्क मार्गों का निर्माण हुआ है ।

मान्यवर मैंन पिछली फरवरी में क्वैश्चन किया था । मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि कराया जायगा । स्वतंत्रता से आज तक मान्यवर, 25 प्रतिशत गाँवों सड़कों से जोड़ा गया है । यह मेरा चायल विधान सभा क्षेत्र कोई फैक्ट्री नहीं मांगता, नौकरी नहीं मांगता लेकिन मेरे कृषि प्रधात क्षेत्र का अपनी उपजाऊ भूमि के लिये सिंचाई के लिये जल प्रदान कर दिया जाय । मेरे क्षेत्र का किसान अपने स्तर से मेहनत मजदूरी करने अपना जीवन यापन कर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

लेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी सूचना पर ध्यान दिया जाय। अभी मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इस बजट में सिचाई के विषय में कहा गया है। मान्यवर, सिंचाई विभाग द्वारा जो नलकूप लगाये गये हैं, यह खराब पड़े हैं, उनके रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है।

ऊर्जा विभाग की तरफ से कहा गया है कि अनुसूचित बस्तियों में एक तरफ से विद्युतीकरण कराया जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में ही नहीं कहीं भी आप देख लें। एक भी हरिजन, अनुसूचित जाति की बस्तियों में कोई पोल नहीं लगाया गया है। किसी सक्षम अधिकारी से इसका निरीक्षण करा लिया जाय। इसी तरह से समाज कल्याण विभाग के बारे में कहा गया है कि विकलांगों के लिये, वृद्धों के लिये, विधवाओं के लिये बहुत सुविधा दी गई है। मैं आपके माध्यम से यह बता देना चाहता हूं इस माननीय सदन में कि तीन–तीन वर्षों से विधवाओं, वृद्धों और विकलांगों को पेंशन नहीं मिली है। वह तीन वर्ष पुरानी रसीद लेकर घूम रहे हैं यह जो मासिक पेंशन मिलती थी, वह पिछले तीन सालों से किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जा रही है। बहुत से लोग जो मात्र पेंशन पर अपनी जीवकोपार्जन करते थे, भूखों मर रहे हैं। गली–गली भीख मांग रहे हैं। कोइ सुनने वाला नहीं है।

इसी तरह से नगर विकास के लिये कहा गया है। अगर नगर विकास मंत्री हों तो ध्यान देंगें एक बड़ी दर्दनाक घटना दी गई है। नगर विकास विभाग से संबंधित कर्मचारी होते हैं नगर पंचायत के कर्मचारी स्वीपरों को दो वर्ष से वेतन नहीं दिया गया है। इनके बच्चे भोजन के लिये तड़प रहे हैं। बीमार होते हैं तो बिना उपचार के क्या गत होती है, यह बताने योग्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि इन सब विषयों पर ध्यान दिया जाय और पी०डब्ल्यू०डी० की जो हालत है। ऐसे–ऐसे मार्ग बनाये गये हैं जिनका निरीक्षण किया जाय तो कोई भी मार्ग सही नहीं है।

मान्यवर, 95-96 के बजट को बल देते हुए अपनी समस्याओं के निदान हेतु यह निवेदन करूंगा कि यह सब इस बजट में जोड़ दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। जय भारत।

*श्री जगरनाथ चौधरी-

मान्यवर, इस सदन में भारत ही नहीं विश्व के (इस समय 5 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये) सबसे बड़े प्रदेश के सामान्य बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमन् उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है जिसका बजट आज भारत की पहली दलित मुख्य मंत्री के रुप में बहन मायावती द्वारा प्रस्तुत किया गया है मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्योंकि इस बजट के माध्यम से पहली बार आजादी के पचास साल बाद प्रदेश के करोड़ों दलितों मजलूमों और गरीब जनता को प्राथमिकता पर रखा गया है। सही अर्थों में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में पहली बार इस देश के निर्माता परम पूज्यनीय बाबा डा० अम्बेदकर साहब का सपना 1995-96 के बजट से साकार होगा। इस बजट में पहली बार गाँव के विकास के लिए 72 प्रतिशत धन के आवंटन का प्राविधान किया गया है इससे साबित होता है कि उत्तर प्रदेश गाँव का प्रदेश है गाँव का विकास होगा तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा, गाँव के विकास के उत्तर प्रदेश का विकास अपने आप हो जाएगा। गाँव का विकास होने पर ग्रामीण जनता तेजी से ऊपर उठेगी और उतनी तेजी से ही उत्तर प्रदेश का विकास माना जाएगा।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विकास के सभी क्षेत्रों में जो पूर्व बजट की अपेक्षा अधिकतम धन की व्यवस्था की गई है मैं उसका दिल से स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं इस बजट के माध्यम से मुख्य मंत्री जी द्वारा जो अम्बेदकर गाँव के विकास को प्राथमिकता पर रखा गया है उसका स्वागत करता हूँ। श्रीमन् पिछले गई वर्षों से नारियों के ऊपर उत्पीड़न, अन्याय अत्याचार की बढ़ोत्तरी हो रही थी। मैं स्वागत करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से नारी के आत्मसम्मान नारी की आत्मनिर्भता और नारी के लिए शिक्षा के अवसरों को प्रदान किया है। नारी के अहम को ऊपर उठाया है। मैं मुख्य मंत्री जी का स्वागत करता हूँ इस बजट के माध्यम से, इस बजट ने साबित कर दिया है कि जब तक नारी को सम्मान नहीं मिलेगा, विकास के हर क्षेत्र में उसको बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तब तक उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो सकता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मैं पहली बार बोल रहा हूँ। बाबा अम्बेदकर साहब ने कहा है देश या प्रदेश के विकास का आवंटन नारी के विकास के आंकलन से किया जा सकता है। देश और प्रदेश के विकास का आंकलन नारी के विकास से किया जाता है। मैं 1995-96 के बजट पर बल देते हुए माननीय मंत्री जी से अपने व जनपद जौनपुर जो पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा जनपद है, की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पूर्वांचल में जौनपुर सामाजिक, शैक्षिक रुप से पिछड़ा होने के साथ औद्योगिक रुप से भी पिछड़ा हुआ ह। इस बजट में जौनपुर जनपद के विकास के लिए उद्योगों को प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र में उद्योगों को रखा जाए। श्रीमन्, जौनपुर में बेरोजगारी के कारण सस्ते मजदूरों की उपलब्धता है। भूमि कृषि योग्य भूमि नहीं है।

(श्री अध्यक्ष :– अब आप समाप्त करें)

श्री जगरनाथ चौधरी-

मैं अपील करना चाहता हूँ पूर्वांचल में मेरे विधान सभा क्षेत्र केराकत है। आजादी के बाद से यह रिजर्व कांस्टीट्वन्सी के रुप में यह है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त कर दें।

श्री जगरनाथ चौधरी-

यह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। केराकत विधान सभा क्षेत्र पूर्वांचल का क्षेत्र है।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त कर दें।

श्री जगरनाथ चौधरी-

बिहार के उद्योगपतियों को जोड़ने के लिए जो प्रमुख मार्ग है वह केराकत से गुजरता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री योगेन्द्र कुमार सागर-

वहाँ पर दो पुल जो प्रस्तावित हैं उसको पूरा कराया जाए। इसके साथ आपने जो मुझे बोलने को अवसर दिया उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री राधेश्याम गुप्ता-

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह जो सुश्री मायावती जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसको मैंने सुना है और पढ़ा भी है। जो ग्रामीण विकास के लिए 72 प्रतिशत धनराशि का जो प्रस्ताव किया गया है वह स्वागत योग्य है। इसी प्रकरण में अपने क्षेत्र की कुछ विशेष समस्याओं को आपके माध्यम से सरकार से बताना चाहता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर है। फतेहपुर गंगा यमुना के मध्य म है और यह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। 1947 के बाद से आज तक वहां पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। इलाहाबाद मण्डल में होते हुए भी वह पूवांचल से नहीं जोड़ा गया है और उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारा जनपद बुन्देलखण्ड से भी जुड़ा हुआ है मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारे जनपद का पूर्वांचल से जोड़ा जाए।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद में प्रमुख रेलवे लाइन है। फतेहपुर नगर रेलवे लाइन के इधर–उधर स्थित है रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज की आवश्यकता है जिससे जो

वाहन इधर–उधर खड़े रहते हैं उससे बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में सीवर लाइन नहीं है मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि उसके लिए प्राविधान 1990 में हुआ था उसके लिए आज तक धन आवंटित नहीं किया गया है। हमारे जनपद में मात्र एक महिला डिग्री कालेज है। डी०भीमराव अम्बेदकर महिला महा विद्यालय वहां छात्राओं को पढ़ाने के लिए विज्ञान और वाणिज्य की कक्षाएं नहीं हैं। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि वहां पर वाणिज्य और विज्ञान की कक्षाएं खोजी जाएं। इसी क्रम में यहाँ पर महात्मा गांधी डिग्री कालेज में जिसमें वाणिज्य व विज्ञान की कक्षाएं नहीं हैं। हमारे यहाँ छात्रों को पढ़ने के लिए दूसरे जनपदों में जाना पड़ता है। जो गरीब, दलित और पिछड़े हुए लोग हैं वह अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। इसी क्रम में बालको के लिए वाणिज्य और विज्ञान की कक्षाएं खोलने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री राधेश्याम गुप्ता–

हमारा जनपद इलाहाबाद मण्डल में है। इलाहाबाद मण्डल के सभी जनपद पूर्वांचल में है सिर्फ हमारा जनपद नहीं जोड़ा गया है। मा० मुलायम सिंह जी से भी कहा गया था लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वह तो सिर्फ सैफेई का विकास करना चाहते थे पूरे प्रदेश से उनको कोई मतलब नहीं था।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री राधेश्याम गुता-

मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ हमारे जनपद की स्थिति बड़ी दयनीय है। सिंचाई की व्यवस्था नहीं है इसलिए हमारे यहां नलकूप लगाए जाएं। एक बात विशेष रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चहता हूं कि मेरे एक जनपद में कोई चीनी मिल नहीं है। न ही बांदा, हमीरपुर में कोई चीनी मिल है। श्याम सुगर लिमिटेड ने ओदन किया है अगर वह मंजूर हो जाए तो हमारे यहाँ से बेरोजगारी दूर हो जाएगी। 12 जून को प्रदेश से संस्तुति करके केन्द्र को भेजा गया है। मैं मायावती जी से मांग करता हूं कि वह केन्द्र सरकार से कह कर उसका लाइसेंस दिलाएं जिससे कि क्षेत्र की बेरोजगारी दूर हो और फतेहपुर जनपद का आर्थिक विकास हो।

इन्दी शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा आज यहीं समाप्त होती है। इस पर चर्चा जारी रहेगी।

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 लाया गया है उसमें दो बातों की विशेष रुप से व्यवस्था की गयी है। पहली बात यह है कि विश्वविद्यालयों में एक परीक्षा नियंत्रक का पद सृजित किया जायगा। इसका हमारे माननीय सदस्य स्वागत करेगें। विश्वविद्यालयों में जो रजिस्ट्रार होते थे वहीं परीक्षा का कार्यभार देखते थे और उनके पास तमाम प्रशासनिक काम भी रहते थे। आज छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोर्स में परिवर्तन हुये हैं और तमाम जटिलतायें बढ़ती जा रही हैं इसलिये समयबद्ध ढंग से सत्र को संचालित करने और परीक्षायें समय पर हो सकें इस चीज को देखते हुये परीक्षा नियपंत्रक बनाये जायगें जो परीक्षा संबंधी कार्यों को देखगें और पहले जो असुविधाओं और दिक्कतों का सामना करना पड़ता था वह

दिक्कतें दूर होंगी। परीक्षा नियंत्रक का पद रजिस्ट्रार के समकक्ष है। माननीय सदस्यों को सरकार द्वारा उठाये गये इस कदम का स्वागत करना चाहिये ताकि परीक्षायें सही समय पर हों और सत्र नियमित हो।

दूसरी बात जो इस विधेयक के जरिये से की गयी है वह यह है कि विश्वविद्यालयों की कार्य परिषद में एक उद्योगपति की नियुक्ति की गयी है। इस समय विश्वविद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा दी जा रही है। विद्यार्थियों को जो व्यवसायिक शिक्षा दी जा रही, उसमें उद्योगपति जो होगा उसकी राय ली जायगी। विश्वविद्यालयों के पास जो उद्योग लगे हैं, यह भी किया जायगा कि जो छात्र औद्योगिक शिक्षा लेकर निकले उनको रोजगार भी दिया जाय इसमें उद्योगपति की राय ली जायेगी। इस कार्य हेतु एक प्रतिष्ठित उद्योगपति का चयन किया जायगा और व्यवसायिक शिक्षा में उनकी राय भी ली जायगी। मेरे विचार से इसमें व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और लड़कों को रोजगार भी मिलेगा। इस उद्देश्य से भी यह विधेयक लाया गयाहै। मैं समझता हूँ कि यह जो विधयेक लाया गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है, माननीय सदस्य इसको पास करने की कृपा करेंगे ऐसी मुझे आशा है।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, यह जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 प्रस्तुत किया गया है इसमें दो भाग हैं। पहले भाग के बारे में मंत्री जी ने बताया कि विश्वविद्यालयों में परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की जायगी। दूसरी बात मंत्री जी ने यह कही कि कार्य परिषद में एक उद्योगपति नामित किया जायगा। मान्यवर, सबसे पहले मैं पहले भाग के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूँ। अभी कुल सचिव परीक्षा आदि की व्यवस्था करते थे और अब उसकी जगह पर परीक्षा नियंत्रक की विमुक्ति की जा रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उच्च शिक्षा परामर्शदात्री समिति का गठन किया था और उस समिति की संस्तुतियां आयी थी।

परीक्षा को सुचारु रुप से संचालन करने के लिये और सत्र नियमित करने के लिये परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति करने की बात उस समय कही गयी थी। तो विधेयक के पहले भाग में परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की बात मंत्री जी ने प्रस्तुत की है मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि परीक्षा नियंत्रक की जब नियुक्ति की जाय तो विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकों, प्रोफेसरों जिनको एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी हो और जिनको इक्जामिनेशन कंडक्ट करने की जानकारी हो उनकी परीक्षा नियंत्रक के पद पर रखा जाय। लेकिन इस विधेयक में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गयी हे, ऐसी कोई बात नहीं कही गयी है। मेरी जानकारी है कि विश्वविद्यालयों में जो परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति करने की बात की गयी है उसमें संभावना यह है कि पी०सी०एस० अधिकारियों की नियुक्ति परीक्षा नियंत्रक के रुप में की जायगी।

यदि पी०सी०एस० अधिकारियों की नियुक्ति परीक्षा नियंत्रक के पद पर की जायगी, जिनको विश्वविद्यालय के कार्यों की जानकारी नहीं है तो उस विधेयक का परपज डिफीट हो जायगा। मेरा अनुरोध है कि परीक्षा नियंत्रक जरूर नियुक्त किया जायलेकिन वह वरिष्ठ प्रोफेसरों में से नियुक्त किया जाय। मेरी जानकारी है कि सरकार परीक्षा नियंत्रकों की नियुक्ति करेगी। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि कुलपति को यह अधिकार दिया जाय क्योंकि कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति 3 वर्षो के लिये करते हैं। कुलपतियों को यह अधिकार होना चाहिये कि वह परीक्षा नियंत्रकों की नियुक्ति करें। इतना ही नहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वहां पर वाइस चांसलर ने परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया है शासन इसको करेगा तो लगता है इसमें देर होगी। मेरा मंत्री जी को सुझाव है कि परीक्षा नियंत्रक अवश्य नियुक्त किया जाय और इसका फिक्स टर्म किया जाय और माननीय कुलपति को यह अधिकार दिया जाय।

[5 बजकर 20 मिनट]

जहां तक दूसरा भाग है इसमें कार्य परिषद में उद्योगपति को नामित किये जाने की बात है। जहां पर सम्मानित सदस्य बैठे हुए हैं। हम सब सहमत होंगे कि विश्वविद्यालय आटोनामस स्वायत्तशासी संस्था है और

इसलिए वहां के कुलपति की नियुक्ति महामहिम कुलाधिपति करते है। और विश्वविद्यालय आटोनामस होने के नाते जो कार्यपरिषद है उसमें नामिनेशन करने का अधिकार महामहिम कुलाधिपति के है। यह अधिकार अब सरकार अपने हाथों में ले रही है। मेरा मानना हे कि इस माध्यम से विश्वविद्यालय की स्वायत्ता समाप्त करने का प्रयास है। मेरा सुझाव है कि इण्डस्ट्रियलिस्ट को कार्य परिषद में नामिनेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, अगर चाहते हैं कि किसी भी उद्योगपति को लाभ विश्वविद्यालय को मिले तो हमारे विश्वविद्यालय में कोर्ट होता है और उसमें तो नामित किया जा सकता है लेकिन कार्य परिषद में नामित नहीं किया जा सकता है। विश्वविद्यालय कार्यपरिषद में जो सदस्य नामिनेट किये जाते हैं कुलाधिपति के द्वारा उसमें यह प्राविधान है कि एजुकेशनिस्ट होना चाहिए लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड रहा है कि ऐसे लोग कार्य परिषद में नियुक्त हो जाते हैं जो एजुकेशनिस्ट कम है उसके अलावा बहुत कुछ जरूर होते हैं जिसके कारण दिक्कत होती है। मान्यवर, उद्योगपति की बात कही गयी है तो किसी क्लास का उद्योगपति नामिनेट किया जायेगा इसकी चर्चा नहीं की गयी है। सरकार उद्योगपति को कोर्ट में नामित करें और वह शिक्षा से जुटा हुआ व्यक्ति हो तो उपयोगी हो सकता है। तो मेरा सुझाव है कि जो दोनों बिन्दु है इक्जामिनेशन परीक्षा नियंत्रक की बात है चाहे उद्योगपति को नामित करने की बात है इसमें सम्यक विचार करके विधेयक नहीं प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष जी के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि समुचित विचार करने के लिये इसे सन्दर्भित कर दें और पूरे विचार-विमर्श के बाद इसको यहां पर प्रस्तुत करें तभी यह उचित होगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 1995 जिस पर सम्मानित सदन विचार कर रहा है पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, विधेयक को प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री जी जितने मासूम हैं उतनी मासूमियत से विधेयक भी प्रस्तुत किया है और विधेयक के सम्बन्ध में जिस 2 संशोधनों को लेकर वह आये हैं कि आज विश्वविद्यालयों का सत्र अनियमित चल रहा है परीक्षाओं में विलम्ब होता है जिसके नाते सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने में नियमित करने में जो कठिनाई आ रही है कुल सचिव के समक्ष उसके ऊपर से इस बोझ को हटाकर परीक्षा नियंत्रक को नियुक्त करने की बात की है। मान्यवर, माननीय नरेन्द्र सिंह गौर जी ने जो खुद ही प्रोफेसर हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और जो विश्वविद्यालय की कार्यशैली से कार्यप्रणाली से परिचित है उन्होने शासन का ध्यान बड़ी गम्भीरता से आकृष्ट किया है। विधेयक के जो उद्देश्य और कारण हैं उनमें दिया हुआ है कि जनसंख्या में वृद्धि और नवयुवकों में उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता के कारण महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या में वर्षानुवर्ष वृद्धि हो रही है।

राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र कई वर्षों से अनियमित चल रहे थे और इसका प्रतिकूल प्रभाव विश्वविद्यालय में निर्विघ्न अध्ययन और अध्यापन पर पड़ रहा था। मान्यवर, यह महत्वपूर्ण कारण नहीं है। अगर परीक्षायें समय से नहीं हो रही हैं, तो उसका कारण जन संख्या में वृद्धि और नवयुवकों में उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है, अगर यह कारण है तो वह स्वागत योग्य है। मान्यवर, विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश लेना कुलपति का दायित्व होता है, पठन पाठन के काम का दायित्व रीडर का होता है, प्रोफेसर का होता है या प्रवक्ता का होता है और कोर्सेज को पूरा करने का दायित्व भी उसी का होता है और परीक्षाओं को संचालित करने का कार्य कुल सचिव का होता है।

मान्यवर, परीक्षाओं के संचालन में छात्रों की संख्या या उनकी रुचि का अभिरुचि किसी प्रकार से बाधक नहीं है। जब प्रवेश हो जाता है और कक्षायें चलने लगती है, उसी समय परीक्षाओं की तैयारियां होने लगती हैं। परीक्षाओं के फार्म सत्र के प्रारम्भ होने के बाद से भरने शुरु हो जाते हैं, इस प्रकार से सारी तैयारियां हो जाती हैं, पेपर सेट किये जाते हैं और सारी चीजों का एक कलेन्डर बना लिया जाता है। सत्र अनियमित है तो उसके बहुत से अन्य कारण हैं, मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। सत्र के संचालन में और उसके नियमित होने में ऐसी बहुत

सी कठिनाइयां हैं, जिसके कारण सत्र अनियमित हो रहा है, उसको शैक्षणिक बनाने में अगर विश्वविद्यालय की स्वायत्ता में कोई हस्तक्षेप होगा, तो उचित नहीं है। अगर विश्वविद्यालय की पवित्रता बनाये रखना है, तो विश्वविद्यालय के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिये। विश्वविद्यालय की जो आटोनमस स्वायत्ता है उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये, लेकिन आज प्रकार से हस्तक्षेप हो रहा है यह किसी से छिपा नहीं है। मैनेजमेंट बोर्ड है, लेकिन उसके द्वारा लिये हुये निर्णयों को यहां का एक ज्वाइन्ट सेक्रेटरी बदल देता है।

श्री अध्यक्ष-

आप संक्षेप में कहें।

श्री जगदम्बिका पाल-

एक विश्वविद्यालय के बोर्ड का मैं भी सदस्य हूं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी फैजाबाद है, उसमें बोर्ड फैसला लेता है और उसका निर्णय यहां का संयुक्त सचिव बदल देता है। मैंने तो कुलाधिपति से कहा है कि अगर बोर्ड विश्वविद्यालय के संचालन में कोई निर्णय नहीं ले सकता है, तो उससे क्या फायदा? आप किसी पी०सी०एस० या आई०ए०एस० अधिकारी को बैठा दें। इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। आप परीक्षा नियंत्रक बैठा रहे हैं। हम परीक्षा नियंत्रक का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह अगर किसी न किसी प्रोफेसर स्तर का हो या रीडर स्तर का हो तो अच्छा होगा। उसमें कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है। वह शिक्षाविद होना ही चाहिए जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को संचालन करने में सक्षम हो।

दूसरी बात विश्वविद्यालय में व्यवसायिक शिक्षा और रोजगार पूरक पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करने का काम उद्योग पति करेगें। उद्योग पति कैसे विश्वविद्याल में रोजगार परक व्यवसाय रखेगें? जो उद्योगपति है वे अपने वहाँ अप्रेन्टिसशिप सिस्टम करायें जैसे होटल मैनेजमेन्ट के छात्र निकलते है उनको लोग अपने यहाँ रखते है इसी तरह से दूसरे व्यवसायिक पाठ्यक्रम बने हुए है जैसे बेसिक प्राइमरी का एन.सी.इ.आर, टी. करता है इन दोनों बातों का जवाब मंत्री जी उत्तर भाषण में दे देगें।

*श्री अमित अग्रवाल-

मान्यवर, जो इसके उद्देश्य व कारण बताये गये है वह 9वीं व 10वीं पंक्ति में रखे गये है—"इसके अतिरिक्त राज्य विश्वविद्यालयों में व्यवसायिक एवं रोजगार परख पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए वह भी निश्चित किया है कि विश्वविद्यालयों के कार्य परिषद में एक उद्योगपति नामित करने की व्यवस्था की जाए। मान्यवर,जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है धारा 20 क जी 'ज' में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति जिसने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में योगदान किया हो। तो कौन उद्योगपति नामित किया जाए जिसमें उच्च शिक्षा में योगदान किया हो प्रायः यह देखा गया है कि बड़े—बड़े उद्योगपति इन महाविद्यालयों के प्रबन्धक हुआ करते हैं अध्यक्ष और महामंत्री हुआ करते है तो वहाँ पर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इस रोजगार और व्यवसाय परख शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो उद्योगपति नामित किये जाए जिन्होने व्यवसायिक और रोजगार परख शिक्षा के क्षेत्र में योगदान किया हो जिन्होने कुछ संस्थाये खोली हो, जिन्होने छात्रों को रोजगार से जोड़ा हो । मैकाले स्तर की शिक्षा को ही उच्च शिक्षा माना जाता है तो ऐसी उच्च शिक्षा में योगदान न हो, व्यवसायिक और रोजगार से जुड़ी शिक्षा हो उनमें से हों कोई भी उद्योगपति अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके किसी विश्वविद्यालय में नामित न हो जाए, इस लिए उस विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र के उद्योग चलाने वाले, निवास करने वाले व्यक्ति ही नामित हों।

श्री हरक सिंह रावत-

मान्यवर, मैं डा० नरेन्द्र सिंह गौर के विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूँ। सरकार का उद्देश्य विश्वविद्यालय क सत्र को नियमित करने का अगर है तो निश्चित रुप से उसका स्वागत किया जाना चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इक्जामिनेशन कंट्रोलर विश्वविद्यालय में तैनात करने से, जिस तरह की आशंका डा० गौर ने व्यक्त की है, क्योंकि मैं भी विश्वविद्यालय में अध्यापक हूं और विश्वविद्यालय की कार्य–प्रणाली से भली भांति परिचित हूं। यह बात ठीक है विश्वविद्यालय के सत्र अनियमित होते चले गये हैं लेकिन परीक्षा नियंत्रक नियुक्त करने से विश्वविद्यालय का सत्र नियमित हो जायगा इसमें निश्चित रुप से संदेह बना रहेगा। क्योंकि परीक्षा को सम्पादित करने के लिये विश्वविद्यालय में पूर्व में ही कुल सचिव के पद होते हैं, उप कुल सचिव के पद होते है, सहायक कुल सचिव के पद होते है, और जो सरकार द्वारा ही तैनात किये गये अधिकारी है। जबतक पूरी व्यवस्था परीक्षाओं को कन्ट्रोल करने के लिए है कुलपति और कुलाधिपति के द्वारा, और उसकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जाती है, शिक्षा क्षेत्र से जुडे व्यक्ति होते है, जो कुलपति नियुक्ति किये जाते है। ऐसी स्थिति में एक अलग से व्यक्ति के आने से विश्वविद्यालय की स्वायत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग जायेगा विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा बन जायेगा।

एक तरफ विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रित होगी दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के कुलपति का उनमें पूरे कंट्रोल के अभाव में यह विश्वविद्यालय की व्यवस्था जो सरकार की मंशा है कि विश्वविद्यालय में परीक्षायें समय से हो यह अव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी। जो कार्य परिषद में उद्योगपति तैनात करने की बात विधेयक में कही गयी है, इस बिन्दु पर डा० गौर के जो विचार है, उनसे मै अपने को सम्बद्ध करता हूं। विश्वविद्यालय में पूर्व में ही यह व्यवस्था है कि कार्य परिषद में सरकार के द्वारा तीन सदस्यों को नामित किया जाता है किसी उद्योगपति को अलग से सरकार द्वारा नामित करने से निश्चित रुप से विश्वविद्यालय की स्वायतत्ता पर इससे भी प्रश्नचिन्ह लगेगा। और विश्वविद्यालय जो शिक्षा के मन्दिर है उसमें प्रश्नचिन्ह लगेगा। इसलिए जो आशंकायें व्यक्त की गयी है विधेयक में उनको सम्मलित करके इसे देखा जाए।

*श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, डा० गौर ने जो विषय रखा है वास्तव में उसको बल इस नाते दिया जा रहा है कि कुछ इसमें कही न कही कनफरेशन की स्थिति विश्वविद्यालय में बनने जा रही है। परीक्षा कन्ट्रोलर की जो बात है विश्वविद्यालय में जहा कुल सचिव का पद होता है, वही कुल सचिव (परीक्षा) चाहे या उप कुल सचिव हो या सहायक कुल सचिव हो, वे परीक्षा को नियंत्रित करते है और नियत्रण के साथ साथ कुलपति के अधीन रहते है। अगर कोई कन्ट्रोलर नियुक्ति किया जाता है तो वह विश्वविद्यालय के कुलपति के नियत्रण में रहेगा ऐसा नही है। उसका अपना अलग से बोर्ड है, उस बोर्ड में अपनी योजना को वह लागू करेगा, इतना साहस है, बल है, तो निश्चित रुप से सत्र को नियमित किया जा सकता है। इसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम है। 16क में है/ यह धारा केवल लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर और कानपुर विश्वविद्यालय को और किसी ऐसे अन्य विश्वविद्यालय पर लागू होती है जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें।

मान्यवर, गोरखपुर विश्विद्यालय में परीक्षायें हुई हैं, वही अधिकारी जो इस समय हैं, उन्होने सम्पादित कराया है। मान्यवर, हम लोगों को सुखद आश्चर्य होगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में परीक्षायें भी हो गयी, परीक्षाफल भी आ गया और वहां सत्र नियमन की तरफ आगे बढ़ गया है। कोई जरुरत नहीं है कि किसी अन्य को विश्वविद्यालयों में नियुक्त किया जाये। माननीय शिक्षा मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि अगर इस पर ध्यान देंगे तो निश्चित रुप से वह यह पायेंगे कि विश्वविद्यालय की स्वायत्ता को नष्ट किये जाने के बाद उसके आटोनामस स्वरुप पर कहां–कहां अन्तर आयेगा, बाद में विसंगतियां होंगी और आगे चलकर आप और हम इसी हाऊस में विषय उठायेंगे कि विश्वविद्यालय की आटोनामस वाडी को हमने नष्ट कर दिया है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर आधा घंटा निर्धारित था, काफी समय हो गया है। अब आप समाप्त करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जहां तक कार्य–परिषद का विषय है, ठीक है, किसी को ला करके रख दीजिए। उद्योग पति को विश्वविद्यालय की कोड में रखते हैं लेकिन मान्यवर, जरा इस बात पर विचार करिये कि उद्योगपति को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् में रखा जाता है, उसकी क्षमता क्या है, वह अपनी जगह पर उद्योग चला सकता है, उसके मेनेजमेंट की अलग विशेषता है, जिसके आधार पर कार्य करता है। विश्वविद्यालय में आकर कौन सा मैनेजमेंट देगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बिजनेस मैनेजमेण्ट की मांग की जा रही थी, लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था। एम०बी०ए० का कोर्स प्रदेश में लखनऊ में है जहां 20 विद्यार्थी आते हैं, वही उस क्षेत्र में आगे भी आते हैं। मान्यवर, उद्योगपति विश्वविद्यालयों में आकर उसकी आटोनामस वाड़ी को प्रभावित करेगा। विश्वविद्यालय को हम बेचने नहीं जा रहे हैं। मुझे आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है कि उद्योगपति का नाम दिया जाये। अगर वह उस लायक हो तो निश्चित रुप से उसको नामित करें इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, इस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी से चाहता हूं कि इन विषयों को देखें और एक समिति बनाकर देखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

*डा रमेश पोखरियाल "निशंक"--

मान्यवर, कुछ इससे हटकर मैं अपनी भावनायें रखना चाहता हूं। पहली बात तो इस विधेयक को कल आना था, मैं नहीं समझ पाया कि इसको किस परिवर्तन के साथ आज लाया गया?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कुछ टेक्किनिकल कारण होते हैं जिसके कारण परिवर्तन करना पड़ता है।

डा रमेश पोखरियाल "निशंक"-

दूसरी बात मान्यवर, परीक्षा नियंत्रक की बात आयी। मैं कहना चाहता हूं कि जनसंख्या वृद्धि होगी तो छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी और उस अनुपात में स्टाफ भी बढ़ना चाहिए लेकिन स्टाफ की वृद्धि नहीं कर रहे हैं तो अकेले परीक्षा नियंत्रक क्या कर लेगा ? आज स्थिति यह है कि विश्वविद्यालयों में मानक के हिसाब से स्टाफ उपलब्ध नहीं हैं। जो स्टाफ एक हजार छात्रों पर होना चाहिए, वह 10 हजार छात्रों पर है।

मान्यवर, उद्योगपति को कार्य परिषद् में नियुक्त करने की बात आयी। मैं विगत 3-4 वर्षों से कार्य–परिषद् का सदस्य हूं, सरकार सेवानिवृत्ति न्यायाधीश को कार्य–परिषद् का सदस्य नामित करती है लेकिन किसी भी मीटिंग में वह नहीं आते हैं। अब उद्योगपति की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूं। इसका अधिकार कुलपति को होना चाहिए। विश्वविद्यालयों में रोजगार परक शिक्षा जरूरी है।

मान्यवर, केवल 4 विश्वविद्यालयों, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ का उल्लेख किया गया है लेकिन गढ़वाल व कुमायूं विश्वविद्यालय जो कि बड़े शीर्ष विश्वविद्यालय हैं, उनका उल्लेख नहीं है। उनका भी उल्लेख करना चाहिए था। यदि यह नीति लागू हो तो प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों पर हो। अगर परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की जाती है तो कुलसचिव जो कि प्रशासनिक पद होता है, वह परीक्षाओं का संचालन, नियंत्रण करता है तो उसका क्या कार्य रह जायगा।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

मान्यवर, मैं भी कार्य परिषद् का सदस्य हूं परन्तु कार्य परिषद की बैठकें नहीं बुलाई जाती हैं इसलिए अनुरोध है कि कार्य परिषद की बैठकें बुलाई जायं इसके लिए प्रभावी कदम उठाये जायं।

श्री अध्यक्ष-

इसका विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं केवल तीन बातें कहने के लिए खड़ा हुआ हूं पहला पिछली सरकार ने जो गल्तियां की हैं और जो अध्यादेश जारी किये हैं उनके रिपलेसिंग बिल उसी रुप में आयें यह कोई जरूरी नहीं है। उसके गुणदोष पर विचार होना चाहिए। जिस प्रकार मुलायम जी की सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को कमिटेड बना दिया था उसी तरह उसे वह विश्वविद्यालय को कमिटेड बनाना चाहते थे। वित्त नियंत्रक की तो नियुक्ति पहले ही की जा चुकी थी। इसने एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी होता है। परीक्षा नियंत्रक कौन होगा और किस स्तर का होगा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए।

यदि पी०सी०एस० और एस०डी०एम० को आप भेज देंगे तो वह क्या करेंगे और उनकी इस सम्बन्ध में क्या योग्यता होती है। सरकार को इस पर विचार कर स्पष्ट रुप से आश्वाशन देना चाहिए। दूसरा किसके नियंत्रण में होगा। क्या बिल्कुल आटोनामस होगा या कुलपति के अधीन होगा और यदि नहीं होगा तो कुलपति और नियंत्रक के बीच में कन्फ्रन्टेशन की स्थिति पैदा हो सकती है जो बहुत खराब बात होगी। तीसरा आपने चार विश्वविद्यालयों को ही क्यों लिया है औरों को क्यों नहीं लिया इससे एक शंका पैदा होती है? एफिलियेटेड कालेजों में नामिनेशन क्यों नहीं होगा इसका उत्तर आप जब दें तो उसे स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय सदस्य ने जो शंकाएं व्यक्त की हैं मैं उस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि 1993-94 में डा० अवस्थी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था जिसने संस्तुति की थी कि विश्वविद्यालय में नियंत्रक नियुक्त किया जाय। केन्द्रीय विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने पहले से ही परीक्षा नियंत्रक कार्य कर रहे हैं। डा० गौर जी ने क्वालीफिकेशन के बारे में जो शंकाएं व्यक्त की कि नियंत्रक की क्वालीफिकेशन क्या होगी कैसे उसे नियुक्त किया जायेगा? और वह किसके नियंत्रण में होगा जो परीक्षक नियंत्रक होगा, वह कुलपति के नियंत्रण में होगा, जिस प्रकार रजिस्ट्रार होता है। कहीं पर आटोनोमस बाडी की बात नहीं रहेगी। कुलपति से नियुक्ति के समय राय ली जायेगी। ऐसा नहीं है कि पी०सी०एस० को ही नियंत्रण नियुक्त किया जाय। कुछ विश्वविद्यालयों में पहले से ही नियंत्रक काम कर रहे हैं, उसी के अनुरुप यह व्यवस्था की जा रही है।

जहां तक उद्योग पति का सवाल है व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में यू०जी०सी० से बहुत भारी ग्रान्ट आती है परन्तु उसका उपयोग कैसे हो रहा है यह तो डा० गौर जी भी जानते होंगे। जिस उद्योगपति को हम नामित करेंगे, उससे हम क्या काम लेंगे और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, वह भी हमने बनायी है। वह ख्यातिप्राप्त उद्योगपति होगा, शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया होगा। ऐसा नहीं है कि वह कोई ऐसा उद्योग पति हो, जो ख्याति प्राप्त न हो। उद्योगपतियों को नामित करने में कुलपति की राय मांगी जायगी। पाठ्यक्रमों में उद्योग के संबंध में उसके विचार लिये जायगे। ऐसा उद्योगपति जिसका नजदीक के क्षेत्र में कोई फैक्ट्री हो, जैसे मोमबत्ती की फैक्ट्री हो या फिर कोई अन्य फैक्ट्री हो तो वहाँ पर छात्र जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। हम उनसे कह सकते हैं कि आप परिषद् के मैम्बर हैं, इसलिए हमारे बच्चें को अपनी फैक्ट्री में ट्रेनिंग दीजिए। इससे छात्रों को लाभ मिलेगा। वहां पर आप सभी लोग सदस्य होते हैं, सभी की राय आयगी। इसलिए आपको तो हमें इस कार्य के लिए बधाई देनी चाहिये। छोटे भाई के नाते भी डा० गौर जो की इसमें मदद करनी चाहिये और इसे पास करना चाहिये।

श्री शिव प्रसाद शुक्ल-

आपने क्वालिफिकेशन की बात कही। साथ ही एक बात यह कही पी०सी०एस० ही हो, जरुरी नहीं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि पी०सी०एस० व आई०ए०एस० के लोग निगमों में हैं। आज निगमों की क्या स्थिति हो रही है, इससे आप भी परिचित हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि पी०सी०एस० वहाँ न जाने पाये, इसकी व्यवस्था की जाय।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

कार्य परिषद् में नोमिनेशन का अधिकार महामहिम कुलाधिपति को था, जिसे राज्य सरकार अपने हाथ में ले रही है। मेरी मांग है कि जिस भी इण्डस्ट्रलिस्ट को नामित करना होगा, उसे महामहिम कुलाधिपति ही करें, राज्य

सरकार उसे न करे। विधेयक में लिखा है कि ख्याति प्राप्त उद्योगपति होगा। इस ख्याति प्राप्त की परिभाषा क्या है? मैं एक एक्जाम्पिल दे रहा हूँ। एक ऐसे व्यक्ति को कार्य परिषद् में नामित किया गया है जो नकल करते हुए पकड़ा गया। अब कौन नियंत्रक होगा किसे बनाया जायगा, यह स्पष्ट रुप से परिभाषित होना चाहिये। यह तो मैने पहले ही कहा कि परीक्षा नियंत्रक बनाया जाना चाहिये। जब बी०जे०पी० की सरकार थी तो उस समय ही हमने इस संस्तुति को मान लिया था। अब परीक्षा को संचालित करने का अनुभव तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को हो सकता है या फिर वरिष्ठ अध्यापक को हो सकता है। माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस को आप परीक्षा नियंत्रक बनायेंगे? विधेयक में कहीं पर नहीं लिखा है कि परीक्षा नियंत्रण कैसे नियुक्त किया जायगा?

श्री सुखदेव राजभर-

मैं गौर जी को स्पष्ट कर दूं यह एक तदर्थ व्यवस्था है। इसके सेवा नियमावली बनेगी। इनका संवर्ग वन जायगा तो अच्छी व्यवस्था आ जायेगी। इसलिये इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है। इसका संवर्ग बना देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

क्या परीक्षा नियंत्रक का संवर्ग होगा?

श्री सुखदेव राजभर-

यह रजिस्ट्रार के समकक्ष पद है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

इसका मतलब है परीक्षा नियंत्रक की रजिस्टार की तरह क्वालिफिकेशन होगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रथम यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 व खण्ड 3

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

(भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।)

1--(1)-- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 कहा जाएगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2)-- वह 25 फरवरी, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2 - उत्तर प्रदेश राज्य विद्याद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 9 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, खण्ड (च) के पश्चातै निम्नलखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:-- — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनःअधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 9 का संशोधन

"(चच) परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई नियुक्त हो;

धारा 16 का संशोधन

3— मूल अधिनियम की धारा 16 में-

(क) उपधारा (4) में शब्द "विद्या परिषद्, प्रवेश समिति और परीक्षा समिति" के स्थान पर शब्द "विद्या परिषद् और प्रवेश समिति" रख दिए जायेंगे;

(ख) उपधारा (5) निकाल दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व खण्ड 3 इस विधेयक के अंग माने जांय,

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 4

नई धारा 16 का बढ़ाया जाना

4 - मूल अधिनियम की धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:-

16 क - (1) - यह धारा केवल लखनऊ, इलहाबाद, गोरखपुर और कानपुर विश्वविद्यालयों को और किसी ऐसे अन्य विश्वविद्यालय को लागू होती है जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें।

(2) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक को नियुक्ति राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके करेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

(4) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से सम्बंधित अभिलेखों की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं या कार्य–परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा। यह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय या संस्थान से ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने की या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(5) परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा और उसे इस सम्बन्ध में कुल सचिव को सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(6) परीक्षा समिति के अधीक्षणाधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं को सम्यक निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो किया जाएगा और न वह स्वीकार करेगा।

(8) यदि कभी परीक्षा नियंत्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो, तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन यथास्थिति परीक्षा नियंत्रक के पुनः कार्यभार सम्भालने या रिक्त के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जाएगा जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाय।"

श्री भगेलू राम-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से खण्ड 4 में संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

(क) शब्द "निम्नलिखित धारा" के स्थान पर शब्द "निम्नलिखित धारायें" रख दिये जायं;

(ख) खण्ड द्वारा बढ़ाई जा रही मूल अधिनियम की धारा 16 क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय–

"जिन विश्वविद्यालयों को धारा 16–क के उपबन्ध लागू नहीं है, उनमें परीक्षा नियंत्रक के कर्तव्यों का पालन कुल सचिव द्वारा किया जायेगा और ऐसे विश्वविद्यालयों के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये कुल सचिव को परीक्षा नियंत्रक समझा जायेगा।"

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में:–

(क) शब्द "निम्नलिखित धारा" के स्थान पर शब्द "निम्नलिखित धारायें" रख दिये जांय:

(ख)खण्ड द्वारा बढ़ाई जा रही मूल अधिनियम की धारा-16 क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय:–

जिन विश्वविद्यालयों को धारा-16–क के उपबन्ध लागू नहीं हैं, उनमें परीक्षा नियंत्रक के कर्तव्यों का पालन कुल सचिव द्वारा किया जायेगा और ऐसे विश्वविद्यालयों के संबंध में इत अधिनियम के प्रयोजनों के लिये कुल सचिव को परीक्षा नियंत्रक समझा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित दिया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 4 इस विधेयक का अंग माना जाय

(प्रश्न उपस्थित दिया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 5 से खण्ड 8 तक खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

धारा 18 का संशोधन

5– मूल अधिनियम की धारा-18 में, शब्द "वित्त अधिकारी तथा कुलसचिव" के स्थान पर शब्द। "वित्त अधिकारी कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई नियुक्ति हों," रख दिए जायगे।

धारा 20 का संशोधन

6– मूल अधिनियम की धारा 20 में–

(क) उपराधारा (1) में खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखि खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"ज" ख्याति प्राप्त उद्योगपतियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक व्यक्ति जिसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यवान योगदान किया हो।"

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (तीन) में शब्द और अक्षर "खण्ड (छ)" के स्थान पर शब्द और अक्षर "खण्ड (छ) और (ज)" रख दिए जायेंगे।

(ग) उपधारा (3) में, शब्द और अक्षर "और (छ)" के स्थान पर शब्द और अक्षर "या (छ) या (ज)" रख दिये जायेंगे।

धारा 26 का संशोधन

7-- मूल अधिनियम की धारा 26 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:-

"(गग) परीक्षा नियंत्रक."

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 1995

8--(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य का कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य का कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के प्राविधान सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 से खण्ड 8 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20-7-95 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

पहली सूचना, श्री रमेश कान्त लवानियां जी की है, पुलिस विभाग में रस्साकसी के कारण 2 जून, 1995 के अतिथि गृह काण्ड की निष्पक्ष जांच होने के सम्बन्ध में, यह वक्तव्य के लिए स्वीकार है। दूसरी सूचना श्री अमित अग्रवाल की मेरठ शहर के मोहल्ला मोहनपुरी से बालक बरुण का अपहरण कर उसकी हत्या के उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य के लिए स्वीकृत। तीसरी श्री मातवर सिंह काण्डारी की सूचना उतरांचल के आठों जनपदों के राजकीय इंटर कालेजों एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रवक्ताओं एवं अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत है। चौथी, श्री राम किशुन आजाद जी का जनपद गोंडा के मनकापुर व छपिया विकास खंडों में भयंकर कालरा रोग फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। पांचवी, श्री सुरेश कुमार खन्ना की सूचना जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में नवनिर्मित राजकीय डिग्री कालेज में अध्यापकों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। छठी सूचना, श्री गया चरण दिनकर की है, पोस्ट ग्रेजुवेट मेडिकल प्रवेश में अनुसूचित जाति जन जाति का विधिक आरक्षण पूरा न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। और शेष सभी सूचनाएं अस्वीकृत की जाती हैं।

श्री बालेश्वर त्यागी द्वारा गाजियाबाद जनपद में इंटर कालेज की स्थापना, वर्तमान विद्यालयों में दो पालियों की शिक्षण अनुमति तथा द्वितीय पाली के शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

माननीय विधायक श्री बालेश्वर त्यागी द्वारा.... ।

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाए, जिससे स्पष्टीकरण के लिए अधिक समय मिल सके।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(संलग्न का वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर-

[नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु यह सूचना दी गई है कि गाजियाबाद नगर की आबादी पिछले 15 वर्षों से तेजी के साथ बढ़ी है। सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल व इण्टर कालेजों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। परिणाम स्वरुप गरीब व सामान्य नागरिकों के बच्चों को शिक्षा मिलना कठिन हो गया है।

2- विद्यालयों में प्रवेश प्रारम्भ हो गये हैं, जिनके बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है उनमें असंतोष पनप रहा है जो किसी बड़े आन्दोलन को जन्म दे सकता है। नये विद्यालय तो खुले नहीं हैं जो विद्यालय चल रहे हैं उनमें भी मृतक व सेवा निवृत्ति के कारण रिक्तियों की संख्या 100 के लगभग है। नये विषयों व नये–नये सेक्सनों की अनुमति प्राप्त नहीं हो रही है। गाजियाबाद एक महत्वपूर्ण जनपद है लेकिन प्रवेश के उन तीन भाग्यहीन जनपदों में से एक है जहां जिला मुख्यालय पर राजकीय इण्टर कालेज भी नहीं है वर्तमान में समस्या का समाधान एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना तथा वर्तमान विद्यालयों को दोपालियों की अनुमति तथा दूसरी पाली के लिये शिक्षकों की व्यवस्था की है और उक्त अवलम्बनीय महत्व के विषय पर वक्तव्य दिये जाने की मांग की है।

3- जनपद गाजियाबाद की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी उस समय गाजियाबाद नगर की आबादी डेढ़ या दो लाख तथा सहायता प्राप्त सरकारी इण्टर कालेज तथा हार्ड स्कूल की कुल संख्या 14 थी। उक्त जनपद के सृजन के उपरान्त अथक प्रयासों के बावजूद निम्नांकित 7 विद्यालय हाई स्कूल स्तर के खुले हैं तथा एक बालक, दो बालिका विद्यालयों का उच्चीकरण इण्टर स्तर पर हुआ है।

1- राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विजयनगर गाजियाबाद।

2- मनोहर विद्यामंदिर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गाजियाबाद।

3- ए०के०एम०एच०एफ० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजनगर, गाजियाबाद।

4- जे०के०जी हैप्पी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विजयनगर, गाजियाबाद।

5- नेहरू बाल निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद।

6- नेशनल पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद।

7- रोज वेल पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विजयनगर, गाजियाबाद।

और इस प्रकार वर्तमान में इण्टर कालेज स्तर बालकों के 6 कालेज तथा बालिकाओं के लिये 5 इण्टर कालेज हैं। हाई स्कूल स्तर के बालकों के 9 विद्यालय तथा बालिकाओं के लिये एक विद्यालय है। इस प्रकार कुल 21 विद्यालय हैं।

नोट [ ] यह अंश भी पढ़ा हुआ माना गया।

4- उपरोक्त के अतिरिक्त गाजियाबाद की सीमा से लगे 4 विद्यालय नगर की सीमा के अन्तर्गत आ गये हैं। गाजियाबाद नगर में परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल पर्याप्त संख्या में खुल जाने से कक्षा एक से आठ तक के छात्रों के प्रवेश की कोई समस्या नहीं रह गयी है। कक्षा-9 से 12 तक के छात्रों के प्रवेश की समस्या नगर में जनसंख्या की तुलना में विद्यालय कम होने के कारण है किन्तु नगर में 10-12 विद्यालय अंग्रेजी माध्यम सी०बी०एस०सी० से मान्यता प्राप्त खुलने से कुछ राहत मिली है। नगर में कन्याओं को विशेषकर विज्ञान वर्ग में कक्षा 11 एवं 12 में प्रवेश दिलाने की समस्या है। वर्तमान में गाजियाबाद नगर के विजय नगर कालोनी में बालिकाओं हेतु एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुल गया है। यद्यपि वर्तमान में राजकीय इंटर कालेज खोलने की कोई योजना संचालित नहीं है तथापि क्षेत्रीय आवश्यकता को देखते हुये गाजियाबाद नगर से 8 कि०मी० की दूरी पर स्थिति ग्राम बादलपुर में शासन द्वारा एक राजकीय इन्टर कालेज खोलने के आदेश दिये जा चुके हैं।

5- वर्तमान में नगर की विभिन्न संस्थाओं में लगभग 100 शिक्षक एवं 100 शिक्षकाओं की कमी है। जिसे दूर किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। शासन द्वारा राजकीय इन्टर कालेजों में द्विपाली प्रणाली चालू किये जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संचालित विद्यालयों में नियत संख्या से अधिक संख्या में छात्र-छात्राओं के प्रवेश की व्यवस्था की जा रही है।]

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, मंत्री जी के वक्तव्य ने मुझे निराश किया है, इस वक्तव्य से मंत्री जी ने मेरी समस्या की गम्भीरता को समझने के बजाए, वक्तव्य में ऐसे तर्कों को जोड़ा है, जो ठीक नहीं हैं। 8 किलोमीटर दूर के एक गांव में बालिका विद्यालय खोलने का हवाला दिया गया है। इतनी दूर क्या 'शहर' की लड़कियां देहात में पढ़ने जाएंगी। गाजियाबाद जिला मुख्यालय पर कोई राजकीय इन्टर कालेज नहीं है। ऐसे केवल तीन जिले उत्तर प्रदेश में हैं, जहां पर जिला मुख्यालय पर राजकीय इंटर कालेज नहीं हैं। मेरे जिले में राजकीय इंटर कालेज स्थापित करने के लिए क्या मंत्री जी कोई आश्वासन देंगे? दूसरा मेरा यह अनुरोध है कि, आपने स्वयं कहा है 100 शिक्षकों और सौ शिक्षिकाओं के पद रिक्त हैं, तो उन स्थानों को कबतक भर लिया जाएगा? इसके लिए कोई समय सीमा अवश्य निर्धारित की जानी चाहिए। तीसरा आश्वासन में यह चाहूंगा कि इन्टर कालेजों में जो द्विपाली पर विचार किया जा रहा है-शिक्षण सत्र शुरु हो गया है, दाखिले शुरु हो गये हैं, अब पाली का निर्णय नहीं होगा तो कैसे हो पाएगा? लेकिन यदि इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया गया है तो यह कबतक हो जाएगा। पाली की ही स्वीकृति नहीं, उसके लिए अध्यापकों की भी आवश्यकता है... (व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर-

गाजियाबाद में 21 विद्यालय हैं उसमें से एक राजकीय विद्यालय है। जब आप गाजियाबाद के रहने वाले भी हैं तो वहां पर हमारा एक सी०बी०एस०सी० का भी चलता है। यह बात सही है कि राजकीय विद्यालय खोलना अभी हमारी योजना नहीं है। अगर होगी तो गाजियाबाद पहले नम्बर पर आ जाएगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी का स्पष्ट उत्तर आ गया है, अब इस पर प्रश्न नहीं।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के पांचवें पैराग्राफ में यह कहा है कि शासन द्वारा राजकीय इन्टर कालेज में द्विपाली प्रणाली चालू किये जाने पर विचार किया जा रहा है। गाजियाबाद में राजकीय इन्टर कालेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लागू करने का विचार कर रहे हैं जहां प्रवेश की समस्या आज भी छात्र छात्राओं के लिये विद्यमान है। यदि पूरे प्रदेश के राजकीय इन्टर

कालेजों के बारे में विचार किया जा रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। यह कब तक चालू हो जायगी क्योंकि पढ़ाई का सत्र प्रारम्भ हो गया है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, जैसा कि हमारे पाल जी को भी पता होगा तमाम राजकीय कालेजों में दाखिले की समस्या है। कालेजों में अभिभावक समिति भी है। अभिभावकों की राय भी आई है कि जितने भवन पहले से बने हुए हैं वह छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कम हैं। अभिभावकों की यह राय भी आई कि ज्यादा से ज्यादा लोग गर्वमेंट कालेजों में जा रहे हैं। इसलिये दूसरी पाली चलाने की आवश्यकता छात्रों की बढ़ती हुई संख्या के कारण भवन की आवश्यकता को देखते हुए पड़ेगी। छात्रों की संख्या बढ़ रही है अभिभावक अपनी कुर्सी टेबुल दे रहे हैं। इन समस्याओं को देखते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह को जायेगी।

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आ गया है। अब आगे और भी मद हैं। आपने 49 में भी चर्चा दी हुई है। काफी समय लगेगा।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, आप सदन में दृष्टिपात कर लें। सुबह भी इसी तरह से इनको ही मौका दिया जाय।

पुलिस उपनिरीक्षकों की भर्ती हेतु वर्ष 1992 में हुयी परीक्षा को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र लवानिया मा० सदस्य विधान सभा की नियम 52 की सूचना पर वक्तव्य

पंचायती राज एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, श्री रमेश कान्त लवानिया ने दिनांक ....।

एक सदस्य-

पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

[14-7-95 को नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी थी कि वर्ष 1991 में राज्य सरकार ने पुलिस उप निरीक्षकों के 1950 पदों पर चयन हेतु आवेदन मांगे थे, मुख्य परीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशत अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी हो चुका था, अचानक दिनांक 9-6-94 को सरकार ने परीक्षा को निरस्त कर दिया, सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सरकार के निर्णय के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका दायर की, मा० उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के दिनांक 9-6-94 के निर्णय को निरस्त कर सरकार को आदेश दिया है कि तीन माह के भीतर चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। इस सूचना पर वक्तव्य दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 1991 में विज्ञापित उक्त पदों की प्रचलित चयन प्रक्रिया दिनांक 9-6-94 को शासन द्वारा निरस्त कर दी गई थी। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने दिनांक 23-5-95 को उक्त आदेशों को निरस्त करके 3 मास में चयन प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने का निर्णय पारित किया है। मा० उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन किए जाने हेतु दिनांक 18-7-95 को आदेश प्रसारित कर दिए गये हैं।]

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री रमेश कान्त लावानिया-

मान्यवर, बहुत चिन्ता का विषय है कि 1991 में जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी वह 1993 तक जारी नहीं हुई। मैंने नियम-51 की सूचना 14 जुलाई को दी और इसमें उत्तर आया है कि 18 जुलाई को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने के सम्बन्ध में निर्देश दे दिये गये हैं। ऐसा लगता है कि यदि नियम—51 की सूचना नहीं आती तो 18 जुलाई को भी आदेश नहीं दिये जाते।

श्री अध्यक्ष-

इससे तो आपको खुश होना चाहिए।

श्री रमेश कान्त लवानिया-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस समय क्या स्टेज है। कितने व्यक्तियों का साक्षात्कार शेष रह गया है और बाकी कितना समय और लगेगा क्या उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित तीन माह की सीमा के अन्तर्गत चयन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जायेगा। दूसरी बात यह कि उच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उसमें क्या यह भी है कि 1993 में प्रचलित कानूनों और शासनादेशों के अनुसार यह चयन प्रक्रिया पूरी की जाय यानि 27 प्रतिशत पिछड़े लोगों के लिये, 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों के लिये और 2 प्रतिशत शिड्यूल ट्राइब के लिये। तीसरी बात यह है कि 1991 का जो विज्ञापन था उसकी क्या—क्या शर्तें थीं ? क्या सीधी भर्ती से ही भरी जानी चाहिए थीं या प्रोन्नति से भरी जानी चाहिए थी यह तीन बातें बता दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन् माननीय न्यायालय ने जो व्यवस्था दी है उसको पढ़कर सुना रहा हूँ। पिछड़ी जातियों के लिए 27 फीसदी, अनुसूचित जातियों के लिए 18 फीसदी, अनुसूचित जन जातियों के लिए दो फीसदी आरक्षण का आदेश 11.12.93 के तुरन्त पहले के प्राविधान के अनुसार तीन माह के भीतर सलेक्ट लिस्ट तैयार की जाए। आपने प्रश्न किया है माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 18-7-95 को इस बारे में आदेश दिया जाता है।

(मद संख्या-१७ पुकारे जाने पर)

श्री रमेश कान्त लवानिया-

मेरे उत्तर रह गए है।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आ गया है।

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग की तहसील के अन्तर्गत भूस्खलन व भारी कटाव से लोगो का जीवन संकटमय होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

राजस्व राज्य मंत्री (श्री नजमुद्दीन)—

उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग.....।

पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री नजमुद्दीन—

[मैंने ग्राम तोली, धानई, बेनोली तथा जाख ग्रामों में अतिवृष्टि से हुई क्षति की जांच की। ग्राम धानई के पास से गुजरने वाली रोली से पिछले 15-20साल मे भूमि का काटाव हो रहा है और इस कटाव को रोकने हेतु पूर्व ही भूमि संरक्षण विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये जा चुके है। भूमि संरक्षण अधिकारी के

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनुसार इस योजना तारजाली में संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। कार्य करने हेतु तार का क्रय किया जा चुका है और शीघ्र ही सुरक्षात्मक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा उन्हें इसमें शीघ्रता से कार्य करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दे दिये गये है।

2- ग्राम तोली में यद्पि गत चार पाँच वर्षों से भूस्खलन हो रहा है। तथापि इस वर्ष कोई जनधन का संकट पैदा नही हुआ है। भूस्खालन रोकने के लिए भूमि संरक्षण अधिकारी को तत्काल निर्देश दे दिये गये है। उप जिलाधिकारी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि इन गांवों में अभी तक जानमाल एवं पशुधन की कोई क्षति नही हुई और न ही वहाँ के लोगों का जीवन तात्कालिक संकट में हैं।

उपरोक्त के अलावा इस क्षेत्र के ग्राम बैनाली तथा जाख गांव का भी निरीक्षण किया गया। इन गांवों में भी अतिवृष्टि से कोई जनधन की हानि नही हुई है। ग्राम जाख से कुछ दूर खेत धंस रहे है। लेकिन इससे गांव को कोई खतरा नही है तथापि इस गांव को भूगर्भीय सर्वेक्षण हेतु भू-वैज्ञानिकों को जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये जा रहे है।

3- ग्राम झिरकोटी की जांच तहसीलदार कर्ण प्रयाग ने की। उनके अनुसार ग्राम झिरकोटी में विगत कई वर्षो से गांव धसने की बात प्रकाश में आयी है। इस धंसाव की भू गर्भीय जांच हेतु भू वैज्ञानिक को जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये है। साथ ही चैकडाम एवं निकासी नाली बनाये जाने के संबंध में सिंचाई विभाग एवं भू वैज्ञानिक को संयुक्त निरीक्षण कर धसाव रोकने के लिए तत्काल सुझाव देने हेतु कहा गया है। जहाँ तक भारी वर्षा से इन ग्रामों के लोगों का जीवन संकटमय होने का प्रश्न है, इस संबंध में अवगत कराना है कि फिलहाल ऐसी संकटवाली स्थिति नही है। लेकिन भविष्य में सम्भावित खतरों की रोक थाम हेतु सम्बंधित अधिकारी/विशेषज्ञों को इस संबंध में तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देश जिलाधिकारी द्वारा निर्गत करा दिये गये है।

4 उपरोक्त के अलावा कर्ण प्रयाग में नाला बढ़जाने के कारण दिनांक 13-7-95 की रात दो परिवारों के रहने के कमरों में पानी आ जाने के कारण उन्हें तत्काल अहेतुक सहायता दी गयी। कर्ण प्रयाग के पास ही शक्तिनगर बस्ती में दिनांक 13-7-95 की रात को भूमि कटाव होने के कारण बस्ती में पानी फैल गया था। डी०जी०वी०आर० को बरसाती गधेरे के नाली पर मोटर सड़क पर स्कपर बनाकर पानी को सीधे नदी की तरफ करने के संबंध में कहा गया है। और उन्होने शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने की सहमति दे दी है। इसी दिन ग्राम फरकण्डे में एक अवासीय पक्की मकान आंशिक क्षति ग्रस्त हुई। ग्राम कालेश्वर में एक गौशाला क्षतिग्रस्त हुई। जिसके कारण गौशाला के अन्दर बंधी एक गाय की मृत्यु हो गयी। ग्राम डोठला में एक पक्की आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हुई तथा तीन गौशालायें भी क्षतिग्रस्त होने के कारण 20 बकरियाँ तथा 10 भेंड़ें दब कर मर गये। सभी मामलों में नियमानुसार गृह अनुदान, अहैतुक सहायता तथा अनुग्रह जैसी भी स्थिति रही प्रभावित परिवारों को वितरित कर दी गयी है।]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों की बाढ़ से सैकड़ों गांवों में व्यापक तबाही की पेयजल के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार)-

1-जनपद पडरौना-

मान्यवर, गण्डक नदी में पानी बढ़ने....।

एक सदस्य-

पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय)

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राजेन्द्र कुमार–

जनपद के 25 ग्रामों की 18816 जनसंख्या प्रभावित हुई है तथा 21500 हे० जिनमें 15000 हे०कृषि क्षेत्र है, प्रभावित हुआ है। कोई मानव या पशु हानि नहीं हुई है।

राहत एवं बचाव कार्यों में 12 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। 46 देशी नावों को लगाया गया है। 5000 व्यक्तियों एवं 1000 पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 64 क्वींटल आटा, 26.70 क्वींटल गेहूँ, 3 क्वींटल गुड, 3678 मैचबाक्स 2178 लीटर मिट्टी का तेल, एवं एक क्वींटल चना तथा नमक का वितरण किया गया है।

2 जनपद महराजगंज–

बड़ी गण्डक एवं पहाड़ी नालों में आई बाढ़ से जनपद में अभी तक 32 ग्राम एवं 5120 जनसंख्या प्रभावित हुई है तथा 2836 हे० क्षेत्र जिसमें 783 कृषि क्षेत्र है, प्रभावित हुआ है। महाव नदी तथा झरही नदी के पानी में क्रमशः एक एक व्यक्ति डूब गये। रोहिन की बाढ़ में भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। राहत तथा बचाव कार्य में 13 देशी नावों को लगाया गया है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है दिनांक 17–7–95 तक बाढ़ प्रभावितों में 8 कुन्तल चूड़ा 2 कुन्तल गुड़, 2400 नग माचिस, 2000 लीटर मिट्टी का तेल आदि का वितरण किया गया है। पानी से घिरे निवासियों को दूसरे स्थानों पर विस्थापित किया गया है।

महाव नदी में बाढ़ के कारण देवघटी के पास नदी का तटबन्ध लगभग 200 फिट कट गया जिसके फलस्वरुप आसपास के क्षेत्रों में पानी आ गया और उपरोक्त क्षति हुई। तटबन्ध की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है तथा स्थिति नियंत्रण में है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चैकित्सिक सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

3–जनपद गोरखपुर–

इस जनपद में 46 गांव व उनकी 8384 जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित हुई है। चार गांव पानी से घिरे बताये जाते हैं व 8 मानव हानि हुई 119 बाढ़ चौकिया कार्यरत है व 12 नाव बचाव कार्य हेतु लगाई गई है। पशुओं को टीकाकरण कराया जा रहा है व राहत कार्य जारी है।

4–सिद्धार्थनगर–

राप्ती, बूढ़ी राप्ती आदि नदियों में पानी बढ़ने से जनपद के नौगढ़ तहसील के कुछ गांवों में दिनांक 12–7–95 को बाढ़ का प्रभाव प्रारम्भ हुआ। दिनांक 18–7–95 तक 290 गांवों की 1,74,174 जनसंख्या प्रभावित हुई है तथा 30634 हे० क्षेत्र जिसमें 16134 कृषि क्षेत्र है, प्रभावित हुआ है। बाढ़ के कारण कोई मानव क्षति नही हुई है। एक भैंस की मृत्यु हुई है। प्रभावित व्यक्ति को नियमानुसार अनुग्रह धनराशि प्रदान की गई। अब कोई भी ग्राम पानी से घिरा हुआ नही है। पूर्व में 103 ग्राम पानी से घिरे थे। प्रबावित ग्रामों में आवासों की क्षति का आंकलन किया जा रहा है। शीघ्र ही नियामानुसार ग्रहअनुदान का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

बाढ़ के कारण यद्यपि कि तटबन्धों को क्षति हुई है, परन्तु फिर भी सभी तटबन्ध सुरक्षित है। बाढ़ के कारण विभिन्न भागों की क्षति हुई है। उसका सोहात–मोहाना मार्ग पर स्थित पाईल सेतु को क्षति पहुँची और पुल यायायात योग्य नहीं रह गया है। जल स्तर कम होने पर मरम्मत कार्य किया जायगा।

शेष पूर्व उत्तर प्रदेश के जनपदों में अभी बाढ़ की उललेखनीय स्थित नहीं है। जनपद देवरिया में बाढ़ की स्थिति सामान्य बताई गई है व कोई प्रभाव बाढ़ का नहीं है।]

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

इसमें मान्यवर, प्रश्न कर लेने दें।

श्री अध्यक्ष–

केवल वक्तव्य पर नहीं।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'-

मैं स्पष्टीकरण लेना चाहता हूं गलत सूचना दी गई है।

श्री अध्यक्ष-

अगर सूचना गलत है तो आप लिखकर दे दें मैं उसका परीक्षण करा लूँगा।

नगरीय क्षेत्रों के विकास भूमि के स्थल चयन में विधायकों की भूमिका अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा।

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, जहां तक विधायकों के अधिकारों का सवाल है विधायक चाहे ग्रामीण क्षेत्र से चुने जाते हों चाहे नगरीय क्षेत्रों से विधायक चुनकर आते हों सबके अधिकार समान है, सब विधायक समान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से विधायक चुने जाते हैं वह चाहे जिला योजना में धन का आवंटन हो चाहे स्थलों के चयन का मामला हो भागीदार होता है लेकिन नगरीय क्षेत्रों में चाहे धन का आवंटन होना हो चाहे स्थान का चयन होना हो नगरीय क्षेत्रों के विधायकों की भूमिका नहीं रहती है। श्रीमनू नगर निगम हैं विकास प्राधिकरण है जितनी भी योजनायें हैं, धन के आवंटन की व्यवस्था है उसमें विधायक की भूमिका नहीं है। श्रीमनू प्रकाश व्यवस्था क्षेत्रों में हो सके इसके लिए शासन से अनुदान मिलता है, सड़कों की मरम्मत आदि के लिए भी अनुदान मिलता है, नगरों में और किसी भी विकास कार्य के लिए अनुदान मिलता है तो स्थल चयन में विधायक की भूमिका होनी चाहिए। यह एक गम्भीर सवाल है। नगरों के विधायक जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जनता उनके सामने अपनी समस्यायें रखती है लोग कहते हैं कि डेढ़-दो साल से आप विधायक चुने गए हैं लेकिन सड़कों की मरम्मत नही हुई है कोई कहता है हमारे क्षेत्र में अंधेरा है एक सोडियम लाइट लगवा दो।

श्री अध्यक्ष-

विषय पर आए।

श्री बालेश्वर त्यागी-

श्रीमनू हमारा यही सवाल है कि हमको अधिकार नहीं है सोडियम लाइन कैसे लगवायें यही विधायकों के सामने समस्या है पूर्वांचल विकास निधि में माननीय मंत्री जी ने कहा था पूर्वांचल विकास निधि है उसमें से 50 फीसदी विधायकों के विवेक से खर्च किया जाएगा और 50 फीसदी योजनाओं के अनुसार खर्च किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह व्यवस्था भी नहीं है कम से कम नगरीय क्षेत्रों में भी यही व्यवस्था करा दें।

श्री अध्यक्ष-

आप विषय वस्तु के संदर्भ में ही अपने को रखें।

श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या नगरीय क्षेत्र के विधायकों के लिए स्थल चयन की भूमिका पर सरकार विचार करेगी। जो नगरीय क्षेत्रों के विकास कार्य हैं उनमें स्थल चयन के सम्बंध में विधायक की भूमिका होनी चाहिए। 1952 में जब प्रदेश की पहली विधान सभा गठित हुई थी तब लोगों ने अपेक्षा की थी कि विधायक विधान सभा में चुनकर जाने के बाद जनकल्याण कारी कानून बनाएंगे, क्योंकि उस समय बहुत सारे कानूनों की आवश्यकता थी। विधायकों की सामाजिक और आर्थिक कानूनों में विधायकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन अब कानूनों का स्वरुप आ चुका है। जनता अब हमसे विकास की अपेक्षा करती है। जनता चाहती है कि विधायकों की विकास में हिस्सेदारी हो।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण आधे घण्टे की चर्चा है आधे घण्टे से एक मिनट भी कम चर्चा नहीं होगी। अपनी बात विषय की सीमा में ही रखें। जो सवाल है उसी की परिधि में रहें। उस पर अपनी चर्चा करें। यह बहुत अच्छा होगा।

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। हमारे अधिकारों के आप संरक्षक हैं। आज हम नगरीय क्षेत्र के विधायक द्वितीय श्रेणी के विधायक हो गए हैं। हमारी विकास में कोई हिस्सेदारी नहीं है। हमसे अच्छा तो नगर परिषद है वह अपने क्षेत्र में काम करा सकते हैं। जब विकास में नगरीय क्षेत्रों के विधायकों की कोई हिस्सेदारी नहीं है तो हमारे विधायक बने रहने का क्या औचित्य है। इसलिए मेरा अनुरोध है और मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। आप इस पीठ पर आसीन हैं। शहरी क्षेत्र के विधायक द्वितीय श्रेणी के विधायक बन गए हैं। हैण्डपम्प हम नहीं लगवा सकते हैं। वह जल निगम लगाता है उसका चयन भी हमारे अधिकार में नहीं है। आप सरकार को निर्देशित करें कि नगरीय क्षेत्रों के विधायकों को भी स्थल चयन में भूमिका सुनिश्चित की जाए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री आप इसके बारे में बताएं।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, विभिन्न दलों के सदस्यों का दृष्टिकोण आ जाए उसके बाद मैं बोलूंगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। अभी भी बालेश्वर त्यागी जी ने जो बात उठायी वह अकेले श्री त्यागी जी की पीड़ा नहीं है यही पीड़ा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल की, श्रीराम कुमार शुक्ला की तथा यही पीड़ा हम 85 विधायकों की है जो शहरी क्षेत्र से चुनकर आते हैं। तथा यही पीड़ा मुझे अकिंचन पाल साहब की भी है। यह जो भी जनप्रतिनिधि हैं। वह जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जनता जनप्रतिनिधि के रुप में चयनित करके हमें भेजती है तो जनता की हमसे कुछ आकांक्षायें होती हैं, हमसे कुछ अपेक्षायें होती हैं और जनता की कुछ आवश्यकतायें भी होती हैं जिनकी पूर्ति वह हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चाहती है।

[6 बजकर 20 मिनट]

यदि कोई जनप्रतिनिधि अपने मतदाताओं की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, उनकी भावनाओ की प्रतिपूर्ति नहीं कर पाता है और उनकी आवश्यकतायें नहीं पूरी होती है तो आप बतायें कि फिर हम किस भावना को प्रतिबंधित करेंगे, यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसा कि आप को पता है जनपद के जो ग्रामीण अंचल के विधान सभा क्षेत्र है उसके लिये एक परिव्यय निर्धारित किया जाता है। डी०आर०डी०ए० की एजेंसी होती है उसमें ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अपने प्रस्ताव देते हैं और क्षेत्र में जो निर्माण कार्य होते हैं उसमें वहां के प्रतिनिधि अपनी सार्थक भूमिका निभाते हैं। इसके विपरीत जो नगर क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं उनकी भागीदारी कार्य स्थलों के चयन में नहीं होती है।

अगर यह सदन या आपके माध्यम से सरकार सुनिश्चित नहीं करेगी नगर क्षेत्र की जो समस्यायें हैं नगर क्षेत्र के जो मसाइल हैं, उन समस्याओं का निराकरण जनप्रतिनिधि नहीं कर सकेंगे और जनहित के कार्यों के प्रस्तावों को अमलीजामा नहीं पहना सकेंगे, क्रियान्वत नहीं करा सकेंगे तो मैं समझता हूं कि नगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की सार्थकता पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। यह इस सदन के अधिकारों की बात है जो जनप्रतिनिधि जनता ने चुनकर भेजे हैं, उनकी जो समस्यायें हैं वह हम आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं। हम अपने कार्यों के प्रति सचेष्ठ हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति सचेष्ट हैं, अपनी क्षेत्र की जनता के बारे में सचेष्ट हैं तो मैं समझता हूं कि भविष्य में, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्यों में वहां के जन प्रतिनिधि की भागीदारी सुनिश्चित है उसी प्रकार से नगरीय क्षेत्र में भी विधायकों को अधिकार दिया जाय।

श्री राम कुमार शुक्ल-

मान्यवर, आज पहली बार ऐसा लगा कि नगरीय क्षेत्र के विधायकों की भागीदारी की कोई बात की जा रही है। मैं भी मान्यवर, विधायक हूं, घर से चलता हूं तो घर से आकर इसी बाउंडरी तक सीमित ले जाता हूं। मुझसे

कोई जनता का व्यक्ति कहता है कि एक हैंड पंप चाहिये तो वह मैं नहीं लगवा सकता हूं। मान्यवर, शहर में नगर पालिका है, नगर निगम है और देहात में जिला परिषद हैं परन्तु फिर भी सी०डी०ओ० के अलावा नियोजन विभाग है और वह वहां के विधायकों को साथ लेकर बैठता है और विधायकों से पूछता है कि आपका इतना आबंटन है आप कौन से सड़क बनवायेंगे कहां पर आप हैंड पंप लगवाना चाहेंगे। लेकिन मान्यवर, हम अनाथ हैं न डी०एम० हमें बुलाते हैं और न कोई हमें पूछता है कि आप हैं क्या ? यह सौतेला व्यवहार हमारे साथ होता रहा है। इस स्थिति में परिवर्तन तभी हो सकता है जब हमें देहात के विधायकों की तरह अधिकार दिये जायें। स्थान चयन में हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जाय। मान्यवर, अगर आपका कोई रिश्तेदार जो मेरे क्षेत्र में रहता हो मुझसे कहे कि 50 फिट सड़क बनवा दो तो इतना भी अधिकार हमें नहीं है कि हम यह काम करवा सकें। हम नगरीय विधायकों को भी संरक्षण मान्यवर मिल जाय तो यह संसदीय इतिहास में आपको सदैव याद किया जायगा।

श्री रमेश कान्त लवानियां-

मान्यवर मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं केवल 2-3 सुझाव देना चाहूंगा। मान्यवर, बहुत सी जगहों पर प्रशासक नियुक्त हैं। मैं आगरा के संबंध में कहना चाहूँगा कि वहां ऐसी नगर पालिकायें हैं जहां प्रशासक नियुक्त हैं। वह जहां चाहते हैं सड़क बनवाते हैं और जहाँ चाहते हैं निर्माण कार्य करवाते हैं और हैंडपम्प लगवाते हैं। हम लोगों से कतई नहीं पूछा जाता है। मेरा व्यवहारिक सुझाव है कि जब तक प्रशासक हैं तब तक नगर निगम या नगर पालिका की एक एडवाइजरी कमेटी बनायी जाय और उस एडवाइजरी कमेटी में वहां के एम०एस०ए० को रखा जाय जिससे विकास कार्यों के लिये जो ग्रांट का रुपया जाता है उसका सही उपयोग हो सके और जहां पर वास्तव में हैंडपम्प लगने की जरुरत है या अन्य कार्यों की जरुरत है वहां पर वह कार्य हो सकें। इसी प्रकार से जल संस्थान में पहले सभासद मेंबर के रुप में रहा करते थे। मेरा निवेदन है कि जो शहरी क्षेत्रों के मेम्बर हैं उनकी जल संस्थान के मेम्बर के रुप में लिया जाय और उनकी राय संबंधित कार्यों में ली जाय। जहां पर इस समय एडमिनिस्ट्रेटर हैं जब वह समाप्त हो जायं और हवां पर चुनाव हो जायं तो वहां पर उसके बाद जो व्यवस्था की जाय उस समय हम लोगों की राय ली जाय और शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिये धन का जो आवंटन किया जाय उसमें से 5-10 प्रतिशत उस क्षेत्र के एम०एल०ए० के जरिये से खर्च किया जाय। शहरी क्षेत्रों में विकास के लिये जो धन दिया जाय उसमें शहरी क्षेत्र के विधायकों का एक परसेंटेज फिक्स किया जाय और उनकी राय से कार्य किये जायं तो मैं समझता हूं कि इससे काफी सहायता मिलेगी।

श्री भगेलू राम-

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। टाउन एरिया में जो भी काम किये जाय उसमें विधायकों की राय ली जाय। नगर पालिका में जो कार्य किये जायं उसमें भी विधायकों की राय ली जाय। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूँ कि वहां पर 2 टाउन एरिया हैं लेकिन वहां पर जो काम होते हैं उसमें विधायक की कोई राय नहीं ली जाती है जो भी कार्य किये जाते तैं वह मनमाने तरीके से किये जाते हैं। मैं मांग करता हूं कि इन कार्यों में विधायकों की राय ली जाय।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

श्रीमन्, आपने मुझे इस गम्भीर विषय की चर्चा में भाग लेने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आभारी हूं। श्रीमन् जैसा कि राम कुमार शुक्ल जी ने कहा, इस परिसर के बाहर जाने पर ऐसा लगता है कि मैं विधायक हूं या नहीं हूं। वास्तव में तीसरा चुनाव हम लोग जीत कर आये हैं, पिछली बार मैं मंत्री था, हम लोगों की स्थिति यह है कि एक भी हैंडपंप कहीं पर नहीं लगवा सकते। एक भी हैंडपंप को लगाने के लिये संस्तुति देने का आधार हमारे पास नहीं है। जो देहात के विधायक हैं, आप जानते हैं डी०आर०ए० का जो फंड जाता है उसमें उनकी संस्तुति करने का अधिकार है कि हमारे यहां सड़क बनायी जाय और उनकी संस्तुति पर वहां विकास कार्य होते हैं। देहात क्षेत्र के विधायक शिलान्यास भी कर देते हैं, उद्घाटन भी कर देते हैं। हम लोगों के यहां यदि कोई पार्क बनता है तो जिलाधिकारी पहुंच जाते हैं, कमिश्नर पहुंच जाते हैं और उस अवसर पर, हम जनप्रतिविधि के नाते, जैसे जनता बैठती है वैसे ही बैठकर फीता काटते हुये देखा करते हैं।

कितना कष्ट होता है कि हमारे एक भाई हैं जिनकी इतना अधिकार है और एक हम लोग हैं कि जब हमसे लोग कहते हैं कि विधायक जी नल खराब है और उनको बनवा दीजिये तो हम यह नहीं सोंच पाते हैं कि जो हमारे मतदाता हैं उसकी कैसे संतुष्ट करें प्रशासन जैसा चाहता है वैसा करता है । मेरा सुझाव है कि चाहे नगर पालिका हो या नगर निगम विधायकों का हिस्सा, कम से 30 प्रतिशत 40 प्रतिशत विकास के लिये जो धन आवंटित किया जाता है, उसमें होना चाहिये और विधायक की संस्तुति पर शहरी क्षेत्रों में विकास कार्य होने चाहिये इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये ।

श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मैं आपकी अभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, माननीय नगर विकास मंत्री जी बैठे हुए है, हैंड पम्प के बारे में विधायक अगर चयन कर लिख देते हैं कि अमुक जगह लगा दे तह वह एस०डी०एम० के पास जाता है, मेरा अनुरोध है कि विधायक ने अगर लिख दिया कि यहाँ हैण्ड पम्प लगे तो उसकी आख्या एस०डी०एम० से न ली जाय और ऐसे स्थानों पर विधायक की जानकारी सुनिश्चित कर ली जाय ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं 2-3 महत्वपूर्ण बाते आपके सामने रखना चाहता हूं जो भारत सरकार का प्रोटोकाल है उसमें सांसद के बाद विधायक का नम्बर आता है और भारत सरकार ने सांसदों को भारत के कैबिनेट सेक्रेटी से ऊपर का दर्जा दिया है और विधायकों को भारत सरकार के हिसाब से यहाँ कैबिनेट सेक्रेट्री से ऊपर है । अब हमारी स्थिति क्या है अभी तक जो जिला पंचायत के कानून थे स्थानीय निकाय के कानून थे या जो डीआरडीए के सम्बन्ध में नियमी उसमें सारे के सारे पर विधायक को बराबर का अधिकार दिया गया था, अध्यक्ष को बनाने और हटाने का अधिकार हमको दिया गया था लेकिन नये नियम के अनुसार न स्थानीय निकाय न डीआरडीए और न ही जिला पंचायत में अध्यक्ष को बनाने का और न ही हटाने का किसी को अधिकार नहीं है । मान्यवर, सांसदों को केन्द्र सरकार द्वारा एक करोड़ रुपया दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

जो विषय वस्तु है उसी पर बोले ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, उसी पर आ रहा हूं । मान्यवर, एक करोड़ रुपया सांसदों को दिया गया है, विधायकों की हैसियत क्या है जो ग्रामीण क्षेत्र के विधायक है उन लोगों की जिला से कटर में रोड्स बनती हैं उन लोगों की रोड्स बनाने में बाकायदा भागीदारी है विद्युतीकरण में भागीदारी है, नलकूप लगवाने में भागीदारी है और अन्य कोई भी विकास का कार्य हो चाहे इंडिया मार्का–2 हैण्ड पम्प हो, चाहे पुलिया हो, चाहे खड़न्जा हो चाहे डी०आर०डी०ए० का बचा हुआ पैसा को इस्तेमाल करने का मामला हो हर जगह ग्रामीण विधायक की सहमति से काम होता है । मान्यवर, जो अन्य सदस्य कह चुके हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं । आज चीप सेकेट्री से लेकर सेकेट्री तक और मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक कोई ऐसा नहीं है जिसके पास कोई आर्थिक पावर न हो तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक लेकिन विधायकों के पास संस्तुति के अलावा एक रुपये की पावर नहीं है । ऐसे विधायकों की संख्या इस सदन में 80 से 85 है और पूरी विधान सभा का 1/5 विधायक इस समस्या से पीड़ित हैं । आज से नहीं पूरे 10 साल से मैं इसकी मांग करता रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, बात तो पूरी हो जाने दें । अब माननीय मंत्री जी क्या कहेंगे मंत्री खड़े होकर यह कहेंगे कि

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी का जवाब मंत्री जी को देने दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मंत्री जी कहगें कि जो लोग शहरी क्षेत्र से चुनकर आते हैं उनका क्षेत्र पहले से ही बहुत डेवलप है, वह डेवलप क्षेत्र से चुनकर आते हैं देहात के क्षेत्र पहले से अविकसित हैं इसलिए शहरी क्षेत्र में ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा विशेष आग्रह इस सरकार से है कि डिसक्रिमिनेशन एमांग दि क्लास नहीं होना चाहिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री जी से स्पष्ट इस बात की घोषणा चाहता हूँ कि हम लोगों की विकास कार्यों में हिस्सेदारी सुनश्चित करें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, आज नियम 49 के अन्तर्गत माननीय श्री वालेश्वर त्यागी जी के सवाल पर आपकी अनुज्ञा से चर्चा ही रही थी, उस समय श्री शुकल जी हमारे पास आये थे और कह रहे थे कि खन्ना जी के पास जब यह विभाग था, तो उन्होंने कुछ किया नहीं और अब यह सब कह रहे हैं। माननीय खन्ना जी ने यह भी गलत अनुमान लगाया कि शहरी क्षेत्र पहले से ही विकसित हैं, यह सही है कि वह पहले से विकसित हैं और यह भी कहा कि उनको निम्न श्रेणी का माना जाता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सभी विधायक बराबर हैं, उनमें न कोई उच्च श्रेणी का है और न निम्न श्रेणी का है। जहां पर कोई निम्न श्रेणी है, उसी को उठाने के लिये ही यह सरकार सत्ता में आयी है, चाहे वह जनता के लोग हों और चाहे विधायक हों।

मान्यवर, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण में विधायकों के बैठने की और उनकी राय लेने की व्यवस्था है, पाल जी ने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की है। मैं स्पष्ट घोषणा करता हूं कि जिस प्रकार से जिला ग्राम्य विकास अधिकरण में व्यवस्था है, उसी प्रकार से नगर विकास अधिकरण में भी विधायकों के लिये व्यवस्था होगी। मान्यवर, जिस प्रकार से जिला ग्राम्य विकास अधिकरण में जिला स्तर पर बैठके होती हैं और जिले का प्लान बनाया जाता है, उसी प्रकार से जिला नगरीय विकास अधिकरण भी एक स्वायत्त शासी संस्था है, इसमें निम्न सदस्य रखे गये हैं

1. जिलाधिकरी अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी-उपाध्यक्ष
3. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र-सदस्य
4. जिला सेवायोजन अधिकारी-सदस्य
5. जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी-सदस्य
6. अग्रणी बैंक के अधिकारी–सदस्य
7. समस्त नगर स्थानीय निकायों के अध्यक्ष, प्रशासक, मुख्य नगर अधिकरी-सदस्य
8. मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य
9. अधिशासी अभियन्ता जल निगम-सदस्य
10. प्रधानाचार्य पालिटेक्निक/आई०टी०आई०-सदस्य
11. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी-सदस्य
12. क्षेत्रीय परियोजना प्रबन्धक (यू०वी०एस०पी०)-सदस्य
13. भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि -सदस्य

14. जिला सहकारी बैंक के प्रतिनिधि-सदस्य

15. राज्य सरकार के प्रतिनिधि-सदस्य

16. सयुक्त नियोजन-सदस्य

17. परियोजना निदेशक (डूडा)-सदस्य

18. तीन गैर सरकारी सदस्य (सरकार द्वारा नामित)--सदस्य मान्यवर, अभी तक इसकी 18 कोटियां थी और अब तक और नई कोटि आज से निर्वाचित सदस्यों की बढ़ा दी गयी है, वह जिला नगर विकास अभिकरण के सदस्य होगें। माननीय सदस्यों की यही इच्छा भी थी और आप अवगत हैं कि हमारी सरकार सूक्ष्म से सूक्ष्म विकास को करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब मान्यवर, बात पूरी हो गयी है और आप मान्यवर इसका स्वागत करेगे।

श्री अध्यक्ष--

सभी सदस्यों ने अपने विचार रख लिये हैं।

(कई माननीय सदस्य कुछ कहने के लिये खड़े हो गये)

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे जो भी राज्य सरकार से नगरों के लिए आदेश जारी कराये उसमें एक चीज जोड़ दे कि विधायक को स्थल चयन की सुविधा होगी विधायको से प्रस्ताव लेकर उसी आधार पर नगर का विकास किया जायेगा विधायकों से प्रस्ताव लेकर ही कार्य कराया जायेगा इससे हम सब लोगों की मंशा लगभग पूरी हो जायेगी हमें पैसा नही चाहिए सिर्फ प्रस्ताव चाहिए।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जिला ग्राम्य अभिकरण में भी हम लोग बैठते है उन बैठकों में सब अधिकारी होते है विभिन्न विषयों पर अपनी राय देते है वोट तो देते नही है निर्वाचित प्रतिनिधि ही वोट डालते है। माननीय विधायक आप उपस्थित होगें सम्बन्धित नगर पालिकाओं के चेयरमैन होगें निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ मिलकर तय कर लेंगे अलग से अधिकार का न डी०आर०डी० में प्राविधान है और न इसमें कोई प्राविधान है।

सुरेश कुमार खन्ना--

जिस प्रकार से जिला योजना में जो सड़कों का पैसा होता पी०डब्लू०डी० का, उसमें एम०एल०सी० भी मेम्बर होते है लेकिन सदस्य विधान परिषद की संस्तुति नही ली जाती है कितने विधान सभा सदस्य होते है उन्ही में वह पैसा सड़को का बटता है।

श्री हृदयनारायण दीक्षित--

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में जैसा माननीय खन्ना जी बोल रहे थे कि पैसे का कोई वितरण होता है एमएलए में एमएलसी को नही मिलता ऐसी कोई व्यवस्था नही है वे वहाँ की स्थानीय व्यवस्था होती है। किसी किसी जनपद में माननीय विधायक बैठकर सदस्य विधान परिषद से कहते है कि दो तीन सड़के ले लें किसी में ज्यादा हिस्सा मिलता है किसी में कम। अलग से नियमों में कोई व्यवस्था नही है कि विधान परिषद के सदस्य नही पायेंगे विधान सभा सदस्य ही पायेंगे यह केवल जिला नगरीय विकास अभिकरण में सदस्य होने की घोषणा की है वाकी जो नियम है वही लागू रहेंगें।

श्री राजेन्द्र कोटियाल द्वारा सदन में पर्चे फेके जाने के सम्बन्ध में मा० अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

सदन को एक सूचना देनी है।

आज दिनांक 20-7-95 को जब सदन की बैठक चल रही थी तब लगभग 2-52 बजे दर्शक दीर्घा नं० 4 में मध्य पंक्ति में बैठे एक व्यक्ति ने अचानक अपने स्थान से खड़े होकर कुछ पर्चे फेके और नारे लगाने का प्रयास

किया जिसे दीर्घा में जाकर सुरक्षाकर्मियों ने ऐसा करने से रोक दिया और तत्काल अभिरक्षा में लेकर दीर्घा से बाहर ले आए। उक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर मार्शल विधान सभा द्वारा पूछताछ की गयी तो उसने अपना नाम राजेन्द्र कोटियाल बी.काम. एलएलबी (एडवोकेट) तथा केन्द्रीय उत्तराखण्ड राज्य निर्माण योजना बताया उसके पास विधान सभा के आज के अधिवेशन में 1.00 बजे से 3.00 बजे अपराहन की पाली के लिए जारी दीर्घा प्रवेश पत्र सं० 2688 प्राप्त हुआ जो श्री सूरवीर सिंह सजवाण, सदस्य विधान सभा टेहरी गढ़वाल की संस्तुति पर जारी किया गया। माननीय सदस्य श्री सजवापा के उक्त संस्तुति पत्र में श्री कामता प्रसाद बलौदी तथा श्री प्रताप सिंह कण्डारी दो अन्य व्यक्तियों के नाम की भी 1.00 से 3.00 बजे की पाली के लिए उपर्युक्त श्री कोटियाल के साथ ही संस्तुति की गयी है। परन्तु दस व्यक्ति के दीर्घा से हटाये जाने के पश्चात जाच करने पर उक्त दोनों व्यक्ति दीर्घाओं में नहीं मिले। श्री कोटियाल के पास से प्राप्त प्रवेश पत्र, संस्तुति पत्र तथा दो पर्चे मूल रुप में इस टिप्पणी के साथ संलग्न है।

श्री कोटियाल इस समय मार्शल की अभिरक्षा में हैं।

श्री राजेन्द्र कोटियाल ने अपने आचरण एवं कृत्य से सदन की कार्यवाही में वाधा डालने का प्रयास किया है जो सदन की अवमानना का प्रश्न वन सकता है। परन्तु ऐसे उच्छखल व्यक्ति को अनावश्यक महत्व देना इस सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं होगा। अतः यदि सदन सहमत हो तो श्री राजेन्द्र कोटियाल की, मार्शल की अभिरक्षा में रहने की अवधि को पर्याप्त दण्ड मानकर रिहा कर दिया जाए।

(सदन में उपस्थित समस्त सदस्यों ने इससे सहमति व्यक्त की)

श्री अध्यक्ष–

उन्हें सदन की सहमति से रिहा किया जाता है। अब हम उठते है 27 तारीख को 11 बजे फिर बैठेगे इसके बाद सदन 6 बजकर 45 मिनट पर शुक्रवार 27-7-1995 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ : 20-7-95

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारा० प्र०सं० 10 क्र पिछे पृ०--15-----पर

विवरण-पत्र-1

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ चकबंदी विभाग जिला शाखा सीतापुर की मांग पत्र दिनांक 10-10-94

1- चक अपील संख्या-965/172 धारा-(2) त्रियुगी नरायन बनाम ग्राम सभा का निर्णय श्री बृजमोहन लाल वर्मा, स०ब०अ०च०, सीतापुर द्वारा दिनांक 7-10-94 को किया गया, जिसका अमल दरामद श्री देवी शरण गुप्ता, लेखपाल चकबंदी को अमलदरामद करने तथा श्री नवी अहमद, पेशकार को सुनवाई हेतु पत्रावली सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी को देने के आरोप में दिनांक 7-10-94 को ही तत्काल प्रभाव से श्री राधेश्याम मिश्र ब०अ०च० सीतापुर द्वारा निलम्बित किया गया, तथा उसी दिन श्री बृजमोहन लाल वर्मा, स०ब०अ०च० को अपने चेम्बर में बुलाकर आदेश को निरस्त न करने के श्री वर्मा के उत्तर से असंतुष्ट होकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा उनके भी निलम्बन की कार्यवाही कर दी। निलम्बन आदेश से श्री नवी अहमद पेशकार को दिल दौरा का पड़ा और उनकी प्रशासक स्थिति का इलाज जिला अस्पताल में हो रहा है। अमलदरामद करने वाले लेखपाल को जानमाल की धमकियां दी जा रही हैं, जिससे कर्मचारियों में असंतोष व आक्रोश व्याप्त है।

शासनादेशों के नियमों निर्देशों जिसमें आरक्षण नीति भी शामिल है को रखकर सीतापुर में तमाम नई नियुक्तियां श्री राधेश्याम मिश्र ब०अ०च० द्वारा अपने रिश्तेदारों भाई भतीजों आदि की भी की गई है, जिसमें प्रशिक्षित लेखपाल बलवीर सिंह आदि के होते हुए भी अप्रशिक्षितों की नियुक्तियां भी शामिल हैं।

ग्राम खण्डे की खतौनी खाता 53 बाद संख्या 4178/4-7-90 धारा-9 में की गई हेराफेरी से पूर्ण जांच के बाद भी 6 माह से कार्यवाही ब०अ०च० स्तर पर लम्बित है। पेशकार शिकायतकर्ता लेखपाल चकबंदी श्री हंसराम वर्मा की जानमाल की धमकी दे रहे हैं।

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि, वर्दी, बेगार, प्रत्यावेदन, बादों का निस्तारण पदोन्नति वेतनमान, रिक्त अधिकारियों की पूर्ति, लेखन सामग्री, दरी डेस्क आदि समस्याओं के समाधान पर संघ के पूर्व पत्रों पर कार्यवाही ब०अ०च० द्वारा नहीं की जा रही है।

शासनादेशानुसार समस्त कर्मचारियों को दिनांक 1-5-84 से सलेक्शन ग्रेड तथा दिनांक 1-5-90 से पदोन्नति वेतनमान देने और लेखपालों को पदोन्नति वेतनमान 1200-2040 के स्थान पर 1350-2200 का वेतनमान देने पर कार्यवाही शेष है।

शासन एवं विभागाध्यक्ष द्वारा सीतापुर में विभागीय पदोन्नति से व०अ०च० नियुक्त होना है। लेकिन सीतापुर में सुपरवाइजर कानूनगो नायब तहसीलदार आदि पदों पर रह चुके चकबंदी क्रियाओं से अनभिज्ञ मिले जनपद के ब०अ०च० पर नियुक्ति ने कर्मचारी विरोधी आतंक फैला दिया है, को हटाकर सही नियुक्ति की जांच

7 कर्मचारी समस्याओं के समाधान पर अपनायी गई उपेक्षात्मक नीति से तथा श्री राधेश्याम मिश्र, ब०अ०च० द्वारा कर्मचारियों के साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्र करते हैं। उनके आतंक शोषण उत्पीड़न से कर्मचारियों में असंतोष व आक्रोश व्याप्त है, जिससे विवश एवं बाध्य होकर जनपद सीतापुर का समस्त कर्मचारी दिनांक 10-10-94 से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर रहेगा।

विवरण—पत्र—2

श्री सुधाकर प्रसाद त्रिपाठी, अध्यक्ष, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ चकबंदी विभाग जिला शाखा सीतापुर एवं श्री पन्ना लाल सोनी, मंत्री, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ चकबंदी विभाग जिला शाखा, सीतापुर द्वारा 7 सूत्रीय मांग-पत्र जनपद स्तर धरना देते समय दिया था। इस मांग पत्र पर निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी, उप संचालक चकबंदी से जांच करायी गयी। जांच एवं कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है

1- श्री बृजमोहन लाल वर्मा, तत्कालीन सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी, सीतापुर द्वारा चक अपील संख्या-965/172 अन्तर्गत धारा-21 (2) जो०च०अ० त्रियुगी नरायन बनाम ग्राम सभा आदि का निर्णय दिनांक 7 10-94 को किया गया इस आदेश को निरस्त करने के लिए श्री राधेश्याम मिश्र, तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी, सीतापुर ने श्री वर्मा को कहा था। श्री वर्मा द्वारा इन्कार करने पर श्री मिश्र ने उनसे अभद्र व्यवहार किया, जो जांच में सही पाया गया। उक्त अपील में पारित आदेश का अमल दरामद श्री देवीशरण गुप्ता, चकबंदी लेखपाल द्वारा शीघ्र करने के आरोप में श्री मिश्र द्वारा उन्हें निलम्बित किया गया। जांच में श्री गुप्ता द्वारा कोई अनियमित कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया। चकबंदी लेखपालों को गलत रुप से निलम्बित करने के लिए श्री मिश्र दोषी पाये गये। श्री नवी अहमद, न्यायालय लिपिक को श्री मिश्र द्वारा इस आरोप में निलम्बित किया गया कि उनके द्वारा श्री वर्मा, सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी को निस्तारण हेतु पत्रावली क्यों दी गई ? जांच में यह पाया गया कि श्री मिश्र, श्री अहमद को निलम्बित करने के दोषी है। इन अनियमित कार्यो के लिए श्री राधेश्याम मिश्र, बन्दोबस्त चकबंदी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है।

2 श्री राधेश्याम मिश्र, तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी, सीतापुर द्वारा 26 अभ्यर्थियों को लिपिक/चकबंदी लेखपाल/चपरासी के पदों पर नियुक्तियां की गई थी, जिसमें 24 नियुक्तियां जांच में अनियमित पायी गई, इन अनियमित नियुक्तियों के लिए श्री मिश्र दोषी पाये गये।

ग्राम रुण्डा के खतौनी खाता संख्या-53 में बाद संख्या-4178 दिनांक 4 7 90 अन्तर्गत धारा-9 जो०च०अ० के आदेश में जो अंश निर्धारित किए गये थे उन अंशों में संशोधन करके अंश परिवर्तन करने की अनियमितता जांच में सही पायी गई, जिनके लिए श्री कुलवीर सिंह, चकबंदी कर्ता तथा श्री रामपाल गुप्त, चकबंदी लेखपाल दोषी पाये गये थे। इन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही होनी थी, जो दिनांक 12-4-94 से 8-6-94 तक लम्बित रही। बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा इन दोषी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस प्रकार मांग-पत्र में बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी स्तर उक्त कार्यवाही लम्बित अवश्य पायी गयी लेकिन 6 माह तक लम्बित रहने का तथ्य जांच में सही नहीं पाया गया।

जहां तक श्री हंसराम वर्मा, चकबंदी लेखपाल को पक्षों द्वारा धमकी देने का प्रश्न है, इस संबंध में कोई एफ०आई०आर० दर्ज नहीं करायी गयी है। इसलिए धमकी देने की पुष्टि नहीं होती है।

4- सामान्य भविष्य निर्वाह निधि, वर्दी, बेगार, प्रत्यावेदन, वादों का निस्तारण, पदोन्नति वेतनमान, रिक्त अधिकारियों की पूर्ति, लोन सामग्री, दरी डेस्क आदि समस्याओं के समाधान के संबंध में जांच में यह पाया गया कि सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का कोई प्रार्थना-पत्र बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी कार्यालय में एक माह से अधिक का अवशेष नहीं है। जनपद के 65 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से 24 कर्मचारियों को वर्दी दी गई है, शेष को धनाभाव के कारण वर्दी नहीं दी गई। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से बेगार लेने का मामला जांच में सही नहीं पाया गया। वर्तमान बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, सीतापुर की आख्या के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का दक्षतारोक, वेतनवृद्धि, स्थायीकरण आदि का कोई प्रयावेदन अवशेष नहीं है। पदोन्नति वेतनमान के प्रकरण में जांच में यह पाया गया कि केवल चकबंदी लेखपालों को पदोन्नति वेतनमान दिया जाना शेष है। उक्त लेखपालों के पदोन्नति वेतनमान के प्रकरण में शीघ्र निस्तारण हेतु बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी, सीतापुर को निर्देशित कर दिया गया है। रिक्त अधिकारियों की पूर्ति जिला स्तर से नहीं की जाती। इस प्रकरण में 18 दरियां, 49 डेस्क उपलब्ध है। दरियां डेस्कों की अभी भी जनपद में आवश्यकता है, परन्तु धनाभाव के कारण वह नहीं खरीदी जा सकी। जनपद में 106 चकबंदी लेखपाल हैं जिनको सामग्री हेतु रु० 3-00 प्रतिमाह भुगतान किया जाता है।

5- चकबंदी लेखपालों को सलेक्शन ग्रेड व पदोन्नति वेतनमान रु० 1200 2040 तक है, रु० 1350-2200 का वेतनमान देने का कोई शासनादेश नहीं है।

6- श्री राधेश्याम मिश्र, बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी को जनपद से हटाये जाने की मांग की गई, जिसके संबंध में उन्हें दिनांक 24-10-94 से बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी पद से हटा दिया गया है।

7- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त मांगों के संबंध में धरना दिया गया था जो उनसे वार्ता करके समाप्त करा दिया गया है।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 39 का पीछे पृ०——33——पर)

सूची

तहसील का नाम	राजस्व निरीक्षक क्षेत्र (मुख्यालय)	तहसील का नाम	राजस्व निरीक्षक क्षेत्र (मुख्यालय)
1-सीतापुर	1-सीतापुर	4-बिसवाँ	1-बिसवाँ
	2-काजी कमालपुर		2-मानपुर
	3-इमलिया सुल्तानपुर		3-साण्डा
	4-हरगांव		4-जंहगीराबाद
	5-खैराबाद		5-रेउसा
	6-सेलूमऊ		6-सेवता
	7-नैपारापुर		7-थानागाँव
			8-कटरा (किशोरगंज)
2-मिश्रित	1-बड़ागांव		
	2-नेरी		
	3-पिसावां	5-लहरपुर	1-कटेसर
	4-महोली		2-अमौरा बनईरामा
	5-बीहट गौर		3-परसैण्डी
	6-कुतुबनगर		4-माधू बीहड़
	7-मिश्रित		5-लहरपुर
	8-मछरेहटा		6-मरसण्डा
	9-बनियामऊ		7-सकरन
	10-सेंधना		8-तम्बौर
	11-औरंगाबाद		
	6-महमूदाबाद	6-महमूदाबाद	1-मेथरामाधव
3-सिधौली	1-पीर नगर		2-सिकंदराबाद
	2-कसमण्डा		3-सदरपुर
	3-सिधौली		4-महमूदाबाद
	4-भण्डिया		5-बांसुरा
	5-अटरिया		6-मथुरा
	6-गोंदलामऊ		7-रामपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 177 का पिछे पृ० —82— पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1995 के पहले गुरूवार हेतु निर्धारित रमापति उर्फ रमाकान्त, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या—177 के संदर्भ में पेंशन प्राप्त कर रही विधवाओं की वर्ष 1985-86 से 92-93 तक ग्राम डिडौहा तहसील सदर की सूची।

क्र०सं०	विधवा का नाम एवं पता	भुगतान की गई धनराशि	भुगतान का माध्यम
	वर्ष 1985-86		
1-	तुलसी देवी पत्नी स्व० सीता राम केवट, ग्राम डिडौहा, पो०-पुरानी बस्ती।	720-00	धनादेश द्वारा
2-	राजदेई पत्नी स्व० कल्लू चमार, ग्राम डिडौहा, पो०-पुरानी बस्ती।	480-00	(मृत्यु के कारण धनादेश वापस)
	वर्ष 1986-87		
1-	मुरता देवी पत्नी स्व० राम सबेरे उर्फ राम सुमेर, ग्राम डिडौहा, पो०-पुरानी बस्ती।	720-00	धनादेश द्वारा
2-	तुलसी देई पत्नी स्व० सीता राम केवट, ग्राम डिडौहा, पो०-पुरानी बस्ती।	720-00	,, ,, ,,
	वर्ष 1987-88		
1-	तुलसी देई पत्नी स्व० सीता राम केवट, ग्राम डिडौहा, पो०-पुरानी बस्ती।	720-00	कल्याण शिविर में नकद धनराशि
2-	मुरता देवी पत्नी स्व० राम सबेरे उर्फ राम सुमेर, ग्राम डिडौहा, पों० पु० बस्ती।	720-00	धनादेश द्वारा
	वर्ष 1988-89		
1-	तुलसी देई पत्नी स्व० सीता राम केवट, ग्राम डिडौहा, पो०-पुरानी बस्ती।	720-00	कल्याण शिविर में नकद धनराशि
2-	मुरता देवी पत्नी स्व० राम सबेरे उर्फ राम सुमेर, ग्राम डिडौहा, पों० पु० बस्ती।	720 00	,, ,, ,,

1	2	3	4
	वर्ष 1989-90		
1-	तुलसी देई पत्नी स्व० सीता राम केवट, ग्राम डिडौहा, पो०-पुरानी बस्ती।	360-00	मृत्यु के कारण धनादेश वापस
2-	मुरता देवी पत्नी स्व० राम सबेरे उर्फ राम सुमेर, ग्राम डिडौहा, पों० पु० बस्ती।	840-00	धनादेश द्वारा
	वर्ष 1990-91		
1-	मुरता देवी पत्नी स्व० राम सबेरे उर्फ राम सुमेर, ग्राम डिडौहा, पों० पु० बस्ती।	1200-00	धनादेश द्वारा
	वर्ष 1991-92		
1-	मुरता देवी पत्नी स्व० राम सबेर उर्फ राम सुमेर, ग्राम डिडौहा, पों० पु० बस्ती।	1200-00	कल्याण शिविर नकद भुगतान
	वर्ष 1992-93		
1-	मुरता देवी पत्नी स्व० राम सबेरे उर्फ राम सुमेर, ग्राम डिडौहा, पों० पु० बस्ती।	600-00 600-00	धनादेश द्वारा " " "

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी० (वा०) 03 वि० सभा—13 12-95—572 (कम्प्यूटर/आफसेट)